राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 37वां दिवस संख्या 10

शुक्रवार,

दिनांक 23 फरवरी, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 को विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री रामनारायण चौधरी !

मण्डावा विद्युत् लाइन पर व्यय

232. **श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा)** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) मंडावा से चूड़ी अजीतगढ, डूंडलोद और केरन होती हुई बिजली की लाइन कौन से गांव तक गई है? इस बिजली की लाइन की लम्बाई कितनी है तथा कुल व्यय इस लाइन पर कितना हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इस लाइन पर पड़ने वाले गांवों में से सिर्फ मीठवास, फूसरवानी का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? इन गांवों का ही विद्युतीकरण नहीं होने के क्या कारण हैं जब कि बिजली की लाइन गांवों में से ही गुजरी है ?

(3) इस बिजली की लाइन पर कितने सिंचाई के कनेक्शन्स अब तक किस-किस गांव में हो चुके हैं तथा कितने लाइट कनेक्शन्स हुए हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त दोनों गांवों का विद्युतीकरण करवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री विद्युत् (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) मंडावा से चूड़ी, अजीतगढ़, डूंडलोद जाने वाली विद्युत् की लाइन नरसिंहानी से आगे चल कर दो भागों में विभक्त हो जाती है प्रथम केरू द्वितीय चौधरियों की ढाणी। इस लाइन की लम्बाई 27 मील है, इस लाइन पर सब-स्टेशन को मिला कर कुल व्यय 5,43,900.00 रुपये हुआ है।

(2) जी हां। क्योंकि इनको योजना में शामिल नहीं किया गया था।

(3) सूची संलग्न है।

(4) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री फूलचन्द बाफना।

पंचायत समितियों के अध्यापक

233. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के स्नातक व स्नातकोत्तर आठ अध्यापकों को सन् 1963 में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में लिया गया था ? यदि हां, तो उसके पश्चात् आज तक ऐसे किसी भी अध्यापक को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत क्यों नहीं लिया गया ?

Page No. 2

(श्री फूलचन्द बाफना)

(2) अब ऐसे अध्यापकों को पंचायत समितियों से शिक्षा विभाग में सरकार कब लेने जा रही है ? यदि नहीं लेने जा रही है, तो क्यों ?

(3) पाली जिले में पंचायत समितियों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर और बी. एड. अध्यापक वर्तमान में कितने कितने हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) व (2) नियमानुसार पंचायत समितियों के अध्यापकों को राज्य सरकार की शालाओं में तृतीय वेतन-श्रृंखला में स्थानान्तरित नहीं किया जाता। पंचायत समिति के प्रशिक्षित स्नातक व स्नातकोत्तर अध्यापक पंचायत समितियों से शिक्षा विभाग में वरिष्ठता के अनुसार द्वितीय वेतन—श्रृंखला में पदोन्नति पर लिये जाते हैं। गत सत्र में इस प्रकार का कोई स्थान रिक्त न होने के कारण पंचायत समिति से अध्यापक नहीं लिये गये। जैसे जैसे राज्य सरकार की शालाओं में द्वितीय वेतन-श्रृंखला के पद खाली होते जावेंगे वैसे वैसे ही पंचायत समिति के उन अध्यापकों को जिनका नम्बर वरिष्ठता के अनुसार आयेगा पदोन्नति दी जा सकेगी।

(3) स्नातकोत्तर 2।
स्नातक 60।
बी. एड. 29।

प्रश्न सं. 234

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : राजवी रूपसिंह।

हाई कोर्ट जोधपुर में गवर्नमेंट एडवोकेट

235. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वक्त हाई कोर्ट जोधपुर में कितने व कौन—कौन व किस-किस उम्र के गवर्नमेन्ट एडवोकेट, डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट, असिस्टेन्ट गवर्नमेन्ट एडवोकेट सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी करते हैं ? इनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनके सिलेक्शन का क्या आधार है व सिलेक्शन कितने अर्से के लिये होता है ?

उपमंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इनकी नियुक्ति विधि अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों के नियम 8 के अनुसरण में की जाती है। यद्यपि नियमों में इन अधिकारियों के चयन का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तथापि नियुक्ति ऐसे अधिवक्ताओं की की जाती है जिनको सरकार पदों के लिये उपयुक्त समझती है।

इनकी नियुक्ति प्रायः 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की अवधि के लिये, जैसा सरकार को उचित प्रतीत होता है, की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

राजवी श्री रूपसिंह : मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम बनाना चाहती है ? जिस तरह डिपार्टमेंट्स में नियम बने हुए हैं उस तरह गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स के सिलसिले में नियम नहीं बने हुए हैं, तो क्या सरकार इनके सम्बन्ध में भी नियम बनान

Page No. 3

(राजवी श्री रूपसिंह)
चाहती है ? यदि नियम बनाना चाहती है तो कब तक नियम बना देगी ?

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जहां तक डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स का सवाल है उनकी नियुक्ति करने से पहले हाई कोर्ट से एप्रूवल ले ली जाती है। डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट को एपॉइन्ट करने से पहले हाई कोर्ट को पूछ लेते हैं और हाई कोर्ट एप्रूव करता है तब डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट बनाते हैं। किसी वकील को इस पद के लिये जज करने के लिये हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान से बेहतर और कोई जज करने का तरीका नहीं हो सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नियम बनाने में क्या आपत्ति है ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह नियम है किहाई कोर्ट को पूछ कर बनाते हैं। इससे बढ़ कर और क्या नियम हो सकता है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कैसे भी करें नियम तो होना ही चाहिये। नियम बनाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार यह सोच रही है कि हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस से बढ़ कर किसी एडवोकेट को जज करने के लिये और बेहतर कौन मिल सकता है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही नियमों में लिख दीजिये कि इनके एपॉइन्टमेन्ट के बारे में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जज निर्णय देंगे।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : हाई कोर्ट में भेजने के लिये भी तो नियम होंगे न ?

श्री बरकतुल्ला खां : नियम नहीं हैं पर हाई कोर्ट की एप्रूवल ले कर एपॉइन्ट करते हैं, यह नियम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो आपने सूची सदन की मेज पर रखी है उसके अनुसार जितने एपॉइन्टमेंट्स आपने किये हैं क्या उन सब में आपने चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान की एप्रूवल ली है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने अर्ज किया कि राजस्थान हाई कोर्ट से पूछ कर, इजाजत ले कर एपॉइन्ट किया जाता है डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री महोदय ने बताया कि जितने एपॉइन्टमेंट किये हैं, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान की एप्रूवल ले कर किये हैं, अब क्वालिफाई किया है कि डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स का एपॉइन्टमेंट हाई कोर्ट की एप्रूवल से किया जाता है। मैं यह पूछता हूं कि जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है, क्या उन सब व्यक्तियों का एपोइन्टमेंट हाई कोर्ट की एप्रूवल से किया गया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं शुरू से ही डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स कहता आ रहा हूं। डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स का जहां तक सवाल है हाई कोर्ट से पहले इजाजत मंगा ली जाती है, चीफ जस्टिस की आज्ञा ले कर इनका एपॉइन्टमेंट किया जाता है। जहां तक असिस्टेन्ट गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स का सवाल है, उनका काम ज्यादातर यह होता है कि

(श्री बरकतुल्ला खां)
गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स जनरल और एडीशनल गवर्नमेन्ट एडवोकेट जनरल की पेशियों को बदलवाना, पेशियों को मुकर्रर करवाना। इस लिये इनका एपॉइन्टमेंट एडीशनल एडवोकेट जनरल की राय ले कर किया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असिस्टेन्ट गवर्नमेन्ट एडवोकेट के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या प्रेस्क्राइब की हुई है, जबकि सबके लिये ही मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की हुई है ? क्या इनके लिये कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की हुई है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां, एडवोकेट होना चाहिये और दो साल का स्टेन्डिंग होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है, उसमें नं. 8 पर श्री अशोक कुमार माथुर, सहायक सरकारी अधिवक्ता की उम्र 24 वर्ष है और उनको दो वर्ष का एडवोकेट का अनुभव नहीं है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक मुझे मालूम है, करीब दो साल का एक्सपीरियेन्स है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : करीब का सवाल नहीं। मैं कहता हूं कि इनको दो साल का अनुभव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इसी लिये तो कहते हैं कि नियम बना लेने चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : मिस्टर अशोक की दो साल की प्रेक्टिस है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Including the period of training.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस प्रश्न है। बार में भी इसके लिये बडा भारी असंतोष है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता भी पूछ रहे हैं उनको पूछ लेने दीजिये। दोनों का साथ ही जवाब आ जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जो कह रहा हूं वही वे कह रहे हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : I subscribe to his views मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो फर्मा रहे हैं कि Assistant Government Advocate does not conduct cases, in the High Court is wrong. In the absence of Dy. Government Advocate he has to conduct cases. जब दो साल का इनको एक्सपीरियेन्स नहीं है then how can he appear before the High Court and conduct cases ? इसलिये हाई कोर्ट में जो एडवोकेट्स मुकर्रर करने की बात है it should be free from all these things and such dirty tricks should not be played at least in judiciary.

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इस सम्बन्ध में नियम बनवा दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियम बना दिये जायेंगे यह तो आगे के लिये बात हुई। प्रश्न यह है कि आपके सामने एक स्पेसीफिक केस श्री अशोक कुमार माथुर का रखा गया है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जो कि 24 साल के हैं और आप कहते हैं कि उनको दो साल का अनुभव है। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि नहीं है। जब दो साल का एक्सपीरियेन्स नहीं है तो एपॉइंटमेंट कैसे किया? उन्होंने उस समय तक कितने केसेज कन्डक्ट किये थे? अगर दस केसेज भी कन्डक्ट किये हों तो हम मान लेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेंट ने एपॉइंटमेंट करने के पहले गवर्नमेंट एडवोकेट और एडीशनल एडवोकेट जनरल की राय ली थी और उनकी रिकमेन्डेशन थी कि जब गवर्नमेन्ट एडवोकेट नहीं होते हैं तो केसेज के कन्डक्ट करने में कठिनाई होती है इसलिये इनको रखा गया, और 400 रुपये महीने में कोई सीनियर आदमी नहीं मिलता था।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अब अगर सीनियर आदमी दे दिया जाय तो?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं और कांग्रेसी मित्रों से भी कह देना चाहता हूं कि इससे कांग्रेस की और लोकतन्त्र की बदनामी होती है कि एक मिनिस्टर की पिटीशन चल रही है और उनकी वकालत करने वाले एडवोकेट के लडके को आप डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट बना देते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री ओमदत्त भाटी।

फिजिकल एज्युकेशन सम्बन्धी डिग्रियों को मान्यता

236. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि केन्द्रीय सरकार ने श्री लक्ष्मीबाई कॉलेज आफ फिजिकल एज्युकेशन ग्वालियर प्रारम्भ किया है?

(2) क्या यह संस्था बी. पी. आई (तीन वर्ष) तथा एम. पी. ई. (दो वर्ष) को फिजिकल एज्युकेशन डिग्रियां प्रदान करती है?

(3) क्या विक्रम यूनिवर्सिटी फिजिकल एज्युकेशन के डिप्लोमा सहित बी. पी. ई. या बी. ए. पास छात्रों को एम. पी. ई. में तथा पंजाब यूनिवर्सिटी भी ऐसे छात्रों को एम. एड. (फिजिकल एज्युकेशन) में प्रवेश देती है?

(4) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में बी. ए. फिजिकल एज्युकेशन सहित के एक वर्षीय डिप्लोमा को तो मान्यता है पर इन उपरोक्त यूनिवर्सिटियों की बी. पी. ई., एम. पी. ई. या एम. एड. डिग्रियां जो कि अधिक अच्छी हैं, को राजस्थान में मान्यता नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या ये डिग्रियां केन्द्रीय सरकार तथा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं?

(6) क्या भविष्य में सरकार इन डिग्रियों को मान्यता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) :
(1) जी हां।
(2) जी हां।

(श्री शिवचरण माथुर)

(3) लक्ष्मीबाई कॉलेज के फिजिकल एज्युकेशन के डिप्लोमा होल्डर को जियाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर जिससे यह संस्था सम्बद्ध है एम. ए. (फिजिकल एज्युकेशन) में प्रवेश देती है। पंजाब यूनिवर्सिटी भी ऐसे छात्रों को एम. एड. में प्रवेश देती है।

(4) यह सत्य नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज आफ़ फिजिकल एज्युकेशन, ग्वालियर, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा दी गई डिग्रियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिजिकल एज्युकेशन के समकक्ष मान्यता दे रखी है तथा विश्वविद्यालय उज्जेन तथा पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला की एम. एड. डिग्री को भी मान्यता दी है।

(5) जी हां।

(6) मान्यता की समकक्षता निर्धारित करने का कार्य विश्वविद्यालय से सम्बंधित है।

श्री ओमदत्त भाटी : जब केन्द्रीय सरकार ने इनको मान्यता दे रखी है तो विश्वविद्यालय का क्या इन्टरफीयरेन्स है? क्यों नहीं मान्यता देते ?

श्री शिवचरण माथुर : मान्यता देने का काम विश्वविद्यालय का ही है। सरकार इसमें इन्टरफीयरेन्स नहीं करती है।

श्री ओमदत्त भाटी : उन्होंने दी है या नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कहा विश्वविद्यालय प्रवेश देता है। पटियाला विश्वविद्यालय और लक्ष्मीबाई कॉलेज के डिग्री और डिप्लोमा होल्डर को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

भवानी मंडी के कपड़ा मिल को एलॉट की गई भूमि

237. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड जिले में भवानी मंडी की कपडा मिल्स को राज्य सरकार ने जमीन एलॉट की थी ? अगर हां, तो कब व कितनी ?

(2) क्या इस निमित्त कोई एग्रीमेन्ट हुआ था ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के लिये मिल्स को डेवलपमेन्ट चार्जेज व लीज मनी जमा करनी है ? अगर हां, तो कितनी कितनी व किस रेट से तथा कम्पनी ने कितना जमा किया व कितना बकाया है ?

(4) क्या यह सही है कि मिल्स ने अभी तक उक्त भूमि का बन्धक-पत्र नहीं भरा है ? अगर हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) झालावाड जिले में कस्बा भवानी मंडी में राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स को 14-8-61 को 129 बीघा 6 बिस्वा जमीन दी गई है। यह जमीन पार्टी द्वारा खरीद की गई थी।

(2) एग्रीमेन्ट पर दिनांक 9-1-68 को पार्टी के हस्ताक्षर हुए हैं, प्रतिलिपि अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) डेवलपमेन्ट चार्जेज 100 रुपये प्रति एकड से 51.72 एकड भूमि के 5172

(श्री भीमसेन)

रुपये होते हैं तथा रेंट के 15 रुपये प्रति एकड प्रति साल के हिसाब से 775 रुपये 80 पैसे एक साल के होते हैं। रेंट की रकम एवं डेवलपमेन्ट चार्जेज के 5172 रुपये उस जमीन की कीमत में एडजस्ट होंगे। अतः रकम मिल्स द्वारा जमा कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) मिल्स द्वारा भूमि का बन्धक-पत्र दिनांक 8-1-68 को भरा गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब कुल जमीन 129 बीघा 6 बिस्वा है तो डेवलपमेन्ट चार्जेज केवल 51.72 एकड के कैसे ले रहे हैं ?

श्री भीमसेन : मेरे खयाल से वहां पर 129 बीघा 6 बिस्वा के इतने ही एकड बनते हैं, 51,72 एकड।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण !

बसों के परमिट

238. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) निम्बाहेडा से कनेरा तथा बेगूं, निम्बाहेडा से कनेरा, नगरी, चित्तौडगढ, निम्बाहेडा से निकूमल व निम्बाहेडा से बेगूं वाया चित्तौडगढ उपरोक्त चारों भागों पर कितनी बसें कितने मालिकों की चलती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मोहनलाल सोनी, प्रधान, पंचायत समिति, निम्बाहेडा ही इन सब बसों के मालिक हैं या परमिट होल्डर हैं ?

(3) एक ही व्यक्ति को इस प्रकार परमिट देने की नीति सरकार क्यों अपनाती है ?

(4) क्या उक्त मार्गों पर अन्य लोगों द्वारा बसें चलाने हेतु परमिट मांगे गये थे ? यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र पेश हुए तथा उन्हें खारिज क्यों किया गया ?

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (1) इन मार्गों पर एक ही बस चल रही है और बस मालिकों के नाम रूट के अनुसार निम्न प्रकार हैं:—

(अ) श्री चांदमल भंवरलाल, निवासी निम्बाहेडा।

(ब) श्री मोहनलाल पुत्र मथुरालाल सोनी, निवासी निम्बाहेडा।

(स) श्री मदन लाल दिनेशचन्द, निवासी कनेरा।

(द) श्री मदन लाल सोनी पुत्र श्री मथुरा लाल सोनी।

(2) बसों के मालिकों के नाम प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में वर्णित हैं।

(3) एक ही व्यक्ति को उपरोक्त परमिट नहीं मिले हुए हैं।

(4) उपरोक्त मार्गों पर दूसरे लोगों द्वारा परमिट नहीं मांगे गये हैं और न ही आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न (3) के उत्तर में कहा है कि एक ही आदमी को उपरोक्त परमिट नहीं मिले हुए हैं, लेकिन आप प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में

Page No. 8

(श्री दौलतराम सारण)
कह रहे हैं कि मोहनलाल पुत्र मथुरालाल और मदनलाल पुत्र मथुरालाल और फिर मदनलाल दिनेशचन्द, ये कौन हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने आपसे निवेदन किया कि एक ही नाम में नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : भाई के नाम में लिया हो, बाप के नाम में लिया हो और बेटे के नाम में लिया हो तो ये क्या अलग-अलग व्यक्ति हो गये ? आप और आपका बेटा अलग-अलग हो गये ?

श्री अमृतलाल यादव : आपने पूछा कि एक ही आदमी के नाम में परमिट दिया गया है क्या ? मैंने कहा जी नहीं। अब एक ही बाप के दो बेटे हो सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : एक ही परिवार है।

श्री हरिदेव जोशी : एक ही परिवार के अलग-अलग व्यक्ति हो सकते हैं। हमारे यहां एक ही नाम के परमिट नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम में परमिट दिये गये हैं।

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास जो इन्फोर्मेशन है उसमें अलग-अलग नामों में परमिट दिये हुए हैं। अगर एक बाप के दो बेटे हैं तो मैं समझता हूं कि वे अलग-अलग रहते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। उनकी एक ज्वाइंट फैमिली है या नहीं यह मुझे मालूम नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सरकार ने ऐसे नियम बना दिये हैं कि एक ही आदमी को दो परमिट नहीं मिल सकेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : नियम तो नहीं हैं लेकिन जनरली खयाल रखते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या आप महसूस नहीं करते कि किसी एम. एल. ए., पंच या सरपंच को परमिट नहीं मिलनी चाहिये ?

श्री रामकिशन (वैर) : ऐसा क्यों ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

कीटाणुनाशक दवाओं की कीमत

239. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्लांट प्रोटेक्शन इन्सेक्टीसाइडस वगैरा की खरीद करने वालों को पहले 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती थी ?

(2) क्या यह सही है कि अब सब्सिडी भी खत्म कर दी गई और सेल्स टैक्स भी लगा दिया गया है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में है कि इन कीटाणुनाशक दवाओं की कीमत इतनी अधिक हो जाती है कि आम किसान इसे खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखता ?

(4) क्या सरकार ने कभी यह जांच की है कि इन दवाओं की निर्माण कीमत क्या पडती है और कितने अधिक मुनाफे के साथ य बाजार में बेची जाती हैं ?

उप मन्त्री, कृषि (राव श्री हरिसिंह):— (1) जी हां, अगस्त, 1966 तक फिर मई, 1968 तक 37।। प्रतिशत।

(2) जी हां, 25-5-67 से अनुदान बन्द कर दिया गया तथा 1-4-67 से सैल्स टैक्स लगाया गया।

(3) यह सही नहीं है कि सब-सिडी समाप्त होने व सेल्स टैक्स लगाने के कारण कीटनाशक औषधियों की कीमत कादतकारों के सामर्थ्य के बाहर है। यह भी उल्लेखनीय हैं कि हाई यीलिडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत बीज, खाद तथा दवाइयों के लिये सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिया जाता है जिससे यह चीजें आसानी से क्रय की जा सकें।

(4) यह दवाइयां टेन्डर मांग कर सेन्ट्रल स्टोर्स परचेज आर्गेनाइजेशन द्वारा क्रय की जाती है अतः मुनाफे का प्रश्न नहीं होता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपने अपने उत्तर में बताया कि किसान के सामर्थ्य के बाहर नही है यह किस आधार पर कहते हैं? किसानों का औसत स्टैंडर्ड क्या है?

श्री हरीसिंह : आप कम्पैरेटिव फिगर्स को देखें। सन् 1964-65 में जबकि सब्सिडी 50 प्रतिशत दी जाती थी, उस समय इन्सेक्टीसाइड्स कृषि विभाग खरीदता था और 1966-67 व 1967-68 में जब कि वह बिल्कुल समाप्त कर दी गई उस समय कितनी थी इससे आपको ज्ञान हो जायगा। 1964-65 में अनुमानित रकम 12,17,214) थी जिसकी इन्सेक्टीसाइड्स खरीदे गए और 1967-68 में जबकि सब्सिडी बिल्कुल बन्द कर दी गई और सैल्स टैक्स लगा दिया गया, उस समय करीब 40,94,760.17 के प्रोक्यूएर किये गये। इससे आप देखेंगे कि इसका सब्सिडी से कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि यह कोई किसान के सामर्थ्य के बाहर नहीं है कि वह औषधियां खरीद नहीं सके।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): उस काल और इस काल में फर्क इसलिए आया है कि जिस समय कम खरीद बताई उस समय बीमारी फसल में कम लगी और जिस समय ज्यादा बताया बीमारी ज्यादा लगी, सामर्थ्य का कोई सवाल नहीं।

श्री हरिसिंह : आप 1966-67 का एपिडेमिक एरिया का पूछना चाहते हैं या..

श्री दौलतराम सारण : आप कह रहे हैं कि उस समय दवाइयां कम खरीदी गई और इस समय में ज्यादा खरीदी गई, इस से उनकी हैसियत में या खरीद-शक्ति में कोई अंतर नहीं पडा यह गलत है। इसलिये आंकडे बढे हैं कि इस काल में बीमारी ज्यादा बढी है इसलिए दवाइयों का उपयोग ज्यादा बढा है, सिंचाई का क्षेत्र ज्यादा बढा है इसलिए दवाइयां ज्यादा लगी हैं।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम): प्रश्न यह था कि क्या इन बढी हुई कीमतों पर खरीदना किसानों के आर्थिक सामर्थ्य के बाहर है? यह सही है कि किसी साल क्षेत्र ज्यादा अफेक्टेड और किसी साल कम। लेकिन जो प्रणाली तय की, डिकाम्पोनेन्ट मेम्बर्स ऑफ दी सोसाइटी के लिए हर साल फील्ड वर्कर्स की कान्फरेंस नवम्बर में होनी है उसमें तय किया जाता है, और

(श्री शोभाराम)

जब प्राइसेज बढते हैं उसके अनुमानतः वह क्रेडिट लिमिट डिकाम्पोनेन्ट में बढाए जाते हैं और इसकी अदायगी की जिम्मेदारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की होती है क्योंकि हर साल 4 काम्पोनेन्ट्स मुकर्रर होते हैं बी खाद के लिए और डी काम्पोनेन्ट पेस्टी–साइड्स वगैरह के लिए हर साल कीमत रिव्यू होती है और उसका पेमेन्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक करता है और किसान के लिए कैश में खरीदने की जरूरत नहीं है, इसलिए सामर्थ्य का प्रश्न नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या यह सही है कि फर्टीलाइजर्स और पेस्टीसाइड्स दोनों की कीमत हर साल आप बढाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो अनाज किसान पैदा करता है उसकी कीमत बराबर घट रही है। आज भी सीमेंट, चद्दर इत्यादि की कीमतें बढती जा रहीं हैं। तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का व्यवहार किसान के साथ क्यों किया जा रहा है जिसमें जब उनसे लेना पडता है तो बढाते जा रहे हैं और किसान के सामान के कीमतें दिनोंदिन घट रहीं हैं?

श्री शोभाराम: जहां तक राज्य सरकार का ताल्लुक है जो फर्टीलाइजर्स मैन्यूफैक्चर होते हैं, बाहर से भी आते हैं और देश में भी बनते हैं और पेस्टीसाइड्स के भी विभिन्न प्रकार के मैन्यूफैक्चरर्स हैं उसके लिए जैसें इस में कहा गया है कि हम टेन्डर्स इन्वाइट करते हैं और जो लोएस्ट टेन्डर आता है, सरकार उसे मन्जूर करती है। इसलिए कीमत पर राज्य सरकार का कन्ट्रोल नहीं है राज्य सरकार की न कोई ऐसी एजेंसी है मैन्यूफेक्चर करने की न ही केंद्रीय सरकार की है, बल्कि कुछ तो प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जो मैन्यूफेक्चर करती है और बहुत से फर्टीलाइजर्स बाहर से इम्पोर्ट होते हैं इसलिए उनकी कीमत पर हमारा कोई ध्यान नहीं हैं, न कन्ट्रोल है। यह सही है कि गत वर्ष के मुकाबले में गेहूं, चने और जौ की जो कीमतें होंगीं उनमें 30 प्रतिशत कम से कम गिरावट होगी उसके मुकाबले में अनुमानतः जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा आता है जो इन आइटेम्स पर आएगा, वह प्रोपोरशनेटली कुछ ज्यादा होगा। यह सहीहै, क्योंकि दो तीन महीनों से ऐसे आधार हमारे सामने आए, इस चीज को केन्द्रीय सरकार के सामने हम लाना चाहते हैं और इस ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इनकी कीमतें किस प्रकार से कम की जायं।

श्री दौलतराम सारण: क्या राज्य सरकार की नीति है कि रसायनिक खाद और दवाइयां जो कृषि के उपयोग में आते और जो महंगी पडती हैं प्राइवेट उत्पादकों द्वारा बेचने में, तो इनका खुद सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन प्रारंभ करेगी?

श्री शोभाराम: मैं समझता हूं कि इसका उद्योग विभाग से ताल्लुक है, यह चीज उनके सामने विचाराधीन है कि कितना कर पायेंगे? कहां तक कामयाब होंगे? क्या होगा या नहीं? लेकिन जहां तक कृषि विभाग का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि जब तक कोई ऐसी फैक्ट्री स्थापित नहीं होगी तब तक कन्ट्रोल नहीं कर सकते। आज स्थिति यह है कि बाहर से इम्पोर्ट कर पाते हैं या दूसरे मैन्यूफैक्चरर्स से खरीदते हैं। वे टेन्डर्स के द्वारा ही प्राप्त करते हैं उनकी प्राइसेज पर हमारा कोई कन्ट्रोल

(श्री शोभाराम)

नहीं है। हम केन्द्रीय सरकार का ध्यान, गिरते हुए भावों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : श्री रावतराम !

मकराना की मारबल खानों पर निर्मित कुए पर व्यय

240. श्री **रावतराम (छापर)** [श्री विजय सिंह (मकराना) द्वारा पूछा गया:] क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग की ओर से मकराना (जिला नागौर) की मारबल की खानों पर एक कुआं बनाया गया है? यदि हां, तो इस कुएं पर सरकार की कितनी धनराशि खर्च हुई?

(2) खनिज विभाग द्वारा बनाये गए इस कुएं का पानी खान मालिकों व फैक्ट्री मालिकों को निःशुल्क दिया जाता है या शुल्क लेकर? यदि शुल्क लेकर दिया जाता है तो इससे विभाग को सालाना कितनी आमदनी होती है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कुएं का पानी बेचा जाता है? यदि हां, तो इसका पूरा हिसाब किसके द्वारा रखा जाता है? यदि नहीं रखा जाता है, तो क्यों?

(4) क्या कुएं का पानी बेचने के आदेश राज्य सरकार ने दे रखे हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो सहायक खनिज अभियन्ता, मकराना किसके आदेश से पानी बेचते हैं और तत्संबंधी धनराशि कहां जमा होती है?

उप-मंत्री, खनिज (श्री भीमसेन) : (1) जी हां, इस पर सरकार के दिनांक 31-3-67 तक 80,415.15 रु. खर्च हो चुके हैं।

(2) खान मालिकों, फैक्ट्री मालिकों मजदूरों एवम् आसपास के लोगों को कुए का पानी अभी तक निःशुल्क दिया जाता रहा है। आमदनी का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। सहायक खनजि अभियन्ता, मकराना पानी नहीं बेचता है। इससे धनराशि जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री **विजयसिंह** : इस कुए का डायमीटर कितना है, कितना गहरा है जो 80,000 रु. कीमत लग गई?

खनिज (मंत्री श्री हरिदेव जोशी): मेरे पास गहराई का आंकडा नहीं है।

श्री **विजयसिंह** : तो 80 हजार की कीमत कैसे लग गई?

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर): नार्मली एक कुएं पर 80 हजार का खर्चा नहीं आता।

श्री **हरिदेव** जोशी: पम्पिंग सेट्स, लाइन्स और इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह का सब खर्चा उसमें शामिल है।

कई माननीय सदस्य: तो भी इतना खर्चा नहीं आता है एक कुए पर।

श्री हरिदेव जोशी : मकराना ऐसा क्षेत्र है जहां पानी उपलब्ध नहीं है। मुझे याद

(श्री हरिदेव जोशी)
नहीं है कि कितना गहरा है, मगर इसको बोर करवाने में काफी समय लगा है।

श्री विजयसिंह : जांच करवाई जाय। 80 हजार बहुत लगा है।

श्री हरिदेव जोशी : यह सही नहीं है।

श्री विजयसिंह : पानी बेचा जाता है, इसका परिणाम यह है क्या मंत्री महोदय के दो मुंह हैं जो...

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मैं एतराज करता हूं जो 80 हजार का आंकडा है उसमें कुए पर लगाया गया चौकीदार, ड्राइवर, कुए चलाने का खर्चा शामिल है और ओवरहेड टैंक है और चौकीदार के रहने का मकान है, 1750 फीट है और तीन इंची जी.आई. पाइप लगाया गया है सारी चीजें शरीक हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): कितने आदमियों को रोटी-रोजी मिलती है? इसमें मंत्री महोदय का हिस्सा है। यह बहुत बडा कुआं है। यह भृष्टाचारियों का कुआं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस प्रकार के बेढंगे पन के ऐतराज लगाते हैं, उसमें मुझे आपत्ति है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं तो पहले की ही बात करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी: माननीय सदस्य, केवल इस सदन के सदस्य चुने जाने से ही यह अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है कि वे बेढंगे चार्ज लगायें।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर!

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, I object to it.

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। माननीय रावत। माननीय मंत्री महोदय, श्री रावत (बहुत जोरों की आवाज)

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो भी आप बोलें, नियंत्रित भाषा में बोलें। कुछ विचार के साथ बोलें। मुझे भी इसमें आपत्ति है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपको आपत्ति है तो उसको प्रोसिडिंग्स में से निकाल दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह अधिकार है और अगर वे यह महसूस करते हैं कि उसके अन्दर कहीं कोई गैर कानूनी कार्यवाही हुई है अथवा इर्रेगुलरिटी हुई है अथवा मिस एप्रोप्रियेशन हुआ है अथवा और कोई दूसरी चीज हुई है तो स्पेसिफिक चार्जेज के रूप में दें। अगर मेरे बारे में ऐसा महसूस करते हैं तो मैं कहूंगा। माननीय सदस्य ने नाम से कहा है। मैं आबजेक्ट करता हूं। इस प्रकार सदस्य की हैसियत से जो कि उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। I strongly object to it, Sir.

श्री विजयसिंह रावत: I also strongly protest it, Sir.

श्री अध्यक्ष: मैंने उसका संकेत कर दिया है।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ) : मंत्री महोदय का नाम लिया है, क्योंकि 80 हजार के कुएं बहुत काम बन रहे हैं। जब तक कि केवल मकराने के पत्थर का काम हो यह नहीं बन सकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री शंकरलाल !

जैतारण तहसील में पानी की खोज

241. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत नवम्बर में मुख्य मंत्री जी ने पाली जिले की जैतारण तहसील में भू-गर्भ विभाग द्वारा पानी की खोज की विस्तृत जांच व सर्वे करने की आज्ञा दी थी ?

(2) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है की जोधपुर जिले का बोरुन्दा गांव जैतारण तहसील क्षेत्र से केवल 5 मील की दूरी पर है जहां भू-गर्भ में पानी की अथाह प्राप्ति हुई है ?

(4) सरकार द्वारा जैतारण तहसील का सर्वेक्षण इस दृष्टि से कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

उप-मंत्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां।

(4) भू-जल सर्वेक्षण आरम्भ किया जा रहा है और जून, 1968 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

श्री शंकरलाल : यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने आज्ञा दी है, और वह आज्ञा हाथों हाथ मुख्य मंत्री जी ने दी है, और आप कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने आज्ञा नहीं दी ?

श्री हरिसिंह: उनकी आज्ञा तो प्राप्त नहीं हुई है लेकिन वहां क्या हो रहा है यह मैं आपको बता दूं कि जैतारण तहसील का सर्वेक्षण किया जा रहा है एक नई योजना है जो......

श्री शंकरलाल: सुनाई नहीं दे रहा है। जरा जोर से बोलें।

श्री हरिसिंह : प्रारम्भ किया जा रहा है और जून 68 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम): यह स्कीम चल रही है, उसका सर्वेक्षण हो जायगा 68 तक। लेकिन वह आज्ञा हमको प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न संख्या 242

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह !

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बिना इजाजत गाड़ियां आदि चलाने के मामले

243. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर, कोटा, अजमेर व दूसरे बड़े शहरों के आस पास नेशनलाईज्ड रूट्स पर बिना इजाजत प्राइवेट मोटरें, टेम्पो या

Page No. 14

(श्री जुझारसिंह)
टैक्सी चलाने के कुल कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं ? और कितनों में फैसला या जुर्माना किया गया है ?

(2) ऐसी कितनी पार्टीज या व्यक्ति हैं जो कई बार जुर्माना हो जाने पर भी बिना परमिट गाडियां चलाते हैं, और उनको रोकने की क्या व्यवस्था सोची गई है ?

(3) ट्रान्सपोर्ट व रोडवेज के अलग अलग चैकिंग स्टाफ पर विभागों द्वारा कितना कितना खर्चा किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि यह दोहरा इन्तजाम खर्चीला, पेचीदा व सरकार को किसी प्रकार हानि पहुंचाने वाला है ?

(4) क्या सरकार ट्रांसपोर्ट व रोडवेज विभागों के अलग-अलग अस्तित्व के कारण हो रही असुविधाओं व हानि को ध्यान में रखते हुये इनको एक ही विभाग के अधीन करने का विचार करेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव): (1) जयपुर, कोटा, अजमेर के आस-पास के ऐसे 108 मामले प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के विचाराधीन हैं, और 33 में फैसला या जुर्माना किया गया है। निगम की सुरक्षा शाखा द्वारा 144 चालान विभिन्न अदालतों में पेश किये गये हैं जिनमें से 6 केसों में फैसला हो गया व 138 मामले अदालतों में चल रहे हैं ।

(2) सन् 1966-67 में परिवहन विभाग द्वारा सात गाडियों के मालिकों को एक से अधिक बार चलने पर अदालत में चालान किया गया है । निगम के सुरक्षा चालान किये गये ऐसी पार्टियों या व्यक्तियों के वाहनों की संख्या 10 है । ऐसे मामलों को रोकने के लिये उनके परमिट रद्द किये जाते हैं । वे गाडियां थाने में बन्द की जाती हैं।

(3) परिवहन द्वारा अपने चैकिंग स्टाफ पर सन् 1967-68 के बजट के अनुसार 2,63,770 रु. सालाना खर्च किया जा रहा है। निगम के सिक्योरिटी स्टाफ पर अनुमानित खर्च 30,000 रु. प्रति वर्ष आता है यह दोहरा इन्तजाम नहीं है क्योंकि परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम में चैकिंग स्टाफ का कार्य अलग अलग है ।

(4) दोनों को एक करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। पूरे सोच-विचार के बाद ही निगम बनाया गया है । निगम एक व्यवसायिक संस्थान है, परिवहन विभाग का काम कानून और नियमों का पालन करवाना और कर वसूल करना है।

श्री जुझार सिंह: मंत्री महोदय ने बताया कि करीब 140 केसेज नेशनेलाईज्ड रूट पर पकडे गये हैं । इसको स्टाप करने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य ने सुना नहीं। मैंने प्रश्न नम्बर 1 में बताया कि 144 चालान विभिन्न अदालतों में पेश किये गये हैं व 138 मामले अदालतों में चल रहे हैं ।

श्री जुझारसिंह : क्या आप बता सकते है कि ऐसे मामले साल-डेढ़ साल पहले यानी 66 में कितने केसेज थे और 67 में कितने आये । साल दर साल नेशनेलाईज्ड रूट पर स्टाफ द्वारा मामले बढे हैं घटे नहीं हैं ।

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा आपने प्रश्न में पूछा नहीं है, इसलिये मैं कह नहीं सकता हूं। जो कुछ आपने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दे दिया है। इससे आपको सन्तोष होना चाहिए। जहां तक निगम का सवाल है, मामले अदालतों में फैसले के लिये गये हुये हैं।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट नेशनेलाईज्ड रूट पर प्राईवेट मालिकों को परमिट देता है और उनसे कार्पोरेशन को नुकसान हो रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव : क्या यह सही नहीं है ?

श्री अबगलाल (हिण्डोन सु.) : क्या यह सही है कि बिना परमिट भी रूट पर गाडियां चलती हैं और क्या आपने इस प्रकार की गाडियों को रोका है - जो आपके अन्डर में हैं।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने निवेदन किया है कि 10 गाडियां रोकी हैं। उनके परमिट रद्द किये जाते हैं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): क्या यह सही नहीं है कि 30 प्राईवेट टेक्सीज उन रूट्स पर रात-दिन चलती हैं और आपके निगम का सुरक्षा विभाग उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है।

श्री अमृतलाल यादव : आपकी सूचना के लिये धन्यवाद। इसके लिये देखूंगा क्या हो सकता है ?

एक माननीय सदस्य: प्राईवेट टेम्पू को परमिट देने से पहले..........

श्री अध्यक्ष: आर्डर! आर्डर!! प्रश्न-कर्ता। माननीय सदस्य!

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि नेशनेलाईज्ड रूट्स पर प्राईवेट टैक्सी चलाने से पहले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट रोडवेज से यह पूछ लेता है कि इनको परमिट दिया जाय या नहीं दिया जाय ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐसी कोई बात नहीं है। निगम को परमिट दिया हुआ है। दूसरे लोगों को परमिट नहीं दिया जाय, ऐसे आर. टी. ओ. को इंसट्रक्शन्स हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जहां अजमेर में रोडवेज का दफ्तर है उसके सामने ही प्राइवेट बसेज जिनकी संख्या 28-29 के करीब है, वे जोर जोर से आवाजें लगाकर सवारियों को बिठाते हैं। यह सब रोडवेज के दफ्तर के सामने होता है। क्या उनके खिलाफ आज तक ट्रांस्पोर्ट विभाग ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री अमृतलाल यादव : मोटर वेहिकल एक्ट में जो प्रोवीजन हैं उसके मुताबिक जिन लोगों को बसेज के परमिट दिये जाते हैं अगर वे वायोलेशन करते हैं तो वह अपनी कार्यवाही करते हैं। कहीं अगर ऐसा पाया जाता है कि बसेज बिना परमिट के चल रही हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। इसके लिये उन्होंने स्पेशल अरेन्जमेन्ट फ्लाईंग स्क्वेड आदि भी रख रखे हैं इसी प्रकार ट्रान्सपोर्ट विभाग में भी इन्स्पेक्टर, असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर आदि हैं जो इनका चैकिंग करते रहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने जो सवाल स्पेसिफिक पूछा था उसका जवाब नहीं आया, अजमेर रोडवेज दफ्तर के सामने ये छोटी बसेज जिनकी संख्या 28-29 के करीब है वहां से रोज चलती हैं ।

श्री अमृतलाल यादव : यह जानकारी नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसेज चलाने के बारे में उनको अनुमति देने के बारे में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था, यदि था, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन का सवाल नहीं है । बसेज के जो परमिट देते हैं वह आर टी. ए. देते हैं । आर टी ए के सामने रोडवेज कोर्पोरेशन भी बसेज के लिये परमिट के लिये आवेदन करते हैं उसके बाद डेट फिक्स करके वे तय करते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुये थे कि इस प्रकार प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि बसेज की संख्या को देखते हुए जो बसेज चल रही हैं वे कम हैं अतः प्राइवेट पार्टीज को भी बस चलाने के परमिट दिये जायं ? इस प्रकार का कोई नीति सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन था ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राजस्थान स्टेट ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन के बावजूद आर टी. ए. ने मीनी कार्स के लिये परमिट दिये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : यह सवाल इसमें नहीं आता ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : परमिट तो दिये हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि 6 केसेज में फैसला हो चुका है 138 का बाकी है । 6 केसेज में जो फैसला हो चुका है उनके परमिट केन्सिल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जानकारी दे रहे हैं ?

(विद्युत् प्रकाश बन्द हो जाने के कारण सदन शान्त रहा)

एक माननीय सदस्य : बिजली मंत्री की करामात है जो अन्धेरा हो गया ।

श्री अमृतलाल यादव : जो भी फैसला होता है उसको इम्प्लीमेन्ट कराया जाता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : परमिट केन्सिल किये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

एक माननीय सदस्य : आजतक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया ।

श्री जुझारसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रोडवेज डिपार्टमेन्ट और ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट को एक करने में आपको क्या

(श्री जुझारसिंह)
आपत्ति है, दूसरी स्टेट्स में क्या दोनों विभाग अलग अलग हैं या एक हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : इसका जो स्वायत्तशासी निगम बनाया गया है वह सोच समझ कर ही बनाया गया है। इसलिये दोनों विभागों के मिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुझार सिंह : दूसरी स्टेट्स में क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है इनको पता नहीं है।

प्रश्न संख्या 244। श्री विजयसिंह (मकराना) !

ग्राम बोरावड़ के मिडिल स्कूल का परिवर्तन

244. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्राम बोरावड़, जिला नागौर की मिडिल स्कूल को जब कि छात्रों की संख्या लगभग 600 है उसे सेकन्ड्री स्कूल में परिवर्तित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : धनाभाव के कारण इस वर्ष कोई शाला क्रमोन्नत नहीं की गई। केवल 21 कन्या शालाओं को स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु क्रमोन्नत किया गया। आगामी सत्र 1968-69 में ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ आर्थिक स्थिति तथा सरकार की निर्धारित नीति को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जायेगा।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि मकराना बोरावड़ की आबादी अधिक होने से वहां सेकन्ड्री स्कूल होना जरूरी है क्योंकि आसपास मिडिल स्कूल बहुत सी हैं इसलिये बोरावड़ में सेकन्ड्री स्कूल होना आवश्यक है ?

श्री शिवचरण माथुर : अगले वर्ष सब परिस्थितियों को देखकर विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या 245 !

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण तानीवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य !

गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर

246. श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर, जिला चुरू को कुल कितनी सहायता राज्य सरकार द्वारा हर साल दी जाती है ?

(2) यह सहायता कब से दी जा रही है ? और अब तक कुल कितनी रकम दी जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों को राजकीय नियमानुसार वेतन व मंहगाई भत्ता तथा प्रोविडेन्ट फन्ड नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? और यदि दिया जाता है, तो कर्मचारियों को क्या-क्या दिया जाता है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

आयुर्वेद मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (1) गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर, जिला चुरू को सन् 1959-60 से 66-67

(श्री अमृतलाल यादव)
जो प्रति वर्ष सहायता दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) यह सहायता सन् 1959-60 से दी जाने लगी है। अब तक कुल 249,539.77 पैसे दी जा चुकी है।

(3) जी नहीं, विश्व भारती, सरदार-शहर के कर्मचारियों को 1-9-61 की परिवर्तित वेतन-श्रृंखलाओं के अनुसार वेतन दिया जा रहा है तथा 1-4-66 से पुनः परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ है। कर्मचारियों को जो वर्तमान में वेतन दिया जा रहा है उनका नियमित प्रोवीडेन्ट फन्ड भी काटा जाकर उसका नियमित लाभ कर्मचारियों को दिया जाता है। उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामचन्द्र आर्य : सूची नहीं दी गई है और न सदन की मेज पर ही आयी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

मैं इसके लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। बराबर माननीय सदस्यों द्वारा इस बारे में एतराजात होते रहे हैं। प्रश्न से सम्बन्धित दोनों सूचियां नहीं आयी हैं। मैं आगाह कर देना चाहता हूं अगर सूचियां न आयीं तो कहीं मुझे प्रश्न को स्थगित न करना पड़े। इस आगाही से संकेत लें और सूचियों को जवाब के साथ प्रस्तुत करें।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल बाजार जयपुर): आपने जो व्यवस्था दी है उसमें मैं कुछ एडीशन करना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष की व्यवस्था में एडीशन नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिह : मेरे सुझाव से आपकी व्यवस्था की प्रतिष्ठा ज्यादा अच्छी हो जायगी। मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें कहा गया है कि सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं, जब कि सदन में वह नहीं रखी गई हैं इसके लिये उनको हाउस के सामने खेद प्रकट करना चाहिये।

श्री अमृतलाल यादव : मैं इसके लिये खेद प्रकट करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अब और आप क्या चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, गांधी विद्या मन्दिर के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यहां के एक वैद्य तो एक साल से मरे हुए हैं जो पहली सूची में दे रखे हैं। इस विद्यालय में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इसकी जांच करवाई जाय। सोहनलाल जी जान-बूझकर यहां आचार्य की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप पहला प्रश्न यह पूछिये कि क्या शालिगराम वैद्य मर गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, यह सरकारी संस्था तो है नहीं नोन ऑफिशियल इन्स्टीट्यूशन है इसको सरकार ग्रान्ट-इन-एड देती है। जैसी माननीय सदस्य ने सूचना दी है कि वैद्य मर गये हैं और उनका वेतन लिया जा रहा है अगर वास्तव में ऐसा है तो यह रकम वापिस रेस्टोर कर लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : कई साल से गांधी विद्या मन्दिर में आचार्य का स्थान जान बूझकर खाली रखा जा रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐसी मेरी कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : निकट भविष्य में इस संस्था का निरीक्षण करवाया जाय और जो भी गलतियां पायी जायं उनके लिये कार्यवाही की जाय।

श्री अमृतलाल यादव : यह आश्वासन मैं देता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 247।

कीड़े से फसल को नुकसान

247. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आमेर और लालसोट तहसील में व्हाइट गर्व नामक कीड़े से फसल को काफी नुकसान हुआ है ?

(2) इस कीडे को नष्ट करने के लिये राज्य सरकार की तरफ से क्या प्रभावकारी कदम उठाये गये है ?

(3) क्या आमेर पंचायत समिति क्षेत्र में संकर बाजरे में भी इससे काफी नुकसान हुआ है ?

(4) क्या आमेर पंचायत समिति सघन कृषि के अन्तर्गत सम्मिलित की गई है ?

उपमंत्री, कृषि (राव श्री हरिसिंह) :

(1) यह सही है कि पंचायत समिति, लालसोट में मूंगफली व आमेर में संकर बाजरे में व्हाइट गर्व कीडे का प्रकोप था।

(2) इस कीडे को नष्ट करने के लिये बी.एच. सी. डी. डी. टी., एलिड्रन, डाईएड्रिन, हेप्टोक्लोर कीटनाशक औषधियां खेतों में डाली गई थीं।

(3) पंचायत समिति, आमेर में केवल 8-10 एकड में प्रकोप था। परन्तु वहां पर कीडे से कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ।

(4) जी हां। 1965-66 से।

श्री सहदेव शर्मा : क्या यह सही है कि लालसोट और आमेर मूंगफली की पैदावार में सबसे महत्वपूर्ण तहसीले हैं ?

राव श्री हरिसिंह : जी हां।

श्री सहदेव शर्मा : क्या यह सही है कि वहां मूंगफली की फसल को काफी नुकसान हुआ है ?

राव श्री हरिसिंह: जितना आप सोच रहे है उतना तो नहीं है।

श्री सहदेव शर्मा: फिर आप बताइये कितना हुआ है ?

श्री हरिसिंह : ऐसा है कि एरियावाइज आंकडे तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप तो इतना ही कह दीजिये कि नुकसान हुआ था।

श्री हरिसिंह : हुआ है यह तो कह रहा हूं।

श्री सहदेव शर्मा : क्या सरकार को मालूम है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष: यह हाईपोथेटिकल है ।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : मूंगफली में जो कीड़ा लगता है उसका असर छः फट तक होता है और उस पर अनुसन्धान हो रहा है । अभी तक उसका कोई इलाज नहीं निकल पाया है । उस को कन्ट्रोल करने में 99 पर्सेन्ट असफल रहे हैं । यहीं पर नहीं, हिन्दुस्तान भर में । तो यह बड़ी समस्या है एग्रीकल्चर विभाग में ।

अब इसमें डिटेल्ड कितना नुकसान हुआ, वह भी बता देंगे । पर जहां तक इसकी बीमारी को कन्ट्रोल करने का सवाल है, हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि जो प्रयोग उन्होंने अब तक किये हैं उनमें वे असफल रहे हैं । और भी सारे अनुसन्धान कार्य चल रहे हैं, अभी तक माकूल इलाज नहीं निकला है ।

श्री सहदेव शर्मा: मूंगफली को छोड़कर संकर बाजरा पर कन्ट्रोल कर पाये तो हैं क्या ?

श्री शोभाराम: इस पर तो कन्ट्रोल कर पाये हैं । आमेर का जहां तक प्रश्न है वहां पर आठ-दस एकड जमीन पर ही इसे बोया गया है और वहां पर इसका प्रभाव पड़ा था और उसको हमने कन्ट्रोल कर लिया था ।

श्री सहदेव शर्मा : मेरी जानकारी इसके विपरीत है । हाई यील्ड सघन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर बाजरा जो बोया, उसके अन्दर भी नुकसान पंहुचा । जिसने संकर बाजरा बोया था उसकी सारी फसल ही नष्ट होगई । आपने कहा कि सात-आठ बीघा में ही इसने असर किया और प्रायः आपने रोक लिया है । मैं कहता हूं कि प्रायः वह सारी नष्ट हो चुकी है ।

श्री शोभाराम: मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जो इन्फार्मेशन हमारे पास है वह गांव वाइज करने की कोशिश करेंगे । अब इसके अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरी इन्फार्मेशन हो तो वह आप मुझे दें । मैं उसकी पूरी पूरी एन्क्वायरी करूंगा, सात एकड की बात कही है । वह नष्ट हो रहा था । उस पर हमने कन्ट्रोल पा लिया था ।

श्री सहदेव शर्मा : बिल्कुल नहीं कट्रोल कर पाये वह तो जड़ से नष्ट हो गयी । सरपंच रामपांडे डाबडा का है । उसने बोया था ।

श्री शोभाराम : अगर ऐसा है तो इसकी हम दुबारा जांच करवा सकते हैं ।

श्री सहदेव शर्मा : आप जांच करवा लीजिये ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : क्या यह सही है कि व्हाइट गर्व की कोई भी दवाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के पास नहीं है । बोरूंदा मशहूर जगह है । वहां 200 एकड में संकर बाजरा नष्ट हो गया । भीमसिंह, एक्स डिप्टीमिनिस्टर एग्रीकल्चर के फार्म का पूरा बाजरा नष्ट हो गया । महारानी जयपुर के फार्म का पूरा संकर बाजरा नष्ट हो गया और भी कितनी ही जगह बता सकता हूं कि जहां संकर बजारे

(श्री दौलतराम सारण)
की पूरी फसल नष्ट हो गई। एग्रोकल्चर डिपार्टमेन्ट के पास कोई माकूल दवाई इसकी नहीं है।

और एक निवेदन करना चाहता हूं यह व्हाइट गर्व सुपरफासफेट जहां डाला है वहां लगा है। यह भी मेरी जानकारी में आया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : किसी गरीब की भी सूचना है क्या आप के पास ?

श्री अध्यक्ष : आडर, आर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : उत्तर आना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, इसका। अफसोस है आपकी बुद्धि पर।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको गरीबों का ध्यान रखना चाहिये।

राव श्री हरिसिंह : जैसा माननीय सदस्य ने अभी नुकसान के बारे में कहा व्हाइट गर्वस् इसका कन्ट्रोल दूसरी तरह का है। जैसा मन्त्री महोदय ने अभी बताया यह 6 फीट तक पाया जाता है। तो आपने जैसा कहा सुपरफास्फेट जहां प्रयोग किया गया है वहां ज्यादा असर हुआ है। मैं मानता हूं इसको कि जमीन के अन्दर करीब पांच-छः फीट तो यह सबसे ज्यादा गहराई तक जा सकता है। रूट जमीन में रहता है। इसको कन्ट्रोल जैसा आपने कहा डिपार्टमेन्ट कर सका या नहीं। तो मैं कहूं कि इसमें दिक्कत है, जहां इनफेक्ट कन्डीशन है वहां-वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, और इसलिये वहां तरी नहीं पहुंच पाती और इसलिये कन्ट्रोल करना सम्भव नहीं है। इसमें साइल को ड्रैन्च करना पड़ता है। फसल बोने से पहले सोइल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बी. एस. सी. एल्ड्रिन का डस्टिंग करना पड़ता है या पानी के साथ मिलाकर डालना पड़ता है। फिर उसको ड्रैंच किया जावे तो जहां पर यह ज्यादा एरिया में फैल चुका है जैसे मूंगफली में तो उसको डिपार्टमेन्ट क्या, कोई भी रिसर्च वर्कर इलाज नहीं निकाल पाया है। इसमें प्राकृतिक असमर्थता है।

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी के अनुसार प्राकृतिक कारण नहीं है। यह रासायनिक खाद के गलत मिश्रण के कारण है जिसे विभाग मानने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री विजयसिंह (मकराना) : एक जानकारी मैं चाह रहा था। क्या यह सही है कि नोटों को खाने वाले कीड़े भी पैदा हो गये हैं। उनका भी कोई इलाज सरकार ने निकाला है ?

प्राथमिक पाठशाला, पंचायत समिति, सांचोर में अध्यापकों का बकाया वेतन

248. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सांचोर के प्राथमिक पाठशाला के शिक्षकों के वेतन एवं एरियर्स के लिये 102000 रुपये सन्. 1967-68 के लिये मंजूर किये जाकर संचालक, शिक्षा विभाग ने विकास विभाग की मंजूरी के लिये भेज दिया है ? अगर हां, तो कब ? विकास विभाग द्वारा इसकी मंजूरी कब तक दे दी जावेगी ?

(2) उपरोक्त पंचायत समिति के शिक्षकों के वेतन एवं एरियर्स की सन् 1967-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

68 की रकम पंचायत समिति के पी. डी. एकाउन्ट्स में कब तक हस्तानान्तरित कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त रकम की मंजूरी होकर पी. डी. एकाउन्ट्स में भेजने में देरी होने से बहुत से शिक्षकों के एरियर्स के भुगतान नहीं हो रहे हैं ? अगर हां, तो ऐसे कितने शिक्षक हैं ? इनके एरियर्स का भुगतान अब कब तक कर दिया जावेगा ?

(4) अब तक, कितने शिक्षकों को एरियर्स मिल चुके हैं और कितने शिक्षकों का कितना-कितना एरियर कब तक का अवशेष रहा है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) अतिरिक्त संचालक, शिक्षा के यहां से पंचायत समिति को 102000) रु. धनराशि हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव माह सितम्बर, 67 में प्राप्त हुआ था । धनराशि आवंटन करने की स्वीकृति पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा माह अक्टूबर, 67 में जारी की गई।

(2) आवंटन की गई धनराशि 6 किश्तों में पंचायत समिति के पी. डी. एकाउन्ट में हस्तान्तरित होनी थी तथा उसके अनुसार ही हस्तान्तरित हो रही है ।

(3) धनराशि की कमी की वजह से कुछ एक अध्यापकों को एरियर भुगतान नहीं हो पाया है । 54 अध्यापकों को एरियर का भुगतान किया जाना है जो पंचायत समिति द्वारा शीघ्र कर दिया जावेगा ।

(4) 125 अध्यापकों को एरियर का भुगतान किया जा चुका है व 54 अध्यापकों को भुगतान किया जाना है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने मालूम किया एरियर बहुत पुराना है ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं मानता हूं कि एरियर को तै करने में देर हुई है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब तक फाइनल कर देंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : यथाशीघ्र ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

स्थगित प्रश्न संख्या 6

श्री धोवचन्द छंगाणी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह ।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक स्पष्टीकरण है। ये जो क्वेश्चन रह गये हैं उनमें से कुछ का जवाब तो लिखित चला जावेगा । पर एक में सरकार पोस्टपोनमेन्ट सीक करने वाली थी, उसका क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : किसी का सीक नहीं करना था ।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : किसी का सरकार उत्तर नहीं देने वाली थी । वह क्या दुबारा रिपीट होगा ।

श्री अध्यक्ष : यह आदेश दे दिये हैं कि जो प्रश्न रह जाते हैं उनका लिखित उत्तर सदस्यों के पास पहुंच जाए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर मेरे प्रश्न के बारे में सूचना मिली कि उसका उत्तर सरकार से नहीं मिलने वाला है। सरकार उसके लिये पोस्टपोनमेन्ट मांगने वाली है ।

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न है आपका ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 253 ।

श्री अध्यक्ष : इसका भी लिखित उत्तर पहुंच जावेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज उसका उत्तर ही नहीं देने वाले हैं, पोस्टपोनमेन्ट लेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने स्थगित करने के लिये प्रार्थना की थी, जानकारी आने पर सूचना भेज दी जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : इसको ले लिया जावेगा ।

श्री जुझारसिंह !

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.) : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या रोजाना हरेक सदस्य के सामने आती है और हमेशा कई सदस्यों के प्रश्न रह जाते हैं तो इसको देखते हुए क्वेश्चन आवर का समय 1 घंटा से बढ़ाकर 1॥ घंटा कर दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : आपने नियमों को देखा ही नहीं है । प्रश्नों के लिए एक घंटा इसके लिए निर्धारित है । उत्तर इसका तो सिर्फ वह है कि माननीय सदस्य जितने प्रश्न पूछे जावें उनके सप्लीमेन्ट्री पर पूरा पूरा सहयोग दें तो दूसरे माननीय सदस्यों को मौका मिल सकता है ।

बाकी समय को बढ़ाना मेरे अधिकार में नहीं आता है। इसलिये मैंने स्थगित प्रश्न लिया है ।

(12 मध्यान्ह)

श्री श्रवणलाल : नहीं अध्यक्ष महोदय, आपको पूरा अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

नैक्स्ट, श्री जुझारसिंह, स्थगित प्रश्न !

स्थगित प्रश्न

(25-1-63)

कोटा जिले में फसलों को नुकसान

127. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि वर्ष 1967-68 में भी गेहूं की फसल में कोटा जिला की तहसीलों में कीड़ा लगा था व समय पर व्यवस्था नहीं होने के कारण कृषकों को नुकसान हुआ ? यदि हां, तो किन तहसीलों में ?

(2) क्या यह सही है कि सांगोद तहसील के 132 व रामगंज मंडी तहसील के 28 गांवों में अकाल घोषित किया गया था ? यदि हां, तो इन गांवों में सरकार द्वारा गेहूं व चने के बीज का क्या प्रबन्ध किया गया था और कुल कितना बीज सरकार या सहकारी समितियों द्वारा बांटा गया ?

(3) क्या सरकार ने अकाल ग्रसित क्षेत्रों में खाद्यान्न व कॉमर्शियल क्राप्स के कम्पेरेटिव फीगर्स उपलब्ध करवाने की चेष्टा की है?

(श्री जुझारसिंह)
यदि हां तो क्या यह सही है कि बीज की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस साल खाद्यान्न कम बोया गया है ?

(4) सरकार के पास कमी वाले क्षेत्रों में बीज उपलब्ध कराने की क्या स्थायी व्यवस्था है ?

उप मंत्री, कृषि (राव श्री हरिसिंह): (1) जी हां, कोटा जिले में ब्ल्यू बीटल कीड़े का प्रकोप लाडपुरा, अन्ता, सांगोद व शाहबाद पंचायत समितियों में था। राज्य सरकार उसके नियन्त्रण के लिये पूर्ण सतर्क थी तथा समय पर ही कीड़े के प्रकोप पर नियन्त्रण पा लिया गया था। यह सही नहीं है कि इससे गेहूं की फसल में कोई अधिक नुकसान हुआ है।

(2) जी हां, इन गांवों में गेहूं व चने के बीज के वितरण का प्रबन्ध पंचायत समिति सांगोद व चेचट द्वारा निम्न प्रकार किया गया था:–

पंचायत समिति सांगोद ––
गेहूं - कुल वितरण – 376 क्विंटल।
अकालग्रसित ग्रामों में – 76) 89 क्विंटल
चना – कुल वितरण – 80 क्विंटल।
पंचायत समिति, चेचट
गेहूं कुल वितरण 103 क्विंटल।
अकाल ग्रसित ग्रामों में 59) 99 क्विंटल

(3) जी हां, गत वर्ष बीज के कारण कोई भूमि खाली नहीं रही है।

(4) प्रत्येक जिले में उन्नत बीज वितरण की योजना के अनुसार बीज उसी क्षेत्र में पैदा किया जाकर वितरित किया जाता है। जब कहीं बीज की कमी किसी कारण विशेष से पैदा हो जाती है तब दूसरे स्थानों से बीज की व्यवस्था की जाती है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस जवाब को टालमटोल करके जवाब दिया है। मैंने प्रश्न 3 में पूछा था कि क्या आपके बीज की व्यवस्था नहीं करने की वजह से कॉमर्शियल क्राप्स तो ज्यादा बोई गयी हैं और फूड क्राप्स कम बोई गयी हैं ? उसके बारे में आपका क्या जवाब है ? क्योंकि बीज उनको उपलब्ध नहीं हो सका है इसलिए कामर्शियल क्राप्स की है क्योंकि कॉमर्शियल क्राप्स में बीज कम लगता है। आपके पास फूड क्रॉप्स और कॉमर्शियल क्राप्स के स्टेटमेन्ट आ गये हैं क्या ?

राव श्री हरिसिंह: ऐसी बात नहीं है कि बीज की कमी की वजह से कॉमर्शियल क्राप्स ज्यादा की गयी और फूड क्राप्स कम की गयी। जहां तक फिगर्स का संबंध है खाद्यान्न के अंदर 1966-67 में जितनी जमीन में बोया गया उसका क्षेत्रफल 1 लाख 80 हजार एकड़ है और मिर्च, धनिया और गन्ना यानी कॉमर्शियल क्राप्स के अन्दर 14 हजार 260 एकड़ है। इससे आप देखेंगे कि इसमें कोई कमी नहीं हुई है।

श्री जुझारसिंह : मैंने प्रश्न संख्या 2 में पूछा था कि 132 गांवों में अकाल था और आपने कहा कि हमने 300 क्विंटल बीज बांटा है तो एक गांव में 2।। एकड के लिए बीज का प्रबन्ध आपने किया है तो क्या आप इसको काफी समझते हैं अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए कि 2।। एकड एक एक गांव में प्रबन्ध कर दिया जाये, आप उसको अच्छा प्रबन्ध मानते हैं क्या ?

राव श्री हरिसिंह: वह तो पंचायत समितियों को प्राप्त करना चाहिये था। अगर पंचायत

(राव श्री हरीसिंह)
मांगती तो हम देते। पंचायत समितियां अपना प्रोग्राम जितना चाहती उतना बना सकती थीं उनको मनाई नहीं थी।

श्री जुझारसिंह : जिन क्षेत्रों में अकाल है उन अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष प्रबन्ध किया जाता है ताकि वहां के लोगों को समय पर बीज और खाद मिल सके। इसके लिए आपने क्या किया है? पंचायत समितियों ने 300 क्विंटल बीज बांट दिया क्या आप इसको 132 गावों के लिए काफी समझते हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : ऐसा है कि जब कभी अकालग्रस्त क्षेत्र में विशेष समस्या पैदा होती है या बीज की जितनी डिमांड होती है तो वहां की पंचायत समिति के अधिकारी, ग्रामसेवक वगैरह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के दफ्तर में सूचना भेजते हैं कि अगली फसल के लिए इतने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, और जो सूचना डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के दफ्तर में आती है उसके मुताबिक उन्नत बीज का तो हम इन्तजाम करते हैं बाकी नार्मल प्रोडक्शन प्रोग्राम और हाई यील्डिंग वैराइटी दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। अकालग्रस्त क्षेत्र जहां कि कन्डीशन्स खराब होती हैं वहां अगली फसल के लिए बारिश होने पर हम विशेष प्रबन्ध करते हैं। दो किस्म के बीज होते हैं एक तो हाई यील्डिंग वैराइटी के लिए इम्प्रूव्ड सीड्स और दूसरे बीज होते हैं नार्मल प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत। तो नार्मल प्रोडक्शन का जहां तक प्रश्न है यह पंचायत समितियों से ज्यादा संबंधित है। जो आंकडे उन्होंने भेजे और हमारे पास आये यह सूचना जिसमें कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में पंचायत समितियों ने जो डिमांड हमारे पास भेजी हो और उसके मुताबिक हमने इन्तजाम नहीं किया हो यह प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में हम सूचना प्राप्त करके आपको दे सकेंगे। जहां तक हाई यील्डिंग वैराइटी प्रोग्राम का सवाल है हमारा यह खास प्रोग्राम रबी की फसल में चलता है और अकालग्रस्त का प्रश्न उस समय इसलिए उपस्थित नहीं होता कि बारिश उस समय नहीं होती तो ऐसे क्षेत्र को हाई यील्डिंग वैराइटी प्रोग्राम में नहीं बनाते तो प्रश्न इतना सा रह जाता है कि अकालग्रस्त क्षेत्र में अगर नार्मल प्रोडक्शन के तहत साधारण बीजों के लिए जो डिमाण्ड की है और उसके मुकाबले में हमने मदद नहीं की हो यह सूचना मैं समझता हूं इस पर्टीकुलर आइटम की सूचना मैं आपको दूसरे मौके पर दे सकूंगा।

श्री जुझारसिंह : एक प्रश्न और रह जाता है अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि गेहूं में अभी भी कीडा है और सांगोद तहसील और दूसरी तहसीलों में कीडे की वजह से नुकसान हुआ है इसको आप जानकारी करालें मेहरबानी करके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई !

स्थगित प्रश्न

(25-1-68)

ग्राम पंचायत, खारा द्वारा रक्षा कोष के लिये चन्दा

141. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत खारा, पंचायत समिति सांचोर द्वारा पाकिस्तान द्वारा आक्रमण

Page No. 26

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
के समय रक्षा कोष के लिए कितना चन्दा इकट्ठा किया गया था ? वह चन्दा किसके द्वारा व कब इकट्ठा किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि वास्तव में ग्राम पंचायत खारा की जनता से रक्षा कोष का चन्दा वसूल कर लिया गया, परन्तु राज के खजाने में जमा नहीं कराया गया ? अगर हां, तो ऐसा किसने किया ? क्या यह सत्य है कि इस बारे में जनता की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं ? अगर हां, तो कब और उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? तो अब कब तक जांच कर ली जायेगी ?

(3) अगर रक्षा कोष की रकम का किसी ने गबन किया है तो उस बारे में अब क्या कानूनी कार्यवाही की जावेगी ?

उप-मंत्री, गृह (खेतसिंह) [मुख्य मंत्री के स्थान पर] : (1) ग्राम पंचायत, खारा की जनता से पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के समय रक्षा कोष के लिए 1359.25 इकट्ठा किया गया था । यह चन्दा पंचायत के वार्ड पंचों एवं माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई, विधायक, राजस्थान विधान सभा द्वारा नवम्बर, 1965 से जनवरी, 1966 की अवधि में एकत्रित किया गया था ।

(2) जी नहीं । एकत्रित की गई सम्पूर्ण धनराशि सुरक्षा कोष के खाते में जमा हो चुकी है । इस संबंध में जनता की एक शिकायत दिनांक 29-3-67 को जिलाधीश कार्यालय, जालौर में प्राप्त हुई थी जिसकी जांच हो चुकी है ।

(3) जांच से कोई गबन प्रमाणित नहीं हुआ है अतः कानूनी कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो चन्दा सरपंच और वार्ड पंचों के पास था वह जमा हो गया है क्या ?

श्री खेतसिंह : जी हां ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कितना रुपया ?

श्री खेतसिंह : आपने सुना नहीं 1359.25) रु. कुल जमा हुआ ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : करीब 2500 रुपया चन्दा हुआ था और बाद में लोगों के पास रह गया और जब जांच हुई थी तो चन्दा उनके पास रह गया था, वह वसूल हुआ या नहीं और जमा हुआ या नहीं ?

श्री खेतसिंह : जी हां, जो शिकायत हुई थी वह दो आदमियों ने शिकायत की, उस पर छत्रा पुत्र किसना के पास कुछ पैसे रह गये थे वह पैसे मय पैनल इन्ट्रेस्ट के वसूल कर लिए गए हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि श्री विश्नोई जी ने जो कम्पलेन्ट की थी वह सही साबित नहीं हुई ?

श्री खेतसिंह : साबित हुई । इनकी शिकायत थी कि कुछ आदमियों के पास पैसे रह गये हैं उसकी जांच की गयी और छत्रा पुत्र किसना नाम का व्यक्ति था उसके पास से पैसे वसूल कर लिए गए हैं ।

श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : यह चन्दा जरिये रसीद वसूल हुए थे या कैसे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

नैक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल !

स्थगित प्रश्न

(30-1-68)

हिन्दी के माध्यम से शिक्षा

189. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने शिक्षा आयोग तथा केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से प्राविधिक एवं उच्चतम स्तर तक शिक्षा देने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने राजस्थान में पूर्ण रूप से हिन्दी के माध्यम से उच्चतम शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा देने की स्थिति में आने का कितने वर्ष का कार्यक्रम बनाया है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए एक करोड़ रुपये के राज्य सरकार को अनुदान की पेशकश को स्वीकार करके इसको क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्य-क्रम बनाया है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान युनिवर्सिटी एवं कालेज टीचर्स एसोसियेशन द्वारा अपने दसवें सम्मेलन में पारित प्रस्ताव द्वारा स्टेन्डर्ड पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव पर विचार किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। करीब छः वर्ष के कार्यक्रम का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्राविधिक व चिकित्सा शिक्षा में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दिलाने में इस कार्यक्रम में अधिक समय सम्भावित है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में अभी पत्र-व्यवहार भारत सरकार से चल रहा है।

(3) जी हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्राविधिक शिक्षा के लिए आपने अधिक समय लगने की सूचना दी तो कितने अधिक समय में आप उम्मीद करते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : अधिक समय की कोई व्याख्या नहीं दी जा सकती, लेकिन एकेडेमिक पाइंट ऑफ व्यू से कुछ अधिक समय लगे, क्योंकि प्राविधिक शिक्षा की पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और उनमें अधिक समय लगने की सम्भावना है। समय निर्धारित कर सकूं ऐसी स्थिति में मैं आज नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो योजना प्रस्तुत की है उसके अनुसार 5 वर्ष के अन्दर अन्दर सब प्रकार की शिक्षा जिसमें प्राविधिक शिक्षा भी शामिल है हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं में परिवर्तित हो जाना चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान उन्होंने रखा है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह उन्होंने आशा व्यक्त की है कि 6 वर्ष के . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच वर्ष ?

श्री शिवचरण माथुर : 6 वर्ष के अन्दर अन्दर हो जाय, लेकिन प्राविधिक शिक्षा के बारे में अधिक समय लगने की सम्भावना हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस सम्बन्ध में आपने कोई फेज प्रोग्राम बनाया है ?

श्री शिवचरण माथुर : जी हां। हमने इसका पूर्ण कार्यक्रम बनाकर भारत सरकार को भेजा है और भारत सरकार उस पर विचार कर रही है, और एक करोड़ की धनराशि भारत सरकार ने इस मामले में देने का निश्चय किया है। उसके ऊपर हमने कार्यक्रम बनाकर भेजा है। वहां से धनराशि मिलने पर इस कार्यक्रम को लागू किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फेज प्रोग्राम के डिटेल्स बता दें कि क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : इस समय तो डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको दे दूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष, 242 नम्बर का प्रश्न रह गया है वह बहुत इम्पॉर्टेन्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आर्ट्स एण्ड साइन्स के कालेजेज में कौन से वर्ष से आप यह उम्मीद करते हैं कि पूर्णतया हिन्दी में शिक्षा देना शुरू हो जायगा ?

श्री शिवचरण माथुर : वैसे तो अभी भी कई स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए आज भी हिन्दी में शिक्षा दी जाती है, जहां तक आर्ट्स का सवाल है, लेकिन उसके साथ-साथ अंग्रेजी में भी शिक्षा दी जाती है। हमारी युनिवर्सिटी ने इस काम को हाथ में लिया है और पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। इस काम को काफी तेजी से करना चाहते हैं और समय से पहले ही यह काम शायद हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष, प्रश्न सं. 242 इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कई इम्पॉर्टेन्ट सवाल रह गये हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : सभी महत्वपूर्ण हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नो के लिए परिशिष्ठ देखियें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अजमेर में नर्सरी

234. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1960 में अजमेर में एक फलों की नर्सरी की स्थापना की गई थी और उपयुक्त भूमि न मिलने के कारण करीब चार वर्ष बाद बन्द करदी गई ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(2) क्या सरकार ने इस प्रकार विना जमीन प्राप्त किये ही नर्सरी की स्थापना करने तथा इसको चार साल तक बिना जमीन के ही स्थापना-व्यय वहन करने के कारण राज्य कोष की हुई हानि के लिए किसी अधिकारी को दोषी ठहराया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अजमेर के तबीजी कृषि फार्म पर जुलाई, 1960 में एक नर्सरी की स्थापना की

(कृषि मंत्री)

गयी जो कि प्रश्न 2 के जवाब में दिये कारणों के कारण 1-4-64 को बन्द करदी गयी। चार वर्ष में इस नर्सरी पर कुल 14,983) 67 रु. का खर्चा हुआ।

(2) भूमि तो पर्याप्त तथा उपयुक्त थी परन्तु कुए के पानी का स्तर कम होते जाने एवं तवीजी के सहारे जो नाला बहता था उसके बांध दिए जाने के कारण कुओं का पानी खारा होता चला गया जिसके फलस्वरूप जो पौधे लगाए गये वह पनप नहीं सके अथवा अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। सतत् प्रयत्न करने के पश्चात् भी जब यह पाया गया कि पानी के खारा होने से वृक्ष एवं फसल नहीं हो सकते हैं तो नर्सरी को बन्द कर दिया गया। परीक्षण के तौर पर इतना समय लगा वह कोई अधिक समय नहीं था, अतः इस विषय में जिम्मेदारी थोपने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

राजकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

242. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महरिया बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कालाडेरा के प्रधानाध्यापक तथा प्रबन्धकों ने शिक्षा मन्त्री तथा शिक्षा विभाग के आदेशों का शेखावाटी के निकाले गये छात्रों को फिर से भर्ती करने तथा निकाले गये अध्यापकों को तनख्वाह की राशि का भुगतान करने व नौकरी में रखने के मामलों में बार बार उल्लंघन किया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस स्कूल में नियमानुसार प्रोविडेन्ट फन्ड के खाते भी नहीं रखे जाते हैं और प्रोविडेन्ट फण्ड की करीब 40 हजार रुपये की राशि मेनेजमेन्ट अपने व्यक्तिगत उपयोग में ले रहा है ?

(3) सरकार इन मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जांच की जा रही है।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मल्हारसिंह बाग, झालावाड़ से आय

245. श्री लक्ष्मण तार्नवाल (डग-पु.) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिला कृषि विभाग के अन्तर्गत चलने वाले एक मल्हारसिंह नामक बाग की आमदनी 3-4 वर्ष पूर्व लगभग 3000) रु. से ऊपर थी किन्तु अब सन् 65 में लगभग 4000) रु. का देशी खाद डालने के बाद व 50 बीघा असिंचित भूमि भी इसमें मिला देने पर सरकार को लागत खर्च से ही कम नहीं वरन् गत वर्ष से भी कम आमदनी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने लिये प्रार्थना की गई)

स्थगित प्रश्न

(19-1-68)

फलोदी में डिग्री कालेज

6. श्री दीपचन्द सुंगाणा (फलोदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 30

(श्री दीपचन्द छंगाणी)

(1) फलोदी में डिग्री कालेज कब से खोले जाने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि फलोदी में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पहले नगरपालिका फलोदी व राज्य सरकार के बीच न केवल काफी पत्र व्यवहार ही हुआ था बल्कि नगरपालिका फलोदी ने जन सहयोग से कालेज बिल्डिंग बनवाकर देने का लिखित वायदा भी था तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधिकारी कालेज बिल्डिंग के लिये स्थान का चयन भी फलोदी आकर कर गये थे ?

उत्तर

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में फलोदी में डिग्री कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है।

(2) राज्य सरकार के अन्तिम निर्णय के अनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में कुल 12 कालेज खोले जाने के लिये प्रावधान किया गया है इनमें 6 कालेज खोले जा चुके है (नीमका थाना, बारां, प्रतापगढ़, जालौर, भीनमाल एवं राजगढ़) तथा शेष कालेज (जसवन्तगढ़ (2), डीग, केकड़ी, खेतड़ी एवं नागौर) इस योजना काल के शेष वर्षों में आर्थिक सुविधानुसार खोले जायेंगे। ऐसी सूरत में फलोदी में डिग्री कालेज खोलने की अभी तक कोई योजना नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले की सहकारी समितियां

66. श्री गंगाराम (सलूम्बर सु.) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में कुल बुनकर सहकारी समितियां कितनी हैं ?

(2) क्या जिले की सभी सहकारी समितियां आज भी कार्य कर रही हैं ?

(3) यदि नहीं कर रही हैं तो उसका क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार ने उक्त सभी सहकारी समितियों को ऋण दिया है ? यदि दिया गया है तो कितना कितना दिया गया है ?

(5) क्या आज अलवर जिले के बुनकर इस स्थिति में है कि वे ऋण की बकाया रकम को सरकार को लौटा सकें ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन गरीब बुनकरों की ओर ऋण की बकाया रकम को राइट आफ करने का विचार रखती है ?

(6) क्या सरकार बुनाई के पुराने उद्योग को पुनः चालू करने की कोई योजना रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों, और हां तो क्या योजना है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में कुल 25 बुनकर सहकारी समितियां है।

(2) जिले में केवल 3 बुनकर सहकारी समितियां काम कर रही हैं।

(3) जो समितियां काम नहीं कर रही हैं उसके निम्न कारण हैं:—

(सहकारी मंत्री)

(क) समितियों को सूत रंग रसायन यदि समय पर एवं उचित मूल्य पर नहीं मिलता है।

(ख) समितियों के तैयार माल की बिक्री की समुचित व्यवस्था नहीं है।

(4) 25 बुनकर समितियों में से 15 बुनकर सहकारी समितियों को रु. 54016) ऋण के रूप में दिया गया था विवरण परिशिष्ट (क) में अंकित है।

(5) अलवर जिले की बुनकर समितियों को राज्य सरकार द्वारा ऋण राशि उद्योग हेतु दी गई थी। वह तो वसूल की जानी है। अतः राइट आफ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(6) बुनाई उद्योग तो अभी चालू है। पुनः चालू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वर्तमान योजना के मुताबिक बुनकर समितियों के सदस्यों को हिस्सा पूंजी के ऋण के रूप में कीमत के 75 प्रतिशत तक मिल सकता है और समितियां कार्यकारी ऋण रिजर्व बैंक की हाथकर्घा योजना के अनुसार कार्यकारी ऋण सहकारी केन्द्रीय बैंक के मार्फत प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा हाथकर्घा वस्त्र पर अधिकृत समितियों को बिक्री पर 5 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था है जो विशेष अवसरों पर 5 प्रतिशत से 10 भी कर दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

जोधपुर में नया टरबाइन

67. **श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर में नया टरबाइन कब लगाया गया ? क्या यह टरबाइन सुचारु रूप से कार्य कर रहा है ?

(2) चम्बल व भाखरा से जोधपुर शहर को बिजली कब तक मिल सकेगी ?

उत्तर

(1) जोधपुर में नये पावर हाउस में तीन टरबाइन लगे हुए हैं उसमें से पहली और दूसरी टरबाइन तो 1960 में चालू किया गया और तीसरा टरबाइन 1964 में। इनके अतिरिक्त एक मेगावाट का डीजल सेट जनवरी, 1967 में लगाया था।

(2) चम्बल से जोधपुर शहर को बिजली देने की टारजेट डेट दिसम्बर, 68 है परन्तु हर सम्भव प्रयत्न जल्द ही बिजली उपलब्ध कराने का किया जायगा।

सांचोर में विद्युतिकरण

68. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)**— क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में अभी तक विद्युतिकरण योजना पूरी नहीं हो पाई है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि गांव में कई सड़कों पर अभी तक लाइनें नहीं लगाई गई हैं ? अगर हां, तो क्यों ? कब तक पूरी लाइनें खींची जाकर योजना पूर्ण करादी जावेगी ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह सत्य है कि बिजली सप्लाई नाम मात्र की शुरू की गई है और ज्यादातर पावर हाउस बन्द रहता है ? अगर हां, तो क्यों ? नियमित रूप से बिजली सप्लाई कब तक शुरू करदी जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि इलैक्ट्रिक चार्जेज जमा कराने की सुविधा सांचोर में अभी तक नहीं दी गई है ? क्या यह भी सत्य है कि लोगों को रकम जमा कराने जालोर जाना पडता है ? अगर हां, तो क्यों ? रकम जमा कराने की सुविधा सांचोर में कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) बजट प्रावधान के अनुसार कार्य कर दिये हैं ?

(2) गांव की मुख्य सड़कों पर विद्युत लाइन बिछादी गई है ।

(3) जी हां लोड कम होने से पावर हाउस केवल सांयकाल को चलाया जाता है।

(4) जी हां । विद्युत मंडल के नियानुसार बिल जमा कराने की सुविधा केवल वहां होती है जहां पर सहायक अभियंता का कार्यालय होता है इस समय के लोड तथा कनेक्शनों की संख्या देखते हुए इस स्थान पर अभी बिल जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है और न इसके लिये कोई निश्चित समय बताना सम्भव है ।

फलोदी तहसील में नई पाठशालाएं

69. श्री दीपचन्द छंगाणी (फलोदी):— क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

शिक्षा के लिये जनता की बढ़ती हुई अभिरुचि को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार फलोदी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में इस साल कम से कम 10 नई प्राथमिक पाठशालाएं एवं नगर क्षेत्र में एक माध्यमिक पाठशाला, बालिकाओं के लिए एक हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा प्राथमिक शिक्षा के लिये कम से कम दो नई प्राथमिक पाठशालाएं खुलवाने की व्यवस्था नये वर्ष से ही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

इस वर्ष सत्र 1967-68 में नई प्राथमिक शालाएं खोलने का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शाला खोलना सम्भव नहीं है । जहां तक नगर क्षेत्र का प्रश्न है, फलोदी में एक कन्या सैकेन्डरी स्कूल इस सत्र (1967-68) में खोल दी गई है ।

आगामी सत्र 1968-69 में ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस पर भी विचार किया जावेगा।

कठूमर में कन्या मिडिल स्कूल खोलने की व्यवस्था

70. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कठूमर में कन्या पाठशाला की छात्राओं की संख्या लगभग 300 रहती है ?

(2) क्या यह सही है कि लड़कियों का पृथक् कोई मिडिल स्कूल नहीं होने के कारण कितनी ही लड़कियां आगे पढाई करने से वंचित रह जाती हैं ?

Page No. 33

(श्री गंगासहाय)

(3) क्या सरकार इस पाठशाला को मिडिल स्कूल करके लडकियों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देगी ?

उत्तर

(1) कन्या पाठशाला कठूमर में सत्र 66-67 में छात्रों की सख्या 132 थी।

(2) वहां कन्या माध्यमिक शाला अलग से नहीं है।

आगामी सत्र 1968-69 में ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ आर्थिक स्थिति तथा सरकार की निर्धारित नीति को ध्यान रखते हुए इस पर भी विचार किया जावेगा।

अपाहिजों की शिक्षा हेतु, शिक्षण संस्थायें व छात्रावास

71. श्री जयनारायण सार्गडिया (निवाई):—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कहां कहां, अन्धे, बहरे, गूंगे, लूले, लंगडे आदि अपाहिजों के लिए शिक्षा देने या काम सिखाने की व्यवस्था है और उनमें विभिन्न प्रकार के किस किस उम्र व बीमारी के कितने छात्र भर्ती हैं ? कृपया अलग अलग आंकडे सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी शिक्षण संस्थाओं में कहां कहां छात्रावासों की व्यवस्था है और उनमें कितने विद्यार्थी रहते हैं और वहां का प्रति-माह खर्चा क्या है ?

उत्तर

(1) अजमेर में 2, बीकानेर में 1 व जयपुर राजकीय स्कूल हैं।

(2) राजकीय नेत्र हीन छात्रावास बीकानेर में 9 से 21 वर्ष तक के कक्षा 1 से 6 तक 25 छात्र हैं। यह छात्रावासित पाठशाला है तथा इसमें सामान्य शिक्षा के साथ प्लास्टिक बेतें कुर्सियां, सोफासेट व संगीत की शिक्षा दी जाती हैं।

(3) राजकीय अन्ध विद्यालय, अजमेर में 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के 81 छात्र छात्रावास में रहते व शिक्षा पाते हैं।

(4) मूक बधिर विद्यालय अजमेर में 4 से 13 वर्ष तक के 16 छात्र एवं छात्राएं हैं। सामान्य शिक्षा के साथ सिलाई, कढ़ाई की शिक्षा दी जाती है। छात्रावास का अभाव है। यह शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है।

(5) सेठ आनन्दी लाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय, जयपुर में 6 से 14 वर्ष के 35 छात्र व 7 छात्राऐं हैं। सामान्य शिक्षा के साथ प्रारम्भिक उद्योग कार्य की शिक्षा दी जाती है इसमें छात्रावास की व्यवस्था है जिसमें 13 छात्र रह रहें हैं। इसमें कढाई बुनाई व काष्ठ कला सिखाने की व्यवस्था है।

(2) विद्यार्थियों की सख्या पहले बताई जा चुकी है। प्रत्येक स्कूल का मासिक इस, प्रकार है :—

(1) रा. नेत्रहीन विद्यालय, बीकानेर 1283-83

(2) रा. नेत्रहीन विद्यालय, अजमेर 7500-00

(3) मूक बधिर विद्यालय अजमेर में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है।

(श्री शिक्षा मंत्री)

(4) सेठ आनन्दीलाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय जयपुर में मासिक ओसतन खर्चा एक विद्यार्थी पर 35 रुपया माहवार आता है।

(12.12 म. प.)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने में पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि माननीय सदस्य श्री रघुबीरसिंह, विभाजन संख्या 122 ने दिनांक 22-2-68 से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सुखाडिया!

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सतर्कता आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन (अप्रेल, 1966 से मार्च, 1967) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको कब मिला था ?

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी!

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर में जालारियों का बास नागौरी दरवाजे के पास मकानों में पाइप कनेक्शन देने के सम्बन्ध में याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्डौर (जोधपुर) स्थित डिस्टिलरी के गन्दे नाले से वहां के निवासियों को परेशानी के सम्बन्ध में 6 याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(याचिकाएं सदन के पटल पर रखी गई)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन, श्री दामोदरलाल !

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकारी समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का दसवां प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे "हां" कहें और जो इसके पक्ष में नहीं हों वे "ना" कहें।

(स्वीकृत)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य! "हां" पक्ष जीता इसको स्वीकार किया गया।

Page No. 35

विधायी कार्य-पुरःस्थापित विधेयक

राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक 1968 का पुरःस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास !

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल (संशोधन) विधेयक, 1968 का पुरःस्थापन

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा मैंने कल दो स्थगन-प्रस्तावों एक तो 26 जनवरी को गोहाटी में राजस्थान व अन्य प्रान्तों के प्रवासियों की सम्पत्ति को लूटने व नष्ट करने से संबंधित व दूसरा कच्छ के रण सम्बन्धी विवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से संबंधित स्थगन-प्रस्तावों पर अपना निर्णय आज के लिए स्थगन कर रखा था। पहले प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री महेन्द्रसिंह, श्री रामकिशन व श्री केदारनाथ ने दी है तथा दूसरे स्थगन-प्रस्ताव की सूचना भी इन्हीं माननीय सदस्यों द्वारा दी गई है।

इन दोनों मामलों पर मैंने विचार किया है और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि गोहाटी से संबंधित स्थगन-प्रस्ताव का सीधा संबंध आसाम राज्य की लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था से है किन्तु जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति नष्ट की गई है उनमें से अधिकतर राजस्थान के प्रवासी हैं और इसलिए माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी चाही है अतः मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दें।

दूसरा स्थगन-प्रस्ताव कच्छ के रण संबंधी विवाद से है। इसका सीधा सम्बन्ध भारत सरकार से है और इससे इस राज्य का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

ऐसी स्थिति में मैं उपरोक्त दोनों स्थगन-प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

Page No. 36

(श्री अध्यक्ष)

श्री केदारनाथ, श्री दौलतराम सारण, श्री रामचन्द्र व श्री रामानन्द अग्रवाल ने राजस्थान में इन्जीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज या सदन की आगामी बैठक में एक वक्तव्य दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री बृजवल्लभ व श्री देवीदत्त गाडिया ने कोटा में स्थित खाद के कारखाने के लगभग 300 मजदूरों को अकारण 12-2-68 से नौकरी से अलग कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला ऐसा नहीं है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाय। अतः मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। मैं इस संबंध में श्रम मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इस विषय में एक वक्तव्य दें।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्तावों के अलावा निम्नांकित तीन स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं भी मुझे मिली हैं।

(1) श्री महेन्द्रसिंह, श्री नन्दलाल, श्री लाभचन्द व श्री श्रवणलाल ने तहसीलदार पीपल्दा व इन्द्रगढ द्वारा ट्रेसपासर्स के विरुद्ध फैसले दिये जाने के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री रामचन्द्र, श्री केदारनाथ, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री हरजीराम बुरडक, श्री कृष्णकुमार गोयल, व श्री दौलतराम सारण ने नौहर प्राइमरी कोआपरेटिव लैण्ड मोरगेज के चुनाव के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री हीराभाई व श्री विट्ठलभाई ने जिला बांसवाडा के बांसवाडा-दौहद रोय के चैकिंग पोस्ट पुलिस चौकी ग्राम तरकिया में तारीख 27-1-68 को श्री वीरसिंह नाम के पुलिस जवान के बन्दूक से मारे जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये तीनों मामले इतने अविलम्बनीय लोक-महत्व के नहीं हैं कि इन पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज विचार किया जाय। ये मामले बजट पर सामान्य वाद-विवाद, एवं विभिन्न विभागों से संबंधित मांगों पर कटौती प्रस्तावों के जरिए संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा उठाए जा सकते हैं। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : साहब, एक सिपाही की मौत हो गई पुलिस चौकी में और वह महत्वपूर्ण मामला है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : जानकारी की जा रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : हमने जो स्थगन प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव की भाषा और हमारी विचारधारा यह है कि प्रजातंत्र

(श्री रामचन्द्र आर्य)
को समाप्त करने की कार्यवाही कांग्रेस सरकार कर रही है...

श्री अध्यक्ष : माननीय आर्य। मैंने अपनी व्यवस्था स्थगन प्रस्तावों के संबंध में दे दी है। उसके पश्चात् ये प्रश्न नहीं उठा करते हैं सदन में। इसलिये आगे की कार्यवाही लेता हूं। जिनके ऊपर वक्तव्य देने की व्यवस्था दी है उनके सम्बन्ध में वक्तव्य दे दिये जायेंगे

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन पैरों पर है। दूसरे जो प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं थे उनके संबंध में मैंने व्यवस्था दे दी। व्यवस्था के बाद माननीय सदस्य कुछ कहें यह नियमानुकूल नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आम तौर पर आसन से यही व्यवस्था दी जाती है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। व्यवस्था देते समय आपको भी विचार करना चाहिये...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : गोहाटी के मामले में स्टेटमेन्ट कब होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज के संबंध में स्टेटमेन्ट कब होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैंने शिक्षा मंत्रीजी से पहले ही बात करली थी।

श्री भैरोंसिंह : कच्छ के संबंध में जो मुद्दा उठाया गया था उस संबंध में आपने व्यवस्था तो देदी लेकिन आपने आधार यह बताया है कि यह केन्द्रीय सरकार से संबंधित है इसलिये यहां नहीं उठाया जाय। हमने जो एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया है वह राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान की गतिविधियां बढ रही हैं और बढी है इसलिये स्थगन प्रस्ताव दिया है। केन्द्रीय सरकार कहां तक मंजूर करेगी कहां तक नहीं, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान घुसपैठियों और गुप्तचरों की गति विधि बढ रही है..

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देख लेता हूं। आपकी क्या भाषा है। जहां तक इंजिनियरिंग कालेज का प्रश्न है मैंने शिक्षा मंत्रीजी से फोन पर बात करली थी...

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : मेडिकल कालेज का संबंध मेरे से नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग कालेज के बारे में मैं 27 तारीख को स्टेटमेन्ट दूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : गोहाटी के बारे में भी 27 तारीख को स्टेटमेन्ट देंगे।

श्री भैरोंसिंह : कल नोटिस दिया था और कल मुख्य मंत्रीजी यहां पर थे फिर 27 तारीख को क्यों दिया जायगा। वहां के राजस्थानियों का एक एक दिन संकट से गुजर रहा है और राजस्थान सरकार को चिन्ता नहीं है....

श्री दामोदरलाल व्यास : चिन्ता तो है।

श्री भैरोंसिंह: चिन्ता होती तो स्टेटमेन्ट तुरन्त देते। गोहाटी के बारे में एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव करने की इजाजत नहीं मिलती

(श्री भैरोंसिंह)

है तो नियमों में से इस क्लाज को ही हटा दिया जाय। वहां पर राजस्थानियों की करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई है। लोग आज भी धक्के खा रहे हैं। वहां पर पैम्फलेट्स इशू किये जा रहे हैं कि पहले तो करोड़ों रुपयों की संपत्ति ही नष्ट की गई है अब की बार जान ले ली जायगी, आसाम छोड कर चले जाओ। वहां पर जितनी अराजकता और जितना आतंक बढ रहा है उसके बारे में आज ही स्टेटमेन्ट देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आज ही दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आज कब देंगे लेट आॅवर्स में देंगे और खुद उठ कर चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आज तीन वक्तव्य हैं। लेट नहीं होने दूंगा।

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य

सवाई मानसिंह अस्पताल में स्नातकोत्तर छात्रों की हड़ताल सम्बन्धी मामले पर चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास : (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अलवर से आये हुए माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव स्थानीय सवाई मानसिंह अस्पताल में हाउस सर्जन्स, इन्टरनीज और पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेन्ट्स की स्ट्राइक के बारे में दिया है। कल भी यह मामला जब पेश हुआ था तब मैंने अर्ज किया था कि हाउस सर्जन्स, इन्टरनीज, रजिस्ट्रार्स और पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेन्ट्स ने जो स्ट्राइक की है उसके लिये सरकार को उन्होंने कोई मौका नहीं दिया कि वास्तव में उनकी क्या डिमान्ड है। विचार करने का मौका दिये बगैर स्ट्राइक करदी। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि 19 तारीख को आफटर नून में 3-4 बजे उन्होंने प्रिन्सिपल के पास लिखित रूप में अपनी डिमान्ड पेश की कि उनको स्टाइपेन्ड जो मिल रहा है उसको बढ़ाया जाय वरना हम हड़ताल कर देंगे। 19 तारीख को उन्होंने अपनी डिमान्ड पेश की। 20 तारीख को वह सरकार के पास पहुंची, सरकार उस पर विचार करे उससे पहले ही उन्होंने स्ट्राइक करदी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टरनीज, हाउस सर्जन्स, रजिस्ट्रार्स और पोस्ट-ग्रेज्युएट स्टूडेन्ट्स हैं उनकी स्थिति को समझना आवश्यक है। ये लोग राज्य सरकार की रेगुलर सर्विसेज में नहीं हैं। इनको स्टाइपेन्ड इसलिये दी जाती है कि इन कोर्स आॅफ ट्रेनिंग इनको सहायता मिले। एम. बी. बी. एस. पास करने के बाद इन्टर्नशिप करनी ही पडती है यह इनकी पार्ट आॅफ ट्रेनिंग है। इसी तरह हाउस सर्जन्स और रजिस्ट्रार्स हैं ये हाउस सर्जन्स और रजिस्ट्रार बनने के बाद पोस्ट ग्रेज्युएट स्टडी करते हैं। मतलब यह हुआ कि ये ट्रेनीज नहीं हैं बल्कि स्टूडेन्ट्स हैं पोस्ट ग्रेज्युएट स्टडी कर रहे हैं। इस सूरत में इनको स्टाइपेन्ड इसलिये दिया जाता है, इनको सबसिस्टेन्स इसलिये मिल जाय जिससे खर्चा चल जाय। इसलिये गलत फहमी नहीं रहनी चाहिये कि ये रेगुलर सर्विस में हैं। इन्टर्नशिप तो पार्ट आॅफ स्टडी कोर्स है जिसको पूरा करने के बाद ही स्टडी पूरी होती है। जिन लोगों को हाउस सर्जन और रजिस्ट्रार रखा जाता है वे साथ ही साथ अध्ययन करते हैं और पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज में क्लासेज

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अडेन्ड करते हैं। इसी तरह इन्टर्नशिप ग्रेज्युएट होने के बाद करना लाजमी है। इस भेद को हमें समझना चाहिये। वास्तव में ये जो कार्यवाही कर रहे हैं वह उचित है या नहीं।

दूसरी तरफ मेडिकल कालेज के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज के एक यूनिट में एक प्रोफेसर, एक रीडर, एक लेक्चरार और एक ट्यूटर होता है उसके बाद हाउस सर्जन, रजिस्ट्रार वगैरा होते हैं। बाकी चार, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार और ट्यूटर हरेक युनिट में होते हैं जो आउट डोर में अपनी टर्न पर बैठते हैं और इन्डोर पैशेन्ट्स को संभालते हैं। हाउस सर्जन और और रजिस्ट्रार केवल उनकी मदद के लिये होते हैं जो पैशेन्ट्स की हिस्ट्री वगैरा लिखा करते हैं और साथ ही साथ पोस्ट-ग्रेज्युएट कालेज में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं।

अब इस बात को देखना है कि इन्टरनीज, हाउस सर्जन्स, रजिस्ट्रार्स को जो स्टाइपेन्ड मिलती है उसके बारे में जब जब सरकार के सामने मसला आया है तब तब सरकार ने उस पर विचार किया है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि सन् 64 की जून से पहले इन्टरनीज को 50 रु. माहवार स्टाइपेन्ड मिलती थी जिसको बढ़ा कर जुलाई 64 में 100) रु. कर दिया और जुलाई 66 में इसको 100) से बढ़ाकर 150) रु. कर दिया गया यानी जून 64 से जुलाई 66 के बीच में दो बार करके 100) रु. बढ़ा दिये गये। इसी तरह हाउस सर्जन्स को जून 64 में 100) मिलते थे जो जुलाई 64 में बढ़ाकर 150) कर दिये और फिर मंहगाई वगैरा देखते हुए जुलाई 66 में 200) कर दिये गये। इसी तरह से रजिस्ट्रार्स हैं उनको जून 64 में 150) मिलते थे जो जुलाई 64 में 200) कर दिये और जुलाई 66 में 250) कर दिये। इसमें रजिस्ट्रार्स, केज्यु-एल्टी मेडिकल ऑफिसर्स वगैरा सब आ गये। इसी तरह जूनियर डिमोन्सट्रेटर को पहले 175 रु. मिलते थे अब उनके 200) किये गये। जुलाई 1964 में 175 थे और जुलाई 1966 के अन्दर 275 कर दिये गये। इस तरह से इन स्टाइपेन्ड का वक्त वक्त पर सरकार ने विचार करके बढाया है। दूसरे. अन्य मेडिकल कालेजेज की जो स्थिति है उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा जिससे आपको अन्दाज होगा कि वहां पर जो हाउस सर्जन्स और रजिस्ट्रार हैं उनको वहां क्या स्टाइपेन्ड मिलता है। जिस वक्त हमने रिवाइज किया था स्टाइपेन्ड उस वक्त हमने यह ध्यान रखा था कि और दूसरे मेडीकल कालेजेज से भी जानकारी कर लें कि वहां क्या मिलता है। कल माननीय सदस्य, जो अलवर से आये हैं और जिन्होंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है, ने इस बात को कहा था कि यू.पी. में ऐसा होता है तो क्या वजह है कि आप नहीं बढाते हैं। यह सवाल उन्होंने पूछा था। मैं उनकी जानकारी के लिए बताता हूं कि यू. पी. का पैटर्न है और राजस्थान का पैटर्न है इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्रोफेसर, लेक्चरार, ट्यूटर और रजिस्ट्रार यह चार मैंने आपको बतलाये कि राजस्थान में हैं। यू. पी. के अन्दर ट्यूटर नहीं है। रजिस्ट्रार-जूनियर और सीनियर रजिस्ट्रार वह ट्यूटर को रिप्लेस करता है और स्टाइपेन्ड की हालत ऐसी है कि जो ट्यूटर की पोस्ट है उस पर पोस्ट ग्रेज्युएट होता है और उसको

(श्री दामोदरलाल व्यास)

410 और 50 यानि 460 माहवारी तनख्वाह मिलती है। यू. पी. में वहां के पैटर्न में यह पोस्ट नहीं है। इसलिए यू. पी. के पैटर्न को राजस्थान के पैटर्न से मिलाना गलत होता है। इसके साथ साथ स्टाफ पैटर्न को देखते हुए हमें यह देखना पडेगा कि कौन कौन क्या क्या काम करता है। यू. पी. में, आपका ख्याल हो, बहुत ज्यादा मिलता है, तो यह बात नहीं है। इसके लिए मैं आपको कम्पैरेटिव फिगर्स बताऊंगा। स्टाफ पैटर्न को देखते हुए वहां पर ट्यूटर की पोस्ट नहीं है, लेक्चरार के बाद में हाउस सर्जन और रजिस्ट्रार आता है लेकिन हमने अपने यहां ट्यूटर की पोस्ट रखी है। वहां पर लेक्चरार का जो काम है वह हमारे यहां ट्यूटर करता है। ट्यूटर की पोस्ट एक फुल टाइम पोस्ट है, जिसके लिए जैसा कहा कि वह 460 रुपये माहवार से शुरू होती है and it goes right upto 11 or 12 hundred. यह पोस्ट ग्रेज्युएट पोस्ट है। अब अलग अलग राज्यों के अन्दर दरअसल स्टाफ पैटर्न अलग अलग है और स्टाइपेण्ड भी अलग अलग है परन्तु जैसा मैंने आपको सवाई मानसिंह अस्पताल राजस्थान के लिए बता दिया कि यहां पर उस वक्त क्या मिल रहा था और अब क्या मिल रहा है, 1964 से 1966 तक कितना बढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको मद्रास की बात कहूंगा। मद्रास के अन्दर हाउस सर्जन को सिर्फ 90 रुपये मिलते हैं, ओनली नाइन्टी रुपीज। बाकी कोई दूसरी पोस्ट रजिस्ट्रार वगैराह की नहीं है। लेक्चरार जूनियर रेगुलर सर्विस में आते हैं। इसी तरह से बी. एस. एफ. अस्पताल अहमदाबाद में इन्टरनीज को सौ रुपये मिलते हैं। अपने यहां डेढ सौ रुपये दे रहे हैं। वहां हाउस सर्जन को दो सौ रुपये मिलते हैं। अपने यहां भी दो सौ रुपये दे रहे हैं। रजिस्ट्रार को अपने यहां पर 250 रुपये देते हैं, वहां पर 225 रुपये देते हैं। और रजिस्ट्रार जो है, जैसा मैंने आपको कहा, ट्यूटर की पोस्ट वहां भी नहीं है। हाउस सर्जन को वहां 225 देते हैं और हम अपने यहां देते हैं ढाई सौ। वहां परन्ट्यूटर की पोस्ट नहीं है जब कि ट्यूटर की पोस्ट बडी इम्पोर्टेन्ट है क्योंकि यूनिट में काम करने वाला आफिसर, पोस्ट-ग्रेजुएट ऑफिसर ट्यूटर का काम करने वाला होता है that is generally absent in all the States, हमारे यहां रखते हुए इनको स्टाइपेंड होल्डर केवल इसलिये रखा है कि इनको पोस्ट ग्रेजुएट में स्टडी करने में सहूलियत हो जाय। इसके अलावा हमारे यहां हमने रजिस्ट्रार की पोस्ट और हाउस सर्जंस की पोस्ट ज्यादा रखी है। अगर आप आगरे के कालेज से कम्पेयर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि यदि वहां पर दो लडकों को लेते हैं तो हम हमारे यहां पांच लड़कों को लेते हैं। रजिस्ट्रार के लिये क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में स्टडी करने के लिए एन्करेजमेंट, तरजीह देना चाहते हैं। इसलिये ही ज्यादा पोस्ट रख कर स्टाइपेण्ड दे रहे हैं। दूसरे मैडिकल कालेजेज से कम्पेरीजन करें तो हाउस सर्जन्स और रजिस्ट्रार की पोस्ट हमारे यहां कहीं ज्यादा हैं, दुगनी-तिगुनी ज्यादा हैं। इसी तरह से बडौदा मैडिकल कालेज को लेवें तो वहां पर इन्टरनीज को सौ रुपया देते हैं, हाउस सर्जन्स को दो सौ देते हैं और फिर रजिस्ट्रार, डिमान्स्ट्रेटर को 275 रुपया देते हैं। यह उनकी कैफियत है। आगरे के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अन्दर, जो आपका यह ख्याल था, इस वक्त में बढाया है, तो मैंने वहां के लिए आपको कहा कि आगरे में ट्यूटर की पोस्ट नहीं है। उसके अन्दर इन्टरनीज को 150 रुपया देते हैं, और जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में भी डेढ सौ रुपया मिलते हैं। वहां हाउस सर्जन्स को दो सौ रुपये देते हैं तो राजस्थान में दो सौ देते हैं। रजिस्ट्रार की वहां तीन सौ से चार सौ की पे है, यह रजिस्ट्रार की वहां पर पे स्केल बन गई है। जहां जहां 320-400 की स्केल के अन्दर हैं, वहां राजस्थान के अन्दर ट्यूटर की पोस्ट है जो 460 से 800-900 तक की है। तो मैंने जैसा आपको कहा कि दूसरी स्टेट्स को देखेंगे, बडौदा, अहमदाबाद, आगरा और लखनऊ से अगर आप कम्पेयर करके देखेंगे तो राजस्थान का पैटर्न वहुत ऊंचा है। इसके अलावा इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ज्यादा फैसेलिटीज इस बात के लिए दे रखी हैं कि वह अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज को कर सकें और स्टाइपेण्ड वह अपने निर्वाह के लिए पा सकें। तो यह तो मैंने आपको बेकग्राउन्ड बताया इस बात के लिए कि दूसरी स्टेट्स में क्या पोजीशन है और अपनी स्टेट में क्या पोजीशन है, किस तरह स्टाइपेण्ड वक्त वक्त पर बढाया गया है, कितनी ड्यूटी और कितना काम उन लोगों को दिया गया है, यह भी मैंने आपको बताया।

अब स्ट्राइक का सवाल है, स्ट्राइक की प्रोप्राइटी और औचित्य का प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अस्पतालों में डाक्टर हैं और जो एसेंशियल सर्विस है वह इस तरह स्ट्राइक पर चली जाय बगैर नोटिस दिये, बगैर मौका दिये, बगैर अपने ग्रीवियेन्सेज को सरकार के सामने रखे हुए, बगैर नोटिस के यह कह दें कि हम स्ट्राइक पर जायेंगे तो मैं नम्रता-पूर्वक कहूंगा कि इस बात को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। और इसके साथ ही देखना चाहिए कि उनकी मांग वाजिब है थोडी देर के लिए मान लें तो सरकार के सामने अपनी मांग को पेश करके उस पर विचार करने का मौका देना चाहिए जिससे वह हां या ना के अन्दर अपना फैसला कर सके। वैसे जब जब भी उन्होंने रिप्रेजेन्ट किया है, मैंने आपको बताया, जून, 1964 से लेकर जुलाई, 1966 के बीच के अन्दर दो दफा स्टाइपेण्ड को रिवाइज किया गया है, स्टाइपेण्ड बढाया गया है और उसके ऊपर विचार किया गया है, बढती हुई महंगाई पर विचार किया गया है, उनकी आवश्यक जरूरतों पर विचार किया गया है, और दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर, देश के अन्दर और जगहों पर क्या स्टाइपेन्ड दिया जाता है उस पर विचार किया गया है। परन्तु इस वक्त आप देखिये कि 19 तारीख को, 19 फरवरी को तीन और चार बजे के बीच प्रिन्सिपल के पास जाकर एक चिट्ठी देकर आते हैं, यह कह कर कि हम 22 तारीख से स्ट्राइक पर जायेंगे। दूसरे रोज से दो दो, एक एक घण्टे प्रिन्सिपल ने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन पाइन्ट ब्लेंक तो कह दिया कि हम स्ट्राइक पर जायेंगे। तो उनका एक तरफ यह एटीट्यूड है, दूसरी तरफ मैंने आपको वास्तविकता बतलाई कि दरअसल में यह ट्रेनीज हैं, अपनी स्टेडी करते हैं और अपनी क्वालिटी बढाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करते हैं, उसका उनको एडवान्टेज मिलता है। स्टेट गवर्नमेन्ट उनको एवज में स्टाइपेण्ड देती है और स्टाइपेण्ड देकर ट्रेनिंग पीरियड के अन्दर जितना डाक्टर का काम उनको सीखना चाहिए, करना चाहिए वह करते हैं।

Page No. 42

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इन दोनों बातों को देखते हुए इस मौके पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं सदन को कि जिस तरीके से स्ट्राइक की है, एबरप्टली, बगैर मौका दिये जिस तरह स्ट्राइक की है, तो मेरे ख्याल में कोई भी सरकार इस तरह की स्ट्राइक का नोटिस लेकर कोई कार्यवाही करनी है तो वह उसके लिए बिल्कुल गलत बात है। क्या दूसरी सर्विसेज पर अच्छा असर पडेगा ? जहां तक इनकी पोस्ट ग्रेजुएट की स्टेडीज का सवाल है, मैं नहीं समझता कि क्या उनको शिकायत है। बिजली की बात है तो उसके लिए क्लेरीफिकेशन भी कर दिया है कि पहले नहीं लिया जाता था तो अब भी नहीं लिया जायगा। परन्तु आखिर में यह समझना चाहिए कि सरकार पोस्ट ग्रेजुएट स्टेडीज के लिए इन्तजाम करती है, लाखों रुपये खर्च करती है, अगर यह कोई रियायत चाहते हैं तो एम. बी., बी. एस. के व्यक्तियों ने क्या कसूर किया है, उनको वह रियायत क्यों न दी जायें। फ्री रेन्टल अकोमोडेशन यह चाहते हैं तो दूसरे क्यों नहीं चाहेंगे, आखिर क्या वजह है ? After all a Student is a Student पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, एम.बी. बी.एस. कर रहे हैं और कालेजेज में पढ रहे हैं तो उनको जो रियायत पहले नहीं थी और अब नई रियायत चाहें कि इसका किराया नहीं लिया जाय होस्टल अकोमोडेशन का, तो मेरे ख्याल में, वाजिब नहीं होगा। जहां तक स्टाइपेण्ड का सवाल है, मैंने अर्ज किया कि वक्त वक्त पर उस पर विचार किया गया है। अब यह दूसरी बात है कि वह पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करें, यह उनकी मर्जी पर है, इसके लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। बहरहाल जो आज हाउस सर्जन या रजिस्ट्रार हैं, वह काम क्या करते हैं। वह हाउस सर्जन होने के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि उनको डिस्करेज करना चाहिए। हर आदमी को इस तरह की प्रवृत्ति को असेंशियल सर्विसेज के अन्दर, खास तौर से अस्पताल के अन्दर जहां मरीज की जिन्दगी और मौत का सवाल है, सख्ती के साथ में डिस्करेज करना चाहिए। वह इस तरह स्ट्राइक पर एबरप्टली चले जायं, ऐसी स्ट्राइक को जरूर डिस्करेज करना चाहिए। यह वास्तविक स्थिति बताने के लिए मैं खडा हुआ था और इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है, उसमें इस बात को तो उन्होंने स्वीकार किया है कि पहले भी दो बार उन्होंने महंगाई के आधार पर और हाउस सर्जन को जो स्टाइपेण्ड दिया जा रहा है उनके स्टाइपेण्ड में बढौतरी की है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने इस आधार को माना है कि यदि महंगाई बढ जाय तो महंगाई बढाते हैं, तो उनके स्टाइपेण्ड को बढाना चाहिये। आपने दो बार बढाया है तो दूसरे मुद्दों पर नहीं जाकर मेरिट्स पर इस बुनियाद पर विचार करना चाहिये, जुलाई 66 में लास्ट महंगाई का आपने बढाया था तो आज दिन तक कितनी महंगाई बढी है, उस अनुपात में क्या महंगाई बढानी है, इस बुनियाद पर आपको विचार करना चाहिये। जुलाई 66 में जो इन्डेक्स नम्बर था उस मुकाबले में आज इन्डेक्स नम्बर देखेंगे तो महंगाई बहुत बडी मात्रा में बढी है और इस रूप में जब आप पहले भी महंगाई बढाते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
रहे हैं, और आपने दो बार महंगाई बढाई है तो, उनका मांगना वाजिब है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्रेज्युएट होने के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है पर ट्रेनिंग पीरियड में उनसे दोनों तरह के काम लिये जाते हैं । वे लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं और आप मेडिकल सर्विसेज भी उनसे लेते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि, ट्रेनिंग होते हुए भी, पूरी तरह, जिस तरह सर्विसेज काम करती हैं, वे पूरी तरह काम करते हैं, वे 12 घंटे की सर्विसेज देते हैं, पूरी तरह मरीजों को अटेन्ड करते हैं, वार्ड्स पूरी तरह उनके चार्ज में रहते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है । जो पोस्ट ग्रेज्युएशन करते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे होस्टल में रहते हैं, दूर नहीं रह सकते, इसलिये सरकार ने अब तक उन्हें अकोमोडेशन फ्री, बिजली फ्री दी है । अब जब कि महंगाई बढी है, वहां महंगाई न बढा कर उसमें ड्यूमिनिशन कर दें बिजली का, तो आपने कहा कि फ्री दे रहे हैं पर अकोमोडेशन का किराया मांगते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपको गलत इन्फोर्मेशन है कि नया किराया मांगते हैं, कोई नया किराया नहीं लगाया, आपको यह किसी ने गलत इन्फोर्मेशन दी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं लेंगे तो अच्छी बात है, पर ट्रेनीज में इस बारे में गलतफहमी है...

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई नया किराया नहीं लेते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ट्रेनीज में यह गलतफहमी है, आप क्लेरिफिकेशन कर देते हैं तो अच्छी बात है ।

आपने कहा कि उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया । इसकी मुझे जानकारी नहीं है । पर जो हमने अखबारों में पढा है कि वे लोग प्रिन्सिपल से मिले, उनकी बात नहीं मानी गई फिर आप से मिलने गये और उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्हें हडताल पर जाना पडा..............

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट के लिये माफी चाहता हूं । कल भी मैंने निवेदन किया था और आज भी मैंने कहा कि वे लोग मेरे से नहीं मिले, न मेरे सामने उन्होंने कोई बात रखी और न किसी प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन ही मेरे पास दिया । फिर भी माननीय सदस्य बार बार इस बात को कह रहे हैं । किराये के लिये मैंने कहा कि कोई नया किराया नहीं लगाया गया है, जो किराया लगता आ रहा है वही लग रहा है, वही किराया है कोई नया किराया नहीं बढाया है । बिजली की रेट की गलतफहमी थी उसको प्रिन्सिपल ने नया नोटिस निकाल कर क्लीयर कर दिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे ऐसा लगता है कि नोटिस की बात मैंने कही इससे आप प्रोवोक हो गये हैं और इस तरह का एटीट्यूड ले रहे हैं कि उनकी जो जायज मांगें हैं उन जायज मांगों पर भी विचार नहीं कर रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का एटीट्यूड किसी गवर्नमेन्ट का नहीं होना चाहिये । महंगाई के आधार पर पहले भी स्टाइपेण्ड बढाते आ रहे हैं, दो बार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बढाया है, तो उसे बढाना चाहिये। जुलाई, 66 का इन्डेक्स आपके पास है, उसके बाद का भी मंहगाई का इन्डेक्स आपके पास है। उस आधार पर जो मंहगाई बढाना आवश्यक है, वह बढा दीजिये।

मैं यह निवेदन करूंगा कि केवल यहीं के ट्रेनीज ने इस सवाल को ले कर हडताल की हो, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में भी हाउस सर्जन्स को हडताल पर जाना पडा, और दूसरी जगहों पर भी हाउस सर्जन्स को हडताल पर जाना पडा। जब उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं रहा तो उनको हडताल पर जाना पडा।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हडताल यहीं नहीं हो रही है, जोधपुर में भी हडताल हो गई है, उदयपुर में भी हो गई है। यदि आपकी यह आदत हो कि जब तक बडा शोरगुल नहीं हो जाय तब तक आप कुछ नहीं करें तो यह कोई अच्छी चीज नहीं है। इस तरह आप नौजवानों को हडताल करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं, उनकी उचित मांगों पर आप विचार नहीं करते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरिट्स पर इस मामले में आप विचार करें और इन्डेक्स के माफिक जो मंहगाई उन्हें देना वाजिब है, वह उन्हें दे दें।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात सुन कर मुझे अफसोस हुआ कि मैं नोटिस की वजह से एजीटेट हो गया हूं, उनकी यह बात गलत है। मैंने प्रशासन की सामान्य बात बताई है। मैंने बडी नम्रतापूर्वक अर्ज किया है कि अस्पताल जैसी चीज में आप एन्करेज मत कीजिये इस तरह की चीजों को। हमको आप समझाइये पर यह मरीजों की जिन्दगी और मौत का सवाल है, मैं एजीटेट नहीं हुआ हूं, इससे देश का हर एक नागरिक एजीटेट होना चाहिए यह मरीजों की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसमें इस तरह की चीजों को किसी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, जैसा आप कह रहे हैं। और, और जगह की सारी कालेजेज के फीगर्स को देख लें कहीं इस प्रकार का स्टाफिंग पैटर्न नहीं है, होल टाइम ट्यूटर 460 रुपये से 900 रुपये तक जाने वाले यहां हैं, किसी स्टेट से मुकाबला कर लीजिये किसी स्टेट से यहां नीचे नहीं हैं।

एक बात अर्ज करना मैं भूल गया था, अब उसे समझ लीजिये। हमारे यहां सी. एस. क्लास के 13 और 20 डाक्टर्स और हैं, जो इन लोगों की मदद करते हैं, इसलिये यह कहना कि इन लोगों से 12 घंटे काम लिया जाता है, यह गलत है। यह बात अवश्य है कि वे ट्रेनीज हैं, उनका ट्रेनिंग पीरियड है, उनसे सभी प्रकार का काम लिया जाता है, यूनिट्स को असिस्ट करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे यहां स्टाफ की कमी है, स्टाफिंग पैटर्न हमारे यहां इस प्रकार का है कि वे लोग पोस्ट ग्रेज्युएशन की स्टडीज में पूरा समय लगाते हैं, उनसे लाइट ड्यूटीज ली जाती हैं।

मंहगाई पहले बढाई है पर उन्होंने इस पर सोचने का, तय करने का मौका ही नहीं दिया, 19 की शाम को चिट्ठी लिखते हैं, वह 20 को हमारे पास पहुंची और उस पर विचार करें उससे पहले वे स्ट्राइक पर चले गये।

हमारे यहां का स्टाफिंग पैटर्न इस प्रकार का है कि किसी स्टेट से मुकाबला कर लीजिये किसी स्टेट से नीचे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आज की महंगाई को देखते हुए, राजस्थान सर्विसेज को यूटिलाइजेशन के आधार पर जो महंगाई भत्ता मिला है, उस अनुपात से क्या आप स्टाइपेंड को भी बढ़ा देंगे, इस पर आप क्या कहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने अर्ज किया कि राजस्थान सर्विसेज में और इसमें डिस्टिंग्विश करना चाहिये। ये स्टुडेन्ट्स हैं पोस्ट ग्रेज्युएशन कर रहे हैं, उधर सर्विसेज का मामला है, उनका तालमेल नहीं कर सकते वैसे तो हमको आज की रेट्स भी देखनी पडेगी कि आज क्या रेट्स हैं।

श्री भैरोंसिंह: जुलाई, 66 से महंगाई बढी है, उसको कम्पेन्सेट करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास: महंगाई का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वे अपना खर्चा चला रहे हैं, खर्चा बढ जाय तो बढाना चाहिये, उस बुनियाद पर तो आना चाहिये। आपने पहले भी बढाया है, अब भी महंगाई बढी है तो स्टाइपेण्ड बढाना चाहिये।

नं. 2 जब उनकी चिट्ठी आपके पास आई तो क्या आपने उनको लिख कर भेजा आपकी इस चिट्ठी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास: कोई जरूरत नहीं है।

राजस्थान में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के कारण नहरों में पानी को अव्यवस्था सम्बन्धी विषय पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य।

श्री रामकिशोर लड्ढा (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हिंडौली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव के जरिए कहा है कि राजस्थान में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की हडताल के कारण नहरों से पानी की सप्लाई की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है, इसलिये मेक्सीकन गेहूं में पानी नहीं मिल पा रहा है जिसका अन्न उत्पादन पर असर पडेगा, इसलिए इस पर चर्चा की जाय। स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए वक्तव्य देने का आदेश मुझे हुआ है। यही है कि राजस्थान में 15 फरवरी से सिंचाई विभाग के 13 हजार कर्मचारियों में से लगभग चार हजार कर्मचारियों ने, राजस्थान के कुछ सर्किल्स के कुछ डिवीजन्स में हडताल की थी लेकिन यह नहीं है कि हडताल की वजह से नहरों से पानी सप्लाई करने की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई हो या समय पर पानी न दिया गया हो। राजस्थान के अन्दर जितनी पानी देने की व्यवस्था है वह इसी हडताल के बावजूद भी बदस्तूर उसी तरह से चलती रही जैसे पहले चलती रही और जो जल वितरण समिति फैसले करती है उसके अनुसार उसके कार्यक्रम के अनुसार नहरें छोडी जाती हैं और पानी दिया जा रहा है चाहे हिंडौली हो या अन्य कस्बा हो। क्योंकि शीतकालीन की कुछ वर्षा हो गई थी इसलिये इन्टरवल में कहीं कहीं पानी की आवश्यकता न होने की वजह से थोडे समय बाद पानी दिया गया हो लेकिन यह भी किसानों की सुविधा की दृष्टि से दिया गया था और इस तरह से पानी की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

व्यवस्था में तो कोई गडबडी नहीं हुई लेकिन मेक्सीकन व्हीट के लिये पानी पूरा न दिए जाने का जो प्रश्न उठाया गया है, वह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है क्योंकि हमारे सिंचाई कार्यक्रम के अनुसार हम तीन–चार बार पानी देते हैं और उनकी इन्टरवल फिक्स्ड होती है लेकिन मेक्सीकन व्हीट के लिए जो स्केटर्ड एरिया में बोया जाता है, उसमें 6-7 बार पानी देना पड़ता है इसलिये नारमल ईरिगेशन सिस्टम में नारमल टाइम्स से ज्यादा पानी दे सकना सम्भव नहीं है। उसका कोई कम्पैक्ट एरिया नहीं होता है और न हमारे यहां पर पर कोई इसका ब्योरा है कि कितना मेक्सीकन व्हीट बोया जायगा ताकि उस तरह व्यवस्था की जा सके, बल्कि इसके लिए हमने कृषि विभाग से कहा था कि जो हम इन्टरवल्स में पानी देते हैं वह देंगे और ईरिगेशन ट्यूबवैल्स से उसकी सिंचाई करेंगे। इसलिये उस हिसाब से ईरिगेशन डिपार्टमेन्ट की मेक्सीकन गेहूं के सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती।

अब राजस्थान के सिंचाई कर्मचारियों ने रात को अपनी हडताल समाप्त कर दी है और आज सवेरे से उन्होने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया है और जो बचे हुए हैं वे भी लंच के बाद वापस काम पर चले जायेंगे । इसलिए हडताल समाप्त कर दी गई है और अब जो समस्या उन्होंने पोज की है और जिसका कोई असर नहीं था लेकिन वह भी समस्या अब नहीं रहती।

सिंचाई कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में हमने 9 जून, 1966 को फैसले किये थे और उसके बाद समय-समय पर जो उनकी मांगें आई तो तीन-चार बार बीच में भी हम बैठे और निर्णय लिए और उनका पालन किया। अन्त में 31 तारीख को मेरे यहां पर सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं जो फैडरेशन के सदस्य हैं या यूनियन्स के प्रतिनिधि हैं उनकी मीटिंग हुई, उनकी इन समस्याओं पर विचार किया गया, निर्णय लिए गए, सीनियोरिटी, छटनी और एक्जारप्शन इत्यादि की जो मांगें सामने आई उन पर निर्णय ही नहीं लिया गया बल्कि उनका कार्यान्वयन भी प्रारम्भ किया गया। उसके बाद दूसरी मीटिंग आगे होने वाली थी, वह अन्य कारणों से नहीं हो सकी और इस बीच में उन्होंने हडताल करदी जो अभी समाप्त करली है। अब हमारा इरादा जो सरकार ने तय किया है वह यह है कि हम एक समिति का निर्माण करेंगे जो 31-3-68 तक, जो कर्मचारियों की बची खुची मांगें हैं, और जो नई मांगें पेश की हैं, इग्जामिन करके अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करें ताकि उन पर जल्दी निर्णय करने के जैसी स्थिति हो कार्यान्वयन करने की कोशिश करें।

खास मुद्दा वर्क चार्ज्ड कर्मचारी और उनके स्टैण्डिंग ऑर्डर्स बन जाने का है जिसमें कई विभाग शामिल हैं। उस बारे में हमने निर्णय किया है कि 15 दिन की अवधि में वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों के स्टैण्डिंग ऑर्डर्स, जिनमें बहुत सारी मांगों का हल निहत है, वे सर्टीफाइंग ओथोरिटी को प्रस्तुत किए जायं और सर्टीफाइंग हो जाने से भविष्य में उनके अनुसार अमल किया जा सके तो 15 दिन में हम इसको सर्टीफाइंग आथोरिटी के पास प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर रहे हैं और हमने निर्णय किया है। मैं हडताल की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वैधानिकता में नहीं जाना चाहता क्यों कि वह समाप्त हो गई है लेकिन निर्णय लिया है कि जो लोग हडताल पर थे उनके स्ट्राइक पीरियड को लीव मान लिया जाय, अगर उनकी छुट्टी निकलती है और यदि केज्युअल वर्कर्स हैं, वर्क चार्ज्ड हैं, तो उनकी लीव विदाउट पे मान ली जाय जिससे उनकी सर्विस में ब्रेक न हो इस तरह से उनका किसी भी तरह से विक्टीमाइजेशन न हो, इस बात की व्यवस्था की गई है। बहुत सारी मांगें जो मन्जूर की जा चुकी हैं और जिनके इम्प्ली-मेन्टेशन में देरी हुई है, उनका इम्प्लीमेन्टेशन जल्दी से जल्दी 31 मार्च तक हो जाय, इस बात के आदेश हमने प्रसारित कर दिए हैं। इस तरह से श्रमिकों का जो व्यू पाइन्ट है, वह करीब करीब मीट हो गया है और अब ऐसी कोई अशान्ति या अव्यवस्था नहीं है।

श्री केशर सिंह हाडा (हिन्डोली) : राज्य सरकार ने अधिक पैदावार देने वाले मेक्सीकन गेहूं के लिए काफी प्रचार व प्रसार किया और बीज वितरण भी किया। सारे राजस्थान की सूचना तो मेरे पास नहीं है मगर मैं हिंडोली क्षेत्र के लिए जरूर निवेदन करूंगा कि मैंने एक प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत पेच की बावडी का मन्त्री महोदय को पेश किया था, उन लोगों को 20 तारीख को पानी देने के लिए आश्वासन दिया था सहायक अभियन्ता ने, मगर पानी नहीं मिला। तीन बार तो क्या एक बार ही अभी तक पानी मिला है। क्योंकि बीज बहुत महंगा था, खाद भी महंगी थी इसलिये अगर पानी के अपर्याप्त वितरण से पैदावार ठीक नहीं होगी और नुकसान होगा तो इसमें सरकार को विचार करना होगा। इसलिये काश्तकारों को राहत दी जानी चाहिये क्योंकि उन्होंने महंगा बीज खरीद कर बोया है और खास तौर से सरकार की तरफ से आग्रह किया गया था कि वे बोयें और उससे उनका फायदा होगा और देश का फायदा होगा मगर उसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि पानी की ढील से उनकी पैदावार पर असर पडेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार उनको राहत दे और बीज की कीमत में कमी करदे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने पहले निवेदन कर दिया है कि पेच की बावडी के लिए। मैंने इसी बीच टेलीफोन से जानकारी प्राप्त की है तो मुझे यह बताया गया है कि 3 वाटरिंग दे दिये गये हैं और एक वाटरिंग बाकी है जो अब दिया जा रहा है। बीच में जो इन्टरवेल्स हैं वह नियमानुसार हैं। केवल शीतकाल व वर्षाकाल की वजह से दूसरे स्थानों की सुविधा के लिये पानी रोका गया था किन्तु यह बात असत्य है कि एक बार पानी दिया गया है। हो सकता है किसान ने जितने एरिया का बुकिंग हुआ है, उससे ज्यादा जमीन पर सिंचाई करली हो। पहले राउन्ड में ज्यादा पानी दे दिया गया हो जितनी जमीन का बुकिंग हुआ है, ऐसी सम्भावना है। वरना आम तौर पर तीन पानी दिये जा चुके हैं।

श्री केशर सिंह हाडा : मन्त्री महोदय ने फरमाया कि शीतकाल और वर्षाकाल में पानी कम दिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पानी कम नहीं दिया है। बीच में शीतकाल और वर्षा काल

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)
आ जाने से कुछ इन्टरवेल्स दिये हैं क्योंकि शीतकाल में जमीन तर होगी और उस समय पानी देने से पानी का वेस्टेज होता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! गोहाटी से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी, 1968 को भारतवर्ष के आसाम प्रदेश में स्थित गोहाटी नामक शहर में एक बहुत ही खेदजनक घटना हुई और उस घटना के फलस्वरूप जो वहां के रहने वाले, विशेष तौर से जो नान-आसामीज हैं, उनकी सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। 26 जनवरी, को मेरे पास कलकत्ते से दोपहर को इस बात का टेलीफोन आया कि गोहाटी के अन्दर फेन्सी बाजार में लूट-मार हो रही है, आग-जनी हो रही है । उसके बाद मैंने भारतवर्ष के प्रधान मंत्रीजी से बात की और उन्होंने इसके बारे में आवश्यक आदेश प्रचलित किये । 9-10 फरवरी को मैं वहां पर गया और वहां जाने के बाद भी जिस जगह नकसान हुआ था, उसको देखने का मुझे मौका मिला मेरे ख्याल से क्षेत्रीय भावना के आधार पर जितना नुकसान और जिस प्रकार ध्वंसकारी कार्य गोहाटी में किया गया है उसका शायद दूसरा समानान्तर उदाहारण हमारे पास में नहीं होगा।

काफी मात्रा में नुकसान किया गया और उस नुकसान में जो आसाम के बाहर के रहने वाले लोग-बाग हैं चाहे वे राजस्थान के हों, चाहे यू.पी. के हों, चाहे बिहार के हों चाहे बंगाल के हों, उनमें विशेषतौर से जो व्यापारी वर्ग है, उस पर यह अघात किया गया है। जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं उस आधार पर ऐसा लगता है कि करीब ढाई-तीन करोड का नुकसान हुआ है जो गैर-सरकारी तरीके से 8-9 करोड के आस पास कहा जा सकता है और सरकारी सूत्रों के अनुसार ढाई-तीन करोड से भी कम कहा जाताहै। मुझे इस बात का दुःख है कि जो घटनाएं वहां पर हुई वह केवल एक जगह ही सीमित नहीं थीं बल्कि दूर दूर स्थित जगह पर भी आक्रमण किया गया था । जहां तक व्यक्तियों का जिनको नुकसान हुआ है, उनका प्रश्न तो जो कुछ मैं जानकारी कर पाया हूं उसके अनुसार जो राजस्थान से गये हुए लोग हैं, शायद 50 प्रतिशत तो वे हैं और के 50 प्रतिशत दूसरे व्यक्ति भी उसमें शरीक हैं । दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग जो रिक्शा चलाते थे, उनके रिक्शा जला दिये गये मामूली झोंपडियां जला दी गई और यह बडी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहां पर हुई है। मैंने इस सम्बन्ध में वहां पर न केवल जो राजस्थानी जो मारवाडी कहलाते हैं, उनसे बातचीत की बल्कि मुझसे जो बातचीत करने आये उनमें बिहार, पंजाब और सिंध के लोग-बाग भी थे। हम इस प्रश्न को केवल राजस्थानियों की दृष्टि से नहीं देखते हैं बल्कि इस प्रश्न को इस दृष्टि से देखते हैं कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, जो आसामीज नहीं हैं उनको गैर-आसामी होने की वजह से उन पर अत्याचार किये जायं, उसको कतई उचित नहीं कहा जा सकता। हमारी यह निश्चित धारणा है कि भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो, वह भारत का नागरिक है और उसे किसी भी प्रदेश में वहां के कानून के मुताबिक रहने का और

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
काम करने का अधिकार है। उस दृष्टि से खास तौर से जो राजस्थानी 100-100 साल पहले गये, उनको विदेशी समझा जाय यह उचित नहीं कहा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां के मुख्य मन्त्री और श्री महेन्द्र मोहन चौधरी व दूसरे व्यक्तियों से बातचीत की और उन लोगों ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि वहां की स्थिति के अन्दर इस प्रकार की बात अब दुवारा नहीं होगी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी इस बारे में पूरे कदम उठाकर चलेंगे। उनके लिये कम्पनसेशन और रिहेबिलिटेशन के लिये जो कुछ किया जा सकता है, उसके बारे में भी करने के लिये उन्होंने आश्वासन दिया है। राजस्थान सरकार की तरफ से हमने 5 लाख रुपया रिलीफ के लिये न केवल राजस्थानियों और मारवाड़ियों के लिये ही सेन्क्शन किया है, बल्कि जो भी उस घटना से ग्रसित हुये हैं चांहे उनके अन्दर दो-चार मील के आस पडौस के रहने वाले हों, बिहारी हों, यू. पी. का रहने वाला हो या किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो जो भी उस घटना से हानि हुई है उनके लिये हमने रिलीफ की बात कही है। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक जो 25 लाख रुपये रिहेबिलिटेशन के लिये लोन लेना चाहता है उनसे भी कहा है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट 10 लाख की गारन्टी लेगी

(करतल-ध्वनि)

उनके रिहेबिलिटेशन के लिये। मैं आशा करके चलता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेट किया जायगा। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्रीजी को उप प्रधान मंत्रीजी को और गृह मंत्रीजी को भी जो कुछ भी वहां से इम्प्रेशन लिया है, वह लिखकर भेजा है। ज्यादा विस्तार से मैं इस समय इसलिये नहीं जाना चाहता कि एन्क्वायरी कमीशन को सारी जांच के लिये स्थापित किया गया है और वही सारी जांच-पड़ताल के अन्दर पड़ेगा इसलिये मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। लेकिन व्यक्तिशः मेरा ख्याल है कि जो कुछ वहां पर हुआ है वह पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किया गया है। वहां पर 24 जनवरी को आसाम बन्द के नाम से एक आन्दोलन हो चुका था और 26 जनवरी के लिये यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय ध्वज को वहां पर फहरने नहीं दिया जायगा। ये सब बातें इस बात को जाहिर करती हैं और साथ ही साथ जो घटनाएं हुई हैं वह केवल फैन्सी बाजार तक ही सीमित नहीं थीं बल्कि उससे दूर 15-20 मील के क्षेत्र तक, विजयनगर, केन्द्र तक जो घटनाएं हुई हैं वे वे यह जाहिर करती हैं कि स्पोन्टेनियसली की गई हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

बल्कि पहले नियोजित व्यवस्था के अनुसार यह कार्य हुआ मालूम पड़ता है। मैंने भारत सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया है कि वहां जो लचित सेना नाम का जो संगठन है जिसको पहले अण्डर ग्राउन्ड काम करने वाला संगठन समझा जाता है। इसके द्वारा बराबर परचे बांटे जाते थे, बराबर धमकियां दी जाती थीं कि आसाम में रहने वाले भारतवासियों को आसाम छोड देना चाहियें। उनकी तरफ से इस प्रकार की धमकी दी जाती थी कि आसाम आसामियों के लिये है और आसाम इसी प्रकार का प्रदेश रहा है। इस प्रकार की बातें कही जाती थीं

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
मैंने इस बात की तरफ भी भारत सरकार का ध्यान दिलाया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि लचित सेना के पीछे हो सकता है कोई विदेशी शक्ति काम कर रही है जो वहां पर इस प्रकार की गडबडियां पैदा कराने का प्रयत्न कर रही है इसलिये इसके गहराई में जाने की आवश्यकता है कि कौन शक्तियां काम कर रही हैं ? आसाम एक सीमावर्ती प्रदेश होने की वजह से यह और भी आवश्यक हो जाता है इन चीजों की तरफ ज्यादा गहराई के साथ ध्यान दिया जाय और इन समस्याओं को हल किया जाय जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने पाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी चाहे राजस्थानी हो या और किसी प्रान्त का निवासी हो वह व्यक्ति अगर किसी भी प्रान्त में जाकर रहता है उसको उस प्रदेश का हित सर्वोपरि मानकर चलना है। आसाम में जो राजस्थान के प्रवासी हैं उनके लिये यह आवश्यक है कि वे सब यह समझकर चलें कि भारतवर्ष के किसी भी कोने में रहने वाला हो उसको इस बात का अधिकार है कि वह भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है। हम आखिर सिटीजन ऑफ इन्डिया हैं न कि सिटीजन ऑफ एनी प्रोविन्स। किसी प्रदेश के नागरिक होकर नहीं बल्कि भारतवर्ष के नागरिक की हैसियत से हम सब जगह रहते हैं। इसलिये भारतवर्ष के नागरिक को जो अधिकार संविधान के तहत या इस प्रजातन्त्र में प्राप्त हैं, वे चाहे देश के किसी भी कोने में रहें वे अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार सब को समान रूप से है। हर प्रान्त के लिये जो कानून बनते हैं उन प्रान्तों के कानून के अन्तर्गत उनको चलना चाहिये और उस प्रदेश के रहने वालों की तरह सब पर वह कानून समान रूप से लागू होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो रिलीफ के लिये पांच लाख रुपया दिया है वह केवल मारवाडियों के लिये ही नहीं वह रिलीफ जो भी व्यक्ति इस झगडे के अन्दर जिनको नुकसान हुआ है वह चाहे किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो उनके लिये है। हम यह मानकर चलते हैं कि यह आसाम प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है जिनको नुकसान हुआ उनके नुकसान की पूर्ति करे और उनको रिहेबिलिटेट करे लेकिन हम इस दृष्टिकोण को नहीं मानते कि जो मारवाडी यहां से काफी बरसों पहले वहां जाकर बस गये थे उनको वहीं पर रिहेबीलिटेट किया जाय। हमारी दृष्टि से यह एक केलेमिटी थी उसी दृष्टि से हम उनकी सहायता करना चाहते हैं।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसमें किसी आसाम के मिनिस्टर का हाथ था। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि इसमें आसाम की सारी जनता का हाथ था। मेरा यह निश्चित मत है कि लचित सेना के नाम से जो संगठन शुरू हुआ है, उसके जरिये जो आन्दोलन चल रहा है उन आन्दोलनकारियों के खिलाफ बहुत कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मैंने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में मेरा जो कुछ अध्ययन था उस को मैंने संक्षिप्त समय में उस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूं

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
इस प्रश्न को हल करने के लिये वहां की सरकार और भारत सरकार इस बारे में चिन्तित है।

अध्यक्ष महोदय, जब चव्हाण साहब राजस्थान के अन्दर ज़ोनल कौन्सिल के वक्त आये थे तब उनसे मेरी इस सम्बन्ध में बातचीत हुई उसके बाद ही मेरा वहां जाना हुआ। मैं आशा करके चलता हूँ कि वहां की सरकार पुनर्संस्थापन की तौर पर उनकी जो हानि हुई है उस बारे में और साथ साथ भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेंगे। मैं इस मौके पर यह नहीं चाहता कि किसी की टीका-टिप्पणी करूं या किसी पर दोषारोपण करूं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो समस्यायें वहां पर खडी हुई हैं उसे एक रचनात्मक ढंग से हल किया जाय और इसकी पुनरावृत्ति न हो इस बारे में सजग रहा जाय। इसलिये मैं इसके अधिक विस्तार में पडना नहीं चाहता इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ मेरी जानकारी थी वह मैंने सदन के सामने उपस्थित की है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आसाम में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में जो वक्तव्य मुख्य मंत्री महोदय ने दिया है उस वक्तव्य से ऐसा तो लगता है कि हमारी सरकार को आसाम में रहने वाले राजस्थान वासियों और अन्य प्रान्तों के रहने वाले व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति है और चिन्ता है। लेकिन उस सहानुभूति और चिन्ता प्रकट करने में काफी मात्रा में संकोच हो रहा है। हो सकता है यह संकोच इस कारण से हो कि राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यह संकोच इस कारण से है कि यहां जो कुछ कहा जाय उसकी प्रतिक्रिया आसाम में किसी प्रकार से खराब न हो जाय, ये दोनों बातें वास्तव में बहुत गंभीर हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी के शासन को कन्डेम करने का सवाल आता है उसमें मुख्य मंत्री को संकोच नहीं करना चाहिये क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री महोदय ने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस घटना के समय वहां का एडमिनिस्ट्रेशन पूर्णतया फेल हो गया था।

अब दूसरा प्रश्न इससे भी ज्यादा गंभीर है उसकी गंभीरता को मैं भी महसूस करता हूं, हमारे कुछ कहने का या कुछ निर्णय लेने का प्रभाव किसी प्रकार से विपरीत न हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस गंभीरता की भी कुछ सीमा है अगर यह घटना शायद पहली ही होती तो हमें इसमें इतना गभीर होने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन हमें इस बात की सावधानी रखने की आवश्यकता थी हमारे कहने का कारण यह है कि वहां के राजस्थान के निवासी जो आसाम के लोगों में घुलमिल गये, आसाम की संस्कृति में घुलमिल गये, आसाम के सामाजिक बन्धनों से बन्ध गये जो आसाम के लोगों से किसी प्रकार से अलग नहीं।

आज से चार साल पहले आसाम में इसी प्रकार का आन्दोलन बंगालियों के विरुद्ध प्रारम्भ हुआ था उस समय भी गांव के गांव जलाये गये थे, सम्पत्ति की लूटमार की गई, स्त्रियों और बच्चों को घरों के अन्दर बन्द कर जलाकर मार दिया गया था उस समय यह प्रश्न पैदा हुआ था बंगाल की विधान सभा में और बंगाल की जनता ने उस

(श्री भैरोंसिंह)

समय यह तय कर लिया था कि हमें आसाम से व्यापारिक सम्बन्ध तोड देने चाहिये। बंगाल के रास्ते जो माल आसाम को जाता है वह रोक दिया जाना चाहिये। उस समय भी आसाम और बंगाल में जो रिटेलियेशन की भावना पैदा हुई थी वह खुश किस्मती से आगे नहीं बढ़ सकी। बंगाल में रिटेलियेशन करने वाले नहीं थे उस समय भारत सरकार द्वारा आसाम सरकार को सजग कर दिया गया था कि यह प्रश्न केवल आसामियों और बंगालियों के बीच का नहीं है, यह प्रश्न धीरे धीरे गंभीर रूप लेता सारे देश में फैल सकता है इसकी व्यापकता अपने आप में और भी बढ़ सकती है। इस व्यापकता के सम्बन्ध में आज जो आरगूमेन्ट्स दिये जा रहे हैं वे उस समय भी दिये गये। उस समय भी चालिहा की सरकार थी और आज भी इनकी ही सरकार है। उस समय कहा गया था कि कुछ अवांछनीय तत्व काम कर रहे हैं जो आसाम में शान्ति भंग करना चाहते हैं। आज भी सरकार यही कह रही है कि कुछ अराष्ट्रीय तत्व इस सारी आसाम की स्थिति के लिये जिम्मेदार हैं जो अराष्ट्रीय भावना पनपाना चाहते हैं।

मैं उस सरकार से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि पांच वर्षों से लगातार कोशिश करने के बाद भी आसाम की सरकार को और हिन्दुस्तान की सरकार को यह पता नहीं लग सका है कि अराष्ट्रीय तत्व कौन हैं और वे कहां से आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, भौगोलिक स्थिति से आसाम आज विदेशी ताकतों से घिरा है। एक तरफ चीन आसाम में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने यहां के आदमियों को भेजकर वहां की आबादी में अपनी आबादी को मिलाकर बहुसंख्यक पाकिस्तानी समर्थक लोगों का वहां निर्माण करना चाहता है। तीसरी तरफ वनों में चीन के हथियारों पर रैड आर्मी तैयार हुई है। इसके लोग पाकिस्तान के माध्यम से सीधे आकर आसाम में सक्रिय होते जा रहे हैं। इस सारी स्थिति में आप केवल यह कहकर नहीं बच सकते कि वहां अराष्ट्रीय ताकतें सक्रिय हैं या अन्तर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हैं।

मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार वास्तव में अगर गैर-आसामियों के हितों के बारे में चिन्ता करती है तो भारत सरकार पर दबाव क्यों नहीं डालती कि 10 लाख पाकिस्तान के आदमी आसाम में घुस गये हैं उनको आसाम से बाहर क्यों नहीं खदेडना चाहती है। इन दस लाख में से पांच लाख को भारत सरकार ने इजाजत दे दी है कि उनको वहां की नागरिकता दे दी जाय। अब इस सिद्धान्त को अगर स्वीकार करते हैं कि जो हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं हैं, वे यहां जबरन आकर वहां की जमीनों पर कब्जा कर लें, इन्डस्ट्री पर कब्जा कर लें, घरों पर कब्जा कर लें, ट्रेड पर कब्जा कर लें, इन्फिल्ट्रेट कर जावें, उनको यह कह दें कि पाकिस्तान से आये अवैध नागरिक हैं पर उनके कन्टीन्युसली रहने के कारण हम उनको यहां की नागरिकता के अधिकार प्रदान करें यह कहां की अक्लमन्दी है और यही कारण है कि आसाम में पाकिस्तानी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।

एक समय था जिस समय यह सख्त आर्डर भारत सरकार ने दिया था कि पाकिस्तान से

(श्री भैरोंसिंह)

अगर नागरिक हिन्दुस्तान में घुस आये हैं तो उनको निकाल दिया जावे। उस समय हमारे केन्द्रीय गृह मन्त्री ने निकालने का आदेश दिया पर लोकल पालिटिक्स बीच में आ गई और वे नहीं निकाले जा सके और आज यह स्थिति आ गई कि पांच लाख ऐसे अवैध पाकिस्तानी नागरिकों की सूची बनाकर निर्णय ले लिया गया है कि उनको यहां की नागरिकता के अधिकार दिये जावें।

आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां आसाम और हिन्दुस्तान का लिंक 34 मील का हो और उसमें एक ओर चीन रहता हो, दूसरी ओर पाकिस्तान रहता हो, तो उस लिंक को समाप्त करने के लिये वे कौनसी कसर छोड़ेंगे ? इस लिंक को समाप्त करने के लिये लेफ्ट कम्यूनिस्ट ग्रुप ने नक्सलबाडी क्षेत्रों में उपद्रव किये। उनका उपद्रव, स्पष्ट हो, जमीन काश्तकारों को मिले, इसके लिये नहीं था। इसके पीछे उनकी एक ही भावना थी कि इस 34 मील के लिंक को तोड कर आसाम को शेष भारत से पृथक कर दिया जावे। दुर्भाग्य की बात है कि वे अराष्ट्रीय तत्व किसी प्रकार से यहां पनप गये, पर फिर भी समय पर सावधान होने से उनको कन्ट्रोल कर लिया गया।

पर आज हमें पूरी तरह से विचार करके चलना पडेगा। आसाम को विदेशी ताकतें हडपना चाहती हैं। आज उनका नारा है कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर का हिस्सा सारे का सारा चीन में जावेगा, और बाकी का पाकिस्तान में मिलेगा। इन दोनों मनसूबों को लेकर, मुख्य मन्त्रीजी, जानते होंगे, कि सन् 62 में चीन ने हमारे पर हमला किया था।

अध्यक्ष महोदय, तेजपुर में चीनियों ने आकर, बल्कि चीनियों के इशारे पर कुछ ऐसे लोगों ने वहां के हिन्दू लोगों के घरों और दुकानों पर निशान लगा लगा कर लूटा था। बाकी लोगों को हाथ भी नहीं लगाया और उस समय इस प्रकार का नारा लगाया था कि ब्रह्मपुत्र का एक तरफ का हिस्सा पाकिस्तान में जावेगा और दूसरी तरफ का चीन में जावेगा।

अब स्थिति यह और आई है कि चीन के एजेन्ट वहां सक्रिय हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एजेन्ट भी सक्रिय हैं। दोनों सक्रिय होकर यह चाहते हैं कि वहां न केवल राजस्थानी ही न रहें, पर बंगाली भी न रहें, न पंजाबी रहें, न गुजराती रह सकते हैं। अब तो वे और भी बढ गये हैं। जो कुछ वर्षों के पहले जिस समय में लांचित राजकीय सेनापति था नारा लगाया गया है कि जो वहां के गिने जाते हैं, ब्राह्मण हैं वे भी आसामी नहीं हैं असली। उनका मतलब यह है कि धीरे धीरे हिन्दुस्तान के प्रति जो भी वफादार कौम वहां रहती हो, उनको धीरे धीरे कम किया जावे ताकि आसाम में बाद में उपद्रव कराके चीन और पाकिस्तान को वहां पर न्यौता दिया जावे। फिर उसका कुछ हिस्सा चीन को मिल जावे और कुछ पाकिस्तान को मिल जावे। आज इस स्थिति में वहां की सरकार के भरोसे कैसे चला जावे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी केन्द्रीय सरकार भी ऐसे मसलों में कमजोर साबित हुई है।

अध्यक्ष महोदय, आज शुरूआत इस बात को लेकर की गई है। शुरूआत के पीछे यह कारण था कि 30 जून को गोहाटी में, जोरहाट में प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि आसाम का विभाजन किया जावेगा। यह देश का

(श्री भैरोंसिंह)

दुर्भाग्य है कि इस तरह की बातें कहते कोई संकोच नहीं करता। देश का कोई भाग पाकिस्तान के पास रह जावे तो संकोच नहीं। चीन नाजायज तौर से कब्जा कर ले इसकी चिन्ता नहीं। हमें चिन्ता केवल इस बात की है कि पोलिटिकल एडवान्टेज हमारे ग्रुप को या पार्टी को कैसे हो । इसके किसी तरह अचीव करने के लिये पंजाब का विभाजन इस कांग्रेस ने स्वीकार किया। आज आसाम के विभाजन की बात भी खुद ही आगे होकर कही जा रही है। एक तरफ नागाओं का उपद्रव चल रहा है, दूसरी तरफ मिजों का उपद्रव चल रहा है । ये सारे उपद्रव एक दिशा में चल रहे हैं और इनको एनकरेज करने का दायित्व और किसी पर नहीं, न लांचित सेना पर है, न चालिहा की सरकार पर है, यह दायित्व है केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल पर, प्रधान मन्त्री पर। वे आसाम के विभाजन के लिये कभी पातस्कर आयोग कायम करते हैं, कभी अशोक मेहता कमेटी मुकर्रर करते हैं। अब न उनको स्वीकार किया जाता है, न उनकी रिपोर्टों को न उन पर अमल किया जाता है। और वहां जाकर जैसा मन आया वैसा भाषण दे आये । जोरहाट के प्रधान मन्त्री के भाषण के बाद आसाम के स्टूडेन्ट्स के पैटर्न पर आसाम बन्द हुआ और विभाजनवादी तत्वों को एनकरेजमेन्ट मिला। यह घटना 24 जनवरी को घटने वाली थी कि गोहाटी को बन्द करना है। 24 तारीख को गोहाटी बन्द किन्हीं कारणों से नहीं किया गया। गोहाटी के बन्द करने का निर्णय लेते समय न स्टूडेन्ट्स थे, न आसामी थे। बाद में 26 जनवरी का कार्यक्रम रक्खा और 24 का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। आसाम की सरकार को इन सबकी पूरी पूरी सूचना मिल गई। पर 26 तारीख को और कहीं हुआ या नहीं जो भी राष्ट्रीय ध्वज जहां भी मिला उसमें आग लगा दी गई। थाने में घुसकर राष्ट्रीय ध्वज को आग लगाई गई। जगह जगह जहां भी मिला, उसमें आग लगाई गई। राष्ट्रीय ध्वज उतारने के बाद जो हुआ उसके लिये मुख्य मन्त्रीजी की बात को मैं स्वीकार करता हूं कि योजनाबद्ध हुआ है। पर यह सब वहां की सरकार को मालूम न हो ऐसा मैं नहीं मानता ।

हर साल जब 26 जनवरी को प्रश्न आता है वहां के मुख्य मन्त्री स्वयं झंडारोहण करते हैं या तो शिलांग में या गोहाटी में। फिर मुख्य मन्त्री को पता था कि इस 26 जनवरी को घटना घटने वाली है। हिन्दुस्तान में कहीं भी स्टेट में राजस्थान में भी कभी यह नहीं देखा कि इस अवसर पर मुख्य मन्त्री अनुपस्थित रहे हों, बीमार हो जावें तो बात दूसरी है। पर बीमार न हों तो स्वयं झंडा-रोहण करते हैं। पर अकारण आसाम के मुख्य मन्त्री की 26 जनवरी की अनुपस्थिति सन्देह पैदा करती है। या तो मुख्य मन्त्री को जानकारी थी या इन्डाइरेक्ट रूप से इसको उनका प्रोत्साहन था कि 26 जनवरी को घटना घटने वाली है इसके पीछे मेरा हाथ है। 26 जनवरी को वे किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिये नहीं गये। न केन्द्रीय सरकार के निमन्त्रण पर ही दिल्ली गये। कहीं नहीं गये। 26 तारीख को वे अपने गांव चले गये जहां झंडारोहण का प्रश्न ही नहीं पैदा होता और ऐसे व्यक्ति के हाथ में झंडारोहण का काम सौंप गये, त्रिपाठी के, जिसके विरुद्ध ऐलान किया जा रहा है कि वे आसामी नहीं हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

उनके प्रति आसाम के लोगों में भयंकर रोष पैदा किया गया है यह मैं नहीं कहता कि चौधरी ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मिटिंग में कहा है।

इन्दिरा गांधी ने अपने भाषण के द्वारा जो जोरहाट में उन्होंने दिया, आसाम के विभाजन की बात रक्खी और उसी के कारण यह सारी स्थिति पैदा हुई है।

आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाले कि उस सीमावर्ती क्षेत्र में जहां चारों ओर देश के दुश्मन घेरा डाले बैठे हैं वहां इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेन्ट और आसाम के टुकड़े करने का स्टेटमेन्ट न दें। वह स्टेटमेन्ट दिया इसका परिणाम सब ने भोगा।

इतना ही नहीं 26 जनवरी को जो घटना हुई उसमें आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि वहां के फेन्सी बाजार को लूटा गया, और लूट के माल से 23 ट्रक भर कर ले गये रेडियो, मशीनें, कपडा आदि चीजों की लूट से। बाकायदा भर कर ले गये। 123 दुकानों से माल ले गये और वहां से तीन मील दूर ले गये और वहां सारी रात उस माल का बटवारा होता रहा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पहले पुलिस को फोन किया। उस को रेस्पोन्ड नहीं किया तो लैटर लिख कर दिया और इसके बाद पुलिस अफसर ने कह दिया कि न तो मुझे सब-इन्सपेक्टर मिलता है और न कान्स्टेबल मिलते हैं कि हम आपका हुक्म मानकर उनको गिरफ्तार करके लावें।

आज हिन्दुस्तान में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। स्वयं हमारे मुख्य मन्त्रीजी के स्वयं के शब्दों में कम से कम दो करोड़ का नुकसान हो गया। पर आश्चर्य है कि आज तक एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रोसीक्यूट नहीं किया गया। बल्कि ऐसों को गिरफ्तार किया गया जो बाहर से आये थे। पर उन पर भी यह चार्ज नहीं लगा सके कि 26 जनवरी को फेन्सी बाजार में आग लगाई और लूटपाट की और विनयनगर में जाकर फेक्ट्री में आग लगाई। आग लगाने और लूटने वालों में से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया।

24 जनवरी के बाद 26 जनवरी का प्रश्न आया। वहां पेम्फलेट निकाल रहे हैं। शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में हवाई जहाज से परचे बांटे गये। उनमें लिखा था कि हम भारतीय नहीं हैं। नहीं थे। हम कभी भी भारतीय नहीं रहेंगे। शोषण करने वाले आसाम से चले जावें। ये परचे कैसे बंटें, किसने बांटे, हवाई जहाज उनके पास कहां से आया इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। आज भी लाचित सेना के नाम से पोस्टर बांटे जा रहे हैं। लांचित सेना किसी संगठन के रूप में संगठित कोई संस्था नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में शिव सेना का संगठन है। लांचित का तो नाम का उपयोग किया जा रहा है और इस लांचित के नाम के पीछे आसामियों को भडकाने की कोशिश की जा रही है।

उस भड़काने के मामले में अब प्रश्न यह आता है कि सब चीजें अब यह आगे कैसे रुकेंगी। हमारी सरकार का जहां तक संबंध है मैं बता दूं कि आसाम में, बंगाल में, मद्रास में और सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान के लोग गये हैं। राजस्थान के लोगों ने वहां जाकर

(श्री भैरोंसिंह)

इन्डस्ट्रीज कायम की हैं और व्यापार से लोगों को लाभ पहुंचाया है। यह सब कुछ किया है लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति बन रही है कि मद्रास में हिन्दी और अंग्रेजी और तामील के आन्दोलन को लेकर आज वहां से राजस्थानियों को निकाला जा रहा है। वहां पर साहूकार पेठ है उस साहूकार पेठ के अन्दर पूरे मद्रास में यदि आप जावें तो कोई ऐसी दुकान नहीं मिलेगी जिसको तोडा नहीं गया हो और मकानों के कांच नहीं तोडे गये हों क्योंकि वहां पर गुजराती और राजस्थानी रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति वहां पर है। पिछले दिनों में कलकत्ता में ऐसी स्थिति हुई, आसाम में ऐसी स्थिति बन रही है। आज तक हम यह लेकर चलते हैं कि लाखों आदमी मद्रास, बंगाल और आसाम में बैठे हैं। आज यदि उन लोगों के साथ इस प्रकार का ट्रीटमेन्ट बहुत व्यापक स्केल पर होने लग रहा है तो हम यह समझते हैं कि आसाम के लोग गोहाटी में बैठे रहेंगे, शीलांग में बैठे रहेंगे। पिछले दिनों नौ गांव में घटनायें हुई और जैसे पाकिस्तानी और चीनी लोग किसी को घेरते हैं उसी प्रकार से लोगों को वहां पर घेरा गया। इसके लिए वहां पर कुछ लोगों ने हथियार उठाये और नौ गांव को बचा लिया और डिब्रूगढ में नृशंस लोगों के साथ व्यवहार किया गया है उससे आज दिन लोग नहीं चूकने वाले हैं। यह तो राजस्थानी हैं कि इतना संकट होने के बाद भी आसाम में बैठे हैं और आसाम के लोगों के साथ ट्रेड और सामाजिक बन्धन में बंध गये हैं लेकिन उन्हें यदि ज्यादा तंग किया गया तो उसका परिणाम यह निकलेगा कि लाखों लोग गाडियों में बैठकर राजस्थान में आयेंगे। हमारे राजस्थान में आज भी एम्प्लायमेन्ट की प्राब्लम है, राजस्थान में रिहेबिलिटेशन की प्राब्लम है और राजस्थान राज्य के स्वयं के फाइनेन्सेस संकट में हैं और सरकार के पास इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिए न तो फाइनेन्सेस हैं, न रॉ मेटिरियल है और न उसके पास बिजली है और न पानी है। यदि हम कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई भूमिका होती है लेकिन यहां तो वह भूमिका भी नहीं है। एक बार यदि रिहेबिलिटेशन की प्राब्लम राजस्थान के सामने आ गयी तो राजस्थान की जो आज फाइनेन्शियल पोजीशन है वह बिलकुल बैंकृप्ट हो जायेगी और हमारे सामने समस्यायें पैदा हो जायेंगी। हम यह नहीं चाहते कि राजस्थान और आसाम में रहने वाले जो राजस्थानी हैं उनमें आसामी और राजस्थानी का कोई भेदभाव हो। वहां पर वह आसामी भाषा बोलते हैं, उनका आसामी पहनावा है और लोग वहां पर दो-दो सौ और तीन-तीन सौ वर्षों से रह रहे हैं और वह राजस्थान में नहीं आते हैं लेकिन आज भी उनको गुजराती कहकर माना जाये और राजस्थानी कहकर माना जाये और उनकी सम्पत्ति को नष्ट किया जाये तो हमारे सामने प्रश्न आता है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस सदन को और इस सरकार को दोनों को ऐसी व्यवस्था पर विचार करने के लिए हमें कुछ कार्यवाही करनी चाहिए जिस कार्यवाही से इस प्रकार की भावना लोगों में न हो। और यह तब ही हो सकता है जब हम केन्द्रीय सरकार के ऊपर इसका दबाव डालें कि वह कोई कदम ऐसा नहीं उठाये जिससे कि वहां पर शांति भंग हो और लोगों के मनों में मन-मुटाव पैदा न हो। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि सीमा के ऊपर ऐसे तत्वों की पूरी रोकथाम हो। आज

(श्री भैरोंसिंह)

करीमगंज के इलाके में कोई चला जाये तो कह नहीं सकता कि यह सीमा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की है। कोई भी आदमी वहां आ सकता है और जा सकता है, किसी को सूचना मिलती नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद वहां पर सी. आर. पी. गई लेकिन उसका आसाम की सरकार स्वयं विरोध कर रही है कि सी. आर. पी. को हटाया जाये क्योंकि वह जानते हैं कि यदि सी. आर. पी. वहां पर रही तो वहां पर लूट नहीं कर सकते, लोगों की दुकानें नहीं जला सकते। आज यदि यह बात है तो राजस्थान की सरकार को मांग करनी चाहिए और राजस्थान की सरकार को भारत सरकार से कहना चाहिए कि जब 26 जनवरी को वहां की पुलिस इन डाकुओं के साथ और लूट करने वालों के साथ और अराजकीय तत्वों के साथ रहती है तो हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार को कहना चाहिए कि सी. आर. पी. वहां पर अवश्य रहे। हमने सीमा के ऊपर कई स्थानों के ऊपर. आर. ए. सी. की पुलिस भेजी है तो क्यों नहीं हम राजस्थानियों की सुरक्षा के लिए उनको वहां पर पोस्ट करें, ताकि राजस्थान के लोगों के मन में यह रहे कि हमारी भी सुरक्षा के लिए यहां पर पुलिस है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को पता है कि तेजपुर में जिस तरह की घटनायें हुई वहां पर कल्याणसिंह नाम के ब्रिगेडियर थे उनके पास जब लोग गये तो उन्होंने कहा कि मैं तेजपुर में एक दुकान नहीं लूटने दूंगा और वह ब्रिगेडियर वहीं तेजपुर में रहा जिसके कारण राजस्थानी वहीं के वहीं डटे रहे। अगर इसी प्रकार की व्यवस्था हो तो हम वहां पर शांति कायम रख सकते हैं और अगर नहीं हुई तो राजस्थान की सरकार के सामने बहुत बडा संकट आने वाला है। इसलिए मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं, वैसे मुख्य मंत्रीजी वहां पर होकर आये हैं, और भी मंत्री गये और हमारी तरफ से भी श्री कृष्णकुमार गोयल और श्री जगदीशप्रसादजी गये और उन्होंने वहां जाकर सारी स्थिति का अध्ययन किया। वहां ऐसा लगा कि मुख्य मंत्रीजी के जाने को वहां पर पसन्द नहीं किया गया। इस चीज को एक्सप्लाइट किया है और पब्लिक मीटिंग होने में संकोच होने लगा और वहां पब्लिक मीटिंग नहीं की, ऐसी स्थिति पैदा हुई। जब इनके जाने को पसन्द नहीं किया गया तो आखिर यह कब तक 5 लाख रुपये की रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट स्वीकार करेंगे और कब तक पंजाब नेशनल बैंक से उनको रुपया दिलाते रहेंगे? यह तो परमानेन्ट ट्रबल हो गयी। इसके ऊपर विचार करने हेतु मुख्य मंत्रीजी यह कहकर चलें कि आसाम हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अन्तर्गत एक कमीशन नियुक्त किया गया है और वह जांच करेगा। कमीशन तो पहले भी नियुक्त हुए हैं। कमीशन नियुक्त करके बंगाल के लोगों को तबाह किया गया। यदि कमीशन कायम हो गया तो कोई काम नहीं हुआ। यह कमीशन नियुक्त होता है तो हम यह कहने के लिए तैयार हैं कि इस कमीशन के कारण आसाम के अन्दर जो वास्तविक कार्यवाही होनी चाहिए थी वह रुक गयी। इस कमीशन के नाम पर साधारण नियुक्ति से जो कार्यवाही चल सकती थी उसको भी रोक दिया गया है। कमीशन किस बात की जांच करेगा वह इस बात की जांच करेगा कि उपद्रव क्यों हुए? ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार की ओर से एक डेलीगेशन यहां से

Page No. 58

(श्री भैरोंसिंह)

हम भेजें। वह डेलीगेशन न केवल मारवाड़ियों से बात करेगा, न केवल गुजरातियों से बात करेगा, जिनको कि गैर-आसामी मानते हैं न केवल उन से बात करेगा, बल्कि आसाम के लोगों से भी बात करेगा। जब इसका प्रमाण हो कि आसाम के अधिकांश लोग इस भावना से नहीं चलते, आसाम के लोग योग्य हैं, ईमानदार हैं और शांति को पसन्द करते हैं और अराष्ट्रीय तत्वों को उखाड फेंकने की हिम्मत नहीं है और सारी घटनाओं को सहन करते जा रहे हैं और यदि उन लोगों का समर्थन किया जाये और वहां पर पब्लिक मीटिंग की जाये, जो लाचित सेना के नाम से चीनी एजेन्ट और पाकिस्तानी एजेन्ट कार्य कर रहे हैं और वहां से लोगों को निकाले जाने की कार्यवाही कर रहे हैं उनका डटकर मकाबिला किया जाये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यही आसाम के लोग जो कि पंजाबी राजस्थानी और गुजराती बैठे हुए हैं फिर उसी भेदभाव को मिटाकर आसाम में रहेंगे।

लेकिन उनसे कान्ट्रेक्ट कोई नहीं करेगा। आज उन लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मुझे बताया गया है कि जिस समय ब्रह्मपुत्रा नदी पर रिक्शा चालकों के रिक्शे जलाये गये और गरीबों की झोंपडियां जलाई गईं तो आसाम में भी कई लोग ऐसे थे जैसा कि मैंने सुना है कि उन्होंने उनको मार मार कर कचूमर निकाल दिया। उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए और उन लोगों से बात करने के लिए डेपुटेशन भेजे जायं। मैं कोई प्रदर्शन के प्रश्न की बात नहीं करता हूं। मैं केवल इस बात को कहना चाहता हूं कि आसामी मारवाडियों के बारे में घृणा का भाव न रखें। उनमें घृणा का भाव क्यों है और उसको किस तरह से मिटाया जा सकता है, किस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे आपस में मिलकर आसाम को सुरक्षित रख सकें और आसाम में शान्ति बनाये रखें। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को सतर्क होना चाहिए और सतर्क होकर केन्द्रीय सरकार को कहना चाहिए कि एक नोटिस 26 जनवरी का मिला लूटने और जलाने का लाचित सेना के नाम से और अब उनको पर्चे मिले हैं 30 जून के। 30 जून के पर्चों में साफ कहा गया है कि अभी तक तो उनका माल ही लूटा गया है और 30 जून तक अगर वे आसाम को खाली करके नहीं गये तो उनका सिर उडा दिया जायगा। यह पर्चा है। उपाध्यक्ष महोदय एक पर्चा मेरे पास है। इसके ऊपर टिकट तो है पाकिस्तान का और इसमें लिखा है

"To,

M/s Garden Stores Co., Jorhat.
Hereby to inform you that all of you quit Assam because Assam is for only Assamese people.

Yours,
Lachit Sena."

अब इस प्रकार के पर्चे, पोस्ट कार्ड लोगों के पास आने लगे हैं। अब ये पर्चे आ गये तो जो रिहेबिलिटेशन की समस्या का समाधान करने के लिए पांच लाख रुपये आप दे रहे हैं, और आप गये और हमारे भी लोग गये तो लोगों को तसल्ली हुई कि राजस्थान सरकार को हमारे लिए कुछ चिन्ता है, लेकिन चिन्ता की ही बात नहीं है उनको आश्वासन भी दें कि भविष्य में यह कार्यवाही नहीं होगी। हवाई जहाज पर से पर्चे गिराये गये, दरवाजे पर पोस्टर लगाते हैं, लोगों के पास इस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार से पोस्ट कार्ड, लिफाफे आते हैं तो कौन विश्वास करे कि 30 जून को वे मारे नहीं जायेंगे, 30 जून को हम सुरक्षित रह सकेंगे, तो आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि 26 जनवरी की घटनाओं पर पश्चाताप करके संतोष कर लें, आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार को स्पष्ट शब्दों में कह दें कि राजस्थान के लोगों के साथ और पंजाब के लोगों के साथ में आसाम के अन्दर इस प्रकार की दुर्घटना हुई तो राजस्थान की जनता उसको सहन करने वाली नहीं है। आज राजस्थान की जनता हिन्दुस्तान की सेवा में सेना के रूप में है जिसको कि आप कैनन फोडर कहें या कुछ कहें, राजस्थान के लोग हिन्दुस्तान की सेना में मोर्चों पर लगे हुए हैं, उन हिन्दुस्तान की सेना के सिपाहियों को पता लगता है जो नागा हिल्स में आसाम की रक्षा के लिए लड रहा है, जो मीजो विद्रोहियों को मारकर आसाम की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है, उनको यह पता लगता है कि हमारे लोगों के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या होगा। इसलिए सरकार को कडे शब्दों में भारत सरकार को चेतावनी देनी चाहिए और आसाम की सरकार को चेतावनी देनी चाहिए, कडे शब्दों में ही नहीं, बल्कि कडी कार्यवाही के लिए डेलिगेशन जाकर आसामी बन्धुओं से मिलकर उनके मतभेदों को दूर करना चाहिए। हम मिशिनरी के रूप में काम करना चाहते हैं। न तो हम कोई गवर्नमेन्ट का सपोर्ट चाहते हैं और न गवर्नमेन्ट से फाइनेन्स चाहते हैं, हम तो केवल एक गवर्नमेन्ट की मोहर साथ में चाहते हैं कि राजस्थान की जनता ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है आसाम के लोगों से बातचीत करने के लिए और उनके भेद-भाव मिटाने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति हम केवल 5 लाख रुपये देकर अपने आपको बडा समझें तो इसकी आवश्यकता इस सम्बन्ध में नहीं रहेगी। आपने आसाम के लोगों के लिए 5 लाख रुपये दिये उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन 5 लाख रुपये देने की जो प्रतिक्रिया वहां हुई वह कोई प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है। आपने रुपये दिये उसको मैं कन्डेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने जो रुपये दिये हैं उनका ठीक प्रकार से उपयोग भी होगा कि नहीं ? आज से लेकर 30 जून तक अपने डेपुटेशन्स वहां भेजते रहें, और लोगों को लगातार इसकी सूचना मिलती रहे, और लगातार भारत सरकार पर कार्यवाही करने के लिए दबाव डाले जाय और आसाम की जनता को बताएं कि आसाम में इस प्रकार का विद्रोह पैदा हो गया है उसको खत्म करेंगे। यह कार्यवाही अगर हम करते रहे तो निश्चित रूप से आसाम की सेवा होगी और भारत की सेवा होगी और आसाम में जो लोग बैठे हुए हैं वे सुरक्षित रह पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : आसाम में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आगे सम्भावना इस देश में . .

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री रामकिशन : इन सब के बारे में इस सदन को चिन्ता होना स्वाभाविक है। और यह दुर्घटना आसाम के साथ नहीं है, बंगाल के साथ नहीं है जैसा कि भैरोंसिंहजी ने कहा है, बल्कि आज से कुछ दिन पहले राजस्थानियों

(श्री रामकिशन)

के साथ यह सब कुछ हुआ था जो कि गोहाटी में हुआ था और उसके लिए आसाम सरकार ने एक कमीशन भी बिठाया था, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट उस घटना को हुए 3 साल के आसपास हो गये हैं, वह खाद्यान्न के नाम से पैदा हुई थी जिसमें राजस्थानियों को लूटा गया था, उस लूट के ऊपर जो कमीशन बैठाया गया तो उसकी रिपोर्ट आज तक आसाम सरकार ने प्रकाशित नहीं की है। मैं नहीं कहता कि आसाम सरकार इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं करेगी, लेकिन सारे राजस्थान ने और सारे देश ने आसाम की घटनाओं के सम्बन्ध में जो चिन्ता व्यक्त की है उसके सम्बन्ध में गहराई में जाना होगा। अगर यह लडाई आसाम के शोषक वर्ग-चाहे वह राजस्थानी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो, होती तो समझ में आ सकती थी कि यह लडाई शोषक वर्ग के खिलाफ है लेकिन उसकी दिशा गलत है कि उन्होंने लूटा है, मारा है और दूसरे तरीके अपनाये हैं। लेकिन जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि रिक्शा-चालकों को, साधारण कुलियों और मजदूरों को, चाहे वे बिहारी हों उनको लूटा है और मारा गया है तो एक नतीजा निकलता है कि यह लडाई शोषण के खिलाफ लडाई नहीं है, यह केवल प्रादेशिक भावना के साथ लडाई लडी जा रही है। इस सारी स्थिति में चिन्ता होना स्वभाविक है।

लेकिन आखिर इसके कारण क्या हैं? कौन से ऐसे कारण हैं कि जिसके कारण मैं समझता हूं कि राजस्थानी आसाम वालों को गालियां देते हैं और बंगालियों को बुरा-भला कहते हैं? इसकी जड में हमें जाना होगा। सरकारी पक्ष और दूसरी तरह की पार्टियां यह कह देती हैं कि यह सब कुछ पाकिस्तानी तत्वों द्वारा हो रहा है या चीनी तत्वों द्वारा हो रहा है। चीन समर्थक लोग या पाकिस्तान समर्थक लोग यह कर रहे हैं, यह बात सही है, लेकिन यह बात भी सही है कि चीन और पाकिस्तान समर्थक लोगों की इस प्रकार की घटनाएं सारे मुल्क में बराबर बढ़ रही हैं तो यह बढ़ती क्यों जा रही हैं? क्या कारण हैं? एक ऐसे मुल्क को जहां राष्ट्रीयता को पैदा नहीं किया जाता है और बाहर के आक्रमणकारियों को निकालने के लिए वहां के सभी लोगों को सहयोग मिलता है तो वह अपने इरादों में कभी सफल नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर वियतनाम से यह स्थिति साफ हो गई है कि अगर सारी जनता का वहां पर सहयोग नहीं मिलता तो एक शक्तिशाली अमेरिका की फौज पर वे सफल नहीं हो पाते। लेकिन कौन सा कारण है जिसकी वजह से सारे आसाम में मुगालते से इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है? मैं दो-तीन घटनाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां का प्रशासन, खास तौर से आसाम का प्रशासन जो कि 20 साल से कांग्रेस का प्रशासन रहा है उसकी इसमें बहुत बडी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी उसकी है। ऐसा नहीं है कि दूसरे तत्व वहां पर नहीं हैं। दूसरे तत्व भी हैं, लेकिन बहुत बडी जिम्मेदारी प्रशासन की है उसने इस प्रकार से आसाम को अलग रखा है। ये विचार उन लोगों के पैदा किये हुए हैं जो कांग्रेस के अन्तर्गत हैं, जैसा कि त्रिपाठीजी के खिलाफ आन्दोलन हो रहा है। मैं कई बार वहां आता जाता रहता हूं और मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस पक्ष का एक गुट बाकायदा इस बात का प्रचार कर रहा है कि आसामियों

(श्री रामकिशन)

के ऊपर गैर-आसामी राज्य नहीं करेगा । इस प्रकार का प्रचार कांग्रेस की मीटिंगों में मैंने देखा है और सुना है । सारा दोष उनके ऊपर डाल दें और अपन उस जिम्मेदारी से अलग हो जायं यह ठीक नहीं । हमारी घृणा के बीज का फल सारा देश ले रहा है ।

दूसरा कारण, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बडा है और जो जानकारी मुझे मिली है, उसके अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, आसाम में ऐसी दुर्घटना कोई नई बात तो नहीं है । आसाम का एक हिस्सा नागालैण्ड है, एक मीजो हिल्स के नाम से बनाना चाहते हैं, एक हिस्सा मणिपुर के नाम से बनाया हुआ है और हिन्दुस्तान की सरकार ने नागालैण्ड में हिन्दुस्तानियों के जाने आने पर पाबन्दी लगा दी थी वह इस दृष्टि से लगादी, कि लोग वहां जाकर उनका शोषण करेंगे तो समझ में आ सकती थी । आज से 10-15 साल पहले नागालैण्ड में हिन्दुस्तानी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था कि हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान के एक हिस्से नागालैण्ड में नहीं जा सकता, सरकार का आचरण देखिये, उनका कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उससे देश और आसाम के लोगों पर क्या असर पडा था । वे समझते थे कि वे कोई अलग लोग हैं नागाओं ने कहना शुरू किया है कि उनकी नेशनेलिटी अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी अलग सभ्यता है । इतना ही नहीं उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को नागालैण्ड में लगाने की इजाजत नहीं दी थी । यह सारी जानकारी इस सदन को इसलिए दे रहा हूं कि आपको मालूम हो जाय कि इसकी जड में क्या है और उसके कारण क्या थे ? पादरी स्काट वहां पर जब तक रहा तब तक इस तरह की हालत थी कि महात्मा गांधी की तस्वीर होटलों और सार्वजनिक वाचनालयों में नहीं लगा सकते थे। हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार के कहने पर आसाम सरकार ने इस प्रकार के आदेश प्रसारित किये थे । उस समय ये घटनाएं और इनके कारण बहुत छोटे जंचते थे । नागालैण्ड में हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति वहां पर जमीन नहीं खरीद सकेगा, व्यापार नहीं कर सकेगा और नागालैण्ड की संस्कृति पर असर नहीं डाल पायेगा । उसका आज परिणाम यह हो रहा है। वहां पर गांधीजी की तस्वीर तक नहीं लगाने दी थी । मणिपुर, मिजो हिल्स आदि पर इसके विपरीत असर हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि सारे क्षेत्र में वहां पर जो आदिवासी लोग हैं उनके दिमाग में यह बैठ गया कि मैदान और तराई के लोग चाहे वे आसामी हों, बंगाली हों या राजस्थानी हों उनकी सभ्यता अलग है और ये लोग उनके शोषक बन कर गये हैं इसलिये इनको अलग करना चाहिये । यह गहरी जड है इसको अगर दूर नहीं करेंगे तो और भी नुकसान होने की संभावना है । चाहे मद्रास हो, तामिलनाड हो, चाहे बंगाल हो, राष्ट्रीयता की जडें मजबूत होने के स्थान पर झकझोरी जा रही है । इसके साथ साथ आपके आपसी राजनैतिक द्वेष ने आग में घी का काम किया है । मुख्य मंत्रीजी ने जो 5 लाख रुपयों की मदद दी है, उसकी तो मैं सराहना करता हूं इसलिये नहीं कि राजस्थानियों की मदद की है बल्कि इसलिये कि मुसीबत के समय उन लोगों की मदद की है । आप शायद कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं, आप एक बात की और कोशिश कीजिये जहां जहां पर विवाद के मामले खडे हुए हैं मद्रास में राजस्थानी हैं, केरल में हैं, केरल विधान सभा में तो एक राजस्थानी सदस्य भी

(श्री रामकिशन)

है, जहां जहां भी राजस्थानी हैं आसाम में, बंगाल, में मद्रास में, केरल में, राजस्थानियों के साथ साथ दूसरे स्थानों के लोग भी हैं लेकिन वहां के लोग उनका इसलिये विरोध करें कि वे बाहर के हैं इस तरह के विवाद की जहां भी सूचना मिले वहां पर उतनी ही कड़ाई से इस बात को दबाने की कोशिश करनी चाहिये ।

दूसरी चीज जो भैरोंसिहजी ने बताया उसी तरह की मेरे पास भी चिट्ठी आई है थोलक गोगई से उन्होंने लिखा है कि 8 से 13 तारीख तक राजस्थान विधान सभा के कुछ सदस्य जो मणिपुर और आसामी को समझते हों उनको लेकर यहां आवें तो जो नुक्सान हुआ है वह तो बतायेंगे ही, उसके साथ साथ इस बात की भी जानकारी देंगे कि राजस्थानियों के प्रति यहां कोई दुर्भावना नहीं है बल्कि इसके कारण राजनैतिक हैं । उन्होंने मांग की है कि आप लोग आवें । खैर यह तो अलग स्थिति हुई, लेकिन मैं यह मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले, जैसा कि एक अखबार में आया है मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि दो ढाई करोड का नुक्सान हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि 8 करोड का नुक्सान हुआ है, लेकिन अखबारों में यह भी आया है कि हिन्दुस्तान सरकार ने आसाम सरकार को मना कर दिया है कि वह कोई फाइनेन्शियल सहायता नहीं देगी । उस पर दबाव डालना चाहिये । हिन्दुस्तान के विकास क्रम में आसाम को आगे नहीं बढाया, योजना और आर्थिक सहायता देने में आसाम का इतना कम ध्यान रखा इसी कारण से वहां के लोग नाराज हो रहे हैं । राजस्थान में योजना में जो कुछ हुआ उसका भी मुकाबला आसाम नहीं कर सकता । आसाम में जो उपद्रव हुए उनका कारण कुछ भी रहा है लेकिन एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों में भुखमरी रही और उसका फायदा अराष्ट्रीय तत्वों ने उठाकर यह वातावरण पैदा कर दिया कि यह भुखमरी राजस्थानी व्यापारियों के कारण हुई । मैं मुख्य मंत्रीजी को डेलीगेशन की बात नहीं कहूंगा लेकिन प्लानिंग कमीशन और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से यह कहूंगा कि आसाम सीमान्त राज्य है वहां के लोग गरीब हैं इस कारण चीन और पाकिस्तान का उन पर असर हो रहा है । वे लोग वहां के नागरिकों की आर्थिक हालत सुधार कर विपरीत असर डालने की चेष्टा करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में तो पाकिस्तान के समर्थक और चीन के समर्थक पैदा हो गये, यह देख कर मुझे हंसी आती है । इसलिये हंसी आती है कि हिन्दुस्तान के समर्थक किसी भी मुल्क में क्यों नहीं पैदा हुए ? हमारे मुल्क के लोगों में भी ज्ञान है, शक्ति है, बुद्धि है, श्रम है, फिर हमारे समर्थक दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं पैदा हुए ? 20 साल पहले जो देश गांधीजी का नाम लेते थे वे भी कम होते जा रहे हैं । मैं हिन्दुस्तान सरकार और कांग्रेस सरकार से, जो अब उखड़ती जा रही है, पूछना चाहता हूं कि हमारे समर्थक क्यों कम पड़ते जा रहे हैं ? मैं फौज की ताकत की बात नहीं कहता कि फौज के बल पर समर्थक पैदा करें, लेकिन हमारी विचार धारा कंगाल क्यों होती जा रही है ? इसमें कमी क्यों आ रही है ? आज सभी मुल्क यह कहने की कोशिश करते हैं कि हिन्दुस्तान की न कोई विचारधारा है और न कोई उसका आचरण है और न संस्कृति है । आज यह धारणा सब

(श्री रामकिशन)

जगह फैल रही है। आज हमारे यहां जैसलमेर, बाडमेर में पाक समर्थक पैदा हो जायं, आसाम, बंगाल में पाक और चीन के समर्थक पैदा हो जायं· ·

श्री उपाध्यक्ष : आप समय का ध्यान रखिये।

श्री रामकिशन : यह प्रश्न मौलिक है इसलिये थोडी इधर उधर की बात कहनी पडती है। देश की हालत बहुत नाजुक हो रही है, देश छिन्न-भिन्न होने जा रहा है और आज हिन्दुस्तान की सरकार का बाहर कोई समर्थक नहीं है।

दूसरा निवेदन मैं यह कर रहा था कि केन्द्रीय सरकार ने ऐलान किया है कि हम आसाम सरकार की कोई सहायता नहीं करेंगे। आसाम सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिये आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें कि वह पुनर्वास में सहायत करे। कुली, कबाडी, उद्योगपति नष्ट हुए उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति है। हम पूंजीपतियों के इतने समर्थक नहीं हैं लेकिन कोई पूंजीपति लूट लिया जाय इसका भी मैं विरोधी हूं। छोटे वर्ग के लोगों को भी काफी नुक्सान हुआ है। आपके 5 लाख और आसाम सरकार के 10 लाख रुपयों से इतना बडा पुनर्वास का काम नहीं होगा। इसलिये आप भारत सरकार पर प्रभाव डालें क्योंकि आप जो प्रभाव डालेंगे वह क्षेत्रीयता नहीं है इसलिये हिन्दुस्तान सरकार को जोरदार शब्दों में कहना चाहिये कि उन लोगों को दुबारा बसाने के बारे में सहायता देने के लिये दुबारा विचार करें। योजना कमीशन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये वरना काफी असंतोष बढ़ेगा।

मैंने खुद आसाम देखा है, तेजपुर आदि देखे हैं, वहां के लोगों की हालत देखी है, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में असर डालने की कोशिश करें। राजस्थान के मारवाडी जिन पर आपका प्रभाव है उनके बारे में यह ठीक है कि वे आसामी सभ्यता के साथ घुल मिल गये हैं लेकिन उनको भी अपने उद्योगों के मैनेजमेन्ट में आसामियों को हिस्सा देना चाहिये। जरूरत इस बात की है कि रोटी का रिश्ता तो कायम हुआ है लेकिन बेटी का रिश्ता भी कायम होना चाहिये। राजस्थानियों को चाहिये कि आसामियों को भी वे मैनेजमेन्ट में हिस्सा दें· · · ·

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह इनका इल्जाम है। आसामियों को उद्योगों में बराबर हिस्सा दिया है इस पर भी वे लोग आतंकित कर रहे हैं यही तो मेरा चार्ज है।

श्री रामकिशन : यह सही है। थोलक गोगई से मेरे पास जिस व्यक्ति की चिट्ठी आई है वह अच्छा कार्यकर्त्ता है, गोहाटी कालेज का प्रिन्सिपल है, साधारण आदमी नहीं है, यदि यह गलत है तो कोई बात नहीं और यदि सही है तो आप कोशिश करें। मेरा मतलब यह है कि मैनेजमेन्ट में आसामियों को हिस्सा देना चाहिये और इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि आसाम के अलावा बंगाल, मद्रास आदि स्थानों पर भी इसी तरह मिलजुल कर रहना चाहिये। जब तक इस तरह नहीं करेंगे तब तक फायदा

Page No. 64

(श्री रामकिशन)

नहीं होगा। मैंने जो दो तीन बातें रखी हैं उनको ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार पर प्रभाव डाल कर दिक्कत दूर करने की चेष्टा करें।

श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो एक सुझाव देने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर ज्यादा लम्बी चौडी बहस की आवश्यकता नहीं है। काफी चर्चा हो चुकी हैं।

श्री मदन सिंह दांता : मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोलना चाहता। मुझे व्यक्तिगत रूप से दो चार चीजें निवेदन करनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आसाम के सिलसिले में लम्बी चर्चा नहीं होगी। मुख्य मंत्रीजी उत्तर दें।

श्री गोरधन सोनी (मेडता) : उपाध्यक्ष महोदय स्वतंत्र पार्टी की तरफ से दो चार मिनिट मैं बोलना चाहता हूं।

श्री मदन सिंह दांता: लम्बी चर्चा यहां नहीं होगी तो बाहर होगी ?

श्री गोरधन सोनी : यह एक बहुत बडी दुर्घटना है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये काफी समय दे दिया गया है। काफी विस्तार से श्री भैरोंसिंह और श्री रामकिशन ने अपनी बात कहदी है।

श्री मदन सिंह दांता : इन बातों में कुछ नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं यहां था, इसलिए दो मिनिट में मैं घटना के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत थोडे में कहेंगे।

श्री मदन सिंह दांता : असल में बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, अभी सुझाव आये और जो भी सुझाव आये थे, हम जानते हैं कि मुख्य मंत्रीजी भारत सरकार को कितना कह सकते हैं क्योंकि यह एक ही पार्टी के हैं। हम यह भी जानते हैं कि यह कितना विशेष जोर दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जब कि सदन के बीच में ऐसा समय आया है तो इस सदन के समस्त सदस्यों को इस चीज पर विचार करना है। मुझे मालूम है राजस्थान में आज तक प्रान्तीयता की भावना नहीं आई है लेकिन जो घटना आसाम में हुई, यह केवल आसाम की ही घटना का सवाल नहीं है। इससे पहले ऐलान हुआ और मद्रास में ऐसी ही घटना हुई। बंगाल में भी इस प्रकार से पत्रों में आया कि मारवाडियो बंगाल छोड दो। तो यह स्थिति आज से नहीं कई वर्षों से वहां पर है। लेकिन बंगाल के शासक अच्छे थे, इस वजह से ऐसी घटना को रोक दिया गया। ऐसी ही घटना वहां भी हो रही थी। तो केवल आसाम में ही ऐसी घटना नहीं हुई है बल्कि मद्रास, बंगाल और दूसरे प्रान्तों में ऐसी घटनायें हो रही हैं और उनके बारे में तार और चिट्ठी आई हैं और मारवाडियों के खिलाफ आवाज उठी है। मैं यह अर्ज करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी कितनी सख्ती से इन्दिराजी को कह सकते हैं यह हम जानते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी कांग्रेस के मुख्य मंत्री रहे वह कितनी सख्ती से कह सके हैं, यह हम जानते हैं, उनकी भी एक सीमा रहती है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने आज पूरे भारतवर्श में, मैं समझता

(श्री मदनसिंह)

हूं, जितना त्याग किया है, वह किसी से छाना नहीं है। फिर भी राजस्थानियों के प्रति ऐसी भावना है तो मैं कहता हूं कि जनता की तरफ से ऐसे संगठन होने चाहिए और नेताओं की तरफ से ऐसे संगठन होने चाहिए। मैं तो मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जिस वक्त में राजाओं का राज्य या उस वक्त, मैं आसाम की दुर्घटना की बात नहीं कहता, यदि कोई एक दरख्त भी कटता या सीमा पर कोई दुर्व्यवहार हो जाता तो उसके लिए फौज कट जाती। मैं जानता हूं कि आज वैसा नहीं कर सकते लेकिन कम से कम ऐसी दुर्घटनायें होंगी और ऐसी हालत रहेगी तो हमें सोचना पड़ेगा, राजस्थान को सोचना पड़ेगा कि राजस्थान एक अलग प्रान्त हो⋯

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बकवास। हम बकवास नहीं सुनना चाहते हैं हम हिन्दुस्तान के हिस्से हैं। और कोई भी ऐसी बात कहता है कि हम अलग हैं तो अराष्ट्रीय बात है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता: मैं बता दूं⋯

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप यह कहते हैं कि हम मांग करें कि राजस्थान अलग हिस्सा है।

श्री मदनसिंह दांता : नहीं, नहीं। आप समझे नहीं। यह नहीं है। यह आपके ही लोग हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि ऐसे अर्ज करने का सरकार के ऊपर असर नहीं होने वाला है। ऐसे डेपुटेशन तो वहां भी गये हैं, ऐसे और भी कई लोग अर्ज करते रहे हैं⋯

श्री रामानन्द अग्रवाल : और क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मदनसिंह दांता: यह चीज तब तक नहीं होगी जब तक राजस्थान के लोगों के अन्दर ऐसी भावना नहीं होगी। ऐसी भावना बंगाल में थी। ऐसी हरकत पंजाब में हुई। ऐसी घटना बिहार में हुई। आपके कहने से क्या होगा। यह हमें सोचना पड़ेगा कि राजस्थान को⋯

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम नहीं करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : किस सीमा पर जाना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते हैं तो हम बीडा उठा कर करेंगे और राजस्थानियों के बिजनेस, उनकी जान-माल और उनको लूट-खसोट से बचाने का और कोई उपाय नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि मुख्य मंत्री जी को आप कहें और मैं कह दूं कि भारत सरकार पर जरा जोरदार दबाव डालें तो उससे कुछ नहीं बनेगा। आज विधान सभा के सदस्य गांव गांव में इस बात का प्रचार करें और गांव गांव में मीटिंग करके सरकार के ऊपर यह दबाव डालें कि इस तरह की बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आप तो वैसे ही अलग हो गये हैं, आपको पंजाब मानता नहीं है, बंगाल मानता नहीं है⋯

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आसाम मानता नहीं है, मद्रास मानता नहीं है। केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप हैं, जहां से भी अलग हो रहे हैं⋯

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप विषय से अलग हो रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : बिल्कुल अलग हो रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका समाधान केवल डेपूटेशन जाने से नहीं होगा। बल्कि राजस्थान की विधान सभा को यह प्रस्ताव पारित करना चाहिये कि जितना कुछ हुआ है यह राजस्थानियों के साथ अन्याय हुआ है और आयन्दा ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त होनी है। मुख्य मंत्री जी।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय लग गया है, आगे अवसर आयेंगे।

श्री गोरधन सोनी : यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री जयनारायण खाजोदिया (निवाई) : पांच मिनिट बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने और भी महत्वपूर्ण विषय हैं।

श्री दौलतराम शरण (डूंगरगढ़) : सदन के सामने जो समस्या आती है तो सदन को उस समस्या पर गम्भीरता के साथ विचार करने का मौका मिलना चाहिए। इस प्रश्न पर दो चार सदस्य और बोलना चाहें तो कोई हानि नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मुख्य मंत्री जी। बोलने के और अवसर आयेंगे, उस अवसर पर आप कह सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी वाद-विवाद हुआ इस सम्बन्ध में मैं यह निश्चित् रूप से मानने वाले व्यक्तियों में से हूं कि भारत की एकता और स्वतन्त्रता के लिहाज से किसी भी प्रदेश में किसी भी प्रदेश के रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई द्वेष या घृणा की भावना फैलाई जाय और वहां पर उसको लेकर किसी प्रकार का उत्पात हो तो वह सारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं इस बात को भी निश्चित् तौर से मानता हूं कि देश में कहीं भी इस प्रकार से आपस में झगडा पैदा कराने वाली बात हो तो वहां की सरकार को उसे मजबूती के साथ रोकना चाहिए और आसाम की गवर्नमेंन्ट से भी मैं यह उम्मीद करके चलता हूं कि वह इस प्रकार की घटनायें नहीं होने देगी। सब प्रान्त भारतवर्ष के अन्दर हैं, ऐसी स्थिति में भारतवर्ष का रहने वाला व्यक्ति रिफ्यूजी बन कर दूसरी जगह जाय-इस चीज की कल्पना भी हम कभी करके नहीं चल सकते और उसके लिए जैसा यहां भी कहा गया, मैं भी इस बात को मानने वाले व्यक्तियों में से हूं। अगर कोई समझता है कि कोई शोषक है तो सबके लिए कानून बना दें। उसके लिए राजस्थान सरकार कभी भी विरोध करने वाली नहीं है, अगर उसके लिए इस प्रकार का कानून बनाया जाता है। लेकिन जो कानून उस प्रदेश के रहने वालों के लिए लागू होता है तो उस कानून से राजस्थान के नागरिक को, जो कहीं का भी रहने वाला है, अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए आसाम और दूसरी जगह इस बात को स्पष्ट रूप से समझ कर चलना होगा कि

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

जो भी राजस्थान के लोग गये हैं वह आज के दिन नहीं गये हैं, बल्कि कईयों को गये हुए सैकडों वर्ष हो गये, पचास साल हो गये, सौ साल हो गये। जब अंग्रेजों का राज्य था उस जमाने से जाकर वह लोग वहां बसे हैं। जब अंग्रेजों के जमाने में जाकर वह वहां बस सकते थे तो स्वतन्त्र भारत के अन्दर उनको वहां रहने का अधिकार उससे कहीं ज्यादा प्राप्त हो जाता है। वह वहां की भाषा बोलते हैं, वह वहां के लोगों में घुल मिल गये हैं। मैं आज से सात आठ वर्ष पहले आसाम गया था तो उनमें बहुत अच्छे सम्बन्ध थे। दुर्भाग्य से कुछ व्यक्ति इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि उन सम्बन्धों में कटुता आये। उस चीज को रोका जाना चाहिए। हम बाकायदा डेलीगेशन भेजें या न भेजें यह एक विचारणीय बात है लेकिन वहां के रहने वाले लोगों से हमें सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और आसाम के रहने वाले लोगों में हमें इस बात को स्पष्ट करके चलना है। मैं यह निवेदन करूं कि जो भी मुझ से मिले, उनसे जो भी मैंने जानकारी की उसके अनुसार मुझे बताया गया है कि आसाम के लोगों को भी, जो राजस्थान के लोग वहां काम कर रहे हैं, काफी मात्रा के अन्दर काम देते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों के लिए वहां के लोग तैयार नहीं होते तो बाहर के लोगों को भी रखना पडता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो राजस्थान में भी देखी जाय, तो मैं समझता हूं कि कई उद्योग जो राजस्थान में लगे हैं, उनमें नॉन-राजस्थानी राजस्थान में काम कर रहे हैं। हम आज यह कह कर नहीं चल सकते कि राजस्थान में कोई उद्योग लगे तो बाहर का कोई होना ही नहीं चाहिये राजस्थान में कापर स्मेल्टर जिंक स्मेल्टर है, कोटा में लगे उद्योगों में जायं, उनको भी छोड दीजिये, जयपुर में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के जो उद्योग हैं, उन पर जायें तो कहीं पर पंजाब के और कहीं कई और लोग काम करने वाले हैं, उनको उपयोगिता के लिहाज से काम पर लगा सकते हैं। प्रश्न इतना रहता है कि कोई आसामी है या कोई दूसरे प्रदेशों का रहने वाला है, उनका इस वजह से विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि उनको प्राथमिकता ही दी जानी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं और मैंने वहां पर लोगों से कहा भी है। जो मुझे बताया गया उस लिहाज से इस प्रकार की वास्तविक स्थिति आज के दिन नजर नहीं आती जिसके अन्दर इस प्रकार का कार्य करना हो। मैं समझता हूं कि यह आज एक राजनैतिक दृष्टि से बहुत से लोग इस नारे को उठा कर लाभ उठाना चाहते हैं-उस चीज को रोका जाना जरूरी है और बहुत मजबूती के साथ में रोका जाना जरूरी है क्योंकि मैं इस प्रश्न को केवल राजस्थानियों के खिलाफ वाला प्रश्न नहीं मानता। मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि यह एक शुरुआत है। जिस दृष्टि से नॉन-आसामीज और आसामीज की बात उठाई जा रही है, इसके साथ साथ लांचित सेना के जरिये जो मूल बात उठाई जा रही है, वह बात यह है कि आसाम स्वतंत्र प्रदेश हो और भारत का हिस्सा नहीं रहे। इसलिए इसके पीछे खतरनाक सारा ट्रेण्ड है, जिस ट्रेण्ड को मजबूती के साथ रोका जाना चाहिए। इसके दूरगामी जो परिणाम होने वाले हैं उन परिणामों को दृष्टि में रखते हुए हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा, उसकी वजह से ही यह सब कुछ हुआ हो, मैं

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

इस बात को मानने वालों में से नहीं हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि अन्डर करेन्ट शायद वहां इस बात का वर्क चल रहा है, उसकी गहराई में जाने की जरूरत है। यदि इस प्रश्न में उलझ कर रह जायेंगे तो वास्तविक स्थिति तक जाने में दिक्कत होगी, इसलिए उस तरफ देखा जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि ठीक है, राजस्थानी वहां की भाषा बोलते हैं, वहां वह घुलमिल गये हैं लेकिन आज राजस्थान में चाहे बंगाली समाज है, महाराष्ट्र का रहने वाला समाज है, केरल का रहने वाला समाज है, तामिलनाड का रहने वाला समाज है, सिन्धी समाज है- इन लोगों ने अपने अपने संगठन सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अगर बनाये हैं तो हम उसका विरोध करके नहीं चलते बल्कि हम यह समझते हैं कि इसमें भारत के बडप्पन, भारत की एकता, विभिन्नता में एकता के दर्शन करके हमें चलना होगा। इसलिए राजस्थान का रहने वाला वहां पर अपनी भाषा बोले, अपनी संस्कृति की दृष्टि से रहे तो वहां एतराज की बात नहीं हो सकती कि क्यों ऐसा करके चलता है क्योंकि भारत के स्वरूप और कल्पना के मूल में विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न अलग अलग रहन-सहन में हम एकता की बात करके चलना चाहते हैं।

आसाम गवर्नमेन्ट की वित्तीय स्थिति और उसको सहायता देने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने जो कुछ अभी कहा है उसके सम्बन्ध में मैं विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं भारत सरकार से इस बात पर जरूर जोर देना चाहूंगा कि भारत सरकार यह सोच सकती है कि अगर किसी स्टेट में कोई दंगा होता है, या हानि होती है तो स्टेट की जिम्मेदारी है, वहां उसके लिए कम्पेन्सेशन देने का सवाल है तो स्टेट खुद दे लेकिन वेज एण्ड मीन्स का सवाल है तो भारत सरकार को इस बारे में मदद करनी चाहिए जिससे कि जो लोग पीडित हैं उन लोगों को इस बारे में सहायता मिल सके और उनकी परेशानियां दूर हो सकें।

इस समय मैं और अधिक कहूं, वह उचित नहीं होगा। इतना मैं जरूर कन्वे करना चाहता हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर को नजदीक से समझने का मौका मुझे मिला है, और वहां के कुछ और मिनिस्टरों को भी मैं नजदीक से जानता हूं और जो कुछ उनसे मेरी बात हुई है उससे मुझे आभास हुआ है कि उनके दिलों में, जो कुछ वहां हुआ है, उससे पीडा है और वह स्थिति को सुधारना चाहते हैं और सब लोग मिलजुल कर रह सकें–इस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं। आज के दिन चीफ मिनिस्टर का या और मिनिस्टरों का इसके पीछे हाथ है–ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन यह बात जरूर है कि गोहाटी में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उस मौके पर उसे जो कुछ मजबूती के साथ कार्यवाही करनी चाहिए, उसमें उनकी तरफ से कमी रही है–इस बात को स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता। इतना कह कर मैं इस बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधार लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है और माननीय श्रम मंत्री जी का जवाब आज के लिए रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्रम मंत्री के खड़े होने पर) कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक स्थगन प्रस्ताव कच्छ के अवार्ड के बारे में और प्रस्तुत किया था।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर व्यवस्था हो गई है।

श्री रामकिशन (बैर) : व्यवस्था नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : व्यवस्था नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाद में है, मेरा स्थगन प्रस्ताव पहले है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद में आयेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पहले पूछ लूं, फिर झगड़ा पड़ेगा।

शराब की दोषपूर्ण बिक्री सम्बन्धी ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव व शासकीय वक्तव्य

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत शराब की बिक्री के दोषपूर्ण तरीके के सम्बन्धी मामले पर आबकारी मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस शासन होने में भी महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के पालन की बात कहते हुए बराबर यह आंदोलन राजस्थान में होता आया है कि शराब बन्दी को, नशाबन्दी को लागू किया जाये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : नशाबन्दी दूर नहीं की जाये। नशे को दूर किया जाये।

श्री विजयसिंह रावत : हां, नशे को दूर किया जाये। इस पर आगे चल कर सरकार क्या फैसला देगी, मैं अपने आप इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सरकारी प्रतिबन्ध के अन्दर जो शराब बेची जा रही है, इससे शराब को बहुत ही दोषपूर्ण रवैये से बेचा जा रहा है। इसका मैंने प्रेक्टिकल एक्सपीरियेंस किया है और मैंने देखा है जो शराब की सीलबन्द बोतल होती है, उसको खोलकर एक एक पाव के रूप में अलग अलग बेचा जाता है। एक बोतल में एक हजार मिलीलीटर शराब होती है। एक पाव में ढाई सौ मिलीलीटर शराब होनी है। अगर कोई लेना चाहता है तो पुरानी नाप का जो पाव होता है, उसको नाप कर दिया जाता है। इस प्रकार से मैंने राजस्थान भर के आंकड़े लगाये हैं। लेकिन हमने अजमेर में जो एक दूकान में जाकर देखा, जब हमको नागरिकों की ओर से काफी शिकायतें मिलीं तो जब हमने एक पाव मंगाई तो देखा कि 180 मिलीलीटर मिली। उनकी जो डेली बिक्री है, उसके आंकड़े लगाये तो उपाध्यक्ष महोदय, 16 सौ बोतल एक दिन में बिक्री होती हैं। इस प्रकार अगर 16 सौ बोतल से आप

(श्री विजयसिंह रावत)

ढाईसौ मिलीलीटर से गुणा करें तो 410 बोतल बचा लेते हैं। 410 बोतल बचाई जायें तो 410 बोतलों के 20 रुपये के हिसाब से लगावें क्योंकि 12 रुपये तो वैसे ही होते हैं। सरकार ने रेट फिक्स कर रखो हैं। और उस 12 रु. के बाद पौवा खुला देने पर चार रु. पौवे के लेते हैं और कमती देने पर साढ़े तीन रुपये वैसे ही निकल जाते हैं। इस प्रकार 20 रु0 पडते हैं। 410 को 20 से गुणा करें तो डेली के 8 हजार रुपये की रकम कम शराब देने पर कमाई जाती हैं। यह तो, अजमेर जिले की, अजमेर के बालूपुरे की दूकान की हालत है। जो सरकार यह कह रही है कि हम शराब पीने की प्रवृति को कम से कम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप को मैं विश्वास दिलाता हूं कि शाम के टाइम अगर आप जहां फैक्टरीज हैं, लेबर ऐरिया ज्यादा है वहां पर जाकर आप एक्सपीरियेन्स करेंगे कि वहां पर खुली शराब जो राजस्थान सरकार के कानून में नहीं है कि वह खुली बेचें। चाहे एक बोतल लो, पाव लो, चाहे आधा बोतल लो, लेकिन खुली बेची जाती है। खुली रखी जाती है। जब कभी पुलिस रोकथाम करती है लेकिन जब पुलिस की जेबें गरम हो जाती हैं तो वह भी चुप हो जाती है तब पुलिस यह कहती है कि यह एक्साइज का मामला है। एक्साइज के ऐसे आदेश हैं कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हमने इस मामले में एक्साइज वालों को बुलाया तो ढाई घण्टे के बाद तो दूकान पर आये। ढाई घण्टे के बाद उन बरतनों को लिया गया। ढाई बजे के बाद 5॥ बजे छापा मारा जब कि रात के 9॥ बजे आखिर कार्यवाही हुई। इसके साथ साथ मै यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी बन्द बोतलें होती हैं वह सीलबन्द होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, रेट फिक्स नहीं होती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके साथ छापा मारने के लिए कौन कौन साथ गये थे ?

श्री विजयसिंह रावत : शराब की सीलबन्द बोतल की सील किस तरह से निकालते हैं, और सील को तोड़े। इसका एक उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं। मेरे पास यह कार्क है, सीलबन्द बोतल के ऊपर जहां शराब बनती है, वहां से आता है, दुकानदार इस सील को बिना तोड़े ही निकाल देते हैं, यह देखिये कार्क कहीं से टुटा हुआ नहीं है। इस पर लिखा है ब्रेक हीयर लेकिन यह कहीं से टूटा हुआ नहीं है। मदिरा संघ वालों ने इसको बगैर तोड़े ही निकाल लेने का तरीका अपना रखा है। एक कील होती है जो इसके अन्दर फिट होती है, जैसे जैसे चैरी बूट पोलिश होती है, उस पर लिखा हुआ होता है "प्रेस हीयर" उसी तरह इस कील को दबा देते हैं तो सील बिना टूटे ही निकल जाती है। इन्जेक्शन से पहले शराब निकालते थे वह तो पहले आबकारी वालों के द्वारा पकड़ा गया अब इस तरह यह दूसरा तरीका निकाला है, उस कील को दबा देते हैं, इससे यह सील ज्यों की त्यों बाहर आ जायगी। मैं यह कार्क सदन की मेज पर रखता हूं यह जांच करने की बात है कि पानी मिला कर ठेकेदार लोग शराब बेचते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह ढक्कन सदन की मेज पर कैसे शामिल होगा, यह सदन की प्रोसीडिंग्स में कैसे शामिल किया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह बाद में मन्त्री महोदय को दे देना। यह सदन की मेज पर नहीं रखा जायगा।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इससे मंत्री महोदय को एक्सपीरियेन्स हो जायगा। जितनी कम शराब नाप करके बेची जाती है, उसका असेसमेंट करवाया जाय और जितने पैसे उन्होंने कम बेचने पर लिये हैं, इन्कम टैक्स कमिश्नर, राजस्थान को लिख कर उस सारी धनराशि पर इन्कम टैक्स कमिश्नर द्वारा इन्कम टैक्स लगाया जाकर इनसे वसूल किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार से चाहता हूं कि सरकार ने कानून बना रखा है कि शराब खुली नहीं बिकेगी, एडल्ट्रेशन नहीं होगा, कम नहीं बेची जायगी, इस कानून को भंग किया जाता है, इसके लिये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं आप ताज्जुब करेंगे, हमारे उप मंत्री महोदय, एक्साइज हैं, उन्होंने भी छापा मारा है और उन्होंने भी उतनी शराब पकड़ी है, जितनी मुझे मिली···

श्री उपाध्यक्ष : वे तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं।

श्री विजयसिंह रावत : वे तो उत्तर देने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षित हो गया।

श्री विजयसिंह रावत : मैं चाहूंगा कि जितनी बातें मैंने इस सम्बन्ध में उठाई हैं, उनकी पूरी तरह जांच करके कार्यवाही की जाय। पहली चीज तो यह चाहूँगा कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि इनकी पूरी तरह से जाच करायेंगे और जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

हमारे यहां अजमेर में चौकी चुंगी से चुंगी की चोरी करने के लिये ठेकेदारों ने एक नया तरीका निकाला है। नगरा की शराब की दुकान हैं वहां शराब लाई जाती है, नगरा की दुकान की खाजपुरा सब-शॉप बनाई है। एक साल में बिक्री 3 लाख से ज्यादा की होती है। यदि मंत्री महोदय जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि म्युनिसिपैलिटी की चुंगी चौकी से टैक्स देकर शराब नगरा में आनी चाहिये पर वह वहां से नहीं आती है, सीधी ब्यावर होकर गुजरात में बिकने जाती है। छूटी होकर खाजपुरा लाते हैं और ट्रक भरे जाते हैं। फिर कहते हैं कि शराब नहीं मिला, 36 हजार की गारन्टी है वहां 3 लाख का व्यापार सब-शॉप पर करना चाहें, म्युनिसिपैलिटी के टैक्स की चोरी करें, इसका एक उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं। पिछली साल 17 मार्च को एक ट्रक 800 गैलन शराब से भर कर गुजरात ले जाया जा रहा था, उस ट्रक को मांगलियावास पुलिस पोस्ट ने पकड़ा, 7 घंटे थाने पर रखा फिर रिपोर्ट दर्ज की गई, फिर वापिस ट्रक एस. डी. ओ., अजमेर के पास लाया गया, उस ट्रक को जमानत पर छुड़ा लिया···

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से दूर जा रहे हैं।

श्री विजयसिंह रावत : उस ट्रक को जमानत पर छुडा कर ले आये···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह विषय से दूर नहीं, विषय से ओतप्रोत है।

श्री विजयसिंह रावत : यह विषय से दूर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बिक्री के बारे में कहा है।

श्री विजयसिंह रावत : हमारे यहां तो पानी मिला शराब मिले और गुजरात में असली शराब मिले।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वे लोग ट्रक को छुडा कर ले आये प्रमाण मांगा गया तो 17 तारीख को तो ट्रक पकड़ा गया था और 20 तारीख का परमिट बनता है। 20 तारीख को परमिट बनता है तो फिर बैंक ड्राफ्ट कब बना, फिर मांगलियावास काहे को गये...

श्री उपाध्यक्ष : आपने इसकी पूर्व सूचना नहीं दी है इसलिये मन्त्री महोदय इसका जवाब नहीं दे सकेंगे।

श्री विजयसिंह रावत : इतना तो कह सकेंगे कि मैं जांच करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जितने फैक्टरी लेबर एरियाज हैं, वहां रात-दिन शराब के नाम से पानी बेचा जाता है, कानून के खिलाफ खुला शराब एक छटांक, दो छटांक बेचा जाता है यह दूसरी बात और सील बिना तोड़े निकाल लेते हैं, यह तीसरी बात और चौथी बात यह है कि कमती शराब नाप कर बेचते हैं, इनकी पूरी जांच करके कार्यवाही की जाय और कम नाप कर शराब बेचते हैं, इससे जितना काला बाजार से इन लोगों ने रुपया कमाया है उस पर इन्कम टैक्स इम्पोज किया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कॉल अटेन्शन नोटिस मूव करता हूं।

श्री शिवचरणसिंह (उप-मंत्री आबकारी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो काल अटेन्शन नोटिस दिया था उसके उत्तर में निवेदन है। इसमें पांच मुद्दे उठाये गये हैं। शराब कम नाप कर देते हैं, देशी शराब के लाइसेंस के द्वारा दूसरी शराब बेचते हैं, देशी शराब में मिलावट करते हैं और शराब कम रेट से उन्हें इश्यू होती है पर ज्यादा रेट पर बेचते हैं।

इस विषय में यह उत्तर है कि हमारे राजस्थान में शराब की सप्लाई है वह केन्द्र सरकार के अलॉटमेन्ट के आधार पर होती है। पिछली बार अलॉटमेन्ट हुआ उसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से स्पिरिट नहीं मिलने से 70 परसेंट सप्लाई हुई इसलिये हमारे यहां 30 परसेंट कमी रही, इस कारण दुकानों में कम सप्लाई की गई।

जो अधिक रेट का कहा इसके लिये मेरा निवेदन है कि गारन्टी सिस्टम में प्राइस कन्ट्रोल नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : सूचना के लिये कहूं कि मैंने रेट के लिये कहा ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि सीलबन्द बेचो, खुली मत बेचो, छटांक दो छटांक मत बेचो, पानी मिला कर मत बेचो।

श्री शिवचरणसिंह : उस सूरत में जब कि प्राइस कन्ट्रोल तो है नहीं, वहां प्राइस का जहां प्रश्न आता है दुकानदार अपनी मंशा माफिक कीमत लेते हैं।

(श्री शिवचरणसिंह)

रूल 15 (6) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि कोई गोदाम से निकली हुई शराब के अलावा नहीं बेच सकता, इसके विपरीत जो कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि माननीय सदस्य गये थे, उसी दिन आपकी रिपोर्ट के अनुसार हमने इस केस को उठवाया है और माननीय सदस्य ने जिसके खिलाफ कार्यवाही करवाई उस ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है इस प्रकार जब भी अन्य जगहों से शिकायतें आई हैं शार्ट सेल की या इलीसिट डिस्टीलेशन की तो नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। खाली अजमेर जिले के अन्दर पिछले वर्ष 54 कैसेज दर्ज हुए। यही नहीं राजस्थान के अन्दर शार्ट सेल के 3670 व इलीसिट डिस्टीलेशन के 8105 कैसेज दर्ज हुए हैं। उसके उपरांत भी माननीय सदस्य को यदि ठेकेदारों से शिकायत हो व्यक्तिगत रूप से या जनता के दृष्टिकोण से तो आप सूचना दें, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। जो अजमेर के ठेकेदार के बारे में आपने शिकायत रखी और सील वगैरह की बात कही, उसके लिए तो ऐसा है कि सील तो किसी भी मेटल की लगाएं तो भी खुल सकती है। इसलिए अगर आप स्पेसीफिक मिसाल दें या शिकायत दें कि अमुक ठेकेदार ने इस प्रकार सील खोल दी है तो कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि माननीय सदस्य को अच्छा ज्ञान है कि कैसे सील खोली जाती है तो विभाग कोशिश करके ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

दूसरे कैसेज भी जो माननीय सदस्य ने बताये हैं उनमें उनके संतोष के लिए आवश्यक व्यवस्था कराई जायगी।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु): क्या यह सही है कि सांगानेर गेट के पास मंत्री महोदय ने स्वयं ने ठेके की दुकान पर जाकर शराब खरीदी और वह नाप में कम थी?

श्री शिवचरणसिंह: हां, मुकदमा दर्ज कराया गया है।

श्री श्रवणलाल: जब आपने वहां निरीक्षण किया तो आपने इस बात की भी जांच कराई कि उसमें पानी कितना है?

श्री शिवचरणसिंह: इसकी हाइड्रोमीटर से जांच होती है, वह कार्यवाही चल रही है और नाप में वह कम पाई गई।

श्री श्रवणलाल: क्या बोतल सील करवाई?

श्री शिवचरणसिंह: हां करवाई है।

श्री विजयसिंह रावत: यह तो आपको विश्वास हो गया कि निश्चित तौर से ये लोग कम शराब देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: विश्वास नहीं हुआ है।

श्री श्रवणलाल: स्वयं मंत्री महोदय ने जाकर शराब मांगी और देखा कि कम थी।

श्री उपाध्यक्ष: उन्होंने कहा कि अमुक केस के अन्दर कम पाई गई लेकिन आप कह रहे हैं कि आम तौर से वे कम देते हैं।

श्री श्रवणलाल: विभाग के मंत्री स्वयं जाकर शराब खरीदें और ठेकेदार उनको शराब कम दे, इससे ज्यादा सबूत क्या है?

श्री शिवचरणसिंह : जहां कहीं भी शक होता है वहां जांच करवाई जाती है, गल्ती पाई जाती है तो सजा दिलाने की कोशिश करते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने जो यहां पर केस पुट अप किया है प्रेक्टीकली पकड कर उससे साबित होता है कि शराब कम देने से उस ठेकेदार ने काफी हजारों रुपए कमाये हैं, तो क्या सरकार जांच कराने को तयार है कि कितने रुपए उसने कमाए हैं ?

श्री शिवचरणसिंह: माननीय सदस्य के पास इसका कोई खास सबूत तो है नहीं कि वह हमेशा ही ऐसा करता है। मान लीजिए आपको कम दिया तो मुकदमा दर्ज होगा। यदि भविष्य में भी वह ऐसा करता है और आप शिकायत करेंगे तो जांच हो जायगी।

श्री विजयसिंह रावत : क्या आप इस बात को जानते हैं कि सेल्स टैक्स व इन्कम टैक्स में यदि कोई ऐसा केस मिलता है तो पूरे 10-15 साल की वसूली कर लेते हैं। उसी प्रकार यदि एक चीज आपको मिल गई है तो क्या आप असेसमेन्ट करवाने का आश्वासन देने की स्थिति में हैं ?

श्री शिवचरणसिंह : मगर आपको कम दिया तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि हरेक को कम देते हैं, आपको किसी कारण से कम दिया होगा।

श्री विजयसिंह रावत : विदेशी शराब नसीराबाद सदस्य को कम दिया सो दिया लेकिन उप-मंत्री आबकारी को कम दिया, उसकी पुष्टि वहां हो गई और तीसरी जगह भरतपुर में चैक किया तो वहां भी यही हाल निकला, यह तीसरी पुष्टि हो गई। सरकार अभी भी · ·

श्री उपाध्यक्ष : सरकार इतना मानती है कि तीन व्यक्तियों ने कम दिया, आप कहते हैं कि सब ने कम दिया। श्रम मंत्रीजी।

भीलवाड़ा में डालडा वनस्पति मिल के मेनेजमेन्ट द्वारा मजदूरों पर की गई ज्यादती

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : माननीय श्री गिरधारीलाल व्यास ने भीलवाड़ा के डालडा वनस्पति मैनेजमेन्ट ने मजदूरों की जो छटनी की, उस बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा है। मेरी सूचना के अनुसार तारीख 9-2-68 को यूनियन के द्वारा एक मांग-पत्र पेश हुआ और 12-2-68 से समझौता वार्ता शुरू की गई। वह समझौता वार्ता जहां तक कन्सीलिएशन अधिकारी का सम्बन्ध है, 20-2-68 को समाप्त होकर राज्य सरकार के पास रिपोर्ट की, ऐसा उनका कहना है। श्री जोगेन्द्रसिंह फोरमैन को 19-2-68 को तथा कुछ अन्य श्रमिकों को 21-2-68 को सेवा से अलग किया गया। वार्ता की समाप्ति कानूनन् उस समय होती है जब राज्य सरकार के पास उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाय और इसलिए कन्सीलिएशन प्रोसीडिंग्स अभी भी चालू हैं, क्योंकि वार्ता रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि कन्सीलिएशन प्रोसीडिंग्स के बीच में किसी भी मजदूर को डिस्चार्ज करना धारा 33 के विरुद्ध है और इसलिए मैनेजमेन्ट के विरुद्ध प्रासीक्यूशन लांच किया जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जैसा मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

है, भीलवाड़ा में मिल मजदूर संघ की तरफ से डालडा वनस्पति उद्योग के अन्दर कर्मचारियों को जो वेजेज दिए जा रहे थे, वह कम हैं और दूसरे जो इस प्रकार के उद्योग हैं उनसे जब इन वेजेज का मिलान किया गया, तो इस उद्योग से भी कहा गया कि जैसे दूसरे उद्योगों के अन्दर इन कर्मचारियों को जो वेतन दिए जाते हैं, उसी प्रकार आपके यहां भी ये वेजेज दिए जायं। यूनियन की तरफ से तारीख 9-2-68 को वेजेज इन्क्रीमेन्ट के सम्बन्ध में मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया और 12-2 को आपस में बातचीत होकर और कन्सीलिएशन ऑफिसर के सामने 20-2 की तारीख मुकर्रर की गई। 20-2 को मैनेजमेन्ट ने उस कर्मचारी को जो यूनियन की मांग को लेकर काम कर रहे थे, उनको विक्टीमाइज करने की दृष्टि से रिट्रेंच किया। 19-2 को जोगन्द्रसिंह को उन्होंने रिट्रेंच किया और तारीख 21 को 3-4 कर्मचारियों को और रिट्रेंच किया। जैसे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है समझौता वार्ता या कन्सीलिएशन प्रोसीडिंग्स जब चल रही थीं उस बीच में मैनेजमेन्ट की तरफ से इस प्रकार का विक्टीमाइजेशन न्यायोचित नहीं है, उनके खिलाफ प्रासीक्यूशन की कार्यवाही की जायगी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार जो मैनेजमेन्ट आज मजदूर उनके सामने मांगें रखें और विक्टीमाइज करने के लिए एक्शन लें, उनके विरुद्ध राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके वापस रीइन्सटेट कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन चार कर्मचारियों को वेजेज इन्क्रीज करने के सम्बन्ध में वहां गए मांग को लेकर, उनका जिस प्रकार विक्टीमाइजेशन किया गया है और भविष्य में भी खतरा है, जो भी मजदूर इस प्रकार मजदूरों की वाजिब मांग को मैनेजमेन्ट के सामने रखेगा उनको विक्टीमाइज किया जायगा। पहले भी यह मैनेजमेन्ट इसके और भी कई उद्योग चलते हैं, मजदूरों के साथ इस प्रकार का अन्याय करता आया है। तो इस मैनेजमेन्ट के विरुद्ध प्रासीक्यूशन की कार्यवाही जल्दी से जल्दी कराई जाय, साथ ही जिन मजदूरों को निकाला है, उनको जल्दी से जल्दी रीइंसटेट कराने की कार्यवाही करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: प्रासीक्यूशन करने का जहां तक सवाल है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी करवा दिये जायेंगे।

जहां तक रीइंस्टेटमेंट करने का ताल्लुक है उसमें अगर मजदूरों और मालिकों की आपस की बातचीत से कुछ हो सकता है तो करेंगे वर्ना तो कोर्ट ऑर्डर ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य, राजस्व मंत्री!

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा): एक और स्थगन प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष: जितना समय था उतने ले लिये गये, बाकी बाद में आ जायेंगे।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह: अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था थी कि ऐसे मसले बाद में बजट के समय उठाये जायें ....

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी संशोधन विधेयक, 1968

श्री उपाध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था थी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता

(श्री उपाध्यक्ष)
विधायी कार्य राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, 1968।

श्री राजस्व मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आर्डीनेन्स का भी है।

श्री उपाध्यक्ष: जैसा आपने कल सुझाव दिया था कि बिल को विचारार्थ लिया जाय और साथ साथ आर्डीनेन्स के बारे में संकल्प भी लिये जायें वैसे कर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हू राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, 1968 को विचारार्थ लिया जाय।

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1967 को अस्वीकार करने सम्बन्धी प्रशासकीय संकल्प

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, पहले आर्डीनेन्स का संकल्प लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: मैं यह सोच रहा था कि दोनों साथ आ जायें तो दुबारा डिबेट नहीं होगी ठीक है। श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) आर्डीनेंन्स, 1967 (आर्डीनेन्स 1 आफ 1967) को राज्यपाल महोदय ने जारी किया है, उसको अस्वीकार करने के सम्बन्ध में मैंने अपना प्रस्ताव रखा है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह संशोधन विधेयक भी विचारार्थ प्रस्तुत हो गया उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो संशोधन इस विधेयक के द्वारा लाये जा रहे हैं और जिस भावना से यह विधेयक लाया रहा है, उन भावनाओं का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मेरी शिकायत इस सम्बन्ध में यह है कि इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था बहुत पहले ही कर देनी चाहिये थी। राज्य विधान सभा का अधिवेशन 1965 के भारत-पाक संघर्ष के पश्चात् 1966 में भी हुआ, और उसके बाद में 1967 के मई, जून और जुलाई में भी हुआ अफसोस इस बात का है कि जिस व्यवस्था की मांग इस सदन ने भारत पाक संघर्ष के पश्चात् माननीय सदस्यों ने की और जिस मांग को सरकार ने भी वाजिब मांग माना कि जो व्यक्ति भारत-पाक संघर्ष के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं ऐसे व्यक्तियों की जमीनों पर उनके काश्तकारी के अधिकार समाप्त कर दिये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत-पाक संघर्ष को 2 ढाई साल हो गये और आज दो साल के बाद राज्य सरकार की नींद खुली है कि इस प्रकार की कानून की व्यवस्था करनी चाहिये।-दो वर्ष के बाद आप आर्डीनेन्स लाये और अब विधेयक पेश किया गया है।

एक माननीय सदस्य : (श्री बृजसुन्दर शर्मा के हाउस के बाहर चले जाने पर) इस बात पर छोड़ कर चले गये।

श्री रामकिशन (वैर): कानून को कम समझते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: नासमझों की ही सरकार बनाई है सुखाड़िया जी ने।

श्री शंकरलाल (जैतारण): पोइंट आफ आर्डर, सर, आर्डीनेन्स को रिप्लेस करने के

(श्री शंकरलाल)
लिये जो सरकार बिल लाई थी वह तो उन्होंने वापिस ले लिया, और यह दूसरा बिल है जो लिया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आर्डीनेन्स को अस्वीकार नहीं किया गया। आर्डीनेन्स को जिस अमेंडमेंट से सबस्टीट्यूट करना चाहते थे उसकी जगह दूसरा अमेंडमेंट ले आये।

श्री शंकरलाल: जो आर्डीनेन्स है उसी रूप में तो बिल नहीं लाया जा रहा है। आर्डीनेन्स को रिप्लेस करने वाला बिल तो वापिस पहले ही ले लिया है यह तो दूसरा बिल है जो आर्डीनेन्स के अनुरूप नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: विचारणीय विषय यह है कि जो आर्डीनेन्स जारी किया गया है उसको अस्वीकार किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह व्यवस्था का सवाल नहीं है, यह तो तर्क का सवाल है। अगर हम आर्डीनेन्स को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो फिर आर्डीनेन्स अपने आप अस्वीकार हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: अब तो यह सवाल है कि आर्डीनेन्स को अस्वीकार किया जाय।

श्री शंकरलाल: जब आर्डीनेन्स को एक्ट का रूप ही नहीं दिया जा रहा है तो अपने आप अस्वीकार हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: यह जरूरी नहीं है कि हर आर्डीनेन्स के बिल का स्वरूप वही हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, वह तो जरूरी है। संविधान की धारा 213 में लिखा है.....

श्री उपाध्यक्ष: उसमें यह ही है कि अस्वीकार हो जाय तो प्रभावहीन हो जाता है अगर दो महीने के लिये ही कोई आर्डीनेन्स है तो अपने आप वह प्रभावहीन हो जाता है। यहां फिर डिसएप्रूव करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इनके तर्क के आधार पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। विधेयक की भावना का तो स्वागत है।

श्री उपाध्यक्ष: वैधानिक दृष्टि से कोई कानून 15 दिन के लिये भी हो सकता है, महीने के लिये भी हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: फिर तो आर्डीनेन्स रिडन्डन्ट हो गया क्योंकि उसकी प्रोवीजन्स बिल के रूप में नहीं आई। यह पोइंट ऑफ आर्डर का सवाल नहीं है।अगर अध्यादेश को राजस्व मंत्री अस्वीकार कर दें और बिल को पास करवा दें तो मैं स्वागत करूंगा।

श्री शंकरलाल: यह आपकी बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के सम्बन्ध में जैसा मैंने अभी निवेदन किया और जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री शंकरलाल ने भी उसकी पुष्टि की, यह अध्यादेश संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत जारी किया गया है, और संविधान की धारा 213 के अनुसार यदि इस अध्यादेश के अनुरूप बिल नहीं आता है तो वह अध्यादेश बेकार है। वह अध्यादेश स्वतः लैप्स हो जायगा। लैप्स हो गया समझिये। एक नया विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हो गया वह तो रिट्रासपेक्टिव है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह अध्यादेश अगर यह सदन अस्वीकार कर दे तो राजस्व मंत्रीजी यह समझिये कि हम विधेयक को पास कर देते हैं तो कानूनी दृष्टि से क्या अन्तर पड़ने वाला है, क्योंकि विधेयक को पास करने के पश्चात् shall be deemed to have come into force. और इसलिये इसमें यह प्रोवीजो लगा है और इसी आधार पर यह आर्डीनेन्स आया तो इसको अवरोष्ट नहीं करना है उस बिल का स्वागत करते हैं बिल को पेश करने मे बाधा नहीं है सिवाय इसके कि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दें। जो आपकी भावना इस विधेयक को लाने की है तो उसको लंगडा न बनायें, पंगु न बनायें। अपनी भावना को निश्चित कर लें, एक प्रकार का सुझाव देने के अतिरिक्त जो विधेयक का प्रश्न है उस विधेयक को पारित करने में नहीं है। एक स्पोर्ट्स मेन स्प्रिट से जो आर्डिनेन्स इस सदन में आया है, वह लैप्स होगया। ऐसा आर्डिनेन्स जिसके लिये मैं समझता हूं उसकी सारी व्यवस्था जो इस कानून में है रिट्रासपेक्टिव बना देने की, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बाधा राज्य सरकार के सामने आने वाली नहीं है जिसके आधार पर मैंने संकल्प दिया है अध्यादेश को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में संकल्प को स्वीकार करने में सदन ने स्वीकार किया, सरकार ने स्वीकार किया, सरकार के सामने कोई बात आने वाली नहीं है, यह सर्वसम्मति से होने वाली है। सरकार को दृढता से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का इस ओर भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश आपने जारी किया है। यह अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में जिस प्रकार की बातें जो व्यवस्थाएं कानून में आपने वर्तमान विधेयक में की हैं उस वर्तमान विधेयक के सम्बन्ध में दो स्थितियां हो सकती हैं उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह है कि विधेयक पर जिस समय विचार करें उस समय सुझाव प्रस्तुत कर दें मैं यही कहूंगा कि अध्यादेश जिस भावना से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से और राज्य सरकार से उनकी भावना यह है कि जब व्यक्ति भारत पाकिस्तान के संघर्ष में भारत को छोड़कर चला गया और जिनकी जमीन रह गई, उनके काश्तकार के अधिकार स्वतः समाप्त हो जायं यह कानून में व्यवस्था की गई है, इस तरह की मांग हमने सदन में रखी थी। इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करें लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे महत्वपूर्ण मसलों के सम्बन्ध में इतने वर्षों तक चुपचाप सोते रहे, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं हिन्दुस्तान छोड़ने वाले अराष्ट्रीय काश्तकार की जमीनों पर सरकार अपने हक में ले, अपने अधिकार में ले। जो कुछ भी हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की बड़ी भारी निन्दा करता हूं। यह जो व्यवस्था की है वह व्यवस्था पूर्ण नहीं है जिस भावना से यह व्यवस्था सदन में प्रकट की गई थी, उस भावना की पूर्ति नहीं करती है। जल्दीबाजी में सरकार कानून पास न करें वरना अभी जो राज्य सरकार की हालत बिक्री कर कानून के अन्दर हाई कोर्ट में जाने के बाद हुई है वही इस कानून की भी होगी। इस कानून की जो भावना है, उसका इसमें समावेश नहीं किया गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस पर गंभीरता से विचार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करके और सम्बन्धित सदस्यों को जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं विशेष रूप से समय रखकर राजस्व मंत्रीजी विचार विमर्श के बाद इसमें समावेश करें जिनको समावेश करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि इस कानून में लिखा हुआ है यह धारा 63 है जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 है वह यह है कि:

Extinction of Tenancies-Tenancy when extinguished (1) The interest of a tenant in his holding or a part thereof as the case may be, shall be extinguished.—

(i) When he dies leaving no heir entitled to inherint in accordance with the provisions of this Act,

(ii) When he surrenders or abondons it in accordance with the provisions of this Act,

(iii) When his land has been acquired under the Rajasthan Land Acquisition Act 1953,

(iv) When he has been deprived of possession and his right to recover possession is barred by limitation,

(v) When he has been ejected therefrom in accordance with the provisions of this Act,

(vi) When he acquires or succeeds to all the rights therein of a landholder or the landholder inherits or otherwise acquires the same or,

(vii) When he sells or makes a gift thereof in accordance with the provisions of this Act,

इसमें सब क्लॉज 8 सब-सेक्शन 8 जोड़ने के सम्बन्ध में है। यह व्यवस्था की जा रही है, वह व्यवस्था किस प्रकार से होगी उपाध्यक्ष महोदय, वह व्यवस्था यह है कि जो जोड़ने का क्लाज है वह यह है कि "If he migrates from India to a foreign country without obtaining a valid passport or without lawful authority." यह जुड़ जाय यह जुड़ने के बाद नतीजा क्या होगा कि कोई टिनेन्ट अगर हिन्दुस्तान छोड़कर बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान में चला गया या दूसरे देश में चला गया, वह एक्सटिंग्विश हो जाय लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान जो चला गया वह काश्तकार एक्सटिंग्विश हो उसमें सब-सेक्शन दो और। उस सब-सेक्शन दो में लिखा है:

"The extinction of the interest of a t nant shall operate to extinguish the interest of this Act."

अब मैं वह कृपक, काश्तकार जो उस टिनेन्स के अन्दर भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, आप उसके हकों को छीनना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भावना से यह सदन में प्रकट किया गया है वह भावना कभी भी इस प्रकार की नहीं है कि उनके टिनेन्सी राईट एक्सटिंग्विश करना चाहते हैं, इसलिये भारत छोडकर पाकिस्तान जाने वाले ऐसे काश्तकारों की संख्या हजारों की तादाद में होगी। क्या सदन यह चाहता है कि उनके तहत जो शिकमी काश्तकार हैं वे सब एक्सटिंग्विश हो जायेंगे। जो व्यवस्था सब-

Page No. 80

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सेक्शन दो में दी गई है इसलिये मंत्री महोदय एक प्रोविजन जोड़ा हुआ है। प्रोविजन में यह लिखा हुआ है:

"Provided that in every case not being a case specified in clause (iii) of sub-section (1) such sub-tenant shall, unless he himself has also been ejected or has become or is liable to ejectment under any provision of this Act or any other law for the time being in force or unless he shall have been admitted to his holding otherwise than in accordance with law, have the right to apply for the acquisition of the rights of his tenant inherent in such holding and in the improvements therein on payment of compensation determinable in accordance with sections 23, 24, and 25,"

कम्पन्सेशन देने के सिलसिले में और अपने टिनेन्सी राइट समाप्त करने में उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की कमी यह मंशा नहीं हो सकती है जो असल काश्तकार है. मूल काश्तकार है वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जायं। सिकमी काश्तकार को जो अधिकार मिले हैं मैं समझता हूं यह सदन की भावना नहीं हो सकती। सब-सेक्शन 2 इस बात के लिये कहता है कि :

The extinction of the interest of a tenant shall operate to extinguish the interest of this Act.

इससे स्वतः ही शिकमी काश्तकार के अधिकार समाप्त हो जायं और न मैं समझता हूं सदन इस बात को मान्यता प्रदान करेगा कि सिकमी काश्तकार उस काश्तकार के साथ समाप्त किये जायं। आप उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं और इसलिये उपाध्यक्ष महोदय हमें कोई न कोई प्रोविजन डालना होगा। मेरा सुझाव है राज्य सरकार और सदन के माननीय सदस्य उसमें एक प्रावधान करें, जो यह प्राविजन लिखा हुआ है-

'Provided that in every case not being a case specified in clause (iii) of sub-section (1) such sub-tenant shall unless he himself has also been ejected or has become or is liable to ejectment under any provision of this Act or any other law for the time being in force.

यह सब-सेक्शन 9 जो अब जोड़ा जा रहा है उसके तहत सब-टिनेन्ट को ऑटोमेटिकल्ली अधिकार मिल जायगा। कोई कम्पन्सेशन की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था इसमें डाल देनी चाहिये। अगर इसमें नहीं डालना चाहते है तो धारा 19 में इसको डालना चाहिये। भारत छोड़कर किसी विदेश में टीनेन्ट-इन-चीफ चला जाता है तो उस जमीन को राज्य सरकार लेती है उसके लिये शिकमी काश्तकार को दरख्वास्त देने की आवश्यकता नहीं उससे मुआवजा नहीं लिया जायगा, उसको अपने आप सारे काश्तकारी के अधिकार मिल जायेंगे। यह एक सुझाव मेरा है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि अगर शिकमी काश्तकार देश छोडकर विदेश में चला जाता है उसके जाने के बाद उस जमीन के राइट्स किसको मिलेंगे यह इसमें डिफाइन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं किया गया है। इस तरह से यह जो कानून बनाया गया है उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जायगा बिना पासपोर्ट के तो उसके काश्तकारी अधिकार एस्टेंग्विश हो जायेंगे। और सब-टीनेन्ट छोड़कर चला जाय तो उसके अधिकार समाप्त करने की व्यवस्था नहीं की गई? आप यह कह सकते हैं कि सब-टीनेन्ट टीनेन्ट इन चीफ से है। अगर कानून में वह व्यवस्था हो जाय कि धारा 19 के अन्तर्गत जो शिकमी काश्तकार है और टीनेन्ट इन चीफ चला जाता है तो उसकी जगह उस शिकमी काश्तकार का नाम रेकार्ड में एन्टर होजाय और उसको टीनेन्सी राईट कन्फर दिये जायं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जो शिकमी काश्तकार है और वह यदि पाकिस्तान चला जाय, बिना पासपोर्ट के चला जाय तो फौरन इन्हेरीटेन्स के उसके अधिकारों को समाप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिये आपने केवल इसमें टीनेन्ट के लिये ही रखा है। धारा 63 टीनेन्ट के लिये है उस कन्टेक्स्ट में सब टीनेन्ट इन्क्लूड नहीं होता।

टीनेन्ट इन्क्लूड्स सब टीनेन्ट यह सारी व्यवस्था धारा 63 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत टीनेन्ट इन्क्लूड्स सब टीनेन्ट इसमें शिकमी काश्तकार नहीं आयगा। शिकमी काश्तकार यदि बाड़मेर या जैसलमेर जिले का रहने वाला पाकिस्तान चला गया है तो उस शिकमी काश्तकार के अधिकार को समाप्त करने की व्यवस्था नहीं की गई है। हो सकता है उप राजस्व मंत्री के कुछ शिकमी काश्तकार हों जिनको वे बचाना चाहते हों उस लिहाज से कानून में यह व्यवस्था नहीं रखी गई है। अगर यह दोनों के लिये हो जाय तो यह राज्य सरकार का बढ़िया कानून माना जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का कानून बनाने की इस सदन की भावना थी उसके अनुकूल यह नहीं बन पाया है। जो लोग पाक संघर्ष के समय पाकिस्तान चले गये, चाहे वे वेलिड पासपोर्ट से गये हों या बगैर पासपोर्ट के उनमें चाहे टीनेन्ट हों, सब-टीनेन्ट हों या लेन्ड लोर्ड हों, सबको टीनेन्सी अधिकारों से सरकार वंचित कर सकती है। सरकार चाहे तो जो व्यक्ति माइग्रेट करके जायेंगे विदाउट वेलिड पासपोर्ट के उनको अपने टीनेन्सी होल्डिंग के लिये दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा चाहे वह टीनेन्ट हो, सब टीनेन्ट हो या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त हो। दो गम्भीर बातें मैं इस सिलसिले में सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वैधानिक दृष्टि से कानून में जो मूल खामियां हैं, विधेयक में जो प्रावधान किये गये हैं और जिस भावना से यह विधेयक लाया गया है वह स्वागत योग्य है। हमी लोग थे जिन्होंने सब से पहले इस सवाल को यहां खड़ा किया था कि ऐसे अराष्ट्रीय लोगों से खातेदारी अधिकार छिन जाने चाहिये। चाहे वह टीनेन्ट हो, सब टीनेन्ट हो या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकारों को मनवाने के लिये कोर्ट में किसी प्रकार दावा करने के, दावा चलाने का या किसी का या किसी को प्रोसीक्यूट कराने का उनको अधिकार नहीं होना चाहिये। वास्तव में जो अराष्ट्रीय लोग हैं उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिये। ये दो मूल खामियां

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
इस अध्यादेश में रह गई हैं। इसलिये विधेयक पंगु है, अतः इसमें जो खामियां हैं उनको ठीक किया जाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह इस मामले में गंभीरता से विचार करे। तीन छुट्टियां आने वाली हैं उन छुट्टियों में इस पर विचार किया जा सकता है और जो बातें मैंने बतायीं उनके अनुसार सुधार किया जा सकता है और इसको 27 तारीख को पास किया जा सकता है। मैं भी नहीं चाहता इस विधेयक को पास करने में एक मिनट का विलम्ब किया जाय, यह अच्छा कानून है इसे पास किया जाना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके अनुसार इस अध्यादेश को अस्वीकार करके मेरे संकल्प को स्वीकार करें और मैंने जिस प्रकार के संशोधन चाहे हैं उनको कॉपरेट करके इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मेरा संकल्प है। जिस आर्डिनेन्स को लेकर राजस्थान सरकार यह विधेयक लाना चाहती है, उस विधेयक को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इस विधेयक में बहुत महत्वपूर्ण कमियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक हमारा काश्तकारी कानून है वह हमारी राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर, 1953 को जब राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पास किया था उस समय यह विचार धारा रखी गई थी राजस्थान निर्माण के समय विभिन्न राज्यों में काश्तकारी कानून अलग-अलग थे उनको लेकर एक कन्सोलिडेट फार्म में नया कानून बनाया। उस कानून में जमींदारों, बिस्वेदारों आदि के सारे नाम कुछ स्टेटों में पट्टेदार काश्तकार थे उन सब का उसमें सामावेश कर दिया गया जिससे काश्तकारों को किसी प्रकार की डिफीकल्टी न हो। उस कानून में आज तक सत्रह से ज्यादा संशोधन हो चुके। जिस कानून को परफेक्ट बनाने की दृष्टि से आपने इसमें 17 संशोधन कर दिये फिर भी यह कानून पूरा नहीं बन सका। इस दृष्टि से मेरा यह निवेदन है कि जब हम इसमें 18 वां संशोधन करने जा रहे हैं तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। यदि इसके बाद भी कोई खामी रह जाती है तो यह आपके लिये शोभनीय नहीं होगी। इसी दृष्टिकोण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में जो टीनेन्ट की डेफीनिशन दी है उसमें आप टीनेन्ट्स और सब टीनेन्ट्स को बराबर इन्क्लूड करते हैं। यह परिस्थिति है तो जो अधिकारों को समाप्त करने का प्रश्न उत्पन्न होगा, उन दोनों में, आप इन परिभाषाओं को एक दूसरे से भिन्न नहीं कर सकते। तो 19 दफा में अमेन्डमेंट करने के पीछे और 18-19 को अमेण्ड करने में एकमात्र भावना यह भी थी कि बीच के आदमियों को राजस्थान में नष्ट कर देना चाहते हैं सीधा सम्बन्ध किसान का राज्य सरकार से आप रखना चाहते हैं।

इस भावना को लेकर दफा 19 में यह कह दिया कि कोई भी सब टीनेन्ट जो आपके एन्युअल रजिस्टर में खुदकाश्त के टीनेन्ट के रूप में दर्ज है, 59 में जाकर उसमें अमेण्डमेन्ट आया था कि उसको स्वतः खातेदारी अधिकार दे देंगे।

(श्री दुर्गालाल बादुदार)

पर आपके अधिकारियों ने इसे गलत समझा। कुछ ने समझा कि दर्ख्वास्त देने की जरूरत होती है, कुछ ने सोचा इन्क्वायरी करनी होगी। कुछ ने ऑटोमेटिकली कर दिया। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट देख लें।

अब समस्या यह रहती है कि जब हमने अपने मूल कानून में यह प्रावधान रख दिया कि सब टीनेन्ट नाम को प्रैक्टिकली समाप्त कर चुके तो दूसरी शंका उत्पन्न की कि सब टीनेन्ट नाम की चीज रही नहीं तो शंका कहां रहती है।

आप ही के राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में सब-लैटिंग का प्रोवीजन भी है। सैक्शन 42 या ऐसा ही कोई है। आप देख लीजिये। इन दोनों सैक्शनों को आप पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आ जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसके इतने विस्तार में न जावें। आर्डिनेन्स अस्वीकार होना चाहिये इसके बारे में आप अपने विचार प्रकट करें।

श्री रामकिशन (वैर) : जब मन्त्रीजी को सभी खामियां बतावेंगे तभी तो वे तैयार होंगे। एकाध ही बतावेंगे तो वे मानेंगे नहीं। कहेंगे कि यह तो मामूली बात है।

श्री दुर्गालाल बादुदार : आप इन्कार नहीं कर सकते कि कानून का प्रावधान स्वयं आपको अधिकार देता है कि उस पीरियड के लिये व्यक्तियों को अधिकार देते हैं कि वे स्वयं काश्त न करके अन्य से करावेंगे और इसके लिये सब टीनेन्ट के सिवाय दूसरा शब्द आप नहीं रक्खेंगे। तो जब टीनेन्ट और सब टीनेन्ट दोनों विद्यमान हैं तो सब टीनेन्ट को माइग्रेट करने पर इस राइट का क्या होगा। इसको सैक्शन 19 की तहत में देखिये। मैं इसके लिये कन्क्रीट इन्स्टान्स रखता हूं।

बहुत से ऐसे मैटर हैं जो आज भी पैन्डिंग में पड़े हैं कि जिनमें कुछ लोग पाकिस्तान चले गये और वे काश्तकार थे तो उनकी प्रोपरटी को इवेक्यू प्रोपरटी डिक्लेअर कर दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इवेक्यू लॉ अलग है।

श्री दुर्गालाल बादुदार : पर एक कानून दूसरे कानून को ओवर राइट करके तो नहीं चलेगा। इसको क्यों भूल जाते हैं। तो यह मानकर चलना होगा। ऐसे बहुत से केस हैं जब एक व्यक्ति छोड़कर चला गया तो उसकी प्रोपरटी को इवेक्यू प्रोपरटी डिक्लेअर कर दिया। इसके लिये आपने दफा 19 का प्रावधान रक्खा। जो 47, 48 और 49 में इम्पोर्टेन्ट केसेज हैं। 49 में चले गये उनके खातेदारी अधिकारों पर कब्जा कर लिया इवेक्यू डिपार्टमेन्ट ने और वाकई में वस्तु स्थिति ऐसी रही कि जो इस राज्य में रहकर बराबर खेती का धन्धा करता आ रहा है उसका जमीन पर कब्जा रहे। इधर 19 कहता है कि सब टीनेन्ट को टीनेन्ट ऑफ दी खुदकाश्त के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जावेंगे यदि उसका नाम एन्युअल रजिस्टर में दर्ज है और जिस दिन अमेण्डिग कानून आया उस दिन तक उसके पजेशन में चली आ रही है।

डिफीकल्टी यह हुई कि ऐसे केसेज में इवेक्यू डिपार्टमेन्ट अपने खातेदारी अधिकार

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
को लेकर उनकी जमीनों को नीलाम कर रहा है। बहुत से केसों में नीलाम हो भी चुके। अब उस पर सब टीनेन्ट की हैसियत से कब्जा 15-20 सालों से चला आ रहा है तो उसको राइट खातेदारी के मिलने चाहिये पर वे अधिकार उसको न मिलकर विभाग ने अपने अधिकार में कर रक्खे हैं। नीलाम भी ओपिन बिड से होते हैं। सैंकडों की बोली लगाई जाती है। अब संघर्ष हो गया नोमीनल खातेदारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति के बीच में और वास्तव में काबिज काश्तकार के अधिकारों के बीच में। तो आपने इन दोनों दृष्टिकोणों से इस कानून को लाते वक्त नहीं सोचा।

आपने अपने इस कानून में प्रावधान तो रख दिया कि जो माइग्रेट करके चला जावेगा उसके सारे खातेदारी अधिकार समाप्त कर देंगे। पर आपने यह नहीं सोचा इसके लिये आर्डिनरी लॉ आफ लैंड भी है।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : इवेक्यू प्रोपरटी तो कभी की खतम हो गई।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** : पर उसके कान्सीक्वेन्सेज अभी खतम नहीं हुए हैं। आप तो अच्छे वकील भी रह चुके हैं। अगर रिपील भी हो गया और उसके तहत में ऐक्शन ले लिया। डिक्री पास हो गई। उसकी एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसके बारे में भी आपने देखा या नहीं देखा।

अब भी आपके पास में कितने ही केस होंगे जिनमें वे नीलाम हो रहे हैं। पर काबिज काश्तकार को सुनने की कोशिश नहीं करते। जब आपके पास दरख्वास्त आवेगी तब सुनेंगे।

श्री **उपाध्यक्ष** : अपने भाषण को बहुत लम्बा कर रहे हैं।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** : मैं केवल यह बताना चाहता था कि जब तक इस कानून में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे कि ....
When he sells or makes a gift thereof in accordance with the provisions of this Act.

इसके आगे एड करना चाहते हैं।

If he migrates from India, to a foreign country without obtaining a valid passport or without lawful authority.

इसमें इस दृष्टिकोण से भी सोचिये। एक आदमी चला गया। पर मालूम आज पड़ती है और वाकई में जो यहां का रहने वाला मूल निवासी है उसको कब्जा देने की बात आती है। सब टीनेन्ट या टीनेन्ट ऑफ दी खुदकाश्त ने उसके इम्प्रूवमेन्ट में काफी पैसा खर्च किया है तो उस सब टीनेन्ट के दफा 19 में खातेदारी राइट एक्रू हो जाने चाहिये। तो इसको एड करने से उसके तो सारे राइट्स ही खतम हो जावेंगे। सब टीनेन्ट के सारे राइट्स खतम हो जावेंगे। तो ऐसी स्थिति में दफा 19 के प्रावधान में और आपके इस प्रावधान में दोनों में एक प्रकार का अन्तर रहेगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : अभी तो अध्यादेश के बारे में ही कहें तो ठीक रहेगा। जनरल डिस्कशन में आप पोइन्ट टू पोइन्ट कह दें।

श्री **रामकिशन** : ऐसा भी हो सकता है कि इनके तर्कों से प्रभावित होकर इसे वे वापिस ही ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : वापिस तो वे लेना नहीं चाहते ।

श्री रामकिशन : ऐसी सम्भावना ज्यादा है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही कहता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय, जहां तक आर्डिनेन्स के रूप में इस कानून को यहां लाने का प्रश्न पैदा होता है, उसके लिये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और पुनः आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस समय इमर्जेन्सी की बात हो और तब वास्तव में कानून में संशोधन होना चाहिये उस दृष्टिकोण से उस समय तो विचार करने का आपको समय नहीं मिलता, और जहां आवश्यकता नहीं होती वहां आर्डिनेन्स के रूप में इन कानूनों को लाकर जनता पर थोपना चाहते हैं ।

राजस्थान से चले जाने की समस्या नवीन नहीं है । सीलिंग के कानून की समस्या भी नवीन नहीं थी । ये सारी समस्याएं प्रारम्भ से ही चली आ रही हैं । सीलिंग के अमेण्डमेन्ट का जहां तक ताल्लुक है और इस टीनेन्सी एक्ट में सीलिंग के कानून को, प्रावधान को इम्प्लीमेन्ट करने के लिये सदन में पचासों बार सवाल पैदा हुए हैं पर आपने इम्प्लीमेन्ट करने की कोशिश नहीं की । बराबर आप यह सोचते रहते हैं कि इसमें संशोधन किया जावे और अब तीसरा संशोधन आप लेकर आये हैं इसके लिये भी विचार कर लेना चाहिये । मन्दिर, मस्जिद की प्रोपरटी की बात तो आपने ले ली पर यह भी सोचियेगा कि एक ट्रस्ट के रूप में या चेरिटेबल ट्रस्ट के रूप में भी जमीन है । आप उसका क्या करना चाहते हैं ।

आप दुनियाँ की आँखों में धूल झोंकना चाहते हैं । एक तरफ मंदिर, मस्जिदों की वकालत करते हैं दूसरी तरफ ट्रस्टों को रियायत देना नहीं चाहते ? इसका क्या अर्थ निकलता है ? आप ट्रस्ट वर्ड को भी इसमें इन्क्लूड नहीं करते हैं । कहीं ट्रस्ट वर्ड आपने यूज नहीं किया है । आप पढ़ लीजिए । केवल यह वर्ड्स यूज किये हैं आपने:--

"Land or holding held by, vesting in, attached to or under the management of, any temple; masjid, gurudwara or gaushala"

एक नाथद्वारा टेम्पल का ट्रस्ट बन गया और दूसरे बहुत से ट्रस्ट हैं । दरगाह का ट्रस्ट बन गया तो वह मन्दिरों का अस्तित्व और मस्जिदों का अस्तित्व सारा एक तरह से विलीन हो जाता है ट्रस्ट में और जब तक आप ट्रस्ट वर्ड को यूज नहीं करते कानून में दो और दो चार होंगे । जो कुछ आप लेजिस्लेशन में इन्सर्ट कर देंगे उसी का अर्थ लगाया जायेगा । तो मेरा निवेदन यह है कि जब आप कानून बनाने जा रहे हैं तो ऐसी मूलभूत खामियां आप अपने कानून में क्यों रखने जा रहे हैं जिसके लिए जनता को तकलीफ हो और आपको भी तकलीफ हो और आपको भी दुबारा संशोधन लाना पड़े । अब आज तक 18 अमेन्डमेन्ट्स ला चुके हैं और भी अमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सही माने में जिस भावना को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने विचारों को कार्यान्वित करना चाहते हैं और जिस भावना के साथ आप ऐक्शन लेते हैं कि यह कानून आपका प्रभावशाली हो और इसका लोगों पर सही इम्पेक्ट पड़े तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप इस कानून में

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

कोई खामियां छोड़ कर न चलें इन खामियों को आपको दुरुस्त करना होगा। और इस समय भी आप अपनी जिद्द के कारण या इस स्वभाव के कारण कि राज्य सरकार ने जैसा भी कानून बना दिया उसमें चाहे लॉ डिपार्टमेन्ट की खामियां हों, या मंत्री की सलाह देने से खामियां हों हम तो जिस भाषा को लेकर सदन के सामने एक बिल लाये हैं उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं कि फिर मौका आपके सामने आयेगा और आपके ही तबके के लोग जब आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे तब आप इसको करोगे। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आप दल विशेष की आवाज को लेकर कानून में संशोधन करने को तैयार हो जाते हो। जब आपकी पार्टी के लोग आपके ऊपर दबाव डालते हैं तो इसकी परिस्थिति में जैसी व्यवस्था आप करना चाहते हैं वैसी ही इस कानून में परिवर्तन कर देते हैं और दूसरी पार्टी वाले सही माने में कोई रूप आपकी दृष्टि में लाना चाहते हैं तो आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक यह मौजूदा कानून है आप मन्दिर जो कि ट्रस्ट के रूप में चला जाता है उनको सही माने में इस प्रावधान से ऐड करने की कोशिश कीजिए और दफा 19 के तहत जिन सब-टीनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स कानून के मुताबिक एक हो जाते हैं और सब-टीनेन्ट्स को नुकसान पहुंचाने की गरज से आप करते हैं तो आपको यह भी मान लेना चाहिए कि आपके रेकर्ड ऑफ राइट्स की यह सूरत है कि······

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। आप बिल पर ही डिस्कशन कीजिए।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : केवल 2 मिनट।

जो रेकर्ड ऑफ राइट्स का आपका क्वेश्चन है उसमें आप अच्छी तरह से मालूम कर लें कि बराबर गलत इन्दराज चलता आ रहा है। इसके आधार पर सब-टीनेन्ट्स को जिनको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं जिनकी बहबूदी के लिए यह कानून बनाना चाहते हैं उनको नुकसान हो जायेगा। इन बातों पर विचार करते हुए आप कोई निर्णय लीजिए वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बिल लाकर आप उपकार करने के बजाय अपकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत।
(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल (अनुपस्थित)।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के समक्ष निवेदन किया था कि जिस प्रकार का अध्यादेश राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किया गया है और उसके अनुरूप ही बिल वापिस विथड्रा कर लिया गया तो मैं यह मानकर चलता हूं कि वह अध्यादेश ऐसी स्थिति में नहीं रहा..

श्री उपाध्यक्ष : जो आर्डीनेन्स है वैसे का वैसा ही बिल होना चाहिए यह चाहते हैं ?

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी पहले पेश किया गया था उसको जारी रखा जाता और उसमें अमेन्डमेन्ट लाया जाता तो ठीक रहता जिससे आर्डीनेन्स की पुष्टि हो जाती और अमेन्डमेन्ट के जरिये वह लाया जाता वर्ना जो बिल लाया गया है उसको वापिस विथड्रा किया गया यह वैधानिक

(श्री शंकरलाल)

नहीं। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल हमारे सामने लाया जा रहा है इस विषय में मैं निवेदन करूं कि यह अपूर्ण है क्योंकि इनके अन्दर सीलिंग के बारे में जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 15 मई से कानून लागू किया जा रहा है तो उसके लागू करने का प्रावधान इसमें नहीं है यह देखकर हमें आश्चर्य होता है क्योंकि एक साथ सारी बातें आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप जनरल प्रिन्सिपल्स पर बोलें। यह स्टेज बाद में आयेगी।

श्री शंकरलाल : यह जो बिल है इस रूप में न आकर दूसरे रूप में आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जब बिल आये तब कहें। अब तो अस्वीकार किया जाये इसके लिए कह दीजिए।

श्री शंकरलाल : अस्वीकार तो वैसे ही होगा और यह बिल विथड्रा करके वापिस वही बिल इन्ट्रोड्यूज करना चाहिए और उसके अन्दर फिर अमेन्डमेन्ट लाना चाहिए तभी वैधानिक स्थिति पूरी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो शंका और आपत्तियां माननीय सदस्यों ने उठाई उन सब का मैं समाधान कर सकूं ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा।

पहली बात जो माननीय श्री सतीशचन्द्र जी ने यहां उठाई वह यह है कि 213 के तहत जो आर्डीनेन्स के मुताबिक बिल था वह पेश किया गया और विथड्रा कर लिया गया इसलिए वह भी खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि यह 213 के मुताबिक नहीं है। 213 के तहत में तो यह है कि जो भी आर्डीनेन्स का गवर्नर ने एलान किया उसको सदन के सामने रखा जायेगा और ऐसे भी मौके आये हैं जिनमें आर्डीनेन्स के साथ साथ और भी बिल में अमेन्डमेन्ट्स करने होते हैं। वह पहले भी किये गये हैं इसलिए इसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है।

दूसरी बात जो इस बारे में कही गयी है वह यह है कि इतनी देर से क्यों सूझा और देर से क्यों लाया गया...

श्री उपाध्यक्ष : देर आये दुरुस्त आये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अश्रव्य)।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरी बात यह है कि आर्डीनेन्स में और इस बिल में जो पहले पेश किया गया था उसमें और जो मौजूदा बिल पेश किया गया है उसमें एक ही फर्क है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो माइग्रेट शब्द है उसका इससे मतलब नहीं लिया जा सकता। इसलिए यह शंका उपस्थित हुई कि माइग्रेट शब्द लिखते हैं तो यह जो आर्डीनेन्स आया उसके पहले माइग्रेट कर चुके उनका क्या होगा। इसलिए उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने के लिए यह धारा उसमें लगाई गयी कि it should have been deemed to be inserted.

दूसरे यहां पर माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने कहा कि यह जो सब-टीनेन्ट्स हैं, मान लें कि सब-टीनेन्ट चला गया तो उसके अधिकारों का क्या होगा और टीनेन्ट चला

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

गया और सब-टीनेन्ट रह गया तो उसके अधिकारों का क्या होगा और दोनों ही चले गये तो उनके अधिकारों का क्या होगा। मैं समझता हूं कि धारा इस बारे में बिलकुल स्पष्ट है और प्रोवाइजो में जो जिस चीज के लिए एन्टाइटल्ड है और सब-टीनेन्ट तो उसको रहने दिया जाये तो उसके राइट्स खत्म नहीं होते लेकिन टीनेन्ट और सब-टीनेन्ट के बीच में जो कान्ट्रेक्चुअल आब्लीगेशन्स हैं वह हो जाते हैं। अगर सब-टीनेन्ट्स के कुछ अधिकार हैं या तो स्टेट उसको खातेदारी अधिकार भी दे सकती है और कम्पन्सेशन भी ले सकती है और नहीं भी ले सकती है। तो इस बारे में चिन्ता की बात नहीं है। अगर सब-टीनेन्ट चला जाता है तो वह लैण्ड अपने आप जो है टीनेन्ट उसका, जो ओरीजिनल टीनेन्ट है जब वह रह जाता है बाकी तो कान्ट्रेक्चुअल ओब्लीगेशन के तहत उसके पास रह ही जाती है। धारा 19 के और......

श्री उपाध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह बिलकुल असंगत नहीं है। 19 का राइट प्राप्त होगा। सब-टीनेन्ट का राइट थोड़े ही रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कुछ बिल में इस प्रकार की धाराएं हैं वे बिलकुल उपयुक्त हैं और इसलिए इसको कन्सीडरेशन में लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1967 को प्रख्यापित राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (अध्यादेश सं० 1 सन् 1967) को अस्वीकार करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दूंगा क्योंकि मेरा सब्स्टेन्टिव मोशन है इतना सा क्लेरिफिकेशन कर दें कि अगर मैं अपने इस संकल्प को वापिस लेता हूं क्या गवर्नमेन्ट इस बात का एश्योरेंस देती है कि जो तर्क मैंने दिये हैं उनको बिल में इन्कारपोरेट कर देगी। अगर बिल में नहीं करती है और बिल पर डिबेट तो होगी तो जो आर्डीनेंस लाया गया है वह मेरे हिसाब से रिडन्डेन्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है इसलिए हाउस को उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर उसको डिसएप्रूव भी कर देते हैं तो बिल हमारे सामने है और उसमें रिट्रास्पेक्टिव प्रोवीजन हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कानूनी दृष्टि से। चूंकि आपने एश्योरेन्स नहीं दिया है और आपने लचर दलील दी है इसलिए मैं अपने इस संकल्प को प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने बड़े दिल का परिचय दें और इसको वियड्रा कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तो कुछ दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने अच्छी तरह से देख लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अच्छी तरह से नहीं देखा है, महाराज जो पट्टी आपको पढ़ा दी है वही बोल रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अपन एक-दूसरे पर आक्षेप नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कानून आपसे कम नहीं जानता हूं।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : कानून कम नहीं जानते हैं लेकिन मैं दूसरों से गाइड नहीं होता हूं अभी एक पर्चा आगया और आप अमेन्डमेन्ट स्वीकार कर लेंगे You apply your mind.

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ) : कानून यह आपने ही बनाया है या दूसरों की मदद ली है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं भी बनाता हूं और दूसरों की भी मदद ले सकता हूं ।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : यह मोरगेजर और मोरगेजी कहां जायगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मोरगेजर का बता दिया कि मोरगेजर हट गया तो उसके राइट खत्म कर दिये । मोरगेजर खुद टिनेन्ट था वह चला गया तो उसकी जगह पर आ जायगी स्टेट गवर्नमेन्ट और मोरगेजी होगा तो स्टेट गवर्नमेन्ट का होगा ।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : मोरगेजर रिडम्पशन का सूट फाइल कर सकता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कहां से करेगा जब कि उसके राइट ही खत्म हो गये । मोरगेजर और सब-टिनेन्ट का राइट एक है । रिडम्पशन गोज टू स्टेट गवर्नमेन्ट । यह लीगल क्विबलिंग मैं समझता हूं आवश्यक नहीं है ।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : मैं चाहता था कि जो माइग्रेट कर गया है उसको टिनेन्सी एक्ट के तहत कोई रिलीफ लेने का राइट नहीं होगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब माइग्रेट कर गया तो टिनेन्सी राइट ही खत्म हो गये ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष खुद आला वकील है · · ·

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : आला वकील हैं तभी तो यह मौका दे रहे हैं, और आप भी समझते हैं इसलिए मजा ले रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1967 को प्रख्यापित राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1967) को अस्वीकार करता है ।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया ।

राजस्व मंत्रीजी ।

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1968 का विचारार्थ प्रस्तुतिकरण

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय ।

विधेयक हिन्दी में प्रस्तुत करने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह बिल जो मूल रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वह अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है जब कि 26 जनवरी से राजस्थान सरकार ने हमारे राज्य में हिन्दी को अपनी राजभाषा घोषित करदी है, और इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता ही नहीं लगता है · ·

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हिन्दी और अंग्रेजी में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हिन्दी अनुवाद है और मूल अंग्रेजी में है। यहां से असेम्बली से जो सर्क्यूलर जारी हुआ है वह यह है कि हम अमेन्डमेन्ट भी हिन्दी में नहीं दे सकते, और पेश करते हैं तो मना कर देते हैं। इसी आधार पर मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी में अमेन्डमेन्ट्स दिये थे तो वे इस बिना पर रिजेक्ट हो रहे हैं कि चूंकि वे हिन्दी में हैं। अमेन्डमेन्ट्स इस बिना पर रिजेक्ट किये जा रहे हैं चूंकि वे हिन्दी भाषा में दिये गये हैं और मूल बिल अंग्रेजी में है, इसलिए उनको मन्जूर नहीं किये गये है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर बात है कि 26 जनवरी से हमने हिन्दी को अपनी राज-भाषा मानी है, और उसके अनुसार काम करना शुरू किया है। अंग्रेजी को हटाकर क्षेत्रीय भाषाओं में सारा प्रशासन चलाया जाय इस बात का हमने संकल्प किया है, और इस विधान सभा में ही उसकी अवहेलना हो और इस हद तक हो और विदेशी भाषा को यहां इस हद तक महत्व दिया जाय कि, हिन्दी में अमेन्डमेन्ट्स दें वे अवैध हो जायं, मैं समझता हूं कि यह अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो टिनेन्सी एक्ट है वह अंग्रेजी में पास हुआ है और अमेन्डमेन्ट्स अंग्रेजी में पास हुए हैं। और जो यह अंग्रेजी में बिल पेश किया गया है वह टिनेन्सी एक्ट का अमेंडिंग बिल है। तो उस पर दोनों चीजें कैसे चलेंगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, कभी चेन्ज नहीं हो सकती है जब 1955 में पास हो गया तो उसका सारा प्रोसीजर अंग्रेजी में है तो क्या वह कभी भी चेन्ज नहीं होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 26 जनवरी, 1968 से पहले तो जितने कानून पास हुए हैं वे सब अंग्रेजी में हुए हैं तो इनमें जितने भी संशोधन विधेयक आयेंगे वे हिन्दी में नहीं अंग्रेजी में आयेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : आप सलाह दें कि कैसे करें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलायेंगे कि उनका जन्म अंग्रेजों के जमाने में हुआ है तो जब तक वे जिन्दा रहेंगे तब तक अंग्रेजी कायम रहेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या एक्ट या बिल पेश होगा वह नया बिल अंग्रेजी में नहीं हिन्दी में आयेगा और जो पुराने एक्ट्स के अमेन्डमेन्ट्स आयेंगे वे अंग्रेजी में जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गोबर गणेश हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य बार बार गोबर गणेश की दुहाई देते हैं तो मैं कहता हूं कि इन शब्दों को एक्सपन्ज किया जाय। क्या आप अपने आपको ज्यादा काबिल समझते हैं ? इसके लिए ये मेरे से माफी मांगें कि कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करेंगे।

Page No. 91

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको इससे दुःख पहुंचा है तो मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : गणेश कहते हैं तो नाराज क्यों होते हैं। गणेश गोबर का भी होता है और पत्थर का भी होता है। आपको पूजा की दृष्टि से कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : आन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर! उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि जिस प्रकार 26 जनवरी से ·······

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): एक व्यवस्था का सवाल तो डिस्पोज ऑफ हुआ ही नहीं और दूसरा उठ गया।

श्री विजयसिंह रावत: आप सुन तो लें। मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि 26 जनवरी को सरकार की ओर से ऐसी घोषणा हुई थी।

श्री शंकरलाल : पहले वाले को तो डिस्पोज ऑफ हो जाने दीजिये·····

श्री उपाध्यक्ष : दोनों एक से ही प्रश्न हैं।

श्री विजयसिंह रावत : जो घोषणा थी उसके अनुसार यदि एक्ट में हिन्दी में संशोधन कर सकते हैं या नहीं इस पोइन्ट को विधि विभाग को रेफर किया जाय। जब तक वहां से टिप्पणी नहीं आ जाय तब तक इसे स्थगित किया जाय ······

श्री उपाध्यक्ष : तब तक क्या किया जाय?

श्री विजयसिंह रावत : विधि विभाग से राय ली जाय कि 26 जनवरी को जो घोषणा की थी कि सारा काम हिन्दी में ही किया जायगा उसके अनुसार माननीय सदस्यों ने अमेन्डमेन्ट हिन्दी में दिये थे और क्योंकि मूल टिनेन्सी एक्ट अंग्रेजी में है इसलिये उनके हिन्दी में दिये हुए अमेन्डमेन्ट्स स्वीकार नहीं किये यह एक अहम बात है इसलिये मैं चाहूंगा कि इस बात को विधि विभाग को रेफर किया जाय और उनकी सलाह ली जाय कि क्या करना चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि हमारे मंत्रीजी जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और आज भी भाषा मंत्री हैं और जहां जाते हैं वहां हिन्दी की वकालत करते हैं फिर भी वे इस प्रकार के अध्यादेश अंग्रेजी में रखते हैं यह राजस्थान विधान सभा और राजस्थान सरकार दोनों के लिये शोभा की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विचाराधीन प्रश्न है व्यवस्था का उसमें आप दूसरी बात कह रहे हैं यह उचित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) रामानंदजी ने प्रश्न उठाया है उसमें यह होना चाहिये कि सेक्रेटेरियट ने जो सर्कूलर जारी किया है कि हिन्दी में अमेन्डमेन्ट नहीं लेंगे उसको विथड्रा करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : पहली बात तो यह है कि यह प्रश्न व्यवस्था का है या नहीं यह विचारने की बात है तो यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है क्योंकि व्यवस्था नियमों की अवहेलना हो या संविधान की धाराओं की अवहेलना हो तो व्यवस्था का प्रश्न बनता है।

दूसरा प्रश्न यह है जैसा कि विजयसिंहजी ने कहा कि इसे विधि विभाग को सौंप दिया

(श्री उपाध्यक्ष)

जाय। धारा सभा विधि विभाग से राय नहीं लेनी है अपना ही निर्णय करती है। राय लेनी होती है तो प्रस्तुत करने से पहले ही ले ली जाती है।

तीसरा प्रश्न राजस्व मंत्री जी ने बताया कि मूल विधेयक अंग्रेजी में है-इसलिये हिन्दी में यदि संशोधन स्वीकार करलें तो असुविधा की बात हो सकती है क्योंकि यह ट्रान्जीशनल पीरियड है इसलिये असुविधा माननीय सदस्यों को भी होती है मूल विधेयक अंग्रेजी में हैं इसलिए अंग्रेजी में दें या हिन्दी में। इसमें माननीय सदस्यों के पास सुझाव हो कि अंग्रेजी के बजाय हिन्दी कर सकते हैं तो दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हिन्दी के अनुवाद को ओथेन्टिक मान लिया जाय।

श्री रामकिशन : अनुवाद अधिकृत हो तो हिन्दी में संशोधन स्वीकार करने में कोई दिक्कत है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मूल अध्यादेश जितने भी हैं वे अंग्रेजी में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मूल एक्ट अंग्रेजी में और उसके अनुवाद का अमेन्डमेन्ट होता नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर तो 26 जनवरी 68 से पहले के सभी अंग्रेजी में बने हुए हैं उन तमाम का ट्रान्सलेशन हिन्दी में करलें और उनको अधिकृत अध्यादेश मानलें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब तक विधान सभा नहीं मानेगी तब तक ओथेन्टिक कैसे होंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वर्ना तो इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी चलती रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि यह अहम प्रश्न है इस पर विचार करके निर्णय किया जा सकता है और इसके लिये समय की आवश्यकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें यह हो सकता है, राज्य सरकार की जो भी नीति है वह समाचार पत्रों में पढ़ने में मिलती है कि हिन्दी का प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन आचरण दूसरा ही है। राजस्थान विधान सभा में जो भी विधेयक हों वे मूल हिन्दी में हों।

श्री उपाध्यक्ष : आयन्दा के लिये जो भी विधेयक पास होंगे वे हिन्दी में होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बिल तो कल ही पेश किया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनके जो अनुवाद है उनको किस तरह से वेलिडेट किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 26 जनवरी 68 से पहले जो विधेयक पास किये गये हैं वे सब अंग्रेजी में किये गये हैं उन सब का अनुवाद करेंगे तब तो 10 वर्षों में भी संभव नहीं इसलिये यह मानकर चलना चाहिये कि उन विधेयकों में जितने संशोधन आयेंगे वे सब अंग्रेजी में आयेंगे, हिन्दी का प्रश्न ही खडा नहीं होगा। गृह मंत्रीजी बतादें इसका क्या उपाय हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मूल कानून का हिन्दी में अनुवाद होने के बाद होगा यह गंभीर बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर इसमें क्या करें ?

एक माननीय सदस्य: हिन्दी में अमेन्डमेन्ट्स पेश करते हैं वह ले लिया जाय और उसका ट्रान्सलेशन करके संशोधन अंग्रेजी में मानलिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: इस बारे में अगली बैठक में निर्णय लेंगे।

श्री विजयसिंह रावत: जिन्होंने हिन्दी में अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं उनका क्या होगा?

श्री रामानंद अग्रवाल: यह सीरियस प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: सीरियस बनाया जा रहा है। आज तक कानून पास किये हैं।

श्री रामानंद अग्रवाल: यदि हमें स्विच ओवर करना है हिन्दी को तब तो प्रश्न महत्वपूर्ण है और नहीं करना है तो महत्वपूर्ण नहीं है। आप विरोधी पार्टियों से भी सहयोग लेकर मिल कर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष: आयन्दा जितने विधेयक पेश होंगे वे हिन्दी में होंगे। प्रश्न है संशोधन लिये इसके लिये क्या किया जाय। मैंने निवेदन किया कि एक दो दिन में निर्णय ले लेंगे। प्रश्न यह है कि हिन्दी में ले लें और ट्रान्सलेशन करें तो ट्रान्सलेशन कौन कर सकता है?

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अधिकृत अनुवाद हिन्दी में करते हैं उसमें संशोधन लेने में क्या दिक्कत है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आज यह हो सकता है कि विचारार्थ पर आज डिबेट हो और कंसीड्रेशन की स्टेज बाद में हो।

श्री उपाध्यक्ष: सभा निर्णय करेगी, मैं व्यवस्था क्या करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप करेंगे। आप आसन पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आसन तो जो आपका आदेश होता है उसको अपने मुंह से बता देता है।

श्री दामोदरलाल व्यास: आप हमें कुछ निर्णय सुना दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामकिशन प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मैंने प्रस्ताव नहीं रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने रख दिया है।

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1968 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1968 को जनमत जानने के लिए पारित किया जाय......

श्री दामोदरलाल व्यास: करेंगे?

श्री रामकिशन: प्रसारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस बिल को सदन में लाया गया है उससे मालूम पडता है कि सबसे सीधा, सच्चा और निर्दोष बिल है और मंत्रियों का व्यवहार है, माननीय मंत्रियों का उससे भी ऐसा लगता है कि न इसमें गडबडी है और न इसमें झंझट है, इसमें केवल दो बातें रखी हैं एक तो मंदिर

(श्री रामकिशन)

मस्जिद और गुरूद्वारे की जमीन को सीमा से छूट देंगे, जो अधिकतम सीमा है उससे और दूसरे जो पाकिस्तान चले गये हैं उनकी जमीन को सरकार ग्रहण कर लेगी और उनके खातेदारी राइट खत्म हो जायेंगे। इस बिल के बारे में सोचने समझने से मालूम पड़ता है कि मंत्रियों ने जो काम किया है, राजस्थान सरकार जो काम करने जा रही है इसके पीछे पवित्र उद्देश्य है और देश की नैशनलिटी को मजबूत करने का प्रश्न इसके पीछे है और दूसरी तरफ इसके पीछे धार्मिक सवाल है इस तरह से यह विधेयक पेश किया जा रहा मैं सोचता हूं कि सदन में जो भी बिल आये हैं उन सबमें एक विलक्षण तरीके से सरकार को अपनी घोषणाओं से बाहर निकलने का तरीका इसमें मिलता है। इसके द्वारा उस चीज को छिपाना चाहते हैं जो घोषणायें सदन में की हैं अभी शंकर लाल जी कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की····

श्री शंकरलाल : सदन में घोषणा नहीं की, बाहर की।

श्री रामकिशन : सदन में घोषणा की थी उन्होंने सदन में जितनी घोषणा की है उनके लिए आप पिछले पन्द्रह सालों की किताबों को पढ़ें तो उन्होंने इतनी घोषणायें की हैं कि वह बाल्मीकी रामायण से भी ज्यादा बढ़ जायंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कानून इतने पहले आपने पेश किया और जिसके द्वारा हमने तय किया था, हमने यह तय किया था इस सदन में कि हम हिन्दुस्तान में समाजवाद लाना चाहते हैं, हमने उस समय हिन्दुस्तान में से गरीबी मिटाने का तय किया था और समता लाने का तय किया था। हमने यह सोचा था कि पहले अधिकतम सीमा का, कि अधिकतम सीमा जमीन की यह होगी, सवाल तय हो जाय तो फिर पूंजी की सीमा पर भी हाथ डालेंगे। लेकिन इस बिल के द्वारा जो कानून पेश हुआ है उससे लगता है कि दस साल पहले जो कानून पास किया था उसको लागू करना चाहिए लेकिन उसके बजाय सरकार एक्जेम्प्शन्स लागू कर रही है। सरकार हर बार आती है और एक्जेम्प्शन के लिये बिल लेकर आती है। हमें यह पता नहीं लगता है कि आखिर सीलिंग कानून का क्या हुआ। इस कानून की तब चर्चा बहुत लम्बी चौडी होती है जब देश में चुनाव होते हैं और जब राजस्व मंत्री जी गरीब की झोंपड़ियों में जाते हैं। तब इस प्रगतिशील कानून की लम्बी चौडी चर्चा होती है। अभी मालपुरा के अन्दर किसानों में जो भाषण किया उससे मालूम पडा कि सरकार जमीन बांटने जा रही है। आखिर जमीन बांटने कहां जा रही है? जो जमीन बंटी हुई है उसको सरकार छीनने जा रही है और जगह जगह इसके लिए प्रयत्न किये जा रहे है। इस बिल के द्वारा यह भावना प्रकट की जा रही है कि सरकार धर्म के मामलों में बहुत जागरूक हो गई है और राजस्व मंत्री जी का सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव है। मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के लिए यह बिल लाया जा रहा है और इसके द्वारा जमीन छीनने के बजाय सरकार उनको छूट दे रही है। इस बिल के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इतना बडा धर्म राज्य राजस्थान के पहले कभी नहीं हुआ। इस प्रकार के विचार और भावना को राजस्थान सरकार इस विधान सभा के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं

(श्री रामकिशन)

मैं यह तो समझ गया कि आप मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को छूट देना चाहते हैं लेकिन जमीन के बंटवारे के लिए अधिकतम सीमा कानून के द्वारा निश्चित करने के बाद भी उस कानून को आप लागू कब करने जा रहे हैं? इसका फैसला कब लेंगे? इसके लिए कभी जून कहते हैं, कभी जुलाई कहते हैं। जब आपने सीलिंग का कानून पास किया था उस वक्त कहा था कि इस कानून को लागू करने जा रहे हैं। इसके बारे में लगातार कई बार घोषणायें हुई हैं। लगातार सरकार कान्फ्रेन्स के द्वारा सम्मेलनों के द्वारा और इस सदन के द्वारा, यह घोषणा करती है कि इस कानून को शीघ्र लागू करने जा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि कानून को लागू नहीं करके छूट किस किसको दी जा सकती है, उसको लागू करने जा रहे हैं। मैं मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों का विरोधी नहीं हूं, वैसे धर्म के मामले में मेरे दूसरे विचार हैं। मैं सोचता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता का कल्याण तब ही हो सकता जब कि वह धर्म के दायरे से बाहर निकलेगी। अब तक जनता को धर्म के नाम पर, ईश्वर की पूजा के नाम पर और सम्प्रदायों के नाम पर विभाजित किया जाता रहा है और हिन्दुस्तान की प्रगति को रोका गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए कल्याणकारी बात नहीं हो सकती है।

मैं दूसरी चीज जानना चाहूंगा कि जो एक्जेम्प्शन्स देने जा रहे हैं मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को तो इसके साथ साथ में जो दिक्कतें खडी होंगी उनके बारे में आपके मस्तिष्क में क्या है? आप उनके लिए कानून के द्वारा क्या लाना चाहते हैं? मैं उन मुद्दों के बारे में जानकारी चाहूंगा। सबसे पहले जो मैं यह जानकारी चाहूंगा कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो कहा है वह तो हमने समझ लिया है लेकिन इसके साथ साथ आपको यह तथ्य

(4.05 पू. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन,)

भी प्रस्तुत करने चाहिएं कि राजस्थान के अन्दर कितने ऐसे मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं जिनके पास में सीलिंग से ज्यादा जमीन है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के पास ऐसी जानकारी होगी। मैं भी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में काफी घूमा हूं, उनके बारे में मुझे पता रहता है। लेकिन मन्दिर और मस्जिद से मेरा काम कम पडता है इसलिए मुझे उनकी पूरी जानकारी नहीं। लेकिन पूर्वी राजस्थान में जहां घनी आबादी है, जहां पर काफी आदमी बसतें हैं, वहां के लिए में जानता हूं कि वहां ऐसा कोई मन्दिर, मस्जिद नहीं है। भरतपुर और अलवर में एक दो मन्दिर ऐसे हैं जिनके पास में स्टेन्डर्ड एकड़ की सीमा से ज्यादा भूमि होगी, वरना और कोई ऐसा मन्दिर नहीं है। तो फिर कहां है जमीन जिसके लिए यह कानून लाया जा रहा है। सभानेत्री महोदया, मैं समझता हूं कि इस कानून को विशेष स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए लोगों को खुश करने के लिए चाहे वह लोग आपके हों या नहीं हों मैं इस विवाद में नहीं पडना चाहता कि वह किस प्रकार के लोग हैं लेकिन ऐसे लोग हैं जिनका आपके ऊपर दबाव पडा है और आप चाहते हैं कि इस कानून की आड

(श्री रामकिशन)

कि उनको सुविधायें दे दी जायं। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं। ईश्वर की आराधना का जो मनुष्य का अधिकार है उसको आप सुरक्षित रखें लेकिन सरकारी आधार पर इस प्रकार ईश्वर की आराधना के प्रचलन को प्रोत्साहित करते हैं तो मैं उसका विरोधी हूं। क्योंकि धर्म को लेकर दूसरे मुल्कों में और संसार में दिक्कतें हुई हैं, धर्म के नाम को लेकर लूट, हत्याएं होती रही हैं। क्या आप उनको कम नहीं करना चाहते हैं और उल्टे बढाना चाहते हैं. इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यह बतायें कि राजस्थान में इतने कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिद हैं और कितने गुरुद्वारें हैं जिनके पास अधिकतम सीमा से अधिक जमीन है? अगर यह सूचना हमारे सामने होती तो हम इस विधेयक पर दूसरे ढंग से विचार करते। लेकिन आज सदन को मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के पास अधिकतम भूमि की जानकारी नहीं है और न यह जानकारी है कि राजस्थान में कितने मन्दिर हैं और फिर उनमें क्या व्यवस्था है, क्या उनके ट्रस्ट बने हुए हैं, उनमें पूजा भी होती है या नहीं और क्या पूजा सेवा के अलावा और कोई दूसरे काम होते हैं? क्या उनके अन्तर्गत कोई शिक्षण संस्थायें चलती हैं या दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं का काम उनके अन्तर्गत चलता है। अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट या सूचना हमारे सामने होती तो सदन के सदस्यों की भावनायें दूसरी होतीं और सदन उस पर दूसरे ढंग से विचार करता। अभी यह पता नहीं चलता है कि फलां जगह मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के अन्तर्गत अध्ययन का काम चलता है, फलां जगह भारतीय संस्कृति के अनुसंधान का काम होता है, फलां जगह वेद पुराणों की व्याख्या और भाष्य करने का काम चल रहा है। इस बिल से अभी हमें यह पता नहीं चलता है कि मन्दिर और मस्जिद हैं उनमें सेवा पूजा के अलावा और कौनसा काम चलता है। इस चीज की जानकारी हमें नहीं हो सकी है इस बिल के द्वारा। इसलिए चैअरमैन महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें सरकार जल्दी न करे क्योंकि आखिर करोडों लोगों की भावना का सवाल है। जो यह कानून लाया जा रहा है इसमें राजस्थान के सारे समाजों का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व हो जाता है, इसलिए सारे लोगों को इसके ऊपर शांति के साथ सोचना है। मैं समझता हूं कि इसको कानून के द्वारा आर्डिनेन्स के द्वारा लाने की जरूरत नहीं थी। अब जो मूल आर्डीनेन्स को वापिस लेकर कल जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है उससे मालूम होता है कि पाकिस्तान भाग गये लोगों वाली बात सरकार के दिमाग में बाद में आई है। असल बात तो मन्दिर और मस्जिद की थी, वह आज नहीं आज से पन्द्रह बीस साल पहले साफ हो जानी चाहिए थी। जो सबसे पहले तो सदन यह जानकारी करना चाहेगा कि इस सब में कितने ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जो इस छूट का लाभ उठाना चाहेंगे, इस प्रकार की जानकारी राजस्व मंत्री जी मुझे व्यक्तिगत तौर पर दे दें तो उनकी कृपा होगी। वैसे आपको अधिकार है कि आप इस विधेयक को पास करा लें अपने बहुमत के बल पर, लेकिन इसके दूसरे परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या परिणाम निकल सकते हैं—इस सम्बन्ध में आपको सोचना चाहिए।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको आप एक्जेम्प्शन देंगे, जिन

(श्री रामकिशन)

मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को एक्जेम्प्शन देंगे, उनके ट्रस्ट हैं या नहीं? वह ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं या नहीं? उनके पास जो जमीन रहेगी अगर वह उसको बेच देते हैं तो उसका आप क्या इलाज करेंगे? आपका कहना है कि यह धार्मिक संस्थान हैं और इनका सेवा पूजा का काम है उनका इस आमदनी से ही काम चलता है। लेकिन अगर वह रजिस्टर्ड नहीं हैं, जितने मन्दिर, मस्जिद हैं वह ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इसमें आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर वह किसी प्रकार से जमीन को ट्रान्सफर कर देते हैं, मान लीजिये कि बेनामी ट्रान्सफर कर देते हैं तो क्या आप उनके ऊपर कोई पाबन्दी लगायेंगे या किसी दूसरी तरह से कर देंगे। मैं समझता हूं कि इसका नतीजा यह होगा कि जितने भी मन्दिर, मस्जिद हैं, उनमें जो जमीन रहती है तो आम तौर पर पुजारी खातेदार बन जाता है, और पुजारी खातेदार बनता रहा है? यह प्रेक्टिस है, यह देश में है इससे आप इन्कार नहीं कर सकते हैं। जब वह खातेदार है तो उनको अपनी खातेदारी को बेचने का अधिकार है फिर आप उनको किस तरह से रोकेंगे। इसलिए जो क्राइसिस आज इसके द्वारा पैदा होने वाली है उस पर अगर आप चार पांच साल पहले गौर करते तो उसका कोई समाधान हो सकता था। तो आप इस सम्बन्ध में भी जानकारी दें कि इसके लिए कानून में क्या व्यवस्था की गई है?

तीसरी जानकारी मैं यह चाहूंगा, अभी जैसा सतीशचन्द्र जी ने कहा, जो इस सदन के काफी सुलझे हुए वकील हैं और कानून के मामले में उनकी अच्छी जानकारी है, लेकिन वह एक पक्ष को जान बूझ कर गायब कर गये शायद उन्होंने सोचा होगा कि मन्दिर, मस्जिद के चक्कर में क्या पड़ा जाय। इसमें सब लोगों की भावनाओं का सवाल है इसलिए दूसरी पार्टियों को लड़ने दें····

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अभी बोलूंगा।...

श्री रामकिशन: बोलेंगे। तब तो जनसंघ प्रगतिशील पार्टी बनती जा रही है।

श्री भैरोंसिंह: जनसंघ तो प्रगतिशील पार्टी है। आप अपनी बात कह दीजिये।

श्री रामकिशन: तो सदन को इस सम्बन्ध में राय बनानी पड़ेगी। इस तरह राजनीति को कानून के बीच में लाकर, कानून को धार्मिक भावनाओं के बीच में लाकर हम अपने फायदे की दृष्टि से नहीं चल सकते हैं। हम हिन्दुस्तान में जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं और हमारा जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो उस पर हमें बगैर दलीय आधार के विचार करना पड़ेगा। आखिर इसमें जो बातें हैं उनका परिणाम क्या निकलेगा उसके ऊपर मैं राजस्व मंत्री जी का साफ उत्तर चाहूंगा। . . . .

इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि गंगानगर वगैरह में भी जहां बड़ी बड़ी जमीनें हैं, वहां पर अलग अलग सम्प्रदाय के लोग हैं। आपने इस विधेयक में मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के लिए तो कर दिया। लेकिन यह देश बड़ा विलक्षण है, यहां पर जितने देवता हैं उतने ही अलग अलग सम्प्रदाय हैं। यहां पर मन्दिर, मस्जिद गुरुद्वारे हैं तो गोरखपन्थी, कबीरपन्थी आदि कई सम्प्रदाय हैं। वह मूल रूप से भारतीय हैं। यह उनके

(श्री रामकिशन)

दिमाग में नहीं आता है। वह कहते हैं कि हमारा सम्प्रदाय अलग है। उनका भी इससे सम्बन्ध होगा या नहीं मैं चाहूंगा कि आप इसकी भी जानकारी दें। राजस्थान में जितने भी सम्प्रदाय हैं, चाहे वैष्णव हों, चाहे वह शैव्य हों, चाहे गोरखपन्थी हों, चाहे कबीरपन्थी हों, चाहे ईसाई हों या गिरजाघर में जाने वाले हों, चाहे पारसी हों। उनके सेवा के स्थान हों यह सब भी इसमें शामिल होंगे या जो इसमें चार कैटेगरीज हैं यह ही इसके दायरे में रह जायेंगी और बाकी के सब बच जायेंगे। इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा दूसरी चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह है जिस पर हमें सोचना है कि हम इन्हें एक्जेम्प्शन दे देंगे, तो इसके द्वारा राजस्थान में इस प्रकार की भावना तो पैदा नहीं कर रहे हैं कि राजस्थान में सीलिंग का कानून नहीं आ रहा है, वह खत्म हुआ। आखिर क्या जरूरत ऐसी पड गई थी जिसके कारण इस विधेयक को लाना पड़ा, जब कि सरकार कह रही है और इस सम्बन्ध में इस सदन को विश्वास दिलाया है मुख्य मंत्री जी ने और मंत्री महोदय ने मई के अन्दर हम कानून लागू करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्डीनेन्स को लाने की जरूरत क्या पड़ गई? और अगर जरूरत पड़ गई तो आर्डीनेन्स लाने से पहले आपने इस चीज को साफ कर लिया है कि कितने मन्दिर, मस्जिद को छूट दे रहे हैं? मेरा हक है कि आपने इन सारी बातों को किसी परोक्ष दबाव के कारण या किसी और कारण से किया है जिससे कि सम्बन्धित लोग हैं वह दब जायं और जो नासमझ लोग हैं वह इस कानून के दायरे में फंस जायं। इससे ज्यादा अर्थ इस विधेयक का निकलता नहीं है। इसके लिए आप आर्डीनेन्स बना कर लायें, यह मेरी समझ में नहीं आता, इस प्रकार की ऐसी क्या जरूरत आ गई।

सभापति महोदया, एक चीज यहां कही गई कि पाकिस्तान जो लोग चले गये हैं उनके खातेदारी के राइट इससे खत्म हो जायेंगे। श्री सतीशचन्द्र जी ने इसके कानूनी पक्ष पर अच्छा प्रकाश डाल दिया है। मैं तो इसके मानवीय पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं मेरा विचार यह है कि जहां दो राज्यों की सीमायें मिलती हैं, दुनियां भर में, केवल हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में नहीं, जहां भी अविकसित राज्यों की, दो राज्यों की सीमा मिलती है तो वहां आम तौर पर टण्टे रहते हैं। जहां भी किसी देश का विभाजन हुआ है, कोरिया है, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान है, वियतनाम है, जर्मनी है–वहां उनकी सीमाओं पर तनाव रहता है और वहां एक राज्य के नागरिकों का देश को छोड़ भागना एक साधारण सी घटना है और ऐसी स्थिति वहां तभी होती है जब टण्टे होते हैं। कोई यह समझे कि मैं पाक समर्थक तत्वों का समर्थन करता हूं, तो वह इस भ्रम में नहीं रहे। मैं मुल्क की रक्षा के लिए उतना ही जिम्मेदार हूं उतनी ही मेरे दिल के अन्दर भावना है जितनी कि किसी दूसरे के दिल के अन्दर हो सकती है। मैं तो इसके मानवीय पहलू पर प्रकाश डालना चाहूंगा हमारे यहां भरतपुर के अन्दर रॉइट्स हुए तो उस समय बहुत से मेव वहां से भाग गये। उस समय उनके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस स्थिति में यह होता है कि किसी तरह से यहां से भागें और अपनी जान बचायें। पाकिस्तान में जितने हिन्दू

(श्री रामकिशन)

रहते थे वह वहां से भागे। उनके सामने भी भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब पाकिस्तान ने कोई गलत काम किया या कानून बना दिया यह दूसरी बात है। तो वह लोग घबराकर भाग गये और उनमें से कुछ लौट आये। अब राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर में पाकिस्तान से सीमा मिलती है तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की इस सीमा पर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। पाकिस्तान में जब आज की सरकार रहेगी जब अयूब की सरकार रहेगी और भारत में जब कांग्रेस की सरकार रहेगी–तब तक यही तनाव की स्थिति रहेगी । अगर दूसरी सरकारें आयें तो तनाव की स्थिति को समाप्त करने का भी एक तरीका है। (शोरगुल) आप नहीं समझेंगे इस तरीके को । और आपको समझना हो तो मुझसे कल समझ लेना । तो यह दोनों सरकारें जनता के शोषण को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए तनाव वाली स्थिति पैदा करने के लिए छोटे मोटे झटके देते रहते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि संकट की स्थिति में लोगों में घबराहट पैदा होती है । मैं नहीं कहता कि जो देशभक्त नहीं हैं उनके खिलाफ आप कुछ कार्यवाही न करें । उसके लिए तो कानून बना हुआ है और उसके तहत उनको सजा देनी चाहिए, आप ऐसे लोगों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, वह देनी चाहिए । ऐसे कानून से सजा देने की कार्यवाही की पूर्ति नहीं होती है तो इस सदन में या लोक सभा में इस तरह का कानून बना कर जो देशभक्त नहीं हैं, जो देशद्रोही हैं उनको सजा दे दीजिये । लेकिन तनाव की स्थिति है तो उसमें जो गरीब आदमी हैं वह अपने रिश्तेदार के पास ही भागेगा । उसके अलावा उसके सामने और कोई चारा नहीं है । आप यह कहेंगे कि वह पासपोर्ट लेकर क्यों नहीं गया । तो जब तोप बरस रही हैं और गोली बरस रही हैं उस वक्त वह पासपोर्ट कैसे बनवा सकता है । पासपोर्ट के लिए उसको कलेक्टर को लिखना पड़ेगा और कलेक्टर उसको रिकमन्ड करेगा । उसके बाद में वह होम डिपार्टमेन्ट के पास चक्कर लगाये । यह सब उस स्थिति में सम्भव नहीं है । वह सम्भव होगा भी नहीं । मैं कानून में व्यवस्था के लिए माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो देश द्रोही हैं, और जो देशभक्त या साधारण नागरिक हैं या सम्पन्न नागरिक हैं उनको आप किसी तरह से अलग अलग कर सकते हैं क्या ? मेरा तो कानूनी मामलों में दखल नहीं है । मैं तो मानवीय पक्ष की बात कह रहा हूं । अगर कानून के जानकार लोग, इस सदन में जो कानून के जानकार सदस्य हैं वह विचार करें कि इस तरह से लोगों को जबर्दस्ती पाकिस्तान की गोद में धकेल रहे हैं या नहीं धकेल रहे हैं । अगर धकेल रहे हैं तो हम समझते हैं कि जिस राष्ट्रीय उद्देश्य से काम करना चाहते हैं वह असफल हो रहा है । अगर आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का फैसला युद्ध से हो जायगा तो मैं समझता हूं कि कोई भी देश हो, आज ढ़ाई करोड़ लोगों को युद्ध से पराजित नहीं किया जा सकता है । वियतनाम इसका एक उदाहरण है । यह बात और है कि हिन्दुस्तान की सरकार कमजोर है और हर बात पर वह अपने घुटने टेक देता है । लेकिन इन बातों से इसका फैसला नहीं हो पायेगा । मैं सोचता हूं कि जो लोग सीमा पर बसे हुए हैं, जिनकी लड़की पाकिस्तान की है और दामाद उनका है, या दामाद उनका है

Page No. 100

(श्री रामकिशन)

और लड़की पाकिस्तान की है तो जब भी कोई झगड़ा-टण्टा होगा तो दामाद किसके पास जायगा ? वह अपनी पत्नी, साले, ससुर के पास ही जायगा, कोई राजस्व मंत्री जी के पास तो आयेगा नहीं...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह मेरे पास नहीं आयेगा ।

श्री मदनसिंह दांता : अगर उसका रिलेशन अयूब से होगा तो अयूब के पास जायगा ।

श्री रामकिशन : अयूब का रिश्ता कोई कुंजड़ो या भड़वों से नहीं हो सकता है बडे लोगों से हो सकता है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मंत्री जी से हो सकता है ।

श्री रामकिशन : वह भी नहीं हो सकता । मैं इस बारे में जानना चाहूंगा राजस्व मंत्री जी से । मैं कह रहा हूं कि इस मामले में मेरा दिमाग साफ नहीं है । मेरी मान्यता है, मैं कोई कानूनी राय नहीं दे रहा हूं । लेकिन यह स्थिति है, यह सच्चाई है, यह मुझे जानकारी है कि जो लोग गरीब नागरिक होते हैं, अज्ञानी होते हैं तो जब झगड़ा टण्टा होता है वह इस तरह भाग जाते हैं । इसके विपरीत जो लडाई होती है तो जो बडे लोग हैं, सम्पन्न लोग हैं और चेतन लोग हैं वह तो हवाई जहाज से भाग जाते हैं । उनको क्या दुःख है ? लेकिन जो गरीब हैं, उन्हें न पाकिस्तान से मतलब है, न हिन्दुस्तान से मतलब है, न मन्दिर से मतलब है और न मस्जिद से मतलब है । वह तो कल कारखानों में छोटे धन्धे करते हैं और उनको ही इस प्रकार से सजा भुगतनी पड़ती है । तो कानून के द्वारा इनको डिफरेंन्सियेट करके एक वर्ग को आप बचा सकते हैं और जो दूसरा वर्ग है, उनके लिए जो साधारण कानून है वह उनको सजा देने में सक्षम नहीं है । मैं समझता हूं कि सीमा पर अगर संघर्ष हो जाय तो जिसका पाकिस्तान में रिश्तेदार है वह वहां जायगा । अगर यह जुर्म है और उसको सजा कानून के द्वारा दे सकते हैं तो वह सजा दें । एक तरह से कानून की तलवार लेकर आप उन लोगों को पाक समर्थक बना रहे हैं । मैं समझता हूं कि उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था । वैसे उनको देश में रहना चाहिए जो लोग बहादुर होते हैं वह जान पर खेल कर भी वहीं रहते हैं । लेकिन हमारे देश की जो हालत है, वह यह है कि जब आसाम के ऊपर हमला हुआ था, तो वह लोग वहां रहे, वह वहां से नहीं भागे और सीमा पर जब चीन की फौज आई तब भी वहीं रहें तो हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने क्या कहा था कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता...

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा नहीं कहा ।

श्री रामकिशन : आप उस समय तो बच्चा थे । आगरे में पढ़ते थे । दूध के कुल्हड़ फोड़ते रहते थे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसी बात क्यों बता रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता सकते हैं कि आगरे के किस होस्टल में किस कमरे में रहते थे ?

श्री रामकिशन : कमरे का पता है, गली का भी पता है, जहां कचौडियां खाया करते थे वह भी पता है ।

Page No. 101

श्री प्रद्युम्नसिंह : पता है तो बता दें।

श्री रामकिशन : ठीक है, अब मंत्री है, सम्माननीय है !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : गलत है।

श्री मूलचन्द डागा : कचौडी की बात अलग है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी बात गलत है कि मैं कचौडियां खाया करता था।

श्री रामकिशन : मेरी बात गलत है, तो शिवचरण जी उस समय लोक सभा के सदस्य थे, उस समय प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया वह उनको मालूम है। आपसे कौन बहस करे। आप कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐसा स्टेटमेन्ट नहीं दिया कि मैं आसाम की रक्षा नहीं कर सकता। यह गलत है, बेबुनियाद है।

श्री रामकिशन : अब मेरे पास सही करने का कोई चारा नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : गलत बात कहने में और गलत आंकड़े देने में पंडित जी माहिर हैं।

श्री शंकरलाल : नेहरूजी का ऐसा वक्तव्य है तो माननीय सदस्य बता दें। वह प्रस्तुत करें।

श्री मदनसिंह दांता : इस प्रकार का वक्तव्य है। उनके आंखों से आंसू आ गये थे।

श्री रामकिशन : रोने लग गये थे, भर्राई हुई आवाज थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आंसू पोंछने गये थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री रामकिशन : आपके कहने से गलत नहीं हो जायगा, यह ऐतिहासिक तथ्य है, आप दो तीन · ·

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आप बिल पर बोलिये, अगर यह जानते नहीं हैं तो।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, यह गुमराह कर रहे हैं। यह गलत फेक्ट्स प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आपको जवाब देना है तो आप अपने भाषण में दे दें।

श्री रामकिशन : अपने भाषण में जवाब दे दें। सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की अनियंत्रित भीड़ से मेरी रक्षा की जाय। यह अनियंत्रित भीड़ है, इनको ज्ञान नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है, कमजोर बुद्धि हो गई है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर . . .

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप अंधेर कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : देश में जिस वक्त ऐसी फिजा थी कि प्राइम मिनिस्टर घबरा सकता है तो एक साधारण मुसलमान एक कुंजड़ा, एक खेती करने वाला क्यों नहीं घबरा सकता है, क्यों नहीं भाग सकता है · ·

मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्थितियां आती रही हैं और आ सकती हैं

(श्री रामकिशन)

तो मेरा कहना है कि ऐसे लोगों की रक्षा की व्यवस्था करें। अगर ऐसे लोगों की नागरिकता प्रमाणित हो जाय, आपका गुप्तचर विभाग है, वह बैठा रहता है, उसे आप सीमा पर लगा दें और उससे मालूम करें कि कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। अगर कोई देशद्रोही है और यहां से चला गया है तो उसकी जमीन-जायदाद जब्त करें, नीलाम करें, उसको जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, वह सजा दें। ऐसे लोगों को अवश्य सजा मिलनी चाहिये जिससे कि लोगों में देशभक्ति पनपे और देशद्रोह की भावना का खात्मा हो। अगर कोई ऐसी परिस्थितियों में भाग गया है और आप उसकी जमीन को जब्त करते हैं तो इस तरह से तो आप पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनको इस प्रकार का प्रोपेगेन्डा करने का अवसर दिया जायगा कि हिन्दुस्तान से लोगों को भगाया जा रहा है। आज अमेरिकन और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियां हैं, हमारी सही बात को भी नहीं समझ कर दूसरों के द्वारा कही गई गलत बातों को दुनियां के सामने रख कर मजा ले रहे हैं और हमारे दूतावास उनका खण्डन नहीं कर सकते।

इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें जल्दबाजी न करें, जो काम 10 दिन में हो सकता है, वह 1 महिने में भी हो सकता है, गुरुद्वारों की बात एक साल में भी हो सकती है और 15 दिन में भी हो सकती है। इसलिये इसमें जल्दबाजी न करें, ये तीन चार दिन की छुट्टियां हैं, हम आपस में बात कर लें और धर्म के नाम पर और दूसरे प्रकार से इस तरह के विवाद खड़े करना चाहते हैं, यह नहीं करें।

मेरा ख्याल है कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को सीलिंग से छूट नहीं दी जानी चाहिये, देवताओं की पूजा तो एक बताशे से भी की जा सकती है। हिन्दू संस्कृति में जो पूजा का सिस्टम है, माननीय सभापति महोदया, आपको उसका ज्ञान है क्योंकि आप ग्रन्थों का अध्ययन करती रहती हैं। पूजा कहां से शुरू होती है, फूल से, पुष्प से पूजा शुरू होती है। फिर बड़ी बड़ी जागीरें, गुरुद्वारों, मन्दिरों और मस्जिदों के साथ बांधते हैं उससे असमानता पैदा होती है, इससे पूंजीवाद को संरक्षण का मौका मिलता है, अधिक लोगों में गरीबी बढ़ती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इनको छूट नहीं दी जानी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जनमत जानने के लिये इन दो सुझावों के साथ मेरा प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जाय और इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदया, इस बिल के सम्बन्ध में मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है...

एक माननीय सदस्य : अमेन्डमेन्ट अभी नहीं...

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनमत जानने के लिये प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जैसे माननीय श्री रामकिशनजी ने मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के सम्बन्ध में बातें कही हैं...

श्री रामकिशन : "जो है" नहीं कहेंगे क्या ? सभापति महोदया, ये "जो है" बहुत कहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : देखिये सभापति महोदया, किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के सम्बन्ध में यह बिल पेश हुआ है कि इनकी जमीनों को जो है एग्जेम्प्ट कर दिया जाय...

श्री रामकिशन : हां, अब "जो है" कहा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनके एग्जेम्प्शन का क्लॉज यहां प्रस्तुत किया गया है। पहले भी जो एग्जेम्प्शन सीलिंग के लिये किये सभापति महोदया, आपको विदित होगा कि उनका कितना दुरुपयोग हुआ है। लोगबागों ने मेकेनाइज्ड फार्म बना कर, शीप ब्रीडिंग फार्म बना कर और कई तरह के फार्म बना कर सीलिंग से एग्जेम्प्शन लेने का प्रयास किया। उसी तरह से यह नया प्रयास हमारे सामने आया है। मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गौशालाओं का नाम उपस्थित किया गया है और उनके द्वारा एग्जेम्प्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं। राजे, महाराजे और बड़े बड़े जमींदारों ने पहले भी एग्जेम्प्शन लेने का प्रयास किया और अब जो संशोधन आया है उससे भी प्रतीत होता है कि यह प्रयास किया गया है, इन गुरुद्वारों, मन्दिरों, मस्जिदों और गौशालाओं के नाम से लोग बाग एग्जेम्प्शन लेकर जो जमीन हम सीलिंग में लेना चाहते हैं वह इससे सारी की सारी खत्म हो जायगी।

पहले जितने मन्दिर, मस्जिद, गौशाला, गुरुद्वारे बने हुए हैं, जिनका संचालन समाज के द्वारा हो रहा है चाहे जमीन नहीं भी है। पर अब स्थिति यह आयेगी कि जो संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है इससे नये नये गुरुद्वारे, मन्दिर, मस्जिद और गौशाला के इन्स्टीट्यूशन्स बनाकर सीलिंग से एग्जेम्प्शन लेने के प्रयास किये जायेंगे, क्योंकि इस संशोधन के अन्दर नये मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गौशालाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें मठ भी शामिल होंगे क्या ? टेम्पल्स लिये हैं तो मठ भी लेने चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मठ तो नहीं रहेंगे पर मठाधीश जरूर रहेंगे।

इस प्रकार मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के द्वारा नये नये इन्स्टीट्यूशन्स खड़े करके सीलिंग की जिस प्रकार की भावना है, जो हमारा उद्देश्य है कि सीलिंग के द्वारा जमीन प्राप्त करके भूमिहीनों को दें, इससे वह सारी की सारी भावना खत्म हो जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें इस प्रकार का संशोधन और होना चाहिये कि जो पुराने मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गौशालाएं हैं उनके पास जो जमीन है, वह जमीन तो एग्जेम्प्ट करदी जाय पर इसके साथ ही साथ जो नये इन्स्टीट्यूशन्स खड़े करके इससे एग्जेम्प्शन लेने का प्रयास करें उनको एग्जेम्प्शन नहीं दिया जायगा, इस प्रकार की व्यवस्था मंत्री महोदय, इसमें करें। नहीं तो इन चार शब्दों के नाम पर लोग सीलिंग से एग्जेम्प्ट होने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गौशालाओं के नाम से

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
एग्जेम्प्शन कर दिया है इससे लोग नये नये इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स खड़े करके एग्जेम्प्शन लेने का प्रयास करेंगे। इससे बचने के लिये इस क्लाज में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि पुरानों के सम्बन्ध में यह एग्जेम्प्शन होगा या नयों के सम्बन्ध में यह एग्जेम्प्शन होगा। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का प्रावधान आप इसमें अवश्य करें कि इस प्रकार के नये इन्स्टीट्यूशन्स के लिये यह एग्जेम्प्शन लागू नहीं होगा। वर्ना इसका दुरुपयोग होगा और बहुत बडी जमीनों को लोग हड़पने का प्रयास करेंगे।

सभापति महोदया, मेरा दूसरा निवेदन है कि अभी माननीय रामकिशनजी ने बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं और माननीय जवाहरलालजी नेहरू के सम्बन्ध में कहा कि आसाम में जब चीनी आक्रमण हुआ तो उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि मैं आसामियों की रक्षा नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। यह बिलकुल गलत बात है। नेहरूजी ने कभी इस प्रकार की बात नहीं कही वल्कि जो हमारे काम करने वाले लोग थे, सबने आसामियों की हिम्मत बढ़ाने की, हौसला बढ़ाने की कोशिश की और उनकी इमदाद करने के प्रयास किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलत बातें सदन में कह कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिये।

जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है, जो बोर्डर से सम्बन्ध रखता है, जो लोग किसी भी कारण से बिना पासपोर्ट के, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनमें किस प्रकार की देश के प्रति वफादारी है, उन्हें नहीं जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने जो संशोधन इस प्रकार का रखा है, वह वाजिब है। जो लोग देश को छोड़ कर चले जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उनको हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनकी जमीन जायदाद जब्त हो जानी चाहिये। इसलिये मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इस प्रकार का संशोधन बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था, इसके बहुत पहले ही नहीं आ जाने से बहुत सी बातें खड़ी हो गई हैं। जब से हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का झगडा हुआ था बहुत से लोग उधर चले गये और कुछ इधर आ गये और जमीनों पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार के प्रयास किये कि उन लोगों को वापिस खातेदारी राइट्स मिल जायं। वे सब लोग अगर यह कानून पहले आता तो वंचित रह सकते थे लेकिन जब भी यह कानून आया, मैं उसका स्वागत करता हूं। उसको जनमत जानने के लिए मैंने अपना प्रस्ताव इसलिए रखा, वह इन दो संशोधनों की वजह से नहीं रखा, वह जनमत जानने के लिए इसलिए रखा कि बहुत सी बातें नहीं रखी हैं जो टिनेन्सी एक्ट में होनी चाहिए थीं और इसके अभाव की वजह से सिर्फ दो छोटे से संशोधनों को लेकर हम पेश कर रहे हैं विधान सभा के सामने, उनसे हमारे टिनेन्सी एक्ट की पूर्ति नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे जितने डिफैक्ट्स हैं इस एक्ट के अंदर, जो खामियां हैं, उनकी पूर्ति की जाय लेकिन इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में ये संशोधन नहीं रखे जायं जिससे जो खामियां हैं वे पूरी हों और टिनेन्ट्स को इस कानून के द्वारा पूरी तरह से लाभ मिले।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जैसा कि सीलिंग कानून के लिए थोडे दिन पहले मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि पहली मई से इसको लागू कर देंगे, इस प्रकार की घोषणाएं बराबर होती आ रही हैं और यह कानून 1960 में पेश हुआ था, 8 साल हो गये हैं, आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और जो संशोधन मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के लिए प्रस्तुत हुए हैं, उनसे स्पष्ट दीखता है कि इसमें और भी कई प्रकार के संशोधन प्रस्तुत होंगे और इस तरह जो हमारा सीलिंग कानून बना हुआ है वह निरुद्देश्य हो जायगा, निकम्मा हो जायगा, इससे किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार के संशोधन जो सीलिंग कानून में लाए गए हैं (पीली बत्ती देखने के बाद) मुझे और दो चार पोइंट्स कहनी हैं, आप लाल झंडी बता रही हैं...

कई माननीय सदस्य : पीली झंडी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार का प्रावधान टिनेन्सी बिल में होना चाहिए था जिससे हमारी जो कठिनाइयां हैं वे दूर हो सकें। हमारे टिनेन्सी बिल में इस प्रकार का प्रावधान है कि जहां पर अकाल पड़ता है और अकाल की वजह से वहां की लगान को सस्पेंड करते हैं, पुराने टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है कि जहां तीन साल तक अकाल पड़े उसके बाद में लगान की माफी के संबंध में सरकार विचार करेगी और आधा या जिस प्रकार का नुकसान होता है उसको देखते हुए टिनेन्सी एक्ट में जिस प्रकार का प्रावधान है तीन साल में एक साल का लगान नुकसान की हैसियत से कम किया जाय। तो मेरा निवेदन है कि इसमें भी संशोधन होना चाहिए क्योंकि जब अकाल पड़ता है तो काश्तकार की सारी की सारी फसल बरबाद हो जाती है चाहे एक साल हो या दो साल हो या तीन साल। तीन साल तक अकाल रहता है तो काश्तकार की हालत बराबर खराब होती रहती है और जिस प्रकार का प्रावधान अब है उससे उसकी पूर्ति नहीं होती। सरकार को चाहिए कि इसमें नया संशोधन लाकर और हर साल जिस प्रकार का नुकसान होता है काश्तकार को, उसी तरह की लगान से उसको छूट होनी चाहिए।

मेरा तो यह भी निवेदन है कि रेंट वगैरह जो कुछ ली जाती है, वह पुराने दकियानूसी कानून के तहत है, इसको छोडना चाहिए। जब हम प्रोग्रेसिव व्यूज को लेकर चल रहे हैं, जब हम चाहते हैं कि देश में समाजवाद पनपे तो जितने भी रेंट्स जमीन पर लिए जाते हैं तो यह अन्प्राफिटेबुल बिजनेस है, जिससे किसान ज्यादा उपज नहीं करता वैसे लोगों से रेंट छोड़ कर इस प्रकार की प्रोग्रेसिव व्यूज अख्तियार करनी चाहिए। जो ऐसी जमीन रखते हैं जिससे उनको कोई मुनाफा नहीं हो सकता तो ऐसे लोगों से कुछ नहीं लें। मेरे विचार से ऐसी तबदील होनी चाहिए कि उनसे एग्रीकल्चरल टैक्स वसूल की जाय और रेंट अनइकोनोमिक होल्डिंग्स को छोड़ते हैं लेकिन पूरी की पूरी छूट देकर एग्रीकल्चरल टैक्स वसूल की जाय।

बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जिनको हमने जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत रिज्यूम किया था। उसके बाद में जो तालाब वगैरह जिनका खास तौर से झगड़ा है, जागीरदार कहते हैं कि उनकी खुदकाश्त की है, दूसरे कुछ और कहते हैं, वैसी जागीरें राजस्थान के गांव गांव में हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

के कानून की व्यवस्था कर दें जिससे कि ऐसे तालाब जिनसे कुछ लोगों की सिंचाई होती थी और सार्वजनिक उपयोग में आते थे, और उन पर किसी के खुदकाश्त के अधिकार हैं, उन पर किसी आदमी का अधिकार न माना जाय।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं जैसे अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में पढ़ा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार की घोषणा की कि लोगों को पासबुक्स वगैरह दिए जायेंगे तो यह भी जल्द से जल्द किया जाय ताकि जो रेकार्ड हैं उसकी पूर्ति की जा सके और लोगों को उससे सुविधा हो जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : सभानेत्री महोदया, यह जो संशोधन लाया जा रहा है, वह एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने के लिए, धर्म के नाम पर अमेंडमेंट लाया जा रहा है। यदि यह संशोधन बिल इस भावना को लेकर आता है कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गौशालाओं के नाम पर जमीन है, उनकी आय से उन मन्दिरों, मस्जिदों और गोशालाओं द्वारा सारी व्यवस्था होती है तो ठीक है। जो धार्मिक संस्थायें हैं, वह समाज को बताती हैं कि परमात्मा का क्या रूप है, परमात्मा क्या हस्ती है, किस प्रकार से परमात्मा से डरना चाहिए, किस प्रकार नैतिक कर्तव्य निभाना चाहिए, इस प्रकार की जानकारी समाज को दें तो मैं समझता हूं कि ऐसी आराजी सीलिंग से मुक्त रखी जाय।

आज प्रायः यह देखने में आता है कि जितनी जमीन मन्दिरों के नाम पर हैं, उन जमीनों को वहां के पुजारी खाते हैं, काजी खाते हैं, उसकी आय का उपयोग मन्दिरों की व्यवस्था में न किया जाय तो फिर उन पुजारियों के नाम, महंतों के नाम या तो उनको खाना दिया जाय। लेकिन विधान सभा ऐसी इजाजत देना उचित नहीं समझती।

यह जो सीलिंग कानून राजस्थान सरकार ने विधान सभा में पेश किया उसके पीछे लोगों के पास हजार हजार 500-500 बीघा जमीन है और वह उन जमीनों की व्यवस्था खुद समय पर नहीं कर पाते, दूसरों से करवाते हैं। उस जमीन से वह पैदावार नहीं हो पाती। इस भावना को लेकर हमने सीलिंग को पास किया और सीलिंग बिल लागू किया गया। लेकिन हम आज उस भावना को गौर करके देखें तो मालूम होगा कि ये सत्तारूढ़ दल में होने के कारण किसी वर्ग विशेष को देना चाहते हैं। आज आप मन्दिरों की बात देखेंगे तो ऐसे ऐसे मन्दिर हैं जिनके अन्दर हजारों बीघा जमीन है और अलग अलग जगहों पर जमीनें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका ठीक से पता भी नहीं लग पाता है इसलिये मेरा कहना है कि जो बिल आया है वह बिलकुल निकम्मा है, दोषपूर्ण है और जो इसकी भावना है, वह ठीक नहीं है। धर्म के नाम पर मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को जमीनें दी जाती हैं। ऐसी जमीनें जो मन्दिर मस्जिद बनाकर रखते हैं, एक कमेटी बनाकर उसकी सारी व्यवस्था की जाय। कमेटी के द्वारा व्यवस्था की जायेगी चाहे वह कोई भी एक्स, वाई जेड हो। वह खुद न करके 5-10 आदमियों की एक कमेटी बना लें तब तो मैं समझता हूं यह कानून थोड़ा सही हो सकता है। जहां तक मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह आवश्यक है कि सीलिंग का महत्व जो उस समय था, जिस

(श्री महेन्द्रसिंह)
समय पेश किया गया था वह आज नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिये और इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसकी पूर्ति होगी।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रघुनाथ विश्नोई।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभानेत्री महोदया, मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य इन्होंने प्रस्ताव रखा है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभानेत्री महोदया, क्रम के अनुसार सभी को समय मिलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : क्रम के अनुसार इनका ही नाम है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभानेत्री जी ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : सभानेत्री महोदया, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल आज ही पास होने का है।

एक माननीय सदस्य : जरूरी नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें प्रेसीडेन्ट की असेन्ट आवेगी और वह 28 तक जरूरी है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : 27 को पास हो सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1968 राज्य सरकार ने बनाया है। इसमें विशेषकर दो धाराओं में संशोधन करने के लिये यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया है। सभापति महोदया, इन धाराओं में जो पूर्व में थी उसमें संशोधन करने का उद्देश्य जो इसमें दे रखा है, उनको भी हमने पढ़ा है और इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने विशेषकर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कानूनी मुद्दों पर विचार किया और इस बारे में जो पहले राज्यपाल महोदय ने आर्डिनेन्स जारी किया था उसके अलावा जब यह विधेयक प्रस्तुत किया उसमें कुछ बातें और भी डाली गई। क्या डाली गईं, यह तो माननीय राजस्व मंत्री जी के बाद में ध्यान में आया कि कुछ कमियां इसमें रह गई हैं। उन कमियों की पूर्ति करने के लिये यह संशोधन राज्य सरकार की ओर से आया और वे इसमें इन कार्पोरेट की गई हैं। यह पाकिस्तान में जाने वाले लोगों के खातेदारी राइट्स समाप्त करने का मामला है। कई वर्षों से जो यह समस्या थी कि उनकी जमीनों का मैनेजमेंट कैसे किया जाय, यह किनको दिया जाय और वह जमीन कैसे उपयोग में लें, यह समस्या जरूर थी। मगर इसके साथ साथ

(4.35 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसके खातेदारी राइट्स समाप्त होने के बाद सब टिनेन्सी के राइट्स किस प्रकार समाप्त होंगे। जो व्यक्ति पाकिस्तान चले जाते हैं और उनके रिलेशन वाले यहां रहते हैं, टिनेन्सी एक्ट के तहत उनकी क्या पोजीशन रहेगी? कई कानूनी मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। इतनी जल्दबाजी में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पास करना उचित नहीं होगा। जरूर कुछ मूल रूप में यह संशोधन प्रस्तुत किया है। कोई भी कानूनी कठिनाई आ सकती है। बाद में भी कानूनी कठिनाइयों और सन्देह को देखते हुये हाई कोर्ट में चेलेन्ज की जा सकती है। मैंने यह जो अमेन्डमेन्ट प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये कहा है, वह ठीक है। हम देखते हैं कि राज्य सरकार बहुत से अमेन्डमेंट समय समय पर प्रस्तुत करती रहती है और इसमें भी यही नतीजा होगा कि फिर दो महीने बाद अमेन्डमेंट पेश करना पड़ेगा। हर साल . अमेन्डमेंट आते हैं। 17–18 अमेन्डमेंट आलरेडी पेश किये जा चुके हैं । अभी रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट भी विचाराधीन है। सारे संशोधन करने के बाद यह बिल अगर बजट में आता तो बहुत ही उत्तम होता। इसके अलावा यह जो अमेन्डमेंट रखा है, मेरे विचार से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कानूनी मुद्दा उठाया है, मेरा भी यही विचार है। यह हो सकता है कि सिलेक्ट कमेटी के जरिये कम समय ले कर फिर भी इस मामले की जांच करने की आवश्यकता थी। सीलिंग कानून को राज्य सरकार नये सिरे से इम्प्लीमेंट करने जा रही है। मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को एग्जेम्प्ट करने की बात है। हमारे सामने माननीय मंत्री जी यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं कि राजस्थान में कितने मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं और उनमें कितनी कितनी जमीनें हैं। उनको छूट देने की आवश्यकता है या नहीं, क्या उनकी कानूनी पोजीशन है? यह संशोधन बहुत जल्दी में पेश किया गया है।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

माननीय मंत्रीजी इस सदन को विश्वास नहीं दिला पाये हैं कि इस अमेन्डमेंट को रखने की आवश्यकता थी तो इसमें यह भी बताना चाहिये था कि इसमें कितने टेम्पिल आते हैं, कितने गुरुद्वारे आते हैं, कितनी मस्जिदें आती हैं और कितनी गोशालाएं हैं। इसका पूरा एग्जामिनेशन भी नहीं कराया गया है। मेरे खयाल से एक भी मन्दिर, मस्जिद ऐसी नहीं है, जिनको एग्जेम्पशन देने की जरूरत पड़े। मैं उपाध्यक्ष जी, राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पास यह इन्फार्मेशन जरूर आ गई होगी। इसके कारणों को आपको सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। इसलिये प्रवर समिति के समक्ष रखना जरूरी है कि इसकी कमियों को वह देख लेती। ट्रस्ट एक्ट पास किया हुआ है, कितने टैम्पिल्स के लिये है इसमें 4 कैटेगरीज हैं या सारे सब तरह के मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारों के नीचे जमीन है उस सब को एग्जेम्पशन में लिया जाता है या क्या ऐसे कई तरह के पोइन्ट्स हैं जिन पर विचार होना आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप तो एक बात का जवाब दे दें सिद्धान्त रूप में आप यह मानते हैं कि मस्जिदों के नीचे जितनी जमीन है उसका एक्वायर किया जाय आप इस पक्ष में हैं क्या?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम जानकारी इतनी चाहते हैं कि सीलिंग एक्ट जब राज्य सरकार लागू करने जा रही है तो उसको पता होना चाहिये कि मन्दिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों के नीचे कितनी जमीन है?

श्री भैरोंसिंह: आप मस्जिदों के नीचे आयी हुई जमीन के सीलिंग के पक्ष में हैं क्या?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो मालूम होना चाहिये ऐसी कितनी जमीन हैं जो सीलिंग से एग्जेम्प्ट की जा सकती हैं। मेरे खयाल से राजस्थान में एक भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी जिसके नीचे इतनी जमीन हो। राज्य सरकार के पास सब सूचना होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी के लिये बता दूं 400 मस्जिदें ऐसी हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पास जानकारी हो सकती है लेकिन सरकारी तौर पर यह आंकडे कितने हैं यह जानकारी सरकार के पास होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो जरूरी अमेन्डमेन्ट हैं वे जरूर पास होने चाहिये। इसके अलावा जो डाउट्स हैं उनको रिमूव करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना आवश्यक है। ताकि सारे मुद्दों पर ठीक प्रकार से विचार हो सके चाहे उसके लिये कम से कम समय रख दिया जाय, इसमें राज्य सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिल आज ही पास होने का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह बिल 27 तारीख के लिये रखा था। यह डिफीकल्ट बिल है एक दिन में पास नहीं हो सकता। अभी इसके लिये 27 का दिन बाकी है उस दिन यह पास हो जायगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लास्ट डेट आर्डिनेन्स की 27 है उस दिन तक पास करके राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लेने हैं। अतः इसको आज ही पास किया जाना आवश्यक है।

श्री ज्ञानचन्द डागा (पाली): इस बिल को प्रवर समिति में लेजाना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: अगर सदन की अनुमति हो तो भाषण का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें समय का निर्धारण हो नहीं सकता क्योंकि यह लैण्ड पॉलिसी से सम्बन्धित बिल है।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें स्थिति यह है कि 28 तारीख को पूरे 6 हफ्ते हो जाते हैं इसी मियाद के अन्दर इसको विधेयक के रूप में पारित किया जाकर राष्ट्रपति के दस्तखत होजाने चाहिये। अब 27 तारीख को दूसरी मिटिंग है अतः 28 तक यह सब कार्यवाही होना संभव नहीं होगा। एक दिन में पास होने में बाधा रहेगी।

श्री भैरोंसिंह : बाधा होगी यह सरकार के देखने का काम है। सरकार को विधान सभा की बैठक पहले बुलानी चाहिये थी। जल्दी में लाकर कानून को पास करवाना चाहते हैं इसमें हमारा दोष नहीं है सरकार का दोष है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: कार्य सलाहकार समिति ने इसे आज के दिन के लिये रखा है और आज ही इसको पास करना है।

श्री भैरोंसिंह: गोहाटी के मामले ने दो ढाई घंटे डिस्कशन म ले लिये इसलिये इतना समय लग गया, इतना समय लगने की आशा नहीं थी। अगर उसमें इतना समय लग गया तो यह आज पास नहीं हो सकता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस पर पहले राज्यपाल के दस्तखत होंगे उसके बाद राष्ट्रपति के होंगे अतः इसे आज ही पास किया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : एक घंटे पहले पारित करके आपने भेजा है राष्ट्रपति के दस्तखतों के लिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बाद दूसरा आर्डिनेन्स भी है मिनिस्टर्स की सेलरीज का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उनको तो घर बैठे तनख्वाह मिल ही रही है इसकी क्या जल्दी है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह 28 तारीख तक पास हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं इसके लिये सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। भाषण का समय निर्धारित कर दिया जाय। हरेक माननीय सदस्य दस मिनिट से ज्यादा न लें इसके लिये बैठक का समय एक घंटा बढा दिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दस मिनिट का समय बहुत कम होगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): आप अब समय का सिलिंग कर रहे हैं इससे अब क्या फायदा? यदि यह सिलिंग शुरू से ही किया जाता तो बहुत वाजिब होता।

श्री उपाध्यक्ष: आम तौर पर समय का खयाल रखा ही जाता है। आज विशेष परिस्थिति है इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि समय की पाबन्दी शुरू में कर देनी चाहिये थी लेकिन नहीं की गई। इसका पारित होना आज आवश्यक है इसलिये सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : कई सदस्यों को तो बोलने का लम्बा समय मिल जाता है और कुछ सदस्य बोलने से ही वंचित रह जाते हैं। इसलिये समय का निर्धारण सभी सदस्यों के लिये समान रूप से होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसके लिये मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि यह बिल जिस आर्डिनेन्स पर आधारित है मेरा ऐसा खयाल है कि इस बिल के लिये आर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता नहीं थी और न इस बिल को ही लाने की आवश्यकता थी। जो लोग देश को छोड कर विदेशों में चले जाते हैं और वापिस नहीं आते हैं इस तरह के लोगों की जमीन के राइट्स के एस्टेंग्विश के प्रावधान पहले से टिनेन्सी एक्ट में मौजूद हैं। टिनेन्सी एक्ट का सैक्शन 16 सब-सैक्शन (4) के तहत अपनी भूमि को कोई अबन्डन करके चला जाय, जमीन पर काश्त न करे तो वह जमीन अबन्डन मानी जाती है। धारा 63 के तहत जिस जमीन पर टिनेन्सी राइट्स एस्टेंग्विश हो जाती हैं इसके लिये केवल दिक्कत थोड़ी प्रोसीजर की है। इसके तहत अबंडनमेन्ट प्रोक्लेमेशन करना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है, उस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

व्यक्ति को उस पर कहने का अधिकार होगा। लेकिन आप इससे इस प्रोसीजर से गुजरने के बजाय समरी तरीका निकालना चाहते हैं जिससे उनके राइट्स एस्टेब्लिश हो जायं। आप जल्दबाजी में इन बातों को करना चाहते हैं इस पर सोचने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न बहुत से हैं जो इससे सम्बन्धित हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोग जाकर वापिस आगये, या आजायं उनकी जमीन को अगर उनके हाथ में न रखी जाय तो यह अनुचित है। बहुत से उनके परिवार के लोग यहां रहेंगे। सक्सेसर यहां रहेंगे तो उन सबको भी वंचित कर दिया जावे और केवल जिसके नाम जमीन हो वह चला गया तो उसके लडके बीबी को नहीं मिल सकती, यह बहुत हार्ड है। गलत भी है। अपनी नीति से भी गलत है। इसलिये मैं समझता हूं कि सेक्शन 60 में प्रावधान है वह काफी है और 63 में इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात, मैं समझता हूं कि इस बिल की मुख्यमंशा है जिसको शुरू से इसके साथ घुसेड़ कर लादने की कोशिश की जा रही है, वह सीलिंग कानून में जहां घोषणा यह की जा रही थी कि सीलिंग कानून को लागू कर रहे हैं। जहां चुनावों में हारने के बाद फौरन महसूस हुआ कांग्रेस के नेताओं को कि गरीब किसान जो भूमि के लिये तरसते रहे हैं उनको जमीन नहीं दे पाये। सीलिंग कानून न लागू कर पाये तो उसे अब छः महीने में लागू करेंगे।

माननीय पाली से आने वाले सदस्य, उन्होंने सत्याग्रह की धमकी दी। सीलिंग कानून को लागू करो नहीं तो मैं कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करके भी सीलिंग कानून लागू कराने के लिये सत्याग्रह करूंगा।

दूसरी पार्टियों के पास भी पत्र भेजे। मुझे भी पत्र भेजा। सहयोग मांगा। हमने कहा हम तो सहयोग देने को तैयार हैं। पर कहीं आप पीछे न खिसक जावें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सीलिंग कानून का इम्प्लीमेन्टेशन जिसके लिये सुखाड़िया जी ने छः महीने की घोषणा की, वैसे ए. आई. सी. सी. ने अपने दस पोइन्ट प्रोग्राम में इसकी घोषणा की थी। यहां की कांग्रेस ने अपने छः पोइन्ट प्रोग्राम में इसकी घोषणा की। और छः महीने में लागू करने की घोषणा इन्होंने की और उस छः महीने के बाद पहली किश्त के रूप में इस रूप में आ रहा है कि कुछ प्रोपरटीज को किसी नाम से किसी बहाने और एग्जेम्प्ट कर दिया जाय। बजाय इसके कि सीलिंग लागू करने के लिये कदम उठाये जाते उल्टे सीलिंग से एग्जेम्प्ट करने के बारे में बिल हमारे सामने पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा हमारी सरकार से कि क्या आखिर यह सीलिंग का कानून राजस्थान में राजस्थान की कांग्रेस कोई अलग नीति बनाकर लागू करना चाहती है या कि पार्टी आल इण्डिया पार्टी की पॉलिसी का अंग है? उनकी नीतियों से बन्धे हैं। इस देश में भारत सरकार है, एक प्लानिंग कमीशन है उसकी नीतियों के तहत लैंड रिफार्म्स का प्रोग्राम सारे देश में होता है। आज मैं यह कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, जब कि कभी भी इस देश में जितनी भी कमेटियां बनीं, कुमारप्पा कमेटी बनी, आजादी के आते ही, उसने 49 में रिकमण्डेशन कीं। इसके बाद प्लानिंग

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कमीशन बना, पहली दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं बनीं प्लानिंग कमीशन ने लैंड रिफार्म्स की घोषणा की । राजस्थान में सीलिंग मुकर्रर करने के लिये कमेटी मुकर्रर की जिसके हमारे मुख्य मन्त्री जी खुद सदस्य थे और राजस्थान सरकार ने लैंड रेवेन्यू लॉ कमीशन बनाया जिसने अपनी वल्की रिपोर्ट पेश की हैं । जितनी भी ये कमेटियां बनीं, कमीशन बने, उनकी किसी की रिपोर्ट में भी यह रिकमण्ड नहीं किया गया कि मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों या इन टेम्पल वगैरह को सीलिंग से एग्जेम्प्ट किया जावे । किसी ने इस प्रश्न को उठाया भी नहीं । केवल कुमारप्पा कमेटी के अन्दर पहली बार जब 47 में वह बनी, उसके सामने यह प्रश्न आया । रामास्वामी मुदालियर ने अपने डिस्सेन्ट नोट में लिखा पर उस कमेटी ने अपना निर्णय देते हुए कहा है कि जहां तक कि मन्दिर मस्जिद या ऐसी ही इन्स्टीट्यूशन को चलाने का सवाल है उनके तहत जो पुस्तकालय या स्कूल वगैरह चलते हैं उनको चलाते रहने के लिये हरेक स्टेट को गारन्टी करनी चाहिये, हम नहीं चाहते कि ये प्रवृत्तियां बन्द हों । उनको इन्कम मिले इस तरह का अन्य प्रावधान सरकार करे, उनको कैश से मदद करे या कुछ करे । लेकिन यह जो लैंड रिफार्म्स का सवाल है उसको सोशियल जस्टिस और प्रोडक्शन को दृष्टि में रखते हुए लागू करें ।

जो टीनेन्ट काश्त करता है क्या आप उसके एक्सप्लोइटेशन की इजाजत देंगे मन्दिर और मस्जिद की आड़ में ? क्या देश के प्रोडक्शन को गिरा रहने देंगे कि चूंकि उस जमीन के मालिक एक मन्दिर और मस्जिद हैं ?

मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान में वह पुराना मीडिएवल इन्सान नहीं रहा । आज हम एक मोडर्न नेशन बनना चाहते हैं ।

पर अफसोस है कि बीस वर्ष के बाद कांग्रेस का यह रथ लड़खड़ा रहा है इसलिये कांग्रेस के नेता अब इन धार्मिक भावनाओं को उभाड़कर देश में इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि अपनी स्थिति और अपनी कुर्सी को, अपनी सत्ता को कायम रख सकें ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस बात के कहने से क्या घंटी बजती है । पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम के बारे में निवेदन कर रहा था । दुखः हो रहा था कि देश में इस प्रकार की भावनाएं क्यों उमड रही हैं ? जो यहां पर यह सरकार आज कर रही है वही आसाम में आपकी सरकार ने अब तक किया । आप अपनी सरकार को कायम रखने के लिये इन साम्प्रदायिक तत्वों को, इन धार्मिक भावनाओं को उभाडने की कोशिश कर रहे हैं । आप अपनी कुर्सियों के लिये बावले बन रहे हैं । देश के विकास की तरफ आपका ध्यान नहीं है बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को उभाड कर देश में एक फिसिफिसी फूटपरस्ती की टेन्डेन्सी को पैदा कर रहे हैं । इस बिल के पीछे यही भावना है । मन्दिर के पुजारियों को आप भडकाना चाहते हैं, गुरुद्वारे के ग्रन्थियों को और मस्जिद के मुल्लाओं को भडकाना चाहते हैं । आप उनसे कहना चाहते हैं कि आओ तुम, हमारे पीछे लगो, देखो हम तुम्हें बचाना चाहते हैं और तो ये दूसरे सब लोग तुम्हें खतम करना चाहते हैं और इस तरह से आज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
आप साम्प्रदायिकता को देश में पनपाना चाह रहे हैं अपनी कुर्सियों को केवल बचाने के लिये।

श्री रामकिशन : ये तो हमें मिटाना चाहते हैं क्योंकि हमारी आइडियोलोजी दूसरी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह से नहीं मिटने वाले हैं। हरेक मुल्क में इस तरह की कोशिशें गिराने की हुई हैं और इसीलिये इस प्रकार के बिल लाने की कोशिशें ये भी करते हैं।

कोई अणुव्रत के जरिये अपना मोरल बेस बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कोई इस बिल को लाकर मन्दिर, मस्जिद की बैकिंग अपने पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रावधान आपने किया है हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में ये एग्जम्प्शन नहीं दी हुई हैं। बल्कि किन किन को एग्जम्प्शन दी जानी चाहिये, उनका भी ब्यौरा दिया है। उनमें खासतौर पर जो अपना योजना कमीशन है, उसने अपने प्रस्ताव में साफ तौर से उल्लेख किया है कि किन किन चीजों पर एग्जम्प्शन दिया जाना चाहिये। पोसीबली वे कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें एग्जम्प्शन हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और वे तमाम बातें करीब करीब इस किस्म की हैं कि बड़े बड़े फार्म्स हैं, कल्टीवेशन्स हैं रबर के या चाय के या स्पेशियेलाइज्ड तरीके की कल्टीवेशन के, केवल उनको एग्जम्प्शन देने की बात कही है। और कहीं भी देने की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : थोड़ा और है एक दो मिनिट।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.) : इसलिये सदन का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से इस बैठक का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटे के लिये कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भी पूर्ति नहीं होगी तो देखेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रात भर भी साहब बैठें तो क्या दिक्कत है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर इस तरह से कोशिश न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे टीनेन्सी एक्ट से पहले बड़े इम्पोर्टेन्ट लैंड रिफार्म्स कानून पास हुए हैं। मसलन रिजम्प्शन ऑफ जागीर एक्ट, बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट, उनके अन्दर तमाम माफियों और जागीरों को रिज्यूम किया है। उनके अन्दर किसी भी रिलीजस जागीर में माफी का, चाहे मन्दिर से वह सम्बन्धित हो या मस्जिद से, एग्जम्प्शन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस तरह के रिलीजस इन्स्टीट्यूशन्स के साथ सम्बन्धित जो जमीनें थीं उनको रिज्यूम कर लिया और उन पर अधिकार टीनेन्ट्स को मिल गए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो उस समय किसी की तरफ से भी आवाज नहीं उठी और उसको कानून से लागू कर चुके हैं तो फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर इसकी जरूरत कैसे पैदा हुई? कौन इसके लिए यहां जुलूस लेकर आये थे आपके पास? कहीं इस सदन में कोई नॉन-ऑफिशियल रेज्योल्यूशन रखा गया? कभी कहीं पर कोई डिमान्स्ट्रेशन या सभायें या इस प्रकार की कोई बात हुई जिसके अन्दर इस प्रकार की मांग उठी हो? फिर इस प्रकार की मांग नहीं है तो क्यों आप जबर्दस्ती भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं जिसमें आप इस तरह से उन जमीनों को उससे मुक्त करना चाहते हो?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चन्द मिनट में ही समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कई दफा समय का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी, आप जरा ख्याल रखें कि इस सीलिंग एक्ट से पहले और रिजम्प्शन ऑफ जागीर एक्ट पास होने के बाद और बिस्वेदारी एबोलीशन पास होने के बाद वह जमीन जो कि दूसरे लोगों से काश्त कराई जाती थी मन्दिर या मस्जिदों के तहत उन किसानों को खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं। अगर नहीं मिले तो वह कानून की अवहेलना हो रही है। उन किसानों को मिल जाने चाहिए। तो वह जमीन तक उनके पास से निकल चुकी। यहां तक कि मन्दिरों के नीचे 5 बीघा जमीन थी उनको भी आपने रिज्यूम किया है और उनको आपने कम्पन्सेशन दिया है तो फिर यह डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रहे हैं? जिस मन्दिर के पास 5 बीघा जमीन थी उसको जागीर रिजम्प्शन एक्ट के तहत आपने ले लिया और अब होशियार लोग जिन्होंने खुदकाश्त का नाम लेकर अपने कब्जे में जमीन को कर रखा था उनको अब आप छूट देना चाहते हैं। उनको आप कहना चाहते हैं कि आप और भी ले लो आपके ऊपर सीलिंग लागू नहीं होगी। मैं यह समझता हूं कि यह डिस्क्रिमिनेटरी भी है और लैण्ड रिफार्म्स के फन्डामेन्टल पॉलिसी के खिलाफ है और प्रोडक्शन प्रोग्राम के भी खिलाफ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दरअसल अगर इस सीलिंग कानून में अमेण्डमेन्ट लाने की और जैसा कि फोर्थ फाइव ईयर प्लान में निर्देशन दिया गया है कि इस प्रकार के अमेण्डमेन्ट्स लाने चाहिये जोकि इस कानून के इम्प्लीमेन्टेशन में मददगार हों, जो जमीनों को बचाने में मददगार हों। मैं यह कहना चाहूंगा कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में जो निर्देशन दिये गये हैं और जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान में निर्देशन दिये गये हैं यह सरकार उसकी बिलकुल अवहेलना करके उसके खिलाफ जा रही है। ऐसा मालूम पड़ रहा है इस सरकार का ऐसा रुख हो गया है। हम लैंड रिफार्म्स कम्प्लीट कर चुके हैं और आप रिवर्स गीयर में चलना चाहते हैं और जितने कानून आपने पास

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किये हैं उनको आप ठंडा करते जा रहे हैं। उन कानूनों में ऐसे लूपहोल पैदा कर रहे हैं कि जिससे कि लैण्ड रिफार्म्स का मकसद खत्म हो जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने कुछ दिन पहले इसी तरह से टीनेन्सी का इन्दराज खत्म किया। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। गम्भीरता से आप जनमत के लिए प्रसारित करके देखें कि इसका जनता में कोई आधार भी है। अभी जनसंघ के नेता ने खुद ने कहा, महेन्द्रसिंह जी कह रहे थे कि मन्दिरों की रक्षा के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हां, यह बात अलग है कि आपने कमिटमेन्ट कर रखा हो। कुछ तीन-चार लोगों को कमिटमेन्ट कर रखा हो तो पता नहीं। अगर ऐसी बात है तो फिर साफ तौर से कह दें, हमारे भी बात समझ में आ जायेगी। वर्ना आप बड़ी लूपहोल इसमें क्रियेट कर रहे हैं और सीलिंग को इम्प्लीमेन्ट करने के बजाय उसको फेल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह आर्डीनेन्स हमारे सामने आया तो मुझे आश्चर्य हुआ और आश्चर्य एक बात से नहीं हुआ दो बातों से हुआ। पहला आश्चर्य तो यह हुआ कि जहां हम यह उम्मीद करते थे कि सीलिंग का कानून लगाने वाले हैं वहां पर इस प्रकार का कानून आये कि सीलिंग में छूट दिये जाने के लिए यह बिल पेश कराया जा रहा है। दूसरा ताज्जुब यह हुआ कि अचानक उस समय ऐसी जरूरत क्या हुई कि आर्डीनेन्स के जरिये यह चीज की गयी। कोई नयी समस्या या इमर्जेन्सी हमारे ख्याल में नहीं थी कि जिससे आर्डीनेन्स को लाना पड़ता। अगर इसे लाने की जरूरत थी तो जब एसेम्बली का सेशन शुरू होता तो उस समय लाया जा सकता था लेकिन अचानक क्यों लाया गया? उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार यह बिल लाई तो मुझे सन्देह है कि इसकी जानकारी भी सरकार के पास है या नहीं कि राजस्थान में ऐसे कितने मन्दिर हैं जिनके पीछे कितनी जमीनें हैं। मंत्री महोदय ने भी इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि अच्छे कामों के लिए अच्छी संस्थाओं के लिए धन का या जमीन का सदुपयोग हो। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि आज इस समय हमारे यहां राज्य में सैकड़ों और हजारों की संख्या में मन्दिर मौजूद हैं, मस्जिदें मौजूद हैं और उनके पीछे जो जमीनें दी गयी हैं उनका सदुपयोग हुआ है या नहीं और जब हम इसको सोचते हैं तो यह साफ पता चलता है कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे राज्य में नहीं है। जब हम दूसरी जगह देखते हैं तो जो ऐसी संस्थायें हैं वहां उनके पीछे कहीं स्कूलें चलती हैं, कहीं अस्पताल चलते हैं, कहीं कुछ रिसर्च वर्क होते हैं और कहीं कुछ होता है। जहां तक मेरा ख्याल है मैंने राजस्थान में ऐसे मन्दिर नहीं देखे कि जिनके पीछे ऐसी कोई संस्था चलती हो। हमारे मन्दिरों में लाखों की आमदनी है, उनके वैभव हैं, उनकी भेंट पूजा आदि सब कुछ है। जब हम इन मन्दिरों के लिए सेवाकारी संस्थायें चलनी चाहिए उस नजर से

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

देखते हैं तो हमें अफसोस होता है। सरकार को करना यह था कि इस प्रकार की कमेटी बनाती या इस प्रकार का प्रयत्न किया जाता कि जो मन्दिरों के पीछे लाखों रुपयों की सम्पत्ति लगाई गई है उसका उपयोग कैसे होता, लेकिन इस ओर हमारा ध्यान नहीं लाया गया है। केवल इसे सीलिंग से छोडने के लिए यह बिल लाया गया है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे राजस्व मंत्री जी, जो अपने आपको प्रोग्रेसिव मानते हैं उन्होंने क्या सोचकर यह पेश किया, यह मेरी समझ में नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां राजस्थान में सैकडों, हजारों मन्दिर, मठ ऐसे मिलेंगे कि जिनके पीछे बहुत सारी जमीनें हैं और उन जमीनों का जितना दुरुपयोग हो रहा है उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सारा सदन जानता है· ·

श्री नेरोंसिह : हम तो नहीं जानते।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एक नहीं अनेकों उदाहरण बता सकती हूं।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : बीकानेर में है क्या ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जो जमीनें मठों को दी गयी हैं न तो उनका अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है और न मन्दिरों की अच्छी तरह से सेवा ही की जाती है। रोजाना जिस तरह से सेवा पूजा होती थी वह भी नहीं होती है जो उनके आईशजी हैं जमीनें उनके कब्जे में हैं और वह खेती करते हैं और घर वालों का पालन करते हैं और बाकी का जो रुपया आता है वह अनेक बुरे कामों में खर्च होता है। जब हम देखते हैं तो बडे बडे मुकदमें लडे जाते हैं और अनाचार में भी वह रुपया खर्च किया जाता है।

ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण सामने आ चुके हैं। हम रात-दिन देखते हैं जिन्होंने ऐसे नियम बना रखे हैं· ·

(कई माननीय सदस्यों के व्यवधान डालने पर)

मुझे माफ करें, मैं गम्भीरता से बोल रही हूं मजाक नहीं कर रही हूं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ) : गम्भीरता से आपने हमारे धर्म पर आक्षेप किया है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मन्दिरों के लिए कहा है कि रुपया अनाचार पर खर्च हो रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अनेक जगह हो रहा है· · ·

श्री नेरोंसिह : एक भी उदाहरण दें जहां अनाचार में खर्च हो रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मन्दिरों से मेरा मतलब है मठ।

श्री नेरोंसिह : कौन से मन्दिर या मठ हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस का मठ है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेवाड में भीलवाडा और चित्तौड में अनेक स्थान ऐसे हैं जिनके ऊपर काफी धनराशि खर्च होती है और वह आइडल हैं जिनके ऊपर काफी धनराशि खर्च होती है और वह आइडल हैं· ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेवाड में, भीलवाडे में मठाधीश बहुत हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कई जगह मन्दिरों के नाम से जिस तरह का आडम्बर करते हैं और धन का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और अच्छे अच्छे मन्दिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में यह हो रहा है, और इस कानून के बनाने के साथ यह जो धर्म के नाम पर इस तरह से हो रहा है इसमें आज एक और कड़ी विशेष रूप से हम जोड़ने के लिए जा रहे हैं। मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि हमारे धर्म में यह हो रहा है। हम अच्छे काम के लिए, मन्दिरों के लिए करते हैं तो उसका सदुपयोग हो, उसके लिए उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखें, कड़ी नजर रखें और अच्छे से अच्छे तरीके से वह काम हो। जमीन में आप जब इस तरह की छूट देंगे तो चोरी करने वाले कई तरह के रास्ते निकालेंगे बहुत से लोग हैं जो कि इन जमीनों को सम्हाल नहीं पायेंगे। आज जितनी जमीनें हैं उनको वे दूसरे लोगों को काश्त पर देते हैं। फिर क्या होगा कि वे जमीनों को बेच देंगे। आज भी वे बेची जा रही हैं और इसके कई मुकद्दमें अदालतों में चल रहे हैं। आपस में एक-दूसरे महन्त की गद्दी लेने के लिये मुकद्दमे चला रहे हैं और उन पर हजारों रुपये खर्च हो रहे हैं। जैसे जागीरों की गद्दी के लिये मुकद्दमे चलते थे उसी तरह से आज मठों के मुकद्दमें चल रहे हैं। माननीय सदस्य श्री मनोहरसिंह जी मेहता इस बात की गवाही दे सकते हैं और ये वाकिफ हैं इस तरह के मुकद्दमों से..........

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : आप बहुत अच्छा कह रही हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक सवाल आयेगा। जिन लोगों के पास जमीन है उस जमीन को बेचने के लिये बैकग्राउन्ड तलाश करेंगे। वे मन्दिरों के नाम पर जमीनें लगा देंगे और पुजारी का नाम धारण करेंगे और जमीनों को खुद के काम में लायेंगे। हमारे यहां ऐसी रियासतें मौजूद हैं जोकि ठाकरद्वारे के नाम पर पुजारी बने हुए हैं और उनको उससे लाखों की आमदनी है। आज भी इस तरह के रास्ते निकाले जायेंगे। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जब जागीरदारी हटादी गई, बिस्वेदारी हटादी गई, जमींदारी हटादी गई और उसके साथ साथ जो जमीनों पर कायम थे उनको हटाया गया तो उस कानून के अन्तर्गत मन्दिर भी आ चुके हैं तो उनको आप एक्जम्प्ट करके यह कानून के खिलाफ बात करेंगे।

श्री मनोहरसिंह दांता : मस्जिदों का नाम क्यों नहीं लेते हैं मंदिर मंदिर लगा रखा है?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मस्जिदों की मुझे इतनी चिन्ता नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरे धर्म में हमारे बापदादाओं ने जिस नियत के साथ............

श्री मनोहरसिंह दांता : आप जिस धर्म को पकड़े हुए हैं उसकी जड़ें काट रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उसको देखकर मुझे दर्द होरहा है। हम यह चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जिस मकसद के साथ इन मंदिरों के पीछे जमीनें लगाई थीं उसके एक एक पैसे का सदुपयोग हो तभी ये मंदिर व्यवस्थित तौर से चलेंगे और उन पर तभी जनता की श्रद्धा बढ़ेगी और वहां पर इस

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

तरह के आदर्श उपस्थित हों कि जिनके ऊपर हम चलें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस कानून के बजाय तो सरकार एक कमेटी ऐसी नियुक्त करे जो कि इनके खर्चे का ध्यान रखें। इनकी सुन्दर व्यवस्था हो........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वाह...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आज करोडों रुपयों की आमदनी हमारे मंदिरों की है लेकिन इसका उपयोग क्या है ? कहीं पर भी जनता के लिये, गरीबों के लिये, शिक्षा के लिये पैसा खर्च नहीं किया जाता है। आज के जमाने के अनुसार हमारे इन तरीकों को बदलना होगा। जो अन्धविश्वास जनता में डालते जा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर हम उनमें रूढियां डालकर उनको धर्म से विमुख करते हैं उनको इस बात से बचाने की आवश्यकता है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेकर यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस टिनेन्सी एक्ट में अलग अलग टुकडों के रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में जो संशोधन लाये जा रहे हैं उसके बजाय इसको पूरे को संशोधित रूप में लाया जाय और इस पर अच्छी तरह से गौर किया जाय। इसको सारे के सारे को संशोधित रूप में लाया जाय और जो कमियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं उनके बारे में कानून के जानकारों की राय ली जाय उसके बाद सदन में ऐसा मुकम्मिल टिनेन्सी एक्ट लाया जाय जिससे कि रात दिन जो तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, उलझनें आती हैं, वे दूर हों। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे इधर बैठने वाले कुछ कहें मैं तो दिल से कहती हूं कि मंदिरों में आज जैसी व्यवस्था है और धन, सामग्री का दुरुपयोग होता है उससे उसको बचाया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, ..

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ..

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही सारी बातें सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैंने पहले भी आपत्ति उठाई थी और अब भी मैं इस बात का जवाब राजस्व मंत्रीजी से चाहूंगा कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्दर धारा 30 (जे.) के अन्दर जब इस तरह का प्रावधान है, जब सरकार को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है कि वह किसी नोटिफिकेशन के जरिये जिन व्यक्तियों को चाहे सीलिंग से एक्जेम्प्ट कर सकती है, तो फिर इस प्रकार से एक अलग एक्ट लाने की क्या आवश्यकता है ? रेलेवेन्ट पोर्शन आफ दी एक्ट वह मैं आपको पढकर सुनाना चाहता हूं :--

"The State Government by notification in the official Gazette exempt from the operation of section 30E any person, land or holding or class of persons, lands or holdings if it considers such exemption to be necessary in view of the integrated or specialised character of operations or where industrial and agricultural operations are undertaken as a composite enterprise or on either reasonable grounds.

(श्री शंकरलाल)

इसी कानून के तहत यह जो अधिकार सरकार को दिया हुआ है और इसके तहत सरकार ने एक्जेम्प्शन भी किये हैं और ये एक्जेम्प्शन इस प्रकार किये हैं :--

"Land held by any University or educational institution in Rajasthan.

यह पहले से ही एक्जेम्प्शन किया हुआ है, और यह नोटिफिकेशन जो है सरकार ने निकाला है। यह जनवरी 8, 1964 का नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है :--

Land granted to any members of the armed forces of the Union of India for gallantry........"

यह भी एक्जेम्प्शन किया हुआ है। इस प्रकार से आगे और भी एक्जेम्प्शन किये हुए हैं नोटिफिकेशन के जरिये :--

"Land held by Cooperative Societies established or registered or deemed to be registered under the Rajasthan Cooperative Societies Act, 1963........"

उसके बाद और एक्जेम्प्शन किया है :--

Gramdan and Bhoodan holdings of Rajasthan........

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं कहना चाहता था कि इस प्रकार से नोटिफिकेशन के जरिये एक्जेम्प्शन किये जा सकते हैं तो अलग से इसके लिये एक आर्डीनेन्स निकालने की क्या आवश्यकता पैदा हुई, बिल में अलग से धारा रखने की और प्रावधान रखने की क्या आवश्यकता है ? एक आपत्ति तो यह है।

दूसरी जो मेरी आपत्ति है वह इस विषय में है कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों अथवा अन्य कोई धार्मिक संस्थायें हैं उनके बारे में सबका आधार होगा जैसा कि अभी इस सदन में कहा गया मैं सारी बातों को ठीक नहीं मानता हूं, लेकिन यह आवश्यक है कि इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और दूसरे ऐसे संस्थान हैं उनकी हालत और उनकी जमीनों की हालत अगर देखते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि गुरुद्वारों के लिये, मंदिरों के लिये, मस्जिदों के लिये और इस प्रकार की दूसरी संस्थाओं के लिये......

श्री नाथूसिंह दांता : (श्री खेतसिंह के इधर उधर सदन में जाने पर) ये हाउस में ऐसे फिर रहे हैं जैसे खुले शेर फिरते हैं।

श्री खेतसिंह : खुले शेर फिर रहे हैं यों कहिये।

एक माननीय सदस्य : शेर हैं या गीदड़ ?

एक माननीय सदस्य : शेर तो हैं लेकिन पिंजडे में।

श्री शंकरलाल : एक्जेम्प्शन की आवश्यकता है। हम इस बात को समझते हैं और इससे किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय एक्जेम्प्शन का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। वह इस प्रकार उठाया जा सकता है कि जिस आदमी को सोसिटी से वेतन हो और मान लीजिये कि वह किसी टेम्पल का मठाधीश हो या किसी मस्जिद का मुल्ला हो वह जमीन को बेच देता है तो वह इस्तेमाल नहीं है और उसके बाद वापिस दूसरे को बेचता है तो भी मनाई नहीं है तो कहीं ये मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे माध्यम नहीं बन जायें।

(श्री शंकरलाल)

जो जमीन बेचनेवाला है वह पहले मन्दिर के पुजारी या व्यवस्थापक को बेचदे और मन्दिर का व्यवस्थापक आगे किसी और को बेचदे। आपने उसको न जमीन खरीदने से रोका है और न बेचने से, तो यह माध्यम बन सकता है यह बात सही है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। साथ में यह भी है कि जो मंदिर, मस्जिद आदि संस्थायें हैं और जो उनके पास जमीन है और जो खातेदार हैं वे धड़ाधड़ जमीनें बेच रहे हैं। सीलिंग लागू नहीं हुआ और वे बेचते रहे तो ऐसी स्थिति आ जायगी कि जो मंदिर, मस्जिद आदि संस्थायें हैं उनमें हम आगे चलकर देखेंगे कि उनमें ठाकुरजी की पूजा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा क्योंकि एक पुजारी आया उसने जमीन बेचदी और दूसरा आया उसने भी रही हुई बेचदी और उसके बाद जो पूजा करने वाला आदमी आया उसने देखा कि कोई जमीन इस मंदिर या मस्जिद के पीछे तो नहीं है और दूसरा कोई पूजा का साधन नहीं है तो वह मंदिर अपूज भी रह सकता है ऐसा समय आ सकता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे मन्दिरों की जमीन को ट्रान्सफर करने की मनाई का प्रावधान रखा जाय लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार की जो आमदनी होती है उसको शिक्षण संस्थाओं में खर्च करने का प्रावधान होना चाहिये क्योंकि मंदिर की पूजा आदि की व्यवस्था करने लायक आमदनी से ज्यादा आमदनी वाली जमीन है तो वह भी नहीं रहनी चाहिये। वैसे मैं मंदिर और देवताओं का हामी हूं, मेरे पास भी मन्दिर है। लेकिन सवाल यह है कि जो भी जमीन है वह उनके मेन्टेनेन्स की आवश्यकता के लिये जितनी जरूरी है उतनी ही रहनी चाहिये। लेकिन अगर सीलिंग से ज्यादा जमीन है तो मेन्टीनेन्स के लिये कितनी चाहिये यह भी देखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एक छोटासा मंदिर है तो उसके पीछे इतनी जमीन क्यों रखी जाय जिसकी आमदनी से महंत गुलछर्रे उडावें। मैं यह नहीं कहता कि मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों की व्यवस्था नहीं की जाय लेकिन इतनी ही जमीन इनके पास रखिये जितनी की आवश्यकता मेन्टेनेन्स के लिये हो। यदि ज्यादा जमीन है और उसका दुरुपयोग करते हैं तो वह भी सीलिंग के जरिये ले ली जाय। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता यह है कि यह व्यवस्था की जाय और दूसरे ट्रान्सफर्स को रोका जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग लागू कराने की घोषणा के बाद इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाया जारहा है जिससे मालूम होता है कि सीलिंग कानून को लागू करना नहीं चाहते या उसका मकसद खत्म करना चाहते हैं। यह आर्डिनेन्स मुख्य मंत्रीजी की घोषणा से पहले लागू कर दिया गया था। सीलिंग का कानून 15 मई से लागू किया जायगा यह घोषणा है। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि इसको लागू किया जायगा और जिसके पास अधिक जमीन है वह ले ली जायगी। लेकिन इसमें क्या आपत्ति थी कि जब सीलिंग कानून लागू कर रहे हैं तो उसमें इसको भी इन्कोरपोरेट कर देते। अगर इस को इसमें इन्कोरपोरेट कर लिया जाय तो लोगों को संदेह नहीं हो। जो लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी की घोषणा लागू नहीं होगी यह जो संदेह है वह दूर हो जाता।

इस बिल के ओब्जेक्ट्स और एम्स को देखें तो नोटिफिकेशन 11-2-66 को निकला

(श्री शंकरलाल)

किसके जरिये 1 अप्रेल, 66 के पश्चात् जिन लोगों ने एस. डी. ओ. को डिक्लेरेशन नहीं दिया उनकी उस जमीन का एक्विजिशन होना चाहिये। वह जब लागू करना चाहते हैं तो क्यों नहीं उसका उल्लेख करते हैं कि जिन लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं दिये उनकी जमीन मई में रिज्यूम करली जायगी। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि सीलिंग कानून को लागू करना चाहते हैं तो इस बात को भी देखिये कि उसका दुरुपयोग न हो और यह बताइये कि घोषणा की है वह लागू होगी और यह जोड़ा जाय कि मई से जमीन ले ली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस आर्डिनेन्स के संबंध में चर्चा की जारही है वह एक ऐसा आर्डिनेन्स है जिसके लिये सरकार को इस बात की उलाहना दी जाय कि उन्होंने बहुत विलम्ब से पेश किया है तब तो कोई बात सही होगी और इस बात के लिये आलोचना की जाय कि इसको क्यों पेश किया गया है तो वह मुझे वाजिब नजर नहीं आता। मैं समझता हूं मेरे पिछले 15 वर्षों के अनुभव से सरकार ने अपनी मर्जी से कोई पहला वुद्धिमानी का काम किया है तो इस विधेयक को प्रस्तुत करने का किया है।

यह विधेयक किस बात के लिये पेश किया गया इसके कई भिन्न भिन्न पहलू हैं। जिस पहलू को लेकर इस सदन में विशेष चर्चा की गई है वह पहलू सीलिंग से संबंधित है। इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि सन् 1959 में जिस समय सीलिंग पर चर्चा हुई थी उस समय सदन के कई माननीय सदस्यों ने और विशेष तौर से मेरी पार्टी के सदस्यों ने सरकार की इस नियत पर शंका की थी कि आप सीलिंग के कानून को जिस तेजी से पारित कर रहे हैं उसको लागू नहीं कर पायेंगे। उस समय मुझे याद है मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि जिन लोगों के पास सीलिंग से अधिक भूमि है उनको इस बात की छूट दी जाय कि सरकार द्वारा बनाई गई सूची से अतिरिक्त भूमि को दे दें। यह बात है सन् 59 की, इस कानून को पास किया था और ट्रान्सफर पर रोक लगाई थी वह संभवतः 1 साल पहले लगाई थी। आज 67-68 है पूरे 10 साल के बाद भी कानून लागू नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कानून डिफेक्टिव है। इसको तेजी से रखा गया लेकिन राजस्थान की परिस्थिति के अनुकूल नहीं रखा गया। केवल प्रगतिशीलता के नारे में बह कर पास कराया। कानून कब लागू होगा आज इसको राजस्थान सरकार जानती है, सदन जानता है कि सीलिंग कानून लागू हुआ तो किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? जो बिल्कुल मूर्ख हैं या चालाक नहीं हैं या गरीब हैं उन पर लागू होगा। बाकी चाहे जागीरदार हों, चाहे सेठ हों, चाहे मंदिर का पुजारी हो या मस्जिद का मुल्ला हो या गुरुद्वारे का प्रबन्धक हो, कोई ऐसा नहीं बचा है जिसने सीलिंग कानून के विपरीत अपनी जमीन ट्रान्सफर नहीं की हो या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो और सरकार में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कराई हो। अकेले गंगानगर में जो जमीन ट्रान्सफर्स हुई हैं और रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनसे सरकार को 6 लाख रुपयों की आमदनी हुई है। आज क्या कोई हिम्मत कर सकता

(श्री भैंरोंसिंह)
है गंगानगर जिले में ट्रान्सफर्स की हुई जमीन को इल्लीगल करा दूंगा यह कहने की ? जमीन का जो ट्रान्सफर हुआ है उसको वापिस लेकर जमीन का वितरण नहीं करा सकते। जो ट्रान्सफर्स किये गये हैं उनको इल्लीगल करार नहीं दे सकते। अब सवाल इतना आता है कि जो जमीन आज है, आज राजस्थान में जिस समय सीलिंग कानून लागू करेंगे उसके बाद स्टेटमेन्ट बनेगा उस समय पता लग जायगा कि हमारे पास कितनी जमीन आई है और जितनी जमीन आई है वह बेकार है या नहीं और उसमें काश्त हो सकती है या नहीं और उसके ग्राहक भी मिल सकते हैं या नहीं ऐसे भोले भाले लोग जरूर आ जायेंगे। वह भी थोड़ी मात्रा में जो अभी तक जमीन का डिस्पोजल नहीं कर पाये हैं। इस स्थिति में सीलिंग का कानून नाममात्र के लिये पास किया था। दस साल का समय निकलने के बाद भी वह आज के दिन तक इन-अफेक्टिव है। कोई यह सोचे कि सीलिंग का कानून पास करके राजस्थान में कोई प्रगति-शील काम किया है तो वह स्वप्न की बात है। प्रगतिशील कानून बनाया लेकिन उसको लागू किस तरह से किया, इस कारण से वह कानून इनअफेक्टिव हो गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कानून तो प्रगतिशील मानते हैं ?

श्री भैंरोंसिंह : कौनसा ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : सीलिंग का।

श्री भैंरोंसिंह : प्रगतिशील नहीं है। जो कानून चलता नहीं है वह प्रगतिशील कैसे ? दस साल में जो कानून एक कदम नहीं चल सकता है वह प्रगतिशील कैसे हो सकता है·······

श्री गिरधारीलाल व्यास : बुरी नियत तो नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह : जिसमें चलने की शक्ति नहीं है तो वह चलेगा कैसे ?

श्री शंकरलाल : चला नहीं या चलाया नहीं ?

श्री भैंरोंसिंह : चला नहीं। इसलिये हमने जो मूव किया था कि भूमि को आटो-मेटिक डिस्ट्रीब्यूट करदें, यह मान लेते तो ज्यादा अच्छा होता।

अब प्रश्न यह आता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मठ हैं–इनको सीलिंग से मुक्त किया जाय या नहीं ? इस सदन के कई माननीय सदस्यों को याद होगा कि जिस समय मन्दिरों की जागीर रिज्यूम हुई थी उस समय सदन में यह मांग की गई थी कि रिजम्प्शन के साथ ही गवर्नमेंट को इस बात की सिक्योरिटी देनी चाहिए कि मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों का काम ठीक प्रकार से चलता रहेगा। सरकार ने उस समय व्यवस्था की थी कि इन मन्दिरों की जागीर रिज्यूम होगी, उसके बाद कलेक्शन चार्जेज, जो दस पर्सेन्ट रखे थे वह काटने के बाद जो भी रकम बचती है वह मन्दिरों को दी जायगी। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी की सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, बीस हजार मन्दिर ऐसे हैं जिनकी जागीर रिज्यूम हुए छः छः वर्ष हो गये, लेकिन उन लोगों को आज तक मेन्टीनेन्स के लिये पैसा तक नहीं दिया गया है उनके फार्म पड़े

(श्री भैरोंसिंह)

हुए हैं देवस्थान विभाग में। वहां से जानकारी की तो मालूम हुआ कि वहां पर फार्म्स को डिस्पोज आफ करने के लिये जितना स्टाफ चाहिये वह नहीं है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिरों में सेवा पूजा और मेन्टीनेन्स क्यों नहीं होता है, वह इसलिये नहीं होता है और इसके लिये सरकार जिम्मेदार है, पंडे पुजारी नहीं हैं। उनके ऊपर दोष लगाया जाय कि वह मंदिरों का ठीक प्रकार से प्रबन्ध नहीं कर सके तो वह गलत होगा। उसकी जिम्मेदारी और दोष सरकार पर है कि सरकार ने जागीर तो ले ली लेकिन उसके बाद उनको कम्पन्सेशन नहीं दिया, उनको मेन्टीनेन्स एलाउन्स नहीं दिया, और उनकी सेवा पूजा करने की व्यवस्था नहीं की। आज सरकार कहती है कि मंदिरों की जागीर को सीलिंग से मुक्त किया जायगा। मैं आज राजस्थान सरकार को और माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि कोई इस बात के भ्रम में नहीं रहे कि राजस्थान के मन्दिरों को इससे एक्जेम्प्ट कर दिया है, मस्जिद और गुरुद्वारों को इससे एक्जेम्प्ट कर दिया है, अगर वह नहीं किया गया तो उस पर हजार, दो हजार आदमियों को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि उनके पास कोई जमीन नहीं है। अगर किसी के पास थोड़ी बहुत जमीन है तो वह ऐसे मन्दिर हैं जिनके आलरेडी ट्रस्ट बने हुए हैं। उनके लिये अलग से कानून बने हुए हैं, जैसे आपने नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड कानून बना रखा है, और कई कानून बना रखे हैं। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि मस्जिदों की जमीन भी मोलवियों के पास नहीं है। सदन इस गुमराह की शिकार नहीं हो। वक्फ प्रोपर्टी का नाम नहीं होता तो कोई बात होती लेकिन आज वक्फ प्रोपर्टी को सरकार अपने कब्जे में लेकर के दूसरों को दे देगी—तो यह वक्फ की प्रोपर्टी के लिये और गुरुद्वारों की प्रोपर्टी के लिये बिल नहीं है। वैसे सरकार ने गलती की है। यदि गुरुद्वारों के नाम से, और वक्फ प्रोपर्टी के नाम से, मस्जिदों के नाम से वह कानून लाती तो वह आसानी से पास हो सकता था क्योंकि हमारे यहां पर चिढ़ है तो वह मंदिरों के नाम से है। इसमें यह शब्द जोड़ दिये गये हैं इसलिये लोगों को एतराज है कि पंडे, पुजारी, मठाधीश क्यों आगये। मेरा निवेदन है कि उसकी आड़ में यह कह नहीं सकते कि वक्फ प्रोपर्टी पर सीलिंग कानून नहीं लगाया जायगा, गुरुद्वारों की प्रोपर्टी पर नहीं लगाया जायगा और मंदिरों की प्रोपर्टी को जब्त कर लिया जायगा। अगर आप ऐसी व्यवस्था करते तो सदन के जो माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं वह इसका विरोध नहीं करते और सरकार का समर्थन करते। मैं इस सदन की जानकारी के लिय कहना चाहता हूं कि आज वक्फ प्रोपर्टी का अधिकार किसी कानून से आप नहीं ले सकते, अगर उन पर आप सीलिंग का कानून लागू करेंगे तो लागू नहीं कर सकते हैं, वह अल्ट्रा-वायरस हो जायगा और वह इसलिये हो जायगा कि वह कानून हमने नहीं बनाया है, वह भारत सरकार की पालिसी के अनुसार बना है। गुरुद्वारों का कानून हमने नहीं बनाया है, भारत सरकार की अलग अलग पालिसी से उनके अलग अलग कानून बने हुए हैं और उनके अनुसार उनकी जमीन या प्रोपर्टी होती है उसको आप नहीं ले सकते हैं। अब केवल बचे मन्दिर, जिनकी जमीन को आप ले सकते हैं। वह जमीन भी ऐसे मन्दिरों की है जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के मातहत

(श्री भैरोंसिंह)

रजिस्टर्ड हैं । उन मन्दिरों की जमीन सार्वजनिक जमीन हो गई है इसलिये वह भी आप नहीं ले सकते हैं । एक शंका जो माननीय सदस्यों ने उठाई उसको मैं उचित मानता हूं । आज कुछ मंदिरों में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने न तो उसका पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के मातहत रजिस्ट्रेशन कराया है और वह मन्दिरों की प्रोपर्टी को डिस्पोज आफ कर रहे हैं (समय समाप्ति सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा टाइम लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : काफी बोल दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपनी उम्र में पहली बार सरकार का समर्थन कर रहा हूं, आज भी आप घंटी बजा रहे हैं ।

श्री खेतसिंह : हमें जरूरत नहीं समर्थन की ।

श्री भैरोंसिंह : मैं कह रहा हूं कि अब मंदिरों का सवाल है तो मन्दिरों के प्रश्न पर भी कितनी जमीन सरकार को मिलने वाली है यह तो सरकार के माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे, कुछ आंकड़े बता देंगे । मैं जानकारी के लिये · · · · · ·

एक माननीय सदस्य : कोई आंकड़े नहीं है उनके पास ।

श्री भैरोंसिंह : कोई आंकड़े इनके पास हैं । इनके अपने मन्दिर हैं जिनको रेगूलेराइज करने का तकाजा हो रहा है ।

एक माननीय सदस्य : वह ध्यान में हैं ।

श्री भैरोंसिंह : वह ध्यान में है तो बता देंगे ।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब कहने लगे हैं प्रगतिशीलता की और रूढ़िवाद की, इसकी चर्चा यहां पर हुई । उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, सेकिंड वर्ल्ड वार के जमाने में जब जर्मनी की फोर्सेज रूस में घुसने लगीं तो शायद जो लोग पहले धर्म में विश्वास नहीं करते थे, वह उस समय गिरजाघरों में जाने लगे, रूस माता की जय के नारे लगाने लगे · · · · ·

श्री खेतसिंह : यह ठीक कहा ।

श्री भैरोंसिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, संकट के मौके पर भगवान याद आते हैं । यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे यहां पर संकट नहीं है । लेकिन जिस वक्त संकट आता है, जिस वक्त संकट आ जाय तो लोग अनुष्ठान शुरू कराते हैं, अगर किसी वक्त संकट आ जाय तो लोग ज्योतिषी के यहां धरना देना शुरू कर देते हैं, अगर किसी पर संकट आ जाय तो मन्दिरों में मूर्तियों को खुश करने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं । इसलिए यह प्रगति का नारा सही नहीं है · · ·

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : रामानन्द जी पर आफत नहीं आती है ?

श्री भैरोंसिंह : रामानन्द जी पर नहीं है । मैं कह रहा हूं, रामानन्द जी खुद स्वीकार करते हैं । आज तक कम्युनिस्ट कन्ट्रीज में प्राइवेट प्रोपर्टी का अधिकार नहीं था लेकिन रूस में जिसको परिवर्तनशील, क्या कहते हैं · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में क्यों कहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो ड्रिल की बात जानते हैं। उस बात को कहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपको चिन्ता हमारी ड्रिल से है। मैं आपको इतना बता दूं कि साम्यवाद की मौत ड्रिल से ही होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : साम्यवाद ने बहुत ड्रिल देखी है। हिटलर और मुसोलिनी को भी साम्यवाद ने ही ठीक किया।

श्री भैरोंसिंह : वह ठीक है इसलिए ही साम्यवादी आपस में लड़ रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए ही तो आपने सरकार का समर्थन करना शुरू कर दिया है जब आपने साम्यवाद की ताकत बढ़ती देखी है।

श्री भैरोंसिंह : वह ठीक है, इसलिए ही राइट कम्युनिस्ट पार्टी की हिन्दुस्तान में ताकत थी वह भी खत्म हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न केवल इतना सा था कि इस जमीन को हम लेकर लोगों को देना चाहते हैं तो क्या लोगों को देने के लिए जमीन सरकार को मिले या नहीं मिले-यह तो आगे का सवाल है लेकिन क्या यह सिद्धान्ततः उचित है कि किसी धार्मिक इन्स्टीट्यूशन की जमीन को जब्त कर लें ? अगर सिद्धान्ततः ठीक है तो मैं कहना चाहूंगा कि कान्स्टीट्यूशन के अन्दर धार्मिक स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता दी है धार्मिक प्रचार प्रसार की। उसके अन्दर आप अनड्यू इन्टरफियरेन्स करना चाहते हैं ? आज कई मन्दिर हैं जो अपने प्रचारक बाहर भेजते हैं। उन प्रचारकों को भेजने के लिए साधन चाहिए। सरकार उन्हें साधन मुहैय्या नहीं करती है अगर जमीन से वह साधन किसी प्रकार उन्हें मिलते हैं और सरकार उन साधनों को छीनना चाहे तो मैं कहूंगा कि वह धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर जबर्दस्त आघात होगा। मैं माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत नहीं हूं, जो यह कहते हैं कि इससे प्रोडक्शन ज्यादा हो जायगा। अब मेरी समझ में नहीं आया कि चार पांच हजार बीघा जमीन, जिस पर आज भी खेती होती है, जिस पर आज भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ज्यों ही मन्दिर के अधिकार से निकलेगी और दूसरों के पास जायगी तो क्या बाजरे के सिट्टे जो एक इंच के होते हैं वह सात इंच के हो जायेंगे ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आज जिनके पास वह जमीन है, वह भी कोशिश कर रहे हैं कि पैदावार बढ़े। वह इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करना चाहूंगा। दूसरा प्रश्न यह है कि जो लोग यहां से बिना पासपोर्ट के चले गये हैं, दूसरे देश में चले गये हैं, उन लोगों की भूमि सरकार के हाथ में आ जायेगी। इस भ्रम के कारण मैं समझता हूं कि यह दबा हुआ विरोध किया गया है और लोग खुलकर नहीं कह सके हैं। जो हम दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, राष्ट्रीयता के प्रश्न पर अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाये। मुझे मालूम है और मेरी जानकारी में है तथा सरकार की जानकारी में भी है कि 1965 के युद्ध के बाद कितने लोग पाकिस्तान चले गये। आज कोई मुल्क ऐसा है कि जिस मुल्क पर दूसरा मुल्क

(श्री भैरोंसिंह)

हमला करे और जिसके 18 हजार आदमी दुश्मन के साथ जाकर मिल जायें। और फिर हथियार लेकर मुल्क को लूटने के लिए आयें। ऐसे लोगों को इनाम देने की जगह सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए। इस सरकार को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि दो वर्ष बाद इस कानून को पेश कर रही है और इस कानून को इसलिए पेश कर रही है कि जो लोग पाकिस्तान चले गये थे उनमें से 123 परिवार वापिस आ गये। उन्होंने वापिस आकर अपनी जमीन पर कब्जा किया। उसके बाद क्योंकि उसमें उनके राइट्स को एबण्डन करने की सरकार को पावर नहीं है और एबण्डन करने का जो प्रोसीजर दिया है उससे यह जमीन से निकल नहीं सकते तो वह रेवेन्यू बोर्ड में चले गये और वहां पर केस जीते। जो लोग पाकिस्तान चले गये थे वह अपने परिवारों के लोगों को पाकिस्तान छोड़ कर वापिस आगये और जमीन पर कब्जा कर लिया। क्या आप चाहते हैं कि जो लोग हमारे दुश्मन से मिलकर हमारे देश पर हमला करने की कोशिश करें, उनको जमीन दे दी जाये? आप बात करना चाहते हैं राष्ट्रीयता की। राष्ट्रीयता का मतलब यह नहीं हो सकता कि जो लोग जाकर इस प्रकार से दुश्मन से जाकर मिल जायें उनके खिलाफ सख्त से सख्त दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। किन्तु आप व्यवस्था करना चाहते हैं कि वह लोग भूल से चले गये। बाप बेटे चले गये। बाप वहां रह गया और बेटा यहां आ गया तो बेटे को जमीन दे दी जाये। तो मैं इस पक्ष में नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार कानून देरी से पेश हुआ है और अमेंडमेंट शायद कर दिया जाये।

(विद्युत व्यवस्था भंग)

एक माननीय सदस्य: रिपोर्ट नहीं हो सकेगा।

श्री भैरोंसिंह: रिट्रास्पैक्टिव इफैक्ट से लागू किया जाये। ऐसा अगर होता है तो पाकिस्तान से आकर जिन्होंने भूमि पर अधिकार कर लिया है तो उन लोगों के अधिकार से वह जमीन निकल पायेगी। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाया है वह कदम अच्छा उठाया है। मैं उसके इस कदम की सराहना करता हूं। लेकिन मैं कण्डेम इसलिए करता हूं कि सरकार ने इस कानून को देरी से पेश किया है इस कारण से अब भी कई कानूनी उलझनें पेश होंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्दिरों को बख्शो। मन्दिरों के पास जमीन नहीं है। मस्जिदों और गुरुद्वारों को बख्शो। वक्फ को बख्शो। अगर मन्दिरों की जगह लेना चाहते हों तो हमारे साथ चलिये। पब्लिक में भाषण दीजिए कि मन्दिरों की जमीन सरकार में आनी चाहिए। मन्दिरों के कब्जे से यह जमीन भूमिहीनों को मिलनी चाहिए। उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। यह एक प्रगतिशील कदम है। इससे रूढिवादिता खत्म होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि आप वहां यह नहीं कह सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आजाइये पब्लिक में। मैं तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह: माननीय सदस्य, अलवर में मेव इलाके में जाकर कह दें कि वक्फ में जो प्रापर्टी है वह छीन ली जाएगी। या जंगलात विभाग के रूंध की जमीन सरकार के कब्जे में है, उस पर जबरदस्ती अधिकार

(श्री भैरोंसिंह)

करने के लिए आन्दोलन करते हैं लेकिन मस्जिद और वक्फ के नीचे जो जमीन है उसको लेने का प्रयास किया जाये तो वहां पर वोट का सवाल आ जाता है। क्योंकि लोग नाराज होंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रोपर्टी पर कब्जा नहीं किया जाए। मैं कहता हूं कि जो सही बात है उसको सदन में भी कहें और जो सही बात है उसको बाहर भी कहें। एक चीज बाहर के लिए और एक चीज सदन के लिए यह भेद मत करो। इस लिए इस कानून को पास करने में बुराई नहीं लगती है। लेकिन इसमें जो कानूनी मुद्दे हैं और जो कानून को जानने वाले श्री सतीशचन्द्र जी ने और श्री रामानन्द जी ने प्रश्न उपस्थित किये हैं उन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो सरकार इसको मान ले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : खत्म करिये।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : रात भर बैठेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रगतिशील कवि ने कहा है लडवाते हैं मन्दिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला।

श्री गोवरधन सोनी (मेडता) : जय हो।

श्री मूलचन्द डागा : मैं सोचता हूं कि सदन में इस प्रकार के जो भाषण देते हैं जिनसे मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। इस तरह के भाषणों से मन्दिर, मस्जिद की दीवार खडी करके लोगों को लड़वाना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : फिर फरमाइये

श्री मूलचन्द डागा : यह न मन्दिर का सवाल है न मस्जिद मन्दिर का सवाल है सवाल यह है कि हम 1968 के अन्दर आर्थिक दृष्टि से क्या चाहते हैं। हम मन्दिर, मस्जिद में धर्म सीमित नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा धर्म खेतों खलिहानों में चला जाये। हम चाहते हैं कि हमारा धर्म झौंपड़ियों में चला जाये। अगर मंदिर, मस्जिदों के कारण हमारी प्रगति हुई होती तो आज हमारे देश के अन्दर हजारों मन्दिर, मस्जिद हैं, जिनसे देश को आगे बढ़ाया जाये। लेकिन यह बात अलग है। विचारणीय प्रश्न यह है कि आज आर्थिक युग में हर एक मनुष्य की भूख हम कैसे मिटाना चाहते हैं। हम युग की विषमता कैसे दूर करना चाहते हैं। सीलिंग की जो भावना थी वह यह थी कि जो अधिकतम सीमा से अधिक भूमि है, वह भूमिहीनों के पास हो। आप उदाहरण दे रहे थे कि इस कानून को पास हुए 10 साल हो गये हैं। लेकिन, अभी तक इसको लागू नहीं किया। संविधान में यह भी था कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। वह किस कारण से नहीं हुई है? क्या आप यह कहने के लिए तैयार हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए?

श्री भैरोंसिंह : होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : फिर ऐसे सवाल क्यों पैदा होते हैं? राजस्थान में सबसे पहले सोचा था कि सबसे पहले यह सीलिंग कानून लागू होना चाहिए। यह एक प्रगतिशील कानून था। सीलिंग कानून होना चाहिए

(श्री मूलचन्द डागा)

था तो आज आकर मन्दिर, मस्जिद की बात करने लगे और यह कहने लगे कि वक्फ प्रोपर्टी के लिए क्या ऐसा भाषण दे सकेंगे और भी ऐसी बातें कहने लगे जिससे लोगों की भावनाएं उकसायी जा सकती हैं। यह मन्दिर, मस्जिद का सवाल नहीं है। सवाल है किसी डेमोक्रेसी के अन्दर प्रजातन्त्र में हम क्या चाहते हैं। हमारे प्लानिंग कमीशन ने निर्णय दिया है कि हम अधिकतम सीमा से जो अधिक भूमि है, वह लेना चाहते हैं। लेकिन जब इन्होंने यह देखा कि 5 साल किस तरह से रहें, तो यह कहीं मन्दिर, मस्जिद का सहारा लेते हैं कहीं गाय का सहारा लेते हैं।

(हियर–हियर शोरगुल)

आज आप सिनेमाओं में जाकर देखिए। मन्दिरों में जाकर देखो। मैं समझता हूं कि शाम के टाइम जो भीड़ सिनेमाओं में लगती है मन्दिरों में नहीं लगती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग मन्दिरों में जायें तो मन्दिरों को आप आकर्षक बनायें और आप जैसे लोगों को पुजारी बनायें।

श्री मदनसिंह दांता : जैसी बुद्धि होगी वैसी ही बात करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : जो धार्मिक भावना के लोग हैं, उन्हें यह चाहिए। यह मन्दिरों और मस्जिदों का सवाल नहीं है। गुरुद्वारों और गिरजाघरों का सवाल नहीं है। यह आर्थिक सवाल है। मैं चाहता हूं कि मनुष्य जो गिरे हुए हैं वह कैसे ऊंचे उठें।

श्री मदनसिंह दांता : इस वक्त तो जो सबसे गिरे हुए आदमी हैं वह कांग्रेसी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह सब मन्दिर मस्जिद का सवाल नहीं है। यह जो पुजारी हैं, पण्डित हैं और मठाधीश हैं जो कुछ नहीं करते हैं, उनको जमीन दे रखी है। यह मोटे मुस्टण्डे हो रहे हैं। इन्होंने धर्म की हानि की है। यह अपने हाथों से काम करें।

श्री मदनसिंह दांता : मैं आब्जेक्ट करता हूं। जिनमें हमें श्रद्धा है, उनको मोटा मुस्टण्डा कहते हैं। ऐसा होगा तो इनके जो मोटे मुस्तण्डे पण्डे हैं, वे दिल्ली में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब आपका क्रम आये तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप को अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता है। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। दूसरों को अपने विचार रखने का अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो इनके मुस्टण्डों की बात हो रही है।

श्री मूलचन्द डागा : इस कानून के आधार पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में जो मोटे मुस्टण्डे हैं वह इनके पास हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जिनको उन्होंने मुस्टण्डे कहा है, उसमें आपका विश्वास नहीं है तो आप को ऐतराज क्यों है?

श्री मदनसिंह दांता : हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि 1968 के अन्दर हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने इस कानून के आधार पर यह लागू किया।

(श्री मूलचन्द डागा)
था तो आज आकर मन्दिर, मस्जिद की बात करने लगे और यह कहने लगे कि वक्फ प्रोपर्टी के लिए क्या ऐसा भाषण दे सकेंगे और भी ऐसी बातें कहने लगे जिससे लोगों की भावनाएं उकसायी जा सकती हैं। यह मन्दिर, मस्जिद का सवाल नहीं है। सवाल है किसी डेमोक्रेसी के अन्दर प्रजातन्त्र में हम क्या चाहते हैं। हमारे प्लानिंग कमीशन ने निर्णय दिया है कि हम अधिकतम सीमा से जो अधिक भूमि है, वह लेना चाहते हैं। लेकिन जब इन्होंने यह देखा कि 5 साल किस तरह से रहें, तो यह कहीं मन्दिर, मस्जिद का सहारा लेते हैं कहीं गाय का सहारा लेते हैं।

(हियर–हियर शोरगुल)

आज आप सिनेमाओं में जाकर देखिए। मन्दिरों में जाकर देखो। मैं समझता हूं कि शाम के टाइम जो भीड़ सिनेमाओं में लगती है मन्दिरों में नहीं लगती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग मन्दिरों में जायें तो मन्दिरों को आप आकर्षक बनायें और आप जैसे लोगों को पुजारी बनायें।

श्री मदनसिंह दांता : जैसी बुद्धि होगी वैसी ही बात करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : जो धार्मिक भावना के लोग हैं, उन्हें यह चाहिए। यह मन्दिरों और मस्जिदों का सवाल नहीं है। गुरुद्वारों और गिरजाघरों का सवाल नहीं है। यह आर्थिक सवाल है। मैं चाहता हूं कि मनुष्य जो गिरे हुए हैं वह कैसे ऊंचे उठें।

श्री मदनसिंह दांता : इस वक्त तो जो सबसे गिरे हुए आदमी हैं वह कांग्रेसी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह सब मन्दिर मस्जिद का सवाल नहीं है। यह जो पुजारी हैं, पण्डित हैं और मठाधीश हैं जो कुछ नहीं करते हैं, उनको जमीन दे रखी है। यह मोटे मुस्टण्डे हो रहे हैं। इन्होंने धर्म की हानि की है। यह अपने हाथों से काम करें।

श्री मदनसिंह दांता : मैं आब्जेक्ट करता हूं। जिनमें हमें श्रद्धा है, उनको मोटा मुस्टण्डा कहते हैं। ऐसा होगा तो इनके जो मोटे मुस्तण्डे पण्डे हैं, वे दिल्ली में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब आपका क्रम आये, तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप को अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता है। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। दूसरों को अपने विचार रखने का अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो इनके मुस्टण्डों की बात हो रही है।

श्री मूलचन्द डागा : इस कानून के आधार पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में जो मोटे मुस्टण्डे हैं वह इनके पास हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जिनको उन्होंने मुस्टण्डे कहा है, उसमें आपका विश्वास नहीं है तो आप को ऐतराज क्यों है?

श्री मदनसिंह दांता : हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि 1968 के अन्दर हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने इस कानून के आधार पर यह लागू किया।

(श्री मूलचन्द डागा)

यह मोटे मुस्टण्डों की अधिकारों की बात करते हैं। इसलिए खयाल आता है कि यह धार्मिक भावनाएं उभाडने के लिए सन् 1968 में बात करते हैं। मैं समझता हूं कि यह वह जमाना नहीं रहा है कि हम धर्म की बात करें। हम देश की भूख मिटाना चाहते हैं। यह जो कानून है, मन्दिर, मस्जिद या किसी के पास जमीन रहती है तो उससे क्या लाभ होगा। सीलिंग कानून पास हुआ। उसमें प्रोग्रेसिव फार्मिंग के लिए कानून पास कर दिया कि जिनके फार्म हों, जिन्होंने ट्रेक्टर ले रखे हों उनको इस कानून से एक्जम्प्शन करते हैं। जब हम यह कह चुके हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो आर्थिक भिन्नता है उस हालत में यह चाहते हैं कि सीलिंग कानून है उससे किसी प्रकार इन्हें एक्जम्प्ट करा दें। इस प्रकार सीलिंग कानून की हत्या की जारही है अमेंडमेंट लाकर और संशोधन लाकर। अगर ऐसा था तो यह पहले से लाना चाहिए था। इस प्रकार आप सीलिंग के कानून को नहीं लागू करना चाहते। यह हमारी नीति के खिलाफ है कि इस प्रकार का संशोधन इस सदन में पास किया जाए। मैं तो आज भी कहता हूं कि आप कहते हैं कि बड़े बड़े फार्म बना दिये जायं, उनको इस कानून से एक्जम्पट कर दिया जाएगा। जितने बड़े बड़े लोग हैं वह बडे बडे फार्म बना देंगे। इन पिछले बीस सालों के अन्दर जो लोग शक्तिशाली थे उन्होंने सरकार से बड़े बड़े कर्जे ले लिए, बड़े लोन ले लिए और लाखों रु. लगा दिये और फार्म एस्टेब्लिश कर लिए। फिर आज यह क्यों कहते हैं? जैसा कि विरोधी दल के माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इससे गरीब ही मरे हैं या इससे वंचित ही रह गये हैं इसमें आप का ही दोष था क्योंकि जो शक्तिशाली थे उन्होंने सरकार से पैसा ले लिया, बडे बडे ट्रेक्टर ले लिए, मशीने ले लीं और फार्म बना लिए। आप कहते हैं कि वहां विषमता का प्रश्न पैदा नहीं हो सकता। जिसने सरकार से पैसा लेकर जमीन का प्रोडक्शन बढाया है, जमीन को उपजाऊ बनाया है, फार्म बना लिया है, जिसका बहुत बडा एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जमीन पर आक्रमण नहीं कर सकते तो यह समाजवाद के उसूल के खिलाफ है और उसके लिए गरीब आदमी से कहना पडेगा कि इस देश में आर्थिक विषमता कायम रहेगी। विषमता रहेगी इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही किसी के पास ट्रेक्टर हों, उसने फार्म बना लिया हो, लेकिन उसके पास अधिकतम सीमा से जो भी अधिक भूमि है उसके हमें टुकडे करने पडेंगे यदि हमें आर्थिक विषमता को घटाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिन्दुस्तान के कोने कोने में जो अराजकता पैदा होगी और जो गरीब आदमी हैं वह इसके लिए आन्दोलन करेंगे। लेकिन यह लोग नहीं चाहते कि उनके फार्म को हम लोग ले लें। मेरा सवाल था कि आप इस बात को सोचिए। हिन्दुस्तान में असन्तोष है उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो आदमी दबे हुए हैं और वह चाहते हैं कि वह उस व्यक्ति से मुकाबला करेंगे जो उसका शोषण करना चाहते हैं। हमारी गरीबी और मूर्खता का लाभ उठा रहे हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को लाने से पहले महरबानी करके इस पर एक बार और विचार करें, वरना अराजकता पैदा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानिया।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक पर विचार हो रहा है इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित करने से पहले, यह संशोधन लाने से पहले, जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार इसके सम्बन्ध में पेश किये हैं उन विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने इस एक्ट में संशोधन हुए हैं और प्रसारित हो गये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण सदन के सामने बताना चाहूंगा और यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि महज संशोधन पारित करके एक्ट में जोड देने से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, इस पर आज तक आपने विचार नहीं किया है। हम यह जानते हैं कि जितने कानून सदन में लाये जाते हैं उनके पीछे एक बहुत बडा महत्वपूर्ण राज होता है राज्य सरकार का और वह यह होता है कि अपने किसी भी व्यक्ति को अपने किसी व्यक्ति की संस्था को कुछ न कुछ उस आड में फायदा पहुंचाने का एक बहुत बडा रहस्य होता है। इसी तरह से इसके पीछे भी बहुत बडा रहस्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे लिये हैं पर हिन्दुस्तान में धर्म निरपेक्ष राज्य की बात कही जाती है, ईसाई भी हमारे यहां रहते हैं, इसमें कहीं भी गिर्जा का नाम नहीं लिखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कहता कि इसमें गिरजा भी लिखा जाय। मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि 1955 में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में एक संशोधन पेश हुआ था और वह संशोधन पास हुआ था और बडे ध्वनिमत से हुआ था जिसको लोगों ने बडा ऊंचा महत्व दिया था वह थी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 (क), जिसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने डूंडी पीटी थी कि हम हरिजनों का इस धारा के तहत बहुत बडा भला कर रहे हैं, उस संशोधन में यह था कि परिगणित जाति और परिगणित जनजाति के लोगों के पास जो जमीनें हैं उन पर जो उनके खातेदारी राइट्स हैं, उन जमीनों को इन जातियों के अलावा किसी दूसरी जाति वालों को न तो दे सकेंगे न दूसरी जाति वाले लोग इनकी जमीनों को खरीद सकेंगे और न दूसरे लोग इनकी जमीनों को जोत ही सकेंगे और चौथी सबसे वडी बात उसमें यह रखी गई थी कि कोई दूसरे लोग उसको बंटवारे पर भी नहीं ले सकेंगे। इस बात को देखते हुए लोगों का खयाल था कि हरिजनों की प्रोपर्टी बच जायगी, इन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी बन सकेगी, पर आज दिन तक उस कानून की अवहेलना हुई है, राजस्थान सरकार ने उसका पालन नहीं किया है इसकी उपाध्यक्ष महोदय, हजारों मिसालें हैं, मैं सैंकडों केस पेश करने को तैयार हूं, पर इस समय मैं सदन के समक्ष अभी का एक ताजा महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करना चाहता हूं। सांगानेर तहसील में एक हरिजन की जमीन है, जो कि सांगानेर रोड पर, जयपुर से एरोड्रोम पर जो सडक जाती है, उस सडक के मुख्य रास्ते पर एक गरीब हरिजन की जमीन थी। वह गरीब उस जमीन पर काबिज था, उसका कुआ था, उस गरीब के पीछे कुछ लोग पडे और उसकी इस जमीन को हडपना चाहा। मैं यह बताना चाहूंगा कि लगातार दो तीन साल तक उन लोगों

(श्री लादूराम सुलानिया)
ने प्रयास किया, जो कि राजस्थान के बड़े बडे वरिष्ठपदाधिकारी हैं। उसके बाद यह हुआ कि उस हरिजन की जमीन नहीं हड़प सके तो उस गरीब को ईसाई बनाया गया और ईसाई का सर्टिफिकेट ले कर जमीन का रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाया।

श्री उपाध्यक्ष : वापिस हिन्दू हो गया कि नहीं ?

श्री लादूराम सुलानियां : वापिस हिन्दू बने या न बने इसमें मुझे कुछ नहीं कहना ह पर हमारे यहां धर्म निरपेक्ष राज्य की डींग हांकने वालों की यह हालत है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये एक गरीब हरिजन को विधर्मी बनाया, और उसकी डेढ लाख की जमीन थी, उस जमीन को कौडियों में खरीदा। उसका रजिस्ट्रेशन यहां के तहसीलदार ने किया, पटवारी, तहसीलदार और कलेक्टर सब की आंखें मिच गई उन्होंने यह नहीं देखा कि खातेदारी में हरिजन नाम है, उसका ईसाई के नाम से कैसे नामान्तरण हो गया, यह एक विचारणीय विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही नहीं इस प्रकार के कई उदाहरण हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और वक्फ और दूसरी दूसरी बातों की दोहाई देते हैं, अपने अपने विचार सभी रखते हैं, आज कहते हैं कि इनकी जमीनें सीलिंग में ले ली जायं, यह कानून बने इतने दिन हो गये, आज तक आप कहां गये थे, आज तक तो आपने किसी प्रकार का संशोधन नहीं रखा, अब रखा है, जब रखा है जब कि इनके जितने सहपाठी लोग थे उन्होंने अपनी मन्दिर मस्जिदों की जमीनें ऊंची कीमत पर बेच दी है, अब जमीनें नहीं रही हैं, अब आप कहते हैं कि सीलिंग में ले लो, अब क्या लेंगे, अब तो सब बेच चुके...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सीलिंग में ले नहीं रहे हैं, सीलिंग से निकाल रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं सब समझता हूं, सीलिंग से निकाल कर ले जायं। सीमा से अधिक थी, उसको तो लोग पहले ही बेच चुके, अब कहते हैं कि निकाल रहे हैं। जिस वक्त मन्दिरों, मस्जिदों की जमीनें ऊंची कीमत पर बेचीं उस वक्त आप कहां गये थे, उस वक्त चुपचाप क्यों देखते रहे और इन लोगों ने मन्दिरों, मस्जिदों की जमीनें ऊंची कीमत पर बेची हैं, उस पैसे को मन्दिरों में नहीं लगाया है, उन लोगों ने अपना पेट भरा है, उस वक्त आपने इस बात की दोहाई नहीं दी कि सीलिंग करेंगे इसलिये तुम इन जमीनों को बेच नहीं सकते। यह बात आपने आज तक नहीं रखी, उनको ऊंची कीमत पर जमीने बेचने से आपने नहीं रोका। उदाहरण के लिये मैं एक नमूना पेश करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान का केन्द्र है जयपुर, जयपुर के पड़ौस में झोटवाडा है, वहां पर एक बड़ा धार्मिक मन्दिर है, उसकी जमीन को जयपुर के सेठियों ने ऊंची कीमत पर बेचा है। आज तक उस तरफ सरकार की नजर नहीं गई है कि सेठियों ने क्यों जमीन बेची, धार्मिक स्थान की निजी सम्पत्ति है उसको कैसे लोगों ने बेच दिया इस तरफ सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। राजस्थान के उच्च अधिकारी कलेक्टर आदि इस मामले में चुप हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री लादूराम सुलानिया)
इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हू . .

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से 15 मिनिट और बढाये जाते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : नहीं साहब अब नहीं होगा।

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री मनोहरसिंह मेहता : जगन्नाथजी को बोलने दो।

श्री रामकिशन (वैर) : पहली बार बोल रहे हैं, इनको बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ये बोल लें, इसके बाद आप बोल लेना।

श्री लादूराम सुलानिया : धार्मिक स्थान सीलिंग से बचें, इसमें हमारा सहयोग है, हम इससे सहमत हैं, हम इसका विरोध नहीं करते पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की यह नीति है, उसके पीछे राज है, उससे जनता को हानि होने वाली है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जितने विचार रखे हैं उन पर विचार करके इसे जनमत के लिये प्रसारित किया जाय, जल्दबाजी में पास न किया जाय।

(6 म. प.)

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां मन्दिरों और मस्जिदों की जमीन का सवाल चल रहा है। इनकी जमीनों को छूट मिलनी चाहिए। यदि हम ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमारा मकसद है कि मन्दिरों और मस्जिदों के अन्दर जो जमीनें हैं उनको छूट मिलनी चाहिए। अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो कभी भी हम कामयाब नहीं होंगे। हमारी फौज के अन्दर इतवार को मन्दिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि ईश्वर हमें कामयाब करे। हिन्दुओं का मन्दिर पर, सिक्खों का गुरुद्वारों और इस्लाम का मस्जिद पर हक है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आपने हमारे साथ में सौगंध खाई, उसको नहीं निभाया ?

श्री जगन्नाथ : राष्ट्रपति के पास दिल्ली में जब मुझे ले चले . . .

(शोरगुल)

तुम्हारे लाखों रुपयों पर XXXX कर दिया . .

(लगातार शोरगुल)

पानी फेर दिया, मठगुरुओं को साफ कर दिया।

(अश्रव्य)

मैं कोई आज से कांग्रेस में नहीं हूँ, सन् 1946 से हूं।

कई माननीय सदस्य : XXXX शब्द को तो निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उसको एक्सपंज किया जाता है। राजस्व मंत्री।

श्री रामकिशन : बीच में गालियां आ गई, उनको काट दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चाएं हुई हैं और

XXXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

तरह तरह के विचार सदन के सामने आए हैं, उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल से, सीलिंग कानून का लागू करना और न लागू करना और मेन एक्ट के लागू न करने से कोई संबंध नहीं है। मेन एक्ट के तहत एक नोटीफिकेशन जारी हुआ जिसमें अप्रेल, 1966 मुकर्रर किया गया जिसके आधीन सीलिंग से ज्यादा जमीन वालों को उस तारीख से डिक्लेरेशन देना था। उसके बाद यह महसूस किया गया कि हमारी भावनाओं के अनुकूल मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की जमीनों को सीलिंग में लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की हमारी भावनायें हैं, जिस प्रकार से हमारे विधान में हमारी भावनायें निहित हैं उसको लेकर यह नीति का प्रश्न है जिस पर सोचना पड़ेगा कि वास्तव में क्या इनके पास जितनी जमीनें हैं, किसी ने दान में दी हैं। रिलीज्यस चैरिटेबल एन्डोमैंट्स के रूप में हैं, जिसको लेने से कई काम्पलीकेशन्स अराइज हो सकती हैं। उनके अन्दर मैं नहीं जाना चाहता। क्या हमारी नीति होनी चाहिए, पहले ही जो चीज ज्यादा काम्पलीकेटेड बनी हुई है जितनी जमीनें दी हुई हैं उनको लें तो क्या होगा ? क्योंकि जितने मन्दिरों और मस्जिदों के पास जमीन दी हुई है, वह दान की है। अगर मान लिया जाय कि कोई व्यक्ति उस जमीन को बेच देता है या कुछ और करता तो दूसरी शकल होती। यहां पर कई चर्चायें की गई हैं, या तो पुजारियों के पास हैं, पुजारी इसका उपभोग करते हैं, इससे गड़बड़ियां होती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिल की मंशा को और शब्दों को पूरी तरह से समझें। इसमें ये शब्द हैं :

Land held and managed by the temple, masjid or Gurudwara

तो जो जमीन मन्दिर और मस्जिद की है, उसके खाते में है, उसका प्रश्न अराइज नहीं होता है, जो किसी व्यक्ति के खाते में है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यक्ति के खाते में है, वह गवर्न नहीं होती। वह मन्दिर और मस्जिद की जमीन होती और उसके द्वारा मैनेज की जाती होती तो इस कानून से एग्जेम्प्शन मिल सकती है।

दूसरी बात जो कही गई कि इसमें उनको लाने की क्या जरूरत थी। एक आरग्यूमेंट दिया गया क्योंकि 30 (जे.) के तहत वैसे ही एग्जेम्प्शन है। मैं समझता हूं कि 30 जे को नहीं पढ़ा उसमें शब्द है "परसन"। परसन की डेफीनेशन में बोडी इन्कारपोरेट आती है और मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारा परसन की डेफीनेशन में नहीं आते हैं यह जनरल क्लाजेज एक्ट में है।

श्री मूलचन्द डागा : जहां पर आपकी जमीन खुद की हो-जैसे महादेव का मन्दिर है, उसका पुजारी रामरतन है, तो वह मैनेज करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह कानूनी प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : : रामरतन की जगह मूलचंद का नाम भी आ सकता है या नहीं ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : दूसरी शंका यह उठाई गई है कि क्या पता यह जमीन ट्रांसफर कर दी जाएगी तो क्या कन्ट्रोल रहेगा। जितनी जमीनें हैं वे रिलीज्यस चैरिटेबुल एन्डोमेंट्स की हैं और राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के तहत पाबंदी लगी हुई है कि कोई भी व्यक्ति मन्दिरों

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
की इम्पूवबल प्रापर्टी या एग्रीकल्चरल लैंड वगैर गवर्नमेन्ट पर्मीशन के नहीं बेच सकता है। कई कन्डीशन्स लगी हुई हैं।

श्री लादूराम बुलानिया : जो जमीनें मन्दिरों और मस्जिदों के खाते में हैं, उनको बेचने का राइट है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राइट किसी को नहीं है, नहीं बेची जा सकतीं।

एक माननीय सदस्य : बिक गई हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो कार्यवाही के बाद खारिज हो जायगी। दूसरा अमेंडमेंट है, वह मैं समझता हूं कि क्लीयर है। लीगल पोजीशन भी क्लीयर है। इसमें कितनी दिक्कतें आती हैं जैसे भैरोंसिंहजी ने कहा, अमेंडमेंट लाना पड़ा, हाई कोर्ट में जायं और फिर नोटिस दिया जाय या तहसीलदार ने कार्यवाही की या नहीं। इन सबसे बचने के लिए कार्यवाही की गई और यह उचित समझा कि अमेंडमेंट की जाय। इसलिए रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें कोई खराबी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहें तो कहें।

श्री महेन्द्रसिंह : मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सभी वापस लेंगे।

श्री रामकिशन : हम वापस क्यों लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री रामकिशन, श्री गिरधारीलाल व्यास व श्री रामानन्द अग्रवाल ने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इनके प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह, श्री दिग्विजयसिंह, श्री रूपसिंह ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी क्या जरूरत है, जब थर्ड रीडिंग होगी तो उसमें बोलना चाहें तो बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दिग्विजयसिंह, श्री रूप सिंह, श्री जुझार सिंह, श्री महेन्द्रसिंह ने रखे हैं, उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

एक माननीय सदस्य : ये सब सिंह ही सिंह कहां से आ गये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको पिंजरे में बन्द कर दो।

श्री रामकिशन : ये सिंह नहीं हैं, गीदड हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज जो विधेयक पास कर रहे हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि राज्य सरकार की नीति दक्षिण पंथी झुकाव की ओर हो गई है और इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ मिलकर अपनी नीतियों को मोड देना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं यह शुरूआत राजस्थान में सीलिंग कानून को लागू करने के लिये नहीं है बल्कि सीलिंग कानून की हत्या करने के लिये है और वह इस रूप में है कि यह विधेयक आज फोर्स से लादा जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कांग्रेस दल में बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ अपनी राय जाहिर की है लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि दल को छोड दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि इसका असर पडने वाला··

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति है दो मिनट के लिये।

श्री भैरोंसिंह : इस विधेयक का मैं इसलिये स्वागत करता हूं कि माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं, यह उनका सौभाग्य है कि उनके दल से नाता किया है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय 5 मिनट के लिये और बढाया जाता है।

श्री रामानंद अग्रवाल : कांग्रेस वाले यह कहें कि जनसंघ एक महन्त है और उन पर पुष्प·····

श्री रामकिशन : माननीय भैरोंसिंह जी ने कहा कि जनसंघ से नाता हो रहा है लेकिन वह नाता बुढापे में हो रहा है इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपको इससे जलन हो रही है इसका मुझे दुख है।

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक 1968 का पारण

श्री बृजसुंदर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो विधेयक राजस्व मंत्रीजी ने रखा है उसको पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 27 फरवरी, 1968 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6-17 पर मंगलवार, दिनांक 27-2-68 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 232 का उत्तर देखिये)

मंडावा फीडर पर दिये गये कृषि एवं घरेलू बिजली के कनेक्शनों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कृषि कनेक्शन	घरेलू कनेक्शन	उद्योग कनेक्शन
1.	मंडावा	2	104	8
2.	सालानी का वास	5	—	—
3.	चूडी अजीतगढ	5	33	3
4.	मुकन्दगढ	7	118	7
5.	ढूढलोद मन्डी	1	48	4
6.	पवाना	6	2	—
7.	डूंडलोद	16	56	4
8.	बलारिया	2	3	—
9.	नारसिहाली	5	1	—
10.	केरू	2	—	—
11.	नवल री व चौवरियां की ढाणी ..	8	5	—
	कुल योग	59	370	26

परिशिष्ट (2)

(तारांकित प्रश्न संख्या 235 का उत्तर देखिये)

सरकारी अधिवक्ताओं की आयु

क्र. सं.	नाम	पद	आयु (वर्षों में)
1.	श्री मुरली मनोहर व्यास	सरकारी अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता	59
2.	श्री राज नारायण मुंशी	अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता	51
3.	श्री बी0 सी0 चटर्जी	उप सरकारी अधिवक्ता	58
4.	श्री अमृत राज मेहता	उप सरकारी अधिवक्ता	64
5.	श्री गोविन्द मल मेहता	उप सरकारी अधिवक्ता	58
6.	श्री मोहन लाल श्रीमाल	उप सरकारी अधिवक्ता	45
7.	श्री सुशील कुमार तिवाड़ी	उप सरकारी अधिवक्ता	29
8.	श्री अशोक कुमार माथुर	सहायक सरकारी अधिवक्ता	24

परिशिष्ट (3)

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

पौध संरक्षण दवाओं पर बिक्री-कर

249. श्री नंदलाल (किशनगंज)—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने आदेश सम्बन्धी पत्र नं. एफ 7 (36) कृषि, 8166 दिनांक 16-3-67 के द्वारा डी. ए. ओज. को लिखा था कि पौध संरक्षण की दवाओं पर 6 प्रतिशत सेल्स टैक्स लिया जाय ?

(2) क्या यह सही है कि डी. ए. ओ. कोटा द्वारा वहां की पंचायत समितियों से 7 प्रतिशत सेल्स टैक्स पौध संरक्षण की दवाओं पर चार्ज किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि अटरू पंचायत समिति द्वारा डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर को इस मामले के बारे में लिखा गया था ? यदि हां, तो उसका क्या जवाब दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कृषि निदेशक ने कीट नाशक औषधियों पर 7 प्रतिशत सेल्स टैक्स चार्ज करने के आदेश दिए थे उसके अनुसार जिला कृषि अधिकारियों ने यह चार्ज किया है। इसमें राजाज्ञा के अनुसार संशोधन करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) पंचायत समिति अटरू के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पुस्तकालयाध्यक्ष राजकीय पुस्तकालय कोटा का स्थानान्तरण एवं उनके द्वारा उठाया गया यात्रा भत्ता

250. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि श्री महावीर प्रसाद पुस्तकालयाध्यक्ष राजकीय पुस्तकालय कोटा ने नवम्बर सन् 62 में पुस्तकालयाध्यक्ष राजकीय पुस्तकालय बीकानेर, पद पर स्थानान्तरण होने पर बस से यात्रा करके रेल किराये का सफर खर्च बिल बना कर सरकारी खजाने से रकम का भुगतान प्राप्त किया ?

(2) क्या यह सच है कि श्री महावीर प्रसाद ने अपने सफर बिल में जब कि उसके कोई सन्तान नहीं है फिर भी गलत रूप से अपने लड़के लड़की दिखा कर झूंठा बिल बना कर सरकार को धोखा देकर रकम का भुगतान प्राप्त किया ?

(3) क्या यह सच है कि श्री महावीर प्रसाद ने अपनी सन्तानों की उम्र सफर बिल में 13॥ साल, 8 साल और 5 साल दिखलाई है ?

(4) क्या सच है कि श्री महावीर प्रसाद ने 1 मार्च सन् 1956 को इन्श्योरेंस पोलिसी नं. 43112 में यह घोषणा की है कि वह शादी शुदा है मगर उसके कोई सन्तान नहीं है तो फिर नवम्बर सन् 62 के सफर बिल में 13॥ व 8 साल के बच्चे कहां से आ गये ?

(श्री गंगासहाय)

(5) क्या यह सच है कि इस बिल के सम्बन्ध में डीवाई. एस. पी. एन्टी-करप्शन विभाग ने कोटा रेल्वे बुकिंग आफिस से जांच की जिसमें यह पाया गया कि नवम्बर, सन् 62 में जिस दिन स्थानान्तरण होने पर श्री महावीर प्रसाद ने सफर बिल में रेल्वे से सफर करना बताया उस दिन द्वितीय श्रेणी का बीकानेर के लिये कोई टिकिट इश्यू नहीं हुआ ?

(6) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में विभागीय जांच के समय श्री महावीर प्रसाद ने एक हलफनामा इस आशय का कि उसके सन्तानें हैं का प्रस्तुत कर विभाग को धोखा दिया है जब कि इन्श्योरेंस पोलिसी में सन्तानें न होने की घोषणा करता है ?

(7) क्या यह सच है कि शिक्षा विभागाध्यक्ष के जानकारी में उपरोक्त सारे तथ्य किसी शिकायत-पत्र के द्वारा आ जाने पर भी जान बूझ कर इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

(8) क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कर श्री महावीर प्रसाद एवं अब तक उसको संरक्षण देने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) श्री महावीर प्रसाद ने ओथ कमिश्नर, बीकानेर से प्रमाणित एफीडेविट पेश किया है कि उनके दो लेजिटिमेट लड़के और एक लड़की है और वे उन्हीं पर आधारित हैं और उन्होंने उनके साथ कोटा से बीकानेर स्थानान्तरण होने पर यात्रा की है।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां सन्तान के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(5) जी, हां।

(6) जी, हां।

(7) यह सत्य नहीं हैं। जांच की कार्यवाही की जा रही है। तथा यह अन्तिम चरण पर है।

(8) इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है और जांच पूर्ण होने पर निर्णय लिया जावेगा।

जिला सीकर में स्थानान्तरण

251. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सीकर में माह जून व जुलाई सन् 1967 में किन किन राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए और कहां कहां ?

(2) क्या इन अधिकारियों के स्थानान्तरण 2 साल से ज्यादा समय होने पर किये गये हैं ?

(3) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध जनता की कोई शिकायतें थीं? यदि हां, तो किस किस के विरुद्ध ? यदि नहीं, तो इनके स्थानान्तरण किस कारण से किए गये ?

उत्तर

(1) माह जून व जुलाई 1937 में जिला सीकर में निम्नलिखित राजपत्रित

अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए:—

1. श्री टी.एन. टिक्कू, उप जिलाधीश, नीम का थाना से सवाई माधोपुर ।

2. श्री शेर सिंह, तहसीलदार, लछमनगढ़ से दांतारामगढ़।

3. श्री आर. डी. भारद्वाज दांता–रामगढ़ से सीकर।

(2) जी नहीं।

श्री शेरसिंह तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत थी। अन्य अधिकारियों के स्थानान्तरण जनहित में किये गये।

सहकारी विभाग की गाड़ी

252. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा)–क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहकारी विभाग की एक मोटर गाड़ी तालेड़ा (बूंदी) पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी है?

(2) उक्त गाडी उस स्थान पर कितने समय से खडी है?

(3) उक्त गाडी किस वर्ष में कितने रुपयों में खरीदी गई थी और कुल कितने हजार मील चल चुकी है?

(4) उक्त गाडी को अब तक क्यों कर नहीं उठाया गया है?

(5) यदि गाडी चलने योग्य नहीं है तो उसे नीलाम क्यों नहीं करवाया जाता है?

उत्तर

1. जी हां, यह गाडी पुलिस स्टेशन तालेडा जिला बून्दी की तहसील में है।

2. यह गाडी उनकी तहसील में 26–4–66 से है।

3. मोबाइल सेल्स वान दिनांक 24-8-56 को रुपया 12066) रुपये अक्षरे रुपया बारह हजार छासठ) में खरीदी गई थी तथा यह गाडी 32913 मील चल चुकी है।

4. दिनांक 25–4–66 को दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण यह गाडी 26–4–66 से पुलिस की तहवील में है और अदालत मजाज के आदेश से अभी तक सहकारी विभाग को वापस नहीं मिल सकी है।

5. पुलिस की तहवील से मुक्त होने पर इस विषय पर विचार किया जा सकेगा।

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सहायता अनुदान

253. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1966–67 में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को कितनी धनराशि ग्रान्ट-इन-एड के रूप में दी गई? जिलानुसार दी गई कुल धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गत 5 वर्षों में प्रत्येक जिले को कुल कितनी धनराशि ग्रान्ट-इन-एड के रूप में दी गई?

(3) जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर शहरों में गत 5 वर्षों में कालेजों को दी गई ग्रान्ट-इन-एड का विवरण देने की कृपा करें।

(4) खंड 3 में दी गई ग्रान्ट-इन-एड के दुरुपयोग की शिकायत किस किस की बाबत प्राप्त हुई और उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर स्थगित हुआ।

(दिनांक 6 मार्च, 1968 की प्रश्न सूची में पुनः सम्मिलित किया गया)

राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन

254. श्री फतेहसिंह (ब्यावर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि गांव अनाकर, तहसील ब्यावर के श्री वजीरसिंह जी और ब्यावर शहर के श्री विरधीचन्दजी हेडा ने भी राजनैतिक पीड़ितों को दी जाने वाली पेंशन के लिये प्रार्थना पत्र-भेज रखे हैं ?

उत्तर

जी हां, श्री वजीर सिंह का मामला राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है जिसकी सूचना प्रार्थी को दिनांक 16–12–64 को दी जा चुकी है। श्री बिरधीचन्द हेडा का मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत समिति केकड़ी का विद्युतीकरण

255. श्री देबीलाल बागड़िया (केकडी सु.)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र केकडी (अजमेर) का विद्युतिकरण किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति केकडी की ग्राम पंचायतें एवं ग्राम केकडी के इतने नजदीक पडते हैं कि उनको केकडी से आराम से बिजली दी जा सकती है ?

(3) क्या यह सही है कि कुओं पर बिजली लगाने के लिए ग्रामीण जनता अति उत्सुक है और उन्होंने कई दफा प्रार्थना-पत्र भी दिए हैं ?

उत्तर

(1) योजना विचारधीन है।

(2) सर्वे किया जाकर बताया जा सकता है।

(3) आवश्यक धनराशि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है उपलब्ध होने पर काम हाथ में लिया जावेगा।

आयुर्वेद विभाग में स्थानान्तरण

256. श्री नाथूराम (बागीदोरा)—क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उन कर्मचारियों के जिन्हें 250 रु. प्रति माह से कम वेतन मिलता है स्थानान्तरण पदस्थापना के संबंध में जो राज्य सरकार की नीति है उसका परिपालन क्या आयुर्वेद विभाग में होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या वर्तमान में आयुर्वेद विभाग में कार्य कर रहे 250 रु. से कम वेतन मिलने वाले सभी कर्मचारी अपने अपने डिवीजन में ही नियोजित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या आयुर्वेद विभाग इन कर्मचारियों को अपने डिविजन में नियोजित कराने की कोई योजना रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, 250) रु. से कम वेतन वाले कर्मचारियों के स्थानान्तर पदस्थापना संबंधी राज्य सरकार की नीति का परिपालन यथासम्भव किया जाता है ।

(2) जी नहीं—संबंधित जिलों में इतने पर्याप्त औषधालय नहीं होते कि उस जिले के समस्त कर्मचारियों को उस ही जिले में रखा जा सके ।

(3) सभी कर्मचारियों के लिये अपने जिले में नियोजित करना सदा संभव नहीं होता ।

दुग्ध वितरण योजना–बीकानेर

257. **श्री मुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा सु.)–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बीकानेर शहर के 36 वार्डों के लिये दुग्ध वितरण योजना बनाई गई थी ? अगर हां, तो इस योजना को बीकानेर शहर के लिय लागू क्यों नहीं किया गया जब कि बीकानेर में राजस्थान से सबसे ज्यादा पशु हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है ? क्या सरकार दूध वितरण केन्द्र बीकानेर में खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

बीकानेर शहर के 36 वार्डों के लिए सरकार द्वारा कोई दुग्ध वितरण योजना नहीं बनाई गई थी । बीकानेर में पृथक् से दुग्ध वितरण योजना को कार्यान्वित करने सम्बन्धी मामला सरकार के विचाराधीन है ।

ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के सदस्यों की नियुक्ति का आधार

258. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन के कब कब से कौन कौन सदस्य हैं ? इनकी नियुक्ति का क्या आधार है ?

उत्तर

1. निगम के सदस्यों की सूची इनकी नियुक्ति तिथि सहित सदन के पटल पर रख दी गई है । सदस्यों की नियुक्ति पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा की जाती है ।

क्र. सं.	नाम	विवरण	नियुक्ति दिनांक
1. श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा,	अध्यक्ष	गैर सरकारी	12-12-67
2 „ विणुदत्त शर्मा, वित्त आयुक्त	सदस्य	सरकारी	29-9-67
3. „ विष्णुदत्त शर्मा, गृह आयुक्त	„	„	30-8-67
4. „ आर. जे. मजीठिया, प्रधान प्रबन्धक, रा. रा. म. प. निगम	„	„	15-1-68
5. „ खेल शंकर दुर्लभजी	„	गैर सरकारी	1-10-64
6. „ सोहन लाल सिंघिया	„	„	„
7. „ रघुनाथ दास वांगड	„	„	12-7-66
8. „ एम. एल. गुप्ता मारकेटिंग एण्ड सेल्स सुपरिन्टेन्डेन्ट पश्चिमी रेलवे	„	प्रतिनिधि केन्द्रीय	22-1-65
9. „ डी. सी. जोशी, उप मुख्य लेखाधिकारी पश्चिमी रेल्वे	„	सरकार के रेलवे प्रतिनिधि	11-8-65

झुन्झुनूं जिला होलसेल उपभोक्ता सहकारी भंडार

259. श्री **सांवरमल बासोतिया**—(नवलगढ)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुंझुनूं जिला होलसेल उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना कब हुई और संचालक मंडल का गठन कब हुआ ?

(2) संचालक मंडल के सदस्य निर्वाचित हैं अथवा मनोनीत ?

(3) संचालक मंडल का निर्वाचन क्यों नहीं हो रहा है ? क्या सरकार निर्वाचन कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) उक्त भंडार घाटे में चल रहा है या फायदे में ? 31 दिसम्बर, 1967 तक के अर्से में कुल कितना घाटा या नफा रहा ?

(5) क्या सरकार का विश्वास है कि यह भंडार नफे में चलेगा ? यदि हां, तो इसकी भावी रूपरेखा क्या है ?

(6) क्या उक्त भंडार की एक शाखा नवलगढ में भी खोली गई है ? यदि हां तो कब से ?

(7) 31 दिसम्बर, 1967 तक उक्त शाखा में कुल बिक्री (चीनी को छोडकर) कितनी हुई और उस बिक्री पर कितना लाभ हुआ ?

(8) उक्त शाखा में कितने कर्मचारी हैं, क्या क्या काम करते हैं और उनकी मासिक तनख्वायें कितनी कितनी हैं ?

(9) क्या उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति नियमानुसार हुई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करेगी ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना दिनांक 17-9-1966 को हुई और संचालक मंडल का गठन दिनांक 24-3-67 को हुआ ।

(2) संचालक मंडल के सदस्य मनोनीत हैं ।

(3) संचालक मंडल का निर्वाचन इसलिये नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी गठन हुए एक साल पूरा नहीं हुआ है ।

(4) यह भंडार फायदे में चल रहा है । 31 दिसम्बर, 67 तक के अर्से में कुल 2681) रु. का फायदा हुआ है ।

(5) यह विश्वास है कि भंडार नफे में चलेगा इसकी भावी रूपरेखा संक्षिप्त में यह है कि इस भंडार ने कन्ट्रोल का सामान जैसे चीनी, आटा, मैदा, सूजी आदि का काम होलसेल एवं रिटेल का करना शुरू कर दिया है एवं शनैः शनैः पूरे जिले का ही यह काम हाथ में लिये जाने की योजना है तथा यह भंडार उन आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी करता है जो सीधे उत्पादकों से नेशनल कोआपरेटिव कन्जूमर्स फेडरेशन के मार्फत प्राप्त होती है । इसके अलावा इस भंडार ने हिन्दुस्तान लीवर स्वास्तिक आइल, टाटा एवं अन्य मुख्य उत्पादकों का माल व अन्य कई किस्म का माल जो उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकता में होता है, वितरण कर रहा है।

(6) इस भंडार की एक शाखा नवलगढ में खोली गई है। यह शाखा दिनांक 4-7-67 को खोली गई है ।

(7) 31 दिसम्बर, 67 तक उक्त शाखा में कुल बिक्री चीनी को छोडकर 6764-30 हुई हैं और उस बिक्री पर 422-7 का लाभ हुआ है।

(8) नवलगढ़ शाखा में इस समय तीन कर्मचारी हैं विक्रेता जिसकी मासिक तनख्वाह 130) रु. प्रति माह, दूसरा सहायक-कम-चौकीदार मासिक तनख्वाह 75) रु. प्रतिमाह, तीसरा सहायक-कम-चौकीदार मासिक वेतन 75) रु. प्रति माह है ।

(9) समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति नियमानुसार की गई है ।

लाडनूं स्कूल में खिड़कियों की मरम्मत

260. श्री ब्रजवल्लभ (दीगोद) — क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा में हाई स्कूल की ही एक मात्र इमारत है ?

(2) क्या यह सही है कि गत चतुर्थ आम चुनाव में इस इमारत के 4 कमरों की खिड़कियों को तोड़कर मतदान के लिये दरवाजा निकाला गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी तक उन खिडकियों को वापस दुरुस्त नहीं किया गया है ?

(4) यदि हां, तो क्यों और अब यह कार्य कब तक कराया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां ।

(3) जी, हां ।

(4) सार्वजनिक भवन व पथ निर्माण विभाग तथा उपजिला निर्वाचन अधिकारी कोटा से खिड़कियों की मरम्मत कराने हेतु लिखा जा चुका है ।

परिशिष्ट सं. 4

(अतारांकित प्रश्न सं. 66 की सूची)

क्रम संख्या	नाम समिति			रकम जो दी गई
1.	करोली कुन्ड वुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, अलवर			1035-00
2.	नवाबपुरा ,,	,,	,,	2472-50
3.	हिक्सालपुरा ,,	,,	,,	1437-50
4.	विशशू ,,	,,	,,	1035-00
5.	मंगत का वास ,,	,,	,,	2300-00
6.	अलवर ,,	,,	,,	3737-50
7.	राष्ट्रीय वचत संचालक ,,	,,	,,	2611-00
8.	आदर्श घडीमोगोड वुनकर ,,	,,	,,	255-00
9.	ढेरा वायनथाय ,,	,,	,,	180-00
10.	गोबिन्दगढ़ हाथ करधा ,,	,,	,,	500-00
11.	खानपुर वुनकर	,,	,,	562-50
12.	मोरपुर हाथकरघा, उत्पादक	,,	,,	375-00
13.	गौसालावास बुनकर	,,	,,	330-00
14.	नारायणपुर हाथकरघा	,,	,,	412-50
15.	हुसनकी बुनकर	,,	,,	4772-50
				54016-00

शुद्धि-पत्र

(दिनांक 23 फरवरी, 1968)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
शीर्षक		सत्र	सत्र
1	3	विघा	विधान
1	7	एडवोकेटर्स	एडवोकेट्स
9	17	श्री दलतराम	श्री दौलतराम
11	2	जियाजी	जिवाजी
15	अन्तिम से 3	रहत है	रहते हैं
17	7	सब-सिडी	सब्सिडी
18	3	डिकाम्पोनेन्ट	डिकम्पोनेन्ट
23	3	कर्रवाई	करवाई
25	अन्तिम से 11	की	कि
34	अन्तिम	66.67	66 67 तक
39	7	फट	फुट
39	अन्तिम से 12	पर कन्ट्रोल	पर तो कन्ट्रोल
41	10	आडर	आर्डर
42	अन्तिम से 9	ाठशाला	पाठशाला
44	अन्तिम से 14	घीपचन्द	दीपचन्द
46	अन्तिम से 2	कम्मेरेटिव	कम्पेरेटिव
57	अन्तिम	स्कल	स्कूल
59	शीर्ष	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
63	अन्तिम से 10	नियानुसार	नियमानुसार
77	प्रथम पंक्ति	अडेन्ड	अटेन्ड
86	4	कह	कहा
92	9	एक्जारप्शन	एज्जारप्शन
115	17	मकाबिला	मुकाबिला
118	3	स्थिति	स्थिति में
121	शीर्ष	वन्तय	वक्तव्य
125	अन्तिम से 14	सहायत	सहायता
155	अन्तिम से 2	कंत्री जी	मंत्री जी
155	अन्तिम	मरना	करना
157	16	Inherint	Inherent
157	19	abondons	abandons
159	17	Inherint	Inherent
179	14	किये गये	किया गया
191	प्रथम	कि	मैं

2

1	2	3	4
194	2	क्या	क्यों
197	10	जब	जबतक
201	3	समाननीय	सम्माननीय
213	5	श्रीमत	श्रीमती
225	शीर्ष	प्र ताव	प्रस्ताव
225	अन्तिम से 9	पोसीब	पोसीबली
264	12	श्र जगन्नाथ	श्री जगन्नाथ
267	प्रथम	इम्पूवबल	इम्मूवबल
274	14	के	की